खण्ड-203, अंक-1
गुरूवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(12 मार्च, 1959 ई0)

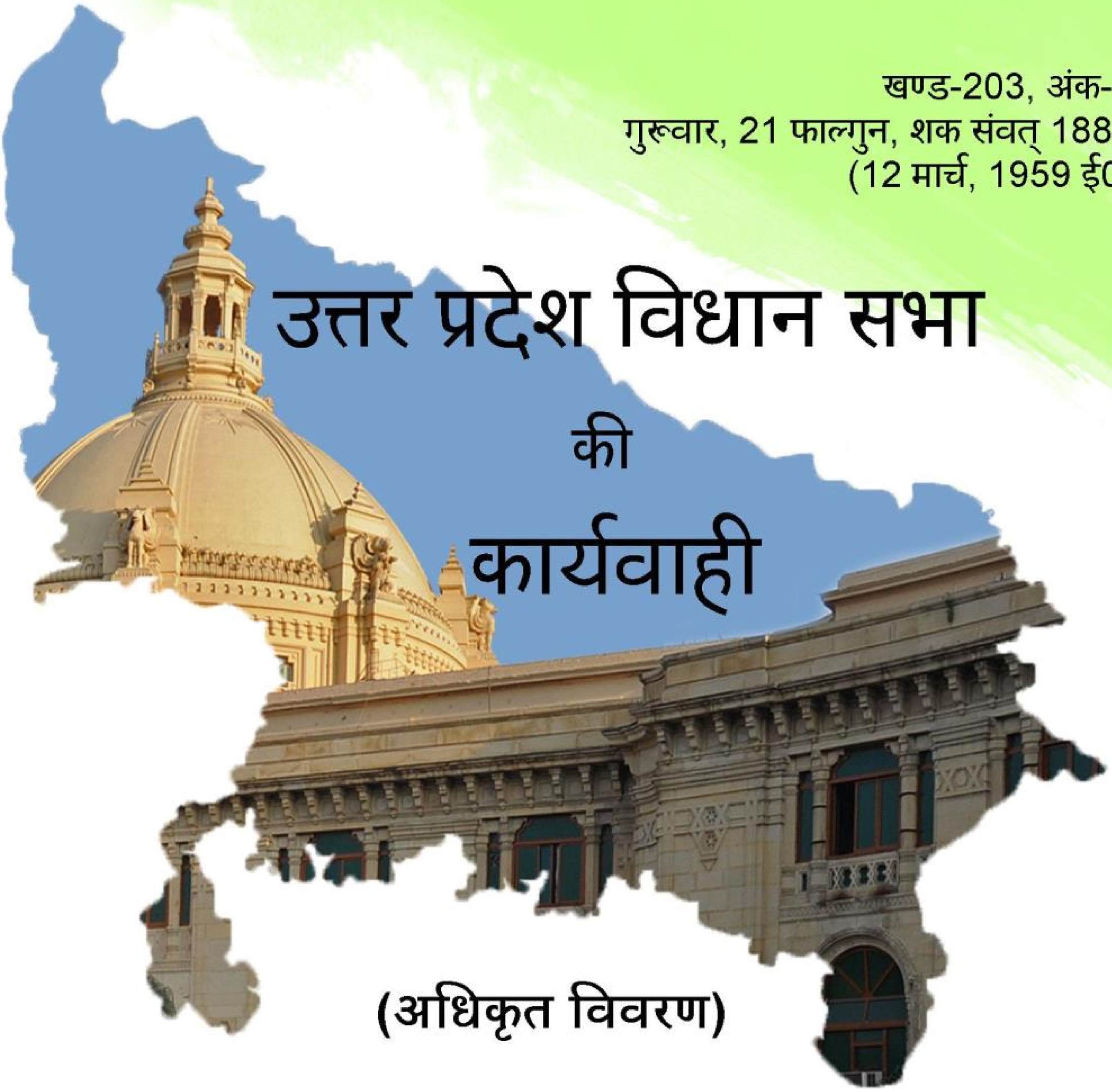

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३१
श्री गंगाप्रसाद, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	३१
राजनीतिक पीड़ितों की सूची तैयार करने तथा उनको समुचित पेंशनें देने में सरकार की असफलता पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३१–३२
श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	३२–३३
चीनी मिलों में अतिरिक्त मुनाफे के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३३–३४
उत्तर प्रदेश खाद्य आज्ञा, १९५९ के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३५–३६
श्री राजनारायण द्वारा सूचना देने की मांग .. .	३६
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४३––उद्योग (स्वीकृत)	३७–८९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक विचारोपरान्त पारित)	८९–१५२
नत्थियां	१५३–१५९

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	१६१–१६५
प्रश्नोत्तर	१६५–१९६
श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	१९६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं ..	१९६–१९७
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४८––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	१९७–२४८
नत्थियां	२४९–२५६

शनिवार, १४ मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	२५७–२६०
प्रश्नोत्तर	२६१–२६३
श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	२६३

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रमजीवी पत्रकारों की प्रान्तव्यापी हड़ताल पर विवादार्थ दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२६३–२६७
होली के हुड़दंगियों द्वारा रेलगाड़ी पर ढेलेबाजी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य	२६७
श्रीमती कमला देवी की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी की मांग	२६८
महानगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में सूचना	२६८–२६९
२३ मार्च को सदन की बैठक न करने की मांग	२६९–२७०
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय तथा ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें (स्वीकृत) ..	२७१–३३०
सोमवार, १६ मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	३३१–३३५
प्रश्नोत्तर	३३५–३५४
इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५९ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	३५४
श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	३५४–३६१
श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३६१
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें ..	३६१–३६२
श्रीमती कमला देवी शुक्ल की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	३६२–३६३
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—श्रम—प्रकीर्ण विभाग (स्वीकृत) ..	३६३–४१०
मंगलवार, १७ मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	४११–४१५
प्रश्नोत्तर	४१५–४२७
कार्य-सूची में प्रश्न रखने की प्रणाली में परिवर्तन का सुझाव	४२७
श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४२७–४२९
३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ४–५ से संबद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	४२९
श्री अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव की सूचना	४२९–४३०
१९, २० तथा २१ मार्च, १९५९ को बैठक का समय बढ़ाने का निश्चय	४३० –४३१
सत्रावसान के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	४३१ –४३२

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (विवाद जारी) ..	४३२–४८७
नत्थी	४८८
बुधवार, १८ मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	४८९–४९३
प्रश्नोत्तर	४९३–५१९
मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५२०
श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	५२०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं	५२०–५२१
श्री राजनारायण के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव (स्थगित) ..	५२१
१६ मार्च, १९५९ की कार्यवाही के कुछ भाग को निकाल देने की मांग ..	५२१–५२३
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (स्वीकृत)	५२४–५७४
डाक्टर लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना ..	५७५
नत्थियां	५७६–५८०
बृहस्पतिवार, १९ मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	५८१–५८५
प्रश्नोत्तर	५८५–६०९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	६०९–६१०
डाक्टर लोहिया के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना ..	६१०–६१६
इलाहाबाद में बलुआघाट के पास नाले का पानी यमुना में गिराने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य ..	६१६–६१७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषय की सूचना	६१७
५ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न २८ से संबंधित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६१७–६१८
श्री अध्यक्ष को अध्यक्ष-पद से हटाने के प्रस्ताव की सूचना (सदन ने प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी)	६१८–६२३
श्री राजनारायण के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६२३–६२४
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २०––लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा (जारी)	६२४–६७५
नत्थियां	६७६–६८१

विषय	पृष्ठ-संख्या
शुक्रवार, २० मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	६८३–६८७
प्रश्नोत्तर	६८७–७१२
अध्यक्षासन पर अवस्थित ध्वनिविस्तारक यंत्रों के पुनरारोपण के सम्बन्ध में प्रार्थना	७१३
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	७१३
द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	७१३–७१५
श्री राजनारायण द्वारा मुख्य मंत्री, श्रम मंत्री और श्री त्रिलोकीसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७१५–७१६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं ..	७१६
श्री जगतनारायण यादव के अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७१७–७१८
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा (स्वीकृत)	७१८–७६०
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान (जारी)	७६०–७९१
नत्थियां	७९२–७९८
शनिवार, २१ मार्च, १९५९	
उपस्थित सदस्य	७९९–८०३
प्रश्नोत्तर	८०३–८०६
काटन ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९२३ के अधीन विज्ञप्ति एवं नियम के आलेख्य (मेज पर रखे गये)	८०६
श्री राजनारायण द्वारा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (श्री अध्यक्ष का निर्णय स्थगित) ..	८०६–८१०
श्री देवनारायण भारतीय द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	८१०–८११
श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (वापस लिया गया)	८११–८१४
इलाहाबाद में जहर के इंजेक्शन लगाने की अफवाह के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य	८१४–८१५
बाजपुर सहकारी चीनी मिल के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के सम्बन्ध में वक्तव्य	८१५–८१७
माहेश्वरी देवी जूट मिल की बन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य	८१७–८१८
भावी कार्यक्रम के विषय में जानकारी	८१८

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४२––लेखा शीर्षक ५७––अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	८१८–८८५
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ (विचारोपरान्त पारित) ..	८८६–९००

सोमवार, ३० मार्च, १९५९

उपस्थित सदस्य	९०१–९०४
प्रश्नोत्तर	९०५–९२६
भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी	९२६
श्री राजनारायण द्वारा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	९२६–९२७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं	९२७–९३२
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार	९३२–९८३
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९८३
नत्थियां	९८४–९९१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

बिहार पंचायत सचिव

शासन

राज्यपाल

श्री वरहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मन्त्री (जो मन्त्रि-मण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी० विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मन्त्री (जो मन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी०-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, खाद्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

उप-मन्त्री

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उपमंत्री।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन उपमंत्री।

श्री महावीर सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री।

मुंगेर फतुहा विधान सभा

सभा-सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य।

श्री राजबिहारी सिंह, विधान-सभा-सदस्य।

राजस्व मंत्री के सभा सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

गृह मंत्री के सभा सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

मेरा पदेश्वान सभा

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर सिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवंत नगर
९	अमरनाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोली देवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्मा राम पांडय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	राबर्टसगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमा शंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३२	उल्फत सिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	कोलासना
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३५	कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३६	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३७	कमलकुमारी गोइन्दी, कुमारी	करछना
३८	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
३९	कमलेश चन्द्र, श्री, उपनाम कमले	पुवायां
४०	कल्याण चन्द्र मोहिले, श्री, उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहबाद शहर (दक्षिण)
४१	कल्याण राय, श्री	शाहाबाद

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४२	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	महाइच
४३	कालीचरण अग्रवाल, श्री	कासगंज
४४	काशी प्रसाद पांडेय, श्री	कादीपुर
४५	किशन सिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४६	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री	मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
४९	केशव राम, श्री	बिसौली
५०	कैलाश कुमार सिंह, श्री	इस्लाम नगर
५१	कैलाश नारायण गुप्त, श्री	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाश प्रकाश, श्री	मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लुपुर
५४	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री	नगर
५६	खजान सिंह, चौधरी	उन्नाव
५७	खमानीसिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री	धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	एटा
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	रसरा
६५	गजेंद्रसिंह, श्री	बिधुना
६६	गज्जूराम, श्री	ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री	कुंडा
७१	गयाबख्श सिंह, श्री	इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री	भवन
७३	गरीबदास, श्री	कालपी
७४	गिरधारीलाल, श्री	धाम्पुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७६	गुरुप्रसाद सिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८०	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल
८१	गोपाली, श्री	खुर्जा
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	जालौन
८४	गोविन्द सहाय, श्री	नगीना

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८५	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	मोहम्मदाबाद (गोहाना)
९१	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा (शहर)
१०२	छेदीलाल, श्री	श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री	हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	बरेली (शहर)
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री	धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	करवी
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	गंगा सलाण
११४	जगबीरसिंह, श्री	अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	टांडा
११९	जरग़ाम हैदर, श्री सैयद	बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री	कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	घाटमपुर
१२७	झारखंडे राय, श्री	घोसी

विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकी सिंह, श्री	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	कानपुर शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	रुड़की
१४५	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	देवरिया (दक्षिण)
१४६	दुर्योधन, श्री	महाराजगंज
१४७	देवकीनन्दन विभव, श्री	आगरा (शहर)
१४८	देवदत्तसिंह, श्री	टप्पल
१४९	देवनारायण भारतीय, श्री	जमौर
१५०	देवराम, श्री	शादियाबाद
१५१	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	अकबरपुर
१५२	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	मुजफ्फरनगर
१५३	द्वारिकाप्रसाद, श्री	कन्नौज
१५४	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	फरेन्दा (पूर्व)
१५५	धनीराम, श्री	लालगंज
१५६	धनुषधारी पांडेय, श्री	महुली
१५७	धरमपाल सिंह, श्री	तुलसीपुर
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	सिरौली
१५९	धर्मसिंह, श्री	अनूपशहर
१६०	नत्थाराम रावत, श्री	बाराबंकी
१६१	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	फरीदपुर
१६२	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	करहल
१६३	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	हाथरस
१६४	नन्दराम, श्री	कुण्डा
१६५	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	चांदपुर
१६६	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	केदारनाथ
१६७	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
१६८	नवलकिशोर, श्री	आंवला
१६९	नागेश्वरप्रसाद, श्री	गरवारा
१७०	नारायणदत्त तिवारी, श्री	नैनीताल

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१७१—नारायणदास पासी, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
१७२—निरंजन सिंह, श्री	पीलीभीत
१७३—नेकराम शर्मा, श्री	अतरौली
१७४—पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	अतरौलिया
१७५—पब्बरराम, श्री	गाजीपुर
१७६—परमानन्द सिनहा, श्री	सोरांव (पश्चिम)
१७७—परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	पुर्वा
१७८—पहलवान सिंह, चौधरी	बांदा
१७९—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	मेरठ (छावनी)
१८०—प्रतापबहादुरसिंह, श्री	फखरपुर
१८१—प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री	लहरपुर
१८२—प्रतापसिंह, श्री	टनकपुर
१८३—प्रभावती मिश्र, श्रीमती	लम्भुआ
१८४—प्रभुदयाल, श्री	बानगंगा (पश्चिम)
१८५—फतेहसिंह राणा, श्री	सरधना
१८६—बंशीधर शुक्ल, श्री	श्रीनगर
१८७—बलदेव सिंह, श्री	महदेवा
१८८—बलदेवसिंह आर्य, श्री	शाहाबाद
१८९—बलवानसिंह, श्री	अकबरपुर
१९०—बसन्तलाल, श्री	लखनऊ (छावनी)
१९१—बादामसिंह, श्री	शिकारपुर
१९२—बाबूराम, श्री	भोजीपुरा
१९३—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	प्रतापगंज
१९४—बालकराम, श्री	तिलहर
१९५—बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९६—बिन्दुमती दास, श्रीमती	प्रतापगंज
१९७—बिशम्बरसिंह, श्री	हस्तिनापुर
१९८—बिहारीलाल, श्री	बीसलपुर
१९९—बुलाकीराम, श्री	हरदोई
२००—बुद्धीलाल, श्री	नानपारा
२०१—बुद्धीसिंह, श्री	बहजोई
२०२—बृजवासी लाल, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
२०३—बृजरानी मिश्र, श्रीमती	बिल्हौर
२०४—बेचनराम, श्री	ज्ञानपुर
२०५—बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर
२०६—बेनीबाई, श्रीमती	मऊ
२०७—बैजूराम, श्री	सिधौली
२०८—ब्रजनारायण तिवारी, श्री	पडरौना (पश्चिम)
२०९—ब्रजभूषणशरण, श्री	देहरादून
२१०—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	कानपुर शहर
२११—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	भावापुर
२१२—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१३—भगवतीसिंह विशारद श्री	भगवन्तनगर

क्रम-संख्या सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२१४--भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
२१५--भजनलाल, श्री	औरैया
२१६--भोखालाल, श्री	हसनगंज
२१७--भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	इटावा
२१८--भूपकिशोर, श्री	अलीगंज
२१९--मंगलाप्रसाद, श्री	मेजा
२२०--मंजूरुलनबी, श्री	सहारनपुर
२२१--मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	नौगढ़
२२२--मदनगोपाल वैद्य, श्री	अमीसन
२२३--मदन पांडेय, श्री	तिलपुर
२२४--मदनमोहन, श्री	फैजाबाद
२२५--मन्नालाल, श्री	मोहमदी
२२६--मलखान सिंह, श्री	सिकन्दरा राऊ
२२७--मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)	मैनपुरी
२२८--महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	डासना
२२९--महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	स्वार टांडा
२३०--महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	मुजफ्फराबाद
२३१--महमूद हुसैन खां, श्री	सम्भल
२३२--महादेवप्रसाद, श्री	फखरपुर
२३३--महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	केवाई
२३४--महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ शहर (मध्य)
२३५--महीलाल, श्री	बिलारी
२३६--महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	बाह
२३७--महेशसिंह, श्री	हरदोई
२३८--माताप्रसाद, श्री	शाहगंज
२३९--मान्धातासिंह, श्री	कोपाचीत
२४०--मिहरबान सिंह, श्री	भरथना
२४१--मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	रुदौली
२४२--मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४३--मुजफ्फर हसन, श्री	चायल
२४४--मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	बीसल
२४५--मुबारकअली खां, श्री	उसेहट
२४६--मुरलीधर, श्री	माहुल
२४७--मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर
२४८--मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	सफीपुर
२४९--मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०--मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर)
२५१--मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	बानगंगा (पूर्व)
२५२--मुहम्मद हुसैन, श्री	बरेली छावनी
२५३--मूलचन्द, श्री	मिसरिख
२५४--मोतीलाल अवस्थी, श्री	कानपुर (देहात)
२५५--मोहनलाल, श्री	महोबा
२५६--मोहनलाल गौतम, श्री	कोयल
२५७--मोहनलाल वर्मा, श्री	संडीला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५८—मोहनसिंह मेहता, श्री	दानपुर
२५९—यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	रायबरेली (उत्तर)
२६०—यमुनासिंह, श्री	शादियाबाद
२६१—यशपालसिंह, श्री	देवबन्द
२६२—यशोदादेवी, श्रीमती	बांसगांव
२६३—यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	जौनपुर
२६४—रऊफ जाफरी, श्री	मछलीशहर
२६५—रघुनाथसहाय यादव, श्री	किशनपुर
२६६—रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री, उपनाम लाल साहब	सादुल्ला नगर
२६७—रघुराज सिंह चौधरी, श्री	बुलन्दशहर
२६८—रघुबीरराम, श्री	मोहम्मदाबाद
२६९—रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	जलेसर
२७०—रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	बागपत
२७१—रणबहादुरसिंह, श्री	हरया (पश्चिम)
२७२—रमाकांतसिंह, श्री	अमेठी
२७३—रमानाथ खेरा, श्री	ललितपुर
२७४—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	बरसाथी
२७५—राघवराम पांडेय, श्री	गोंडा (दक्षिण)
२७६—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री	मनकापुर
२७७—राजकिशोर राव, श्री	इकौना
२७८—राजकुमार शर्मा, श्री	चुनार
२७९—राजदेव उपाध्याय, श्री	सिधुवाजोबना
२८०—राजनारायण, श्री	कसवार सरकारी
२८१—राजनारायणसिंह, श्री	अहरौरा
२८२—राजबिहारीसिंह, श्री	कसवार राजा
२८३—राजाराम शर्मा, श्री	खलीलाबाद
२८४—राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	डोमरियागंज (उत्तर)
२८५—राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	मौदहा
२८६—राजेन्द्रदत्त, श्री	शिकारपुर
२८७—राजेन्द्रसिंह, श्री	गोंडवा
२८८—राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	शमसाबाद
२८९—रामअधार तिवारी, श्री	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९०—रामअभिलाख, श्री	गोंडा (उत्तर)
२९१—रामकिंकर, श्री	पट्टी
२९२—रामकुमार वैद्य, श्री	अमरोहा
२९३—रामकृष्ण जैसवार, श्री	कंतित
२९४—रामकृष्ण सारस्वत, श्री	फर्रुखाबाद
२९५—रामचन्द्र उनियाल, श्री	रवाईं
२९६—रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद
२९७—रामजीलाल सहायक, श्री	सरधना
२९८—रामजी सहाय, श्री	सिलहट
२९९—रामदास आर्य, श्री	जानसठ
३००—रामदीन, श्री	करहल
३०१—रामनाथ पाठक, श्री	दोआबा

क्रम-संख्या सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३०२—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	सुरहुरपुर
३०३—रामपाल त्रिवेदी, श्री	मलीहाबाद
३०४—रामप्रसाद, श्री	सलोन
३०५—रामप्रसाद देशमुख, श्री	कोयल
३०६—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैंसडाउन
३०७—रामबली, श्री	मुसाफिरखाना
३०८—राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३०९—रामरतन प्रसाद, श्री	रसरा
३१०—रामरती देवी, श्रीमती	अकबरपुर
३११—रामलक्षण तिवारी, श्री	बांसडीह (पूर्व)
३१२—रामलखन, श्री (वाराणसी)	चन्दौली
३१३—रालखन मिश्र, श्री	बांसी (पश्चिम)
३१४—रामलखन सिंह, श्री	रारी
३१५—रामलाल, श्री	नगर
३१६—रामवचन यादव, श्री	माहुल
३१७—रामशरण यादव, श्री	मोहनलालगंज
३१८—रामसनेही भारतीय, श्री	बबेरू
३१९—राम समझावन, श्री	केराकत
३२०—रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	एतमादपुर
३२१—रामसुन्दर पांडेय, श्री	नत्थूपुर
३२२—रामसूरत प्रसाद, श्री	पिपराइच
३२३—रामस्वरूप यादव, श्री	जसराना
३२४—रामस्वरूप वर्मा, श्री	भोगनीपुर
३२५—रामहेत सिंह, श्री	छाता
३२६—रामायण राय, श्री	पडरौना (दक्षिण)
३२७—रामेश्वर प्रसाद, श्री	बछरावां
३२८—रुकनुद्दीन खां, श्री	कोंहडौर
३२९—रूर्मासिंह, श्री	खेरा बजेहरा
३३०—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	काशीपुर
३३१—लक्ष्मणराव कदम, श्री	गरोथा
३३२—लक्ष्मणसिंह, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
३३३—लक्ष्मीनारायण, श्री	पहाड़पुर
३३४—लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	फतेहाबाद
३३५—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	माट
३३६—लखमी सिंह, श्री	इगलास
३३७—लायकसिंह, चौधरी	शिकोहाबाद
३३८—लालबहादुर सिंह, श्री	केराकत
३३९—लुत्फअली खां, श्री	हापुड़
३४०—लोकनाथ सिंह, श्री	कटेहर
३४१—वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री	हैदरगढ़
३४२—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	जमानिया
३४३—वसी नकवी, श्री	रोखा
३४४—वासुदेव दीक्षित, श्री	खागा
३४५—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३४६	विजयशंकर सिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३४७	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	शाहाबाद
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	देवप्रयाग
३४९	विशालसिंह, श्री	भिटौली
३५०	विश्राम राय, श्री	आजमगढ़
३५१	विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	करांद
३५२	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	फतेहपुर-सीकरी
३५३	वीरसेन, श्री	हापुड़
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कैराना
३५५	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	बहराइच (दक्षिण)
३५६	वीरेन्द्र शाह, राजा	कालपी
३५७	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	महोबा
३५८	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर
३५९	शंकरलाल, श्री	कादीपुर
३६०	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरौरा
३६१	शब्बीरहसन, श्री	खजुहा
३६२	शमशुल इस्लाम, श्री	निधपुर
३६३	शम्भूदयाल, श्री	संडीला
३६४	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६५	शिवगोपाल तिवारी, श्री	सफीपुर
३६६	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	सिधुवाजोबना
३६७	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	खीरी
३६८	शिवमंगल सिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३६९	शिवमूर्ति सिंह, श्री	फूलपुर
३७०	शिवराजबली सिंह, श्री	फतेहपुर
३७१	शिवराजबहादुर, श्री	नवाबगंज
३७२	शिवराजसिंह यादव, श्री	बिसौली
३७३	शिवराम, श्री	अफजलगढ़
३७४	शिवराम पांडेय, श्री	डेरापुर
३७५	शिववचन राव, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
३७६	शिवशंकर सिंह, श्री	डलमऊ
३७७	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	इकौना
३७८	शीतला प्रसाद, श्री	तरबगंज
३७९	शोभनाथ, श्री	राबर्ट्सगंज
३८०	श्याममनोहर मिश्र, श्री	लखनऊ (छावनी)
३८१	श्यामलाल, श्री	माट
३८२	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८३	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	किथोर
३८४	श्रीकृष्णगोयल, श्री	उझानी
३८५	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	खैरागढ़
३८६	श्रीनाथ, श्री	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८७	श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
३८८	श्रीनिवास, श्री	गांगिरी

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३८९—श्रीपाल सिंह, कुंवर	शाहगंज
३९०—संग्रामसिंह, श्री	सोरांव (पूर्व)
३९१—सईद अहमद अन्सारी, श्री	ज्वालापुर
३९२—सजीवनलाल, श्री	हसनगंज
३९३—सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	दादरी
३९४—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९५—सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	सरजू
३९६—सियादुलारी, श्रीमती	करवी
३९७—सीताराम, डाक्टर	सिलहट
३९८—सीताराम शुक्ल, श्री	हरैया (पूर्व)
३९९—सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर
४००—सुखरानी, श्रीमती	फतेहपुर
४०१—सुखरामदास, श्री	टांडा
४०२—सुखलाल, श्री	औरैया
४०३—सुखीराम भारतीय, श्री	फूलपुर
४०४—सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	मऊ
४०५—सुनीता चौहान, श्रीमती	सलोन
४०६—सुन्दरलाल, श्री	फरीदपुर
४०७—सुरथबहादुर शाह, श्री	निघासन
४०८—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४०९—सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	पुवायां
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	बिसवां
४११—सुल्तान आलम खां, श्री	कायमगंज
४१२—सूरतचन्द्र रमोला, श्री	टेहरी
४१३—सूर्यबली पांडेय, श्री	हाटा
४१४—सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (पूर्व)
४१५—हमीदुल्ला खां, श्री	चारदा
४१६—हरकेशबहादुर, श्री	पट्टी
४१७—हरदयालसिंह, श्री	जलालाबाद
४१८—हरदयालसिंह पिपल, श्री	हाथरंस
४१९—हरदेवसिंह, श्री	देवबन्द
४२०—हरिदत्त कांडपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४२१—हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	दातागंज
४२२—हरिहरबख्श सिंह, श्री	पाली
४२३—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	सीतापुर
३२४—हरीसिंह, श्री	किथौर
४२५—हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	मुरादाबाद शहर
४२६—हिम्मतसिंह, श्री	डिबाई
४२७—हुकुमसिंह विसेन, श्री	कैसरगंज
४२८—हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	मंझनपुर
४२९—होरीलाल यादव, श्री	कन्नौज
४३०—[रिक्त]	शिवपुर
४३१—[रिक्त]	बरौत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी०ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्रीरामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

पुस्तकाध्यक्ष

श्री बृजेन्द्रनारायणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा सचिवालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
राकंकिकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन की मांगें

**१—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार गत १२, १३ फरवरी को यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के सम्मुख रखेगी जो मुख्य मंत्री को प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी०, श्री मदन पांडेय, एम० एल० ए० तथा ठाकुर मुकुन्दसिंह के एक मार्च को अनशन आरम्भ करने के निश्चय की सूचना स्वरूप दिया गया था ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—प्रस्ताव की † प्रतिलिपि संलग्न है ।

श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मांगों के मानने में सरकार को क्या कठिनाई पड़ी जिससे इन लोगों को अनशन करना पड़ा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उनकी मांगों के संबंध में पहले भी प्रकाश डाला जा चुका है । उनकी जितनी भी मांगें थीं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो सामयिक हो या जिसका निश्चय करना किसी प्रकार से औचित्य के अन्दर इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में हो । कुछ मांगें थीं जिनका वेज बोर्ड से संबंध है, कुछ मांगें उनकी त्रिदलीय समिति के द्वारा सर्वमान्य सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । इसलिए उनकी मांगें स्वीकार करना सम्भव नहीं था और उन्होंने हड़ताल की, इसका दुःख है, लेकिन खुद अगर कोई आपत्ति अपने ऊपर बुलाये तो उसका इलाज सरकार के पास नहीं है ।

श्री अमरनाथ—क्या सरकार इन मांगों के लिए पंच निर्णायक मुकर्रर करने के लिए तैयार है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया एक मांग थी कि चीनी मिलों के मजदूरों को, वेतन में अन्तरिम बढ़ोत्तरी दी जाय । यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित वेज बोर्ड के सामने है और उसने अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार को दे भी दिए हैं, जैसा कि समाचार-पत्रों से सबको स्पष्ट है । अब यह सरकार उस निर्णय के विरुद्ध या उस स्थिति के विपरीत कोई अपने मन से वेज बढ़ाने या तनख्वाह बढ़ाने के संबंध में कोई अधिकारी है ही नहीं । इस तरह उनकी तमाम मांगें थीं । पंच निर्णायक के सामने भेजने का कोई प्रश्न इस संबंध में उठता ही नहीं ।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गयी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कोई मांग यह थी कि चीनी मिल मजदूर यूनियन और आई० एन० टी० य० सी० में जिसको बहुमत प्राप्त है चीनी मजदूरों का, फेडरेशन उसको माना जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मांग के संबंध में कुछ गलतफहमी है । मांग यह थी कि यूनियन चीनी मिल मजदूर फेडरेशन चीनी मिल मजदूर की प्रतिनिधि संस्था स्वीकार की जाय और इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन जो है उसको न माना जाय और यदि सरकार ऐसा न माने तो वोटिंग कराके देख ले कि किसे बहुमत मिलता है। मैंने जैसा अभी निवेदन किया १६ वीं भारतीय लेबर कांफ्रेंस, नैनीताल, में यह मसला कुछ दलों की ओर से उठाया गया था कि प्रतिनिधि संस्था का पता करने के लिए आम मजदूरों का मत लिया जाय । इस प्रस्ताव को उस कांफ्रेंस ने अस्वीकृत किया । उस कांफ्रेंस में मालिक, मजदूर और सरकार सभी के प्रतिनिधि होते हैं और सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं । आई० एन० टी० यू० सी०, ए० आई० टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर सभा वगैरह वगैरह । इसलिए यह सरकार इस मांग को उन सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुए जो इस समय सर्वविदित है और सर्वमान्य है अन्यायपूर्ण और अनुचित मांग समझती है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी मांगों को लेकर यह लोग अनशन कर रहे हैं वे मांगें संक्षेप में क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---चीनी मिल मजदूरों के वेतन में अन्तरिम वृद्धि दी जाय वेतन का २५ प्रति सैकड़ा । यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मान्यता दी जाय, रिप्रेजेन्टेटिव आर्गनाइजेशन, के रूप में, चीनी मिल मजदूरों को रिटेनिंग भत्ता जिसके सम्बन्ध में मजदूर और मालिकों में सर्वसम्मति से एग्रीमेंट हो चुका है और जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है उसके मुताबिक तय यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला बिहार के मामले में करेगा वही उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। वह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है । वे कहते हैं कि वे उस फैसले का इन्तजार नहीं करेंगे । एग्रीमेंट जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे । जल्दी से उनको रिटेनिंग अलाउन्स दिया जाय, आदि आदि ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन दो यूनियनों का उन्होंने नाम लिया, जिनके बारे में मान्यता प्राप्त करने का सवाल है, उनके सम्बन्ध में कोई प्लेबिसाइट ली थी और उसमें बहुमत यूनाइटेड चीनी मिल वर्कर्स फेडरेशन को प्राप्त हुआ था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कुछ वर्ष पहले यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन और इंडियन शुगर मिल वर्कर्स फेडरेशन दोनों की ओर से सरकार के सामने प्रस्ताव आया था कि प्लेबिसाइट करा दी जाय ।

यह सही है कि मजदूरों ने उस वक्त यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन के पक्ष में वोट अधिक गिराये, लेकिन जिन हालात में वह वोटिंग हुई उसको नजरन्दाज भी कर दिया जाय चूंकि एक सज्जन भूख हड़ताल कर रहे थे कि इस फेडरेशन को ही वोट मिलने चाहिये, उसको अगर नजरन्दाज भी कर दिया जाय तो भी उसके बाद उत्तर प्रदेशीय सरकार ने यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को पत्र लिखा कि हम उसको स्वीकार करते हैं प्रतिनिधि संस्था के रूप में । ज्यों ही वह प्रतिनिधि संस्था होने का उनको पत्र मिला यकायक इस तरफ से दो साहब आये, श्री ब्रजकिशोर शास्त्री और श्री शिब्बनलाल सक्सेना । उनमें से एक साहब ने कहा कि ब्रजकिशोर जी उक्त फेडरेशन के प्रतिनिधि नहीं हैं और ब्रजकिशोर जी ने कहा कि शिब्बनलाल जी उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते । स्पष्ट है कि हमारे पत्र के मिलने के एक घंटे के अन्दर वह संस्था टूक-टूक हो गई और कोई नहीं रह गया जिसको हम मान्यता प्रदान करते । लेकिन मैं बताऊं कि जो सिद्धान्त दुनिया में है और जिन सिद्धान्तों

पर बहुमत का प्रश्न आंका जाता है और इन्टरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन को लेकर, और हिन्दुस्तान में भी जो मान्यता प्राप्त सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों के मुताबिक आइ० एन० टी० यू० सी० और इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन, बहुत बड़ी मात्रा में संगठित मजदूर उसके पीछे हैं। तो हम ट्रेड यूनियन की ही बातें करते हैं और दूसरे की बात नहीं करते।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि जिस रिटेनिंग एलाउन्स के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में बिहार का मामला पेश है, बिहार की सभी फैक्टरियां रिटेनिंग एलाउन्स अभी देती चली जा रही हैं ? अगर बिहार की फैक्टरी दे रही हैं तो उत्तर प्रदेश की फैक्टरियों से दिलाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, चीनी मिल मजदूरों के जो प्रतिनिधि हैं और मिलों के जो प्रतिनिधि हैं इन दोनों ने सरकार के प्रतिनिधि के सामने इस बात का सर्व सम्मत फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में वह फैसला जो बिहार के मिल मजदूरों पर रिटेनिंग एलाउन्स के सिलसिले में लागू हो वह पिछली तारीख से लागू हो तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जीत जाते हैं तो चीनी मिल मजदूरों को रिटेनिंग एलाउन्स का पैसा यह मान लेना चाहिये कि वह मालिकों के पास समझौते के मुताबिक वाजिब होता चला जा रहा है। वह पैसा पूरा उनको मिलेगा। हम जल्दी इसलिये नहीं करना चाहते और यह अनुचित है कि जो हम पैसा दिलायें और कल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके खिलाफ हो तो वह पैसा लौटाना पड़े। इस आपत्ति को न तो मजदूरों की संस्था उठाने को तैयार है और न सरकार ही तैयार है।

श्री गेंदासिंह---क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह मामला तय है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मजदूरों के विरुद्ध भी हुआ तो यह पैसा नहीं लौटाया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मुझे तो इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में मजदूर और मालिकों के बीच में जो समझौता हुआ है उस समझौते की बात की है जिस समझौते के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के समय आई० एन० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा दोनों के प्रतिनिधि त्रिदलीय सम्मेलन में मौजूद थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी उनकी अनेक मांगों में किसी एक मांग पर विचार करने को तैयार हैं अथवा किसी एक को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हर मांग पर विचार किया गया और इन सब मांगों को तथ्यहीन पाया गया।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय जो सज्जन अनशन कर रहे हैं उनमें से एक श्री मुकुन्दसिंह वैद्य, जो ६२ वर्ष के हो चुके हैं, उनकी हालत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अत्यन्त खतरनाक स्थिति में पहुंच गयी है ? तो क्या इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी उदारतापूर्वक कोई कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं नहीं जानता कि उनकी हालत कैसी है। अगर खराब है तो अफसोस की बात है। लेकिन किसी एक आदमी के हठ पर ऐसी बातों का फैसला नहीं किया जा सकता कि जिनका असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता हो।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---गेंदासिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसको सूचना मान कर क्या सरकार बिहार चीनी मिलों से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी कि वहां रिटेनिंग एलाउन्स मिलता है या नहीं ? और यदि वहां मिलता है तो क्या सरकार यहां भी यह एलाउन्स दिलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई जरूरत नहीं जब कि उत्तर प्रदेश के मजदूर और मिल मालिक आपस में फैसला कर चुके हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अभी मंत्री जी ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि केन्द्रीय सरकार से कुछ सूचना मांगी गयी तथा सुझाव दिये गये हैं, तो क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं और क्या-क्या इस संबंध में सिफारिशें की गयी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने कहा था कि हमने कोई सिफारिश नहीं की है । वेज बोर्ड ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को सिफारिश की है । उस सिफारिश का क्या करेगी गवर्नमेंट आफ इंडिया, यह उसके ऊपर निर्भर है । हमारे यहां यह बात है कि जो फैसला वह करेंगे, उसे यहां के मिल मालिक और मजदूर, दोनों मानने के लिये तैयार हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन मांगों में १९५६-५७ और १९५७-५८ के बोनस की भी मांग थी ? यदि हां, तो लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, १९५१ के अवार्ड के मुताबिक उनको बोनस दिलाने में क्या परेशानी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं निवेदन करूंगा कि सन् १९५१ के लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई अवार्ड शुगर उद्योग के उस बोनस के संबंध में नहीं है जिसका जिक्र उन्होंने किया है । इसलिये उसको दिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह---क्या उद्योग मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि वेज बोर्ड ने कोई अंतरिम वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जाब्ते से हमको इसकी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है---सुना है इस माने में कि केन्द्रीय सरकार के एक डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां आये थे, उन्होंने कल मुझको बतलाया कि शायद उन्होंने यह सिफारिश की है कि ५ परसेंट वृद्धि की जाय मौजूदा रेट पर जो कि किसी हालत में ३ रुपये से कम न हो । कोई खत उन्होंने बतलाया कि जाब्ते से मेरे पास आ रहा है । अगर ऐसी बात हुई है तो हम जरूर उसको लागू करेंगे ।

बिक्री-कर विभाग के कुछ अधिकारियों को हटाना

****२---**श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बिक्री-कर विभाग के १४ अधिकारियों को बिना कानूनी सलाहकारों की राय लिये ही एक मास की नोटिस देकर निकाल दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अलीजहीर)---बिक्री-कर विभाग के १४ अधिकारियों की सेवायें पिछले साल एक महीने की नोटिस के बदले एक महीने की तनख्वाह देकर समाप्त कर दी गई थीं । इस विषय में न्याय विभाग की राय भी ली गई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह १४ अधिकारी जो निकाले गये थे कौन-कौन पदों पर थे और उनको निकालने का क्या कारण था ?

श्री सैयद अली जहीर---इनमें से ५ आदमी तो सेल्स टैक्स अफसर थे और ९ आदमी असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय वित्त मंत्री जी क्या बतलाने की कृपा करेंगे कि इनको निकालन का कारण क्या था ?

श्री अध्यक्ष---यदि इन सब के निकालने का एक ही कारण हो तो मैं इजाजत दूंगा।

श्री सैयद अली जहीर---इसके निकालने का यह कारण था कि जब सन् १९५५ में यह सवाल पेश हुआ कि इनमें से कौन-कौन ऐसे हैं जिनको मुस्तकिल किया जाय और कौन से ऐसे हैं कि जिनको टेम्पोरेरी रखा जाय तो उसके लिये पी० एस० सी० से मशविरा करना पड़ा। पहले डिपार्टमेंटल कमेटी बैठी और उसने सिफारिश की। जब पी० एस० सी० को कहा तो उन्होंने इनका पुराना रेकार्ड देखा और सरकार को यह सलाह दी कि यही नहीं कि यह मुस्तकिल न किये जायं बल्कि इनको सर्विस में भी नहीं रखना चाहिये। तो जब उन्होंने यह सलाह दी तो हमसे उनसे बातचीत चली और बाद में यह फैसला हुआ कि इनमें से ३ को तो बिल्कुल निकाल दिया जाय। उससे हमने इत्तफाक किया और बकिया के मुताल्लिक हमारा यह खयाल था कि उनको एक मौका और दिया जाय। टेम्पोरेरी रखे जायं। लेकिन आखिर यह फैसला हुआ कि यह १४ के १४ अलग कर दिये जायं और अब उनका रिप्रेजेन्टेशन आया हुआ है और उस पर पुनर्विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उनको नोटिस देकर निकालने के बाद कानून विभाग से राय ली गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे नहीं मालूम कि बाद में ली गई या पीछे ली गई। उन्होंने कहा कि ये टेम्पोरेरी मुलाजिम हैं और इनको १ महीने की तनख्वाह देकर गवर्नमेंट हर समय अलाहदा कर सकती है, लिहाजा वह ठीक है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---यह रिप्रेजेन्टेशन कब आया और उस पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके आने की तारीख मुझे नहीं मालूम है, लेकिन, मेरा खयाल है कि उस पर निर्णय जल्द ही हो जायगा।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या यह सही है कि इन १४ कर्मचारियों के नाम जब कमेटी के सामने मुस्तकिल होने के लिये गये उसके पहले सरकार को उनके संबंध में कोई शिकायत नहीं थी ?

श्री सैयद अली जहीर---कैरेक्टर रोल तो सबके उसके सामने थे और वही पी० एस० सी० के सामने भी थे।

तारांकित प्रश्न

चीनी मिलों की कथित हड़ताल तथा ट्रेड यूनियन्स

*१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी मिलों में १९५७-५८ के गन्ना पैरने के season में किन-किन मिलों में हड़ताई हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---किसी भी चीनी मिल में हड़ताल नहीं हुई।

*२---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त हड़तालों के फलस्वरुप कितने mandays काम की हानि हुई और कितने श्रमिक प्रभावित हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न ही नहीं उठता।

*३--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार १ जनवरी, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि में राज्य में पंजीकृत होने वाली (registered) नई trade unions व अपंजीकृत (deregistered) होने वाली trade unions की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सूचियां † सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

बेकार ग्राम सेवक

*४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि दिसम्बर, १९५७ तक कितने व्यक्तियों ने वी० एल० डब्ल्यू० (विलेज लेविल वर्कर) की शिक्षा समाप्त कर ली थी ? नवम्बर, १९५८ तक उनमें से कितनों को नौकरी मिली ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले प्रशिक्षण में कुल १,१७६ प्रशिक्षार्थियों ने वी० एल० डब्ल्यू० का प्रशिक्षण समाप्त किया तथा नवम्बर, १९५८ तक इनमें से कुल ८४६ को ग्राम सेवक अथवा उसके समकक्ष पदों पर स्थान दिया गया ।

*५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या वी० एल० डब्ल्यू० ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों से ट्रेनिंग प्रवेश से प्रथम सरकार द्वारा यह एग्रीमेंट लिखा लिया गया था कि ट्रेनिंग करने के बाद इनको तीन वर्ष तक वी० एल० डब्ल्यू० की नौकरी अवश्य करनी पड़ेगी अन्यथा उनसे ट्रेनिंग का पूरा व्यय वसूल कर लिया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां ।

*६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि ये लोग उपर्युक्त शर्त के होते हुये कोई दूसरी नौकरी वगैरह नहीं कर सकते ? अगर हां, तो इस अवधि में इनमें से जो लोग ओवर एज हो जायेंगे उनके लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां । जिन लोगों को वी० एल० डब्ल्यू० का स्थान नहीं दिया जा सका उन पर से तीन साल नौकरी करने का प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि यह प्रतिबंध कब हटाया ?

श्री सुल्तान आलम खां--नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार को मालूम है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर-एज हो चुके हैं, इसलिये वे अब कहीं नौकरी नहीं पा सकेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां--ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--ट्रेनिंग लेने के बाद जिनको नौकरी नहीं मिली उनके लिये सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उन सबको हम इसलिये नौकरी नहीं दे सके कि जो १४८ ब्लाक्स हम पिछले वर्ष खोलने वाले थे उनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भारी कमी करदी, यानी सिर्फ ३७ खुले । कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की जगह दिलवा दी गई है और कुछ को कोआपरेटिव में सुपरवाइजरी के लिये भेजा गया । औरों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है और वे जहां चाहें नौकरी कर सकते हैं ।

*७-८--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

---

†सूचियां छापी नहीं गईं ।

शाहजहांपुर जिले के परौर गांव को दिया गया अनुदान

*९—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम परौर, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में विकास योजना के अंतर्गत कई हजार रुपये की धनराशि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुदान स्वरूप सार्वजनिक निर्माण हेतु दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ग्राम परौर, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में विकास योजना के अन्तर्गत ७,००० रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुदान स्वरूप सार्वजनिक निर्माण हेतु दिया गया था ।

*१०—श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि आज तक वह रुपया न व्यय हुआ और न वह निर्माण कार्य ही हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इस समय तक कुल रुपया व्यय नहीं हुआ है और न निर्माण कार्य ही पूरे हुए हैं इन सबका कारण अनुदानग्रहीताओं की शिथिलता है ।

महंगाई का सूचकांक

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४७ व सन् १९५२ की तुलना में आज प्रदेश में महंगाई का सूचनांक (index) कितना घटा या बढ़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल कानपुर श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक (अगस्त, १९३९=१००) ही १९४७ से उपलब्ध हैं । ये सूचकांक जनवरी, १९५९ में जनवरी, १९४७ की अपेक्षा ४१.७ प्रतिशत तथा जनवरी, १९५२ की अपेक्षा ११.५ प्रतिशत आगे थे ।

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी व्यय के किन-किन वर्गों (items of expenditure) में किस अनुपात से हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक (अगस्त, १९३९ = १००) के आधार पर आवश्यक सूचना नीचे की तालिका में दी हुई है :—

जनवरी, १९५९ में प्रतिशत घटा बढ़ी

व्यय वर्ग				जनवरी, १९४७ की अपेक्षा	जनवरी, १९५२ की अपेक्षा
१—खाद्य पदार्थ	..	..	..	+४२.७	+१८.४
२—ईंधन तथा प्रकाश	..	..	..	—७.६	=६.५
३—कपड़ा	..	..	..	+३५.५	—१८.१
४—मकान का किराया	..	..	..	+९७.५	+११.७
५—अन्य वस्तुएं	..	..	..	+८३.६	+२९.३
व्यापक सूचकांक	..	..	..	+४१.७	+११.५

*१३--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि current व constant prices दोनों के आधार पर प्रदेश में शहरी व देहाती क्षेत्रों में अलग-अलग per capita income व per capita expenditure सन् १९५७-५८ में क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश में देहाती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित तथा १९४८-४९ के स्थायी भावों के आधार पर १९५७-५८ में क्रमशः १६८ रुपये तथा १८४ रुपये थी । शहरी क्षेत्रों में यह आय क्रमशः ६२८ रुपये तथा ६६० रुपये थी ।

देहाती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग पर कृषि वर्ष १९५७-५८ में व्यय प्रचलित भावों के आधार पर २५७ रु० था और १९५४-५५ के उपभोक्ता भावों को स्थायी मान कर १८३ रु० था ।

नगरी क्षेत्रों के लिये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है कि जिससे सारे प्रदेश में महंगाई का सूचकांक के घटाव या बढ़ाव की जानकारी हो सके ? इकानामिक्स ऐन्ड स्टैटिस्टिक्स विभाग से या और किसी से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो इसकी सूचना मुझे नहीं है । लेकिन मैं इस सुझाव को देखूंगा और अगर हो सकता है तो जरूर करना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सरकार ने जो फैमिली बजट इन्क्वायरी कराई थी उसमें यह फारमूला निकाला है कि मिडिल क्लास की कास्ट आफ लिविन्ग इन्डैक्स का मूल्यांकन कानपुर के लेबर की कास्ट आफ लिविन्ग में ८ परसेन्ट बढ़ा दिया जाय तो मिडिल क्लास की कास्ट आफ लिविन्ग निकल आती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ इस किस्म की उनकी सिफारिश जरूर है लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल की परिस्थिति में कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत पड़ जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सन् १९४८-४९ के भावों को स्थायी मानकर प्रति व्यक्ति व्यय देहाती क्षेत्रों में कितना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस किस्म के आंकड़े सन् १९५६ से रखे जाते हैं और जहां तक मुझे मालूम है तमाम भारत में यही हुआ है । इसलिये पहले के आंकड़े ठीक नहीं दे सकूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुए कि सन् १९५७-५८ में प्रचलित भावों को देखते हुये देहाती क्षेत्र में खर्चा प्रति व्यक्ति ८९ रुपया उसकी आमदनी को देखते हुए ज्यादा है तो क्या इस ओर सरकार कोई विशेष प्रयत्न कर रही है कि प्राइस पैरिटी हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हम लोग भी इस विषय में बहुत चिन्तित हैं । माननीय सदस्य को याद होगा कि उस वर्ष केलेमिटीज़ आयी थीं । अब बराबर अगर ऐसा ही रहा तो जरूरत खास बात सोचने की हो सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार शहरी क्षेत्र के लिये सूचकांक बनाने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोशिश कर रहे हैं कि ये फिगर्स भी मिला करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या कानपुर में एकत्रित किये गये आंकड़ों की उपयोगिता को देखते हुए और स्थानों पर भी आंकड़े एकत्रित करने की मंत्री जी सोच रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर में तो लेबर सेंटर होने के कारण शुरू से ही ये आंकड़े रखे जाते हैं । और स्थानों के लिये जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने प्रश्नों में कहा, इस बात को हम जरूर सोचेंगे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिससे प्रदेश के और शहरों की बाबत भी हम ऐसे आंकड़े दे सकें ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि देहात की परकैपिटा इन्कम घटती जा रही है, उसको ठीक करने का कोई प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसको तो हम सब मिल कर कर ही रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह---माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि देहाती उपभोक्ताओं के खर्चे के आंकड़े इस वक्त नहीं हैं, इनकम के हैं तो उसके आंकड़े न होने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें देहात के खर्चे और इनकम दोनों के आंकड़े दिये हुये हैं, शहरी नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की ओर से जो सूचकांक दिया जाता है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो परकैपिटा इनकम के आंकड़े दिये जाते हैं उनमें वेरियेशन होता है । प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों में परस्पर विरोध होता है ? क्या दोनों फिगर्स एक ही प्रकार की रहें, इसके लिये मंत्री जी कोई प्रयत्न कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---किन्हीं खास आंकड़ों में पहले ऐसा कभी हुआ । लेकिन अब केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के स्टेटिस्टिकल विभाग के लोग मिले और उन्होंने मिल कर यह तय किया कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाय जिसमें एक प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करने का एक ही क्राइटेरिया हो जिससे उन दोनों में कोई भेद न हो ।

सीतापुर जिले में औद्योगिक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन

*१४---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५७ से लेकर नवम्बर, सन् १९५८ तक सीतापुर जिले में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों (Industrial co-operative societies) का पंजीकरण (registration) किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१३ ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये सहयोगी समितियां किन-किन उद्योगों के लिये पंजीकृत की गयी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---करघा, खली, तेलघानी, मिट्टी के बरतन वगैरह ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इन समितियों में से कौन-कौन समितियों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

रेल कोच बनाने के कारखानों को बन्द करना

*१५---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या प्रदेशीय सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश के चालू रेल कोच बनाने के कारखाने से रेल कोच नहीं लिये जायंगे जिसके फलस्वरूप बरेली और दूसरी जगह कई बड़े-बड़े कारखाने बन्द होने जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*१६--**श्री जगदीश शरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)---क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार को कुछ representation किया है ? यदि हां, तो उसका अब तक क्या परिणाम हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस विषय में जनरल मैनेजर, पूर्वोत्तर रेलवे, को जो representation भेजा था उसके उत्तर की एक प्रतिलिप †संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि अब नये लकड़ी के रेल के डिब्बों के स्थान पर लोहे के डिब्बों का बनना आरम्भ होगा जो कि इस समय केवल Railway Workshops में ही बनाये जायंगे।

ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने Railway Board से प्रार्थना की है कि इलाहाबाद व बरेली के छोटी लाइन के कोच बनाने के कारखानों तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों के कार्यहीन श्रमिकों को Railway Workshops में यथासंभव स्थान दिए जावें।

*१७--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

कछार देवार क्षेत्र के गन्ने की खपत

*१८--**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में सरयू, राप्ती नदी के कछार, देवार में १ लाख मन से अधिक गन्ने को मिलों में सप्लाई करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---देवरिया जनपद में सरयू, राप्ती नदी के कछार देवार क्षेत्र का गन्ना किसी चीनी मिल के लिये सुरक्षित नहीं है। वर्त्तमान सीजन में गन्ना किसानों की प्रार्थना पर इस क्षेत्र के कुछ गांवों को देवरिया चीनी मिल के बरहज गन्ना क्रय केन्द्र के साथ लगा दिया गया है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से गांव हैं जिनके गन्ने को बरहज केन्द्र में एलाट कर दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---परसिया और परसिया देवार।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से एलाटमेंट हुआ है तब से कितने मन गन्ना देवरिया जिले को दिया जा चुका है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---९७ हजार मन।

श्री गेंदासिंह---यह इलाका मिल से बहुत दूर होते हुए, क्या सरकार ने कोई बन्दोबस्त किया है कि इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का गन्ना किस प्रकार से खपाया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी व्यवस्था के विषय में माननीय सदस्य जानते होंगे, जितना गन्ना इस प्रदेश में पैदा होता है, सब की व्यवस्था हम तो करते नहीं हैं। कुछ का गुड़ बनता है, कुछ की खांडसारी बनती है और कुछ चीनी मिलों को जाता है जितना कि भेज सकते हैं। शेष के लिये दावतनामा है कि खांडसारी, गुड़ योजना वगैरह में सदस्य और उत्पादक शिरकत करें।

महाराजगंज व बिलरियागंज में ईख का कांटा लगाने की प्रार्थना

*१९--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ से कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक ५-८-५८ को उक्त जिले की सगड़ी तहसील में ईख का कांटा महाराजगंज व बिलरियागंज नामक कस्बों में खोलने के निमित्त आया था ?

---

†प्रतिलिपि नहीं छापी गई।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

*२०—**श्री मुक्तिनाथ राय**—यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उक्त स्थान किसी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में न होने से वहां पर ईख का कांटा लगना सम्भव नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त स्थानों को वह मिल के सुरक्षित क्षेत्र में कराने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस पर मान्यवर, कई दृष्टि से विचार किया गया और अभी तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो क्षेत्र किसी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में नहीं हैं और वहां गन्ना काफी पैदा होता है, उन क्षेत्रों में छोटी छोटी चीनी मिलें कोआपरेटिव बेसिस पर चालू करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में भी सरकार इस योजना को लागू करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यदि माननीय सदस्य के यहां गन्ना उत्पादक कोई अपनी सहकारी समिति बनाना चाहेंगे तो इस सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ होगा ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे शुगर फैक्टरीज जो सरकार के इस आदेश को नहीं मानतीं कि फलां जगह पर वे कांटा लगावें, तो सरकार की ओर से उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—सरकार की तरफ से जो आदेश दिये जाते हैं उनके पालन करवाने की पूरी शक्ति सरकार के पास है । इस सिलसिले में तो आदेश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१९ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आजमगढ़ में रोजगार का दफ्तर न होना

*२२—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के रोजगार दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने १९५६-५७ व दिसम्बर, ५८ तक अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया तथा उनमें से कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिला आजमगढ़ में कोई रोजगार का दफ्तर नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २२ लाख आबादी वाले जिले में कोई रोजगार का दफ्तर नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होती गई प्रदेश में स्थान-स्थान पर इसकी व्यवस्था सरकार करती रही है, कभी इसकी भी बारी आ जायगी ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय केवल आजमगढ़ जिले में ही रोजगार का दफ्तर नहीं है, या प्रदेश के और अन्य किसी जिले में भी ? यदि हां, तो किस-किस जिले में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सूचना सिर्फ आजमगढ़ जिले की ही मांगी गयी थी; लेकिन कई जगहों पर रोजगार का दफ्तर नहीं है ।

श्री गेंदासिंह---क्या आजमगढ़ और देवरिया जिलों में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का दपतर खोलने के प्रश्न पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, आजमगढ़ में देवरिया कब से शामिल है ? प्रश्न तो केवल आजमगढ़ के सम्बन्ध में था ।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि वह अपने सेन्टर से प्रश्न शुरू करते हैं ।

*२३-२४---**श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिये गये ।]

*२५-२७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८---**श्री मदन पांडेय**---[३ मार्च, १९५९ को प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद के प्रधान अध्यापक की योग्यता

*२९---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद, के प्रधानाध्यापक पद के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद, के प्रधानाध्यापक के पद के लिये निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की गई थीं तथा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा विज्ञापित की गई थीं :---

(१) बी० एस-सी० डिग्री तथा किसी भारतीय या विदेशी (यदि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका या जर्मनी का हो तो और अच्छा है) मान्यता प्राप्त संस्था का मुद्रण एवं सम्बन्धित व्यवसायों में डिप्लोमा, तथा

(२) किसी सरकारी या अन्य विख्यात प्रथम श्रेणी का मुद्रण स्थापना में मुद्रण का कम से कम ७ वर्ष का क्रियात्मक अनुभव, तथा

(३) प्रिंटिंग टेक्नोलाजी का अन्वेषण एवं अध्यापन अतिरिक्त योग्यतायें मानी जायेंगी ।

सचिवालय पुनस्संगठन योजना की विफलता

*३०---**कुंवर श्रीपाल सिंह** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या श्री के० के० दास, आई० सी० एस०, द्वारा की जाने वाली सचिवालय पुनस्संगठन योजना समाप्त कर दी गई है ? यदि हां तो क्यों तथा इस पर आद्योपान्त कितना धन व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री के० के० दास के सुझाव पर एक योजना वन, सिंचाई और शिक्षा विभागों में चालू की गई थी लेकिन वह अब समाप्त कर दी गई है । इस योजना से आशा की जाती थी कि कार्यदक्षता में उन्नति होगी और कार्य शीघ्रता से होगा । यह आशा पूरी नहीं हुई और इसी कारण से योजना को समाप्त करना पड़ा । इसमें कुछ व्यय नहीं हुआ बल्कि कुछ बचत हुई ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी श्री के० के० दास के सुझावों में से कुछ प्रमुख २, ४ सुझाव बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह बहुत बड़ी चीज होगी । अगर संक्षेप में हो तो मैं इजाजत दे दूंगा; लेकिन यदि बहुत-सी बातें हैं तो, मैं समझता हूं, सदन का समय न लिया जाय

कुंवर श्रीपाल सिंह---मुख्य बातें बतला दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुख्य सुझाव एक था कि सेक्रेटेरियेट और जो विभाग के अध्यक्ष हैं उन दोनों के दफ्तर करीब करीब एक कर दिये जायं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह योजना कब चालू की गई थी और कब समाप्त की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्यों को मालूम होगा, करीब एक साल हुआ चालू की गई थी और कई महीने चलने के बाद उसमें जो यथोचित लाभ नहीं दिखायी दिया तो छोड़ दी गई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने उन कारणों की जांच करायी जिनसे लाभ नहीं हुआ और आशा पूरी नहीं हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हां, कुछ जांच हुई । मसलन्, जैसे शिक्षा विभाग है उसकी बाबत तो मेरा ऐसा खयाल है कि जब तक ऐसा रहेगा कि शिक्षा विभाग का हेड आफिस रहे इलाहाबाद और सचिवालय यहां रहे तब तक ठीक ठीक इस प्रकार की किसी योजना का सफल होना मुश्किल है । लेकिन रुपये की दिक्कत की वजह से कुछ विभागों को ऐसा करना पड़ रहा है कि हेडक्वार्टर कहीं और है, कैम्प आफिस और सेक्रेटेरियेट यहां हैं । जिस वक्त इतना रुपया होगा कि अपने सेक्रेटेरियेट को अलग-अलग मिनिस्ट्रीज में बांट सकें तभी इस तरह की योजना ठीक तौर से सफल हो सकेगी ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---क्या मंत्री जी के पास इस किस्म की जानकारी आयी है कि चूंकि इन सुझावों को कार्यान्वित करने से बहुत से अधिकारी प्रभावित होते थे इसलिये उन लोगों ने जानबूझ कर इस योजना को असफल बनाने का प्रयत्न किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब किसी के दिल में तो मैं प्रवेश कर नहीं सकता । समझना तो यही चाहिये कि सफल बनाने की कोशिश की ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि शिक्षा या जैसे और विभाग जिनके अधिकारी इलाहाबाद में हैं और सेक्रेटेरियेट यहां है उनके अतिरिक्त वह विभाग जिनके अधिकारी और सेक्रेटेरियेट यहां हैं उन विभागों में इस योजना के लागू करने में क्या दिक्कत हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दिक्कत तो कुछ नहीं । लेकिन एक जगह पर उसे किया और यह समझा कि कोई फायदा नहीं है, काम में बाधा पड़ती है, इसलिये इस एक्सपेरीमेंट को इस वक्त रोक दिया गया ।

जिलाधीश का एक जिले में रहने का समय

*३१---श्री गनेश चन्द काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलाधीश कितने हैं जिन्हें एक ही जिले में रहते तीन साल से अधिक हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई नहीं ।

गन्ना उत्पादकों की हड़ताल से प्रभावित चीनी मिलें

*३२---श्री गनेशी लाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १४ जनवरी, १९५९ से गन्ना उत्पादकों की मिलों को गन्ना न देने के संबन्ध में हड़ताल से प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों को गन्ना न मिल सका ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---१४ जनवरी, १९५९ से गन्ना आन्दोलन के कारण जिन चीनी मिलों को गन्ना न मिल सका उनका विवरण संलग्न अनुसूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५३ पर)

*३३--श्री गनेशी लाल चौधरी--चीनी कारखाने बन्द रहने से कितने चीनी के उत्पादन की क्षति रही ?

श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा--कुछ नहीं ।

सिंचाई के कुओं का निर्माण

*३४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले में सिंचाई के कितने पक्के कुओं के निर्माण की योजना नियोजन विभाग के विचाराधीन है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस वर्ष आजमगढ़ जिले में ३२५ सिंचाई के पक्के कुयें बनाने की योजना नियोजन विभाग के विचाराधीन है ।

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपर्युक्त कुओं का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होने वाला है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उपर्युक्त कुओं में से कुछ पर निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है और शेष कुओं पर इसी महीने में प्रारम्भ होने की आशा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त कितने कुओं का निर्माण-कार्य प्रारम्भ है ?

श्री सुल्तान आलम खां--यह जो ८० कुयें ग्रो मोर फूड कैम्पैन (Grow More Food Campaign) के मातहत बनाये जाने वाले थे, इनमें से २१ आखीर जनवरी तक तैयार हो गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से प्रत्येक कुयें के निर्माण में कितनी सहायता दी जाती है और किस रूप में दी जाती है ?

श्री सुल्तान आलम खां--सहायता के बारे में तो अलग से आप सवाल करें तो जवाब दे सकता हूं । आपने तो सवाल किया था कि कितने बन गये, वह बतला दिया गया ।

खादी तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु परिनियत बोर्ड के निर्माण पर विचार

*३६--श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु परिनियत बोर्ड (Statutory Board) बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां ।

(ख) आवश्यक अधिनियम बनने के शीघ्र बाद ।

श्री कैलाश प्रकाश--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय कब लिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हाल ही में निर्णय लिया है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि अब तक इस बोर्ड के न बनने के कारण खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत कुछ रुपया लैप्स हो गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस कारण से रुपया लैप्स हुआ हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह अधिनियम कब से बनाया जा रहा है, यह कब तक समाप्त हो जायगा और इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सदन के सामने जब प्रोग्राम आवे और बिल सामने पेश हो उसके बाद बने । इस वक्त अभी सदन के सामने काफी काम है इसलिये नहीं ला पाये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस समय खादी और ग्रामोद्योग के कार्य के संबंध में ६ आल-इंडिया स्टेट्यूटैरी बोर्ड बने हुये हैं ? तो क्या यह बोर्ड छओं से कोआर्डिनेशन करेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह आल इंडिया जो बोर्डस् हैं खादी के संबंध में उनसे कोआर्डिनेशन हम से रहेगा, लेकिन हमारी स्टेट में कोआर्डीनेटिंग लिंक होगा आल-इंडिया बोर्ड का ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बोर्ड के अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जब अधिनियम बनेगा तब स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री यह अधिनियम इसी सत्र में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऐसा संभव तो प्रतीत नहीं होता ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं कि जिस प्रकार बिक्री-कर कानन के लिये हम एक घंटा अधिक बैठ रहे हैं उसी तरह से इस अधिनियम के लिये भी ऐसा प्रस्ताव ले आयें और उसको इसी सत्र में अधिक समय बठकर पास कर लिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बहुत अच्छी और खुशी की बात है । इस पर सरकार विचार करेगी ।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह निर्णय लिया गया तब से क्या प्रगति हुई ? विधेयक तैयार हो चुका है या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अब विधेयक बनाने का काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही उस काम की पूर्ति हो जायगी ।

*३७-३८—श्री शिवप्रसाद नागर—[गृह मंत्री से सम्बन्धित छब्बीसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

रोडवेज बस यात्रियों को साहित्य उपलब्ध करने का सुझाव

*४०—श्री होरी लाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के पढ़ने के लिये कोई साहित्य रखने की व्यवस्था है ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं । सूचना विभाग से कुछ साहित्य मंगाकर रोडवेज की बसों पर रखा गया था किन्तु यह देखा गया कि यात्रीगण उसे लेकर चले जाते थे, इस कारण उसकी व्यवस्था बन्द कर दी गई । जब कभी सूचना विभाग से कुछ साहित्य मिल जाता है तो उसे डीलक्स बसेज में रख दिया जाता है । अखबार या मैगजीन रखने की प्रथा नहीं है । रेल में भी इसकी व्यवस्था नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव--मंत्री जी ने कहा कि अखबार और मैगजीन रखने की प्रथा नहीं है तो क्या मंत्री जी इस बात की कृपा करेंगे कि मैगजीन और अखबार रखने पर विचार किया जाय ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यात्री जितना लिट्रेचर उठा कर ले गये उससे विभाग को कितना नुकसान हुआ ?

डाक्टर सीताराम--इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं,लेकिन विकास सम्बन्धी जो भी लिट्रेचर सूचना विभाग से छपता था वह डीलक्स बसेज में भेजा जाता था और काफी लिट्रेचर यात्रीगण ले गये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो साहित्य आम तौर से खोता रहा इसका कारण यह भी था कि यह साहित्य औपन्यासिक ढंग का था और इसलिये उसको लोग ज्यादातर ले जाते थे ?

डाक्टर सीताराम--औपन्यासिक लिट्रेचर तो विकास के कार्यों में छपता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार इस साहित्य वितरण योजना का इस प्रकार संचालन करने जा रही है जिससे यात्रियों को लाभ भी पहुंच सके और नुकसान भी न हो ?

डाक्टर सीताराम--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

किच्छा तहसील में नर भक्षिणी सिंहनी का आतंक

*४१--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि आजकल तहसील किच्छा, जिला नैनीताल, में एक आदमखोर शेर लगा है ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है और उसने कितने आदमियों का नुकसान किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तहसील किच्छा, जिला नैनीताल, में एक आदमखोर शेरनी लगी थी जो ३ मार्च, १९५९ को मार डाली गई । उसने पांच व्यक्तियों की हिंसा की थी ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शेरनी किसने मारी और उसके मारने वाले को क्या इनाम दिया जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे ठीक तो नहीं मालूम है, १००० रुपये का इनाम घोषित किया गया था । ठीक नहीं कह सकता कि कितना इनाम था और किसने मारा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुये कि वहां समय-समय पर इस प्रकार आदमखोर शेर-शेरनी लग जाया करते हैं, इसके लिये वहां कोई स्थायी व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आदमखोर शेर-शेरनी कोई पालतू जानवर नहीं हैं और उनकी कोई खास व्यवस्था क्या हो सकती है ? यही होता है कि शिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है; मेरी समझ में तो कोई और व्यवस्था आती नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि नैनीताल जिले में शेर और शेरनियों के अलावा और भी आदमखोर जीव रहते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गेंदासिंह--क्या इस प्रकार के आदमखोर शेर-शेरनियों को पालतू बनाने के लिए जिस तरह से बनारस में कई शेर छोड़े गये, उधर भी उनको ले जाया जायगा ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

'अमृत पत्रिका' तथा 'अमृत बाजार पत्रिका' का बन्द होना

*४२---श्री त्रिलोकी सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 'अमृत पत्रिका' तथा 'अमृत बाजार पत्रिका' पत्रों के प्रकाशन बन्द होने के कारण जो कर्मचारियों की बड़ी तादाद बेकार हुई है उनके सम्बन्ध में सरकार को कोई स्मृति-पत्र (representation) उनकी जीविका की समस्या हल करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुये मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां। सरकार दोनों पक्षों में समझौते द्वारा समस्या को हल करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समझौता न होने की हालत में १४ तारीख को कुछ प्रतीक हड़ताल वर्किंग जर्नलिस्ट्स करने वाले हैं यह कोशिश करेंगे कि उसके पहले समझौता हो जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रतीक हड़ताल न हो क्योंकि उसके होने से स्थिति और खराब हो सकती है। चूंकि मैं उस समझौते के मामले में पड़ा हूं इसलिये इतनी सूचना दे सकता हूं कि जो मालिक हैं वह आज आ गये हैं। कुछ समय पहले काफी बातें हुई थीं जिससे आपस में समझौता हो सके। मैंने उनको बुलाया और वह कलकत्ते से आ गये हैं। आज पहुँचे हैं और आज शाम को शायद बातचीत होगी। कोशिश करूंगा कि एक दो दिन के अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे और मालिक से बातचीत करके समझौते का प्रयास करूं। क्या परिणाम होगा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया कि हड़ताल इत्यादि के इस मौके पर होने से स्थिति खराब हो सकती है और वह इस पर्यावरण में उचित नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह इरादा रखती है कि निर्णय शीघ्र से शीघ्र कर लें इस बात को ध्यान में रखते हुये कि १४ तारीख से हड़ताल करने का निश्चय लोग कर चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें निर्णय कोई नहीं हो सकता। इसमें तो समझौते की बात हो सकती है दोनों पक्षों के राजी होने पर। यदि फैसला नहीं हुआ तो वे किसी नेशनल ट्रिब्युनल के पास निर्णय के लिये जा सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मेरी प्रार्थना यही थी कि क्या सरकार इस बात की कोशिश करने का इरादा रखती है कि अगर कल शाम तक दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हुआ तो उसे नेशनल ट्रिब्युनल के सुपुर्द कर दे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं चाहता तो जरूर हूं कि समझौता हो जाय, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर निर्णय तो नेशनल ट्रिब्युनल के पास ही होगा। उसको देने का हमें अधिकार नहीं है। उसे सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। अगर वह चाहे तो दे दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा १० के मातहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस मसले के लिये एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनाये जाने हेतु सिफारिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जैसी परिस्थिति होगी उसके मुताबिक फैसला करना होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार समझौते को सफल बनाने के उद्देश्य से माननीय विरोधी दल के नेता से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार कुछ नहीं कर रही है। चूंकि मालिकों ने और और लोगों ने मुझे रखा है इसलिये मैं कर रहा हूं। अगर वे अकेले माननीय विरोधी दल के नेता के ऊपर छोड़ देते तो कोई बात नहीं होती। मैंने उनको मजबूर नहीं किया। उन्होंने मेरा ही नाम रखा है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विषय में उनके पास केन्द्रीय सरकार से कोई सुझाव हस्तक्षेप के लिये आया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे तो नहीं मालूम कि केन्द्रीय सरकार ने मुझसे कहा हो कि तुम हस्तक्षेप करो।

*४३---**श्री कल्याण चन्द मोहिले**---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ने की पेराई

*४४---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश के प्रत्येक चीनी मिल में दिनांक ३ फरवरी से ९ फरवरी तक प्रतिदिन गन्ना क्रशिंग का अनुपात क्या था?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल में गत ३ फरवरी से ९ फरवरी, १९५९ तक गन्ना पेराई के आंकड़े संलग्न† तालिका में दिये हुये हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--- क्या यह सही है कि प्रदेश की ४८ मिलों में पिछली ३ फरवरी से ९ फरवरी के अन्दर गन्ने की क्रशिंग के अनुपात में जो कमी हुई है उसका कारण गन्ना उत्पादकों की हड़ताल है? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह प्रश्न, मान्यवर, पहले ही मानता है कि गन्ना उत्पादकों की हड़ताल की वजह से कमी आयी। इस सम्बन्ध में बहुत दिन हुए एक बार इस सदन में बताया जा चुका है कि इस साल गन्ने की पैदावार, फसल, कम हुई जिसके कारण भी गन्ने की क्रशिंग कम हुई।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जिन मिलों की औसत क्रशिंग २० हजार मन थी वहां ४ हजार मन ही क्यों रह गई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा मैंने निवेदन किया गन्ने की पैदावार कम थी, कुछ गन्ना हड़ताल भी कारण था और गन्ने का डाइवर्शन भी हुआ। इस तरह की तमाम बातें हुईं। एक ही बात नहीं है।

बदायूं जिले में टेम्पोरेरी टूरिंग सिनेमा लगाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*४५---**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में बदायूं नगर में जनवरी, १९५८ से लेकर अब तक कितने Temporary Touring Cinema लगाने के लिये आवेदन-पत्र आये और उनमें से कितने स्वीकार किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बदायूं जिले में बदायूं नगर में जनवरी, १९५८ से लेकर अब तक Temporary Touring Cinema लगाने के लिये दो आवेदन-पत्र आये थे और दोनों ही अस्वीकार कर दिये गये।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत करने के कारण क्या थे?

---

† तालिका छापी नहीं गयी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह समझा गया कि बदायूं छोटा सा शहर है और वहां एक स्थायी सिनेमा है तो वहां पर बहुत ज्यादा सिनेमा दिखाना अच्छा नहीं है। मुख्य कारण तो यह था और एक कारण यह भी था कि जहां सिनेमा लगाने की दरख्वास्त थी वह जगह भी उपयुक्त नहीं समझी गयी, लोगों को उससे तकलीफ होती।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो मौजूदा सिनेमा इस वक्त बदायूं में चल रहा है उससे पहले वहां एक परमानेंट सिनेमा आलरेडी था और उसके बावजूद इस परमानेन्ट सिनेमा को इजाजत दी गयी तो टूरिंग सिनेमा को २-४ महीने के लिये इजाजत देने में क्या दिक्कत थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे नहीं मालूम कि वहां कोई परमानेन्ट सिनेमा था या नहीं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टूरिंग सिनेमा को इजाजत देने में सरकार की क्या नीति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह कोई नीति का मामला तो होता नहीं। हर जगह जरूरत देखने की बात होती है।

परगनाधीशों तथा अतिरिक्त जिलाधीशों के मुख्यावास

*४६---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर परगनाधीश तथा स० जिलाधीशों के केन्द्र स्थापित करने की योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---परगनाधीशों के सदर मुकाम जिलों के सदर मुकामों से हटाकर तहसीलों के सदर मुकामों पर स्थापित करने के लिये तथा परगनाधीशों के केन्द्र स्थापित करने के लिये समय की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। जब ऐसा कोई प्रश्न उठता है उस पर विचार होता है।

अतिरिक्त जिलाधीशों का सदर मुकाम हटाने की या उनके केन्द्र स्थापित करने के लिये भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिल मुडेरवा पर बकाया

*४७---**श्री धनुषधारी पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल्स मुंडेरवा, जिला बस्ती, में सन् १९५२ से आज तक प्रत्येक साल का कितना-कितना धन किसानों का तथा सरकार का बाकी चला आ रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बस्ती जिले की मुन्डेरवा चीनी मिल पर निम्नलिखित सीजन्स के बाबत किसानों तथा केन सेस की मद के अन्तर्गत सरकार की जो रकम बकाया है वह इस प्रकार है :

वर्ष	गन्ने का मूल्य (लाख रु० में)	केन सेस की रकम (लाख रु० में)
१९५७-५८	..	२.०४
१९५८-५९ (३१ जनवरी, १९५९ तक)	०.७४	२.०८
योग ..	०.७४	४.१२

*४८---**श्री धनुषधारी पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शुगर मिल्स से किसानों का बकाया दिलाने का कौन-सा उपाय सरकार ने किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ना आयुक्त ने उक्त मिल से गन्ना किसानों के बकाया की वसूलयाबी के लिये जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती को उचित आदेश दे दिया है।

*४९---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त मिल पर इस समय सरकार का कितना धन बाकी है और कितने सालों का ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उक्त मिल पर केन सेस की मद के अन्तर्गत सरकार की गत वर्ष तथा इस वर्ष (३१ जनवरी, १९५९ तक) जो रकम बकाया है उसका विवरण उपरोक्त प्रश्न ४७ के उत्तर में दिया हुआ है।

श्री गेंदा सिंह--- क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष से जो बकाया इस मिल के ऊपर है उसके खिलाफ कौन ऐसी कार्यवाही की गयी जिससे वसूली की जा सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ना आयुक्त से कहा गया है कि केन सेस या गन्ने का जो पैसा है उसका बकाया वसूल करने के सिलसिले में जो अधिनियम के द्वारा अधिकार हमें मिले हुये हैं उन अधिकारों का प्रयोग करके उस पैसे को वसूलना शुरू कर दें।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना आयुक्त को पत्र लिखने के पश्चात् किसानों के गन्ने की कीमत की वसूली में क्या प्रगति हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी अभी सूचना सरकार के पास नहीं आयी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेस कर की वसूली के लिये सन् १९५७ से अब तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं इश्यू किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सेस की जो उनके ऊपर बकाया रकम थी उसको वसूल करने के सिलसिले में कुर्की वगैरह कराने की आज्ञा दी गयी है। इसके पहले सरकार ने सब हालात को देखते हुये यह उचित नहीं समझा था कि उसके लिये कोई उनका अटैचमेंट वगैरह करवाया जाय क्योंकि उससे और दिक्कतें पैदा हो सकती थीं मिल के सामने जो कि आगे चल कर गन्ना उत्पादकों और मजदूरों पर एक बुरा असर डालतीं।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि मुंडेरवा शुगर मिल बराबर इस प्रकार की कार्यवाही करती आती है और किसानों का तथा सेस का बकाया बराबर उसके ऊपर रहता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैंने जैसा निवेदन किया, बराबर का तो सवाल नहीं है। गन्ने का मूल्य उनके ऊपर जो बकाया है वह तो बहुत थोड़ा है। सन् १९५७-५८ का गन्ने का मूल्य उनके ऊपर बकाया नहीं है। हां, सेस सन् १९५७-५८ और सन् १९५८-५९ का बकाया है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन दिक्कतों पर रोशनी डालने की कृपा करेंगे जिन दिक्कतों में यह शुगर फैक्टरी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, आर्थिक बाजार में जो पैसा चलता है उसके चलने के ऊपर यह बात मुनहसिर होती है कि कितना पैसा मिल के हाथ में है। यह हमें भरोसा था कि मिल के पास पैसा था ही नहीं। जबरदस्ती करने से, कुर्की, नीलाम से ही काम चल सकता था, लेकिन उसको करने से काफी दिक्कत होती और आगे चल कर इन्तजाम करना पड़ता।

*५०-५१---श्री लक्ष्मण राव कदम---[गृह मंत्री से सम्बन्धित ३ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट--- तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

गोरखपुर जिले में खांडसारी के उत्पादन पर कथित रोक

*५२---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने जिला गोरखपुर के किन्हीं भागों में खांडसारी चीनी के उत्पादन पर रोक लगा दी है? यदि हां, तो किस परिस्थिति में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५३-५४---श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

जिलाधीश बरेली

*५५---श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बरेली में कितने समय से जिलाधीश का स्थान रिक्त है और क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलाधीश बरेली का स्थान रिक्त नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५६---श्री शिव प्रसाद नागर---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।)

मरदह ब्लाक में चीनी मिल की आवश्यकता

*५७---श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले में मरदह ब्लाक के अन्दर कोआपरेटिव बेसिस पर शुगर मिल खोलने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गाजीपुर जिले में मरदह ब्लाक के अन्दर सहकारिता के आधार पर चीनी मिल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*५८---श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं)---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९-६०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

नियोजन 'सी' विभाग के कार्य

*६१---श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियोजन विभाग के अन्तर्गत कोई तीसरा विभाग "सी" खुल रहा है? यदि हां, तो इसकी क्या आवश्यकता है और उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य होंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। नियोजन "सी" विभाग खोलने के आदेश २१ फरवरी, १९५९ को जारी कर दिये गये हैं। शासकीय कारणों से इस विभाग को खोलने की आवश्यकता हुई। इस विभाग में जो कार्य होंगे उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५४ पर)

*६२---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित १ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६३-६४---श्री अब्दुल रऊफ लारी---[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५—श्री जगन्नाथ प्रसाद—[गृह मंत्री से सम्बन्धित पन्द्रहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उन्नाव शराब मिल का गन्दा पानी

*६६—श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव शराब मिल से गन्दा पानी निकल कर कुछ गांवों में जमा होता है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

*६७—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*६८—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर तथा प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ की बैलेंस शीट

*६९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर और प्रेसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ की बैलेन्सशीट प्रति वर्ष तैयार होती है ? यदि हां, तो क्या उसका प्रकाशन गजट में किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

जी नहीं।

*७०—श्री रामस्वरूप वर्मा—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*७१-७२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३—श्री त्रिलोकी सिंह—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योगपतियों को ऋण

*७४—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कितना रुपया कर्ज के तौर पर प्रदेश में उद्योग के मद में उद्योगपतियों को दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—४,११, ७७, ५०० रुपए।

इलाहाबाद जिले के शासन अधिकारी

*७५—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद में कितने डिप्टी कलेक्टर तथा तहसीलदार ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति इसी जिले में तीन साल से ज्यादा की हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक भी नहीं।

*७६—श्री जगन्नाथ लहरी—[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

केन सेस से प्राप्त धन

*७७—श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश चीनी मिलों से कितना धन केन सेस से १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में सरकार को प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रदेश की चीनी मिलों से केन सेस से १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः ५१८.९६ लाख रुपये तथा .५८८.२७ लाख रुपये प्राप्त हुआ।

*७८--**डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसीलदारों का पदोन्नति के लिये इन्टरव्यू

*७९--**श्री शिवराजसिंह यादव**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार द्वारा गत ५ वर्ष में कितने पिछड़े वर्ग के मुस्तकिल तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर के कैडर में उन्नति देने के इंटरव्यू में बुलाये गये तथा उनमें से कितनों को उपरोक्त उन्नति दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विगत ५ वर्षों में केवल दिसम्बर, १९५४ में डिप्टी कलेक्टरों के केडर में उन्नति देने के लिये तहसीलदारों का इन्टरव्यू हुआ था। उस समय जिन पिछड़े वर्गों को नौकरी की सुविधायें देने के शासकीय आदेश थे उन वर्गों का कोई तहसीलदार नहीं था। अतः किसी को इन्टरव्यू करने तथा पदोन्नति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी हिस्से वाली व्यापारिक संस्थायें

*८०--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कुछ मिलों या व्यापारिक संस्थाओं में सरकार के कुछ हिस्से (shares) हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*८१--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन concerns में उसके shares हैं और कितने-कितने ?

*८२--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन concerns में से कितने चालू हैं और कितने बन्द और सरकार को अपने shares से क्या सालाना आमदनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है। जिन चालू (concerns) से सरकार को लाभांश (dividends) प्राप्त हुए हैं उनके नाम भी तालिका में दिए गए हैं। सरकार के shares पर कोई निश्चित आमदनी हर साल नहीं होती।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५५-१५६ पर)।

तमकुही तथा देवरिया बस स्टेशन

*८३--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या परिवहन मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस स्टेशन, तमकुही रोड में रात के समय, कितने कर्मचारी, बुकिंग क्लर्क, कन्डक्टर, ड्राइवर आदि ठहरते हैं और उनके ठहरने तथा भोजन बनाने के लिये मकान तथा बर्तन उपलब्ध हैं ?

डाक्टर सीताराम--तमकुही रोड बस स्टेशन पर एक ड्राइवर व एक कंडक्टर प्रति दिन और एक बुकिंग क्लर्क सप्ताह में एक दिन ठहरते हैं। इन लोगों के ठहरने तथा भोजन बनाने के लिये बस स्टेशन में एक कमरा है। बर्तन की व्यवस्था केवल डिपो स्टेशनों पर ही होती है सर्वत्र नहीं।

*८४--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या परिवहन मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि देवरिया जिले के कितने बस-स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुधार के लिये खेलने का सामान दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--केवल देवरिया बस स्टेशन पर।

रोडवेज के ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स

*८५—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में कुल कितने ड्राइवर्स व कन्डक्टर्स हैं ?

डाक्टर सीताराम—२,४३३ ड्राइवर्स व २,११७ कंडक्टर्स ।

परिवहन परामर्श समिति

*८६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक रीजन में परिवहन परामर्श समिति के सदस्यों की सूची देने तथा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि जो उस समिति में गैर-सरकारी सदस्य हैं वे किन-किन दलों के हैं ?

डाक्टर सीताराम—परिवहन परामर्श समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । गैर-सरकारी सदस्य दलगत के आधार पर नहीं रक्खे जाते ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५७–१५९ पर)

चिमटा–भौनखाल श्रमदान–निर्मित मार्ग चौड़ा करने के लिये धन की आवश्यकता

*८७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार एवं विकास आयुक्त के पास खंड विकास समिति सल्ट प्रसार सेवा खंड, जिला अल्मोड़ा का यह प्रस्ताव आया है कि ब्लाक बजट में पुनर्वितरण (reappropriate) कर चिमटा-भौनखाल श्रमदान-निर्मित मार्ग को चौड़ा करने हेतु १५,००० रुपये स्वीकृत किये जायं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

सहायक जनरल मैनेजर, ट्रांसपोर्ट, गोरखपुर के कार्यालय से कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*८८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री जी ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि निकाले गये ८ कर्मचारियों में से ३ पुनः क्यों रख लिये गये ?

डाक्टर सीताराम—तीन कर्मचारी जो रखे गये वे सर्वश्री विद्याधर राय, बुकिंग क्लर्क, और विश्वनाथ दुबे तथा राजबली ड्राइवर्स थे । श्री विद्याधर राय के निकालने की कार्यवाही में कुछ त्रुटि रह गई थी इस कारण वह बहाल किये गये परन्तु चूंकि उनके खिलाफ यह चार्ज था कि उन्होंने सरकारी रुपया गबन किया था और वह उपयोग में लाये गये टिकटों को फिर से बेंचते थे तथा यात्रियों से अधिक किराया लिया करते थे इस कारण उन्हें नौकरी से फिर पृथक् कर दिया गया ।

श्री विश्वनाथ दुबे की मोटर का एक पहिया निकल कर अलग हो गया था जिसके कारण यात्री घायल होते-होते बच गये । इस लापरवाही के कारण उन्हें अलग कर दिया गया था, परन्तु अपील में उन्हें आइन्दा के लिये सतर्क रहने के लिये कह कर व कैरेक्टर रोल में बैड इन्ट्री देकर फिर से बहाल कर दिया गया । जिस बस को श्री राजबली ड्राइवर चला रहे थे, उसमें १३ यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाये गये, इस कारण उन्हें नौकरी से पृथक् कर दिया गया । अपील में यह देखा गया कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं था इस कारण उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया अर्थात ड्राइवर के वेतन-क्रम का प्रारम्भिक वेतन उन्हें दिया गया ।

*८९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ८ कर्मचारी किन-किन कारणों से निकाल गये थे ?

डाक्टर सीताराम--सर्वश्री विश्वनाथ दुबे, तिलकराज व राजबली, ड्राइवर्स, पर लापरवाही से व नियत गति से तेज गाड़ी चलाने तथा बिना टिकट यात्रियों के ले जाने की शिकायत थी। श्री रामदेव राय, कन्डक्टर, पर भी बिना टिकट यात्रियों के ले जाने की शिकायत थी। श्री कमला प्रसाद, कन्डक्टर पर यह जुर्म था कि वे २ मन अनबुक्ड सामान ले जा रहे थे। श्री विद्याधर राय, बुकिंग क्लर्क पर यह दोषारोपण था कि उन्होंने सरकारी रुपया गबन किया था, उपयोग में लाये गये टिकटों को फिर से बेचा था तथा अधिक किराया लिया करते थे। श्री राधा कृष्ण सहायक बुकिंग क्लर्क, पर स्टोर्स के मिसऐप्रोप्रिएशन तथा गबन का आरोप था। राम दरश, चौकीदार, के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वह रोडवेज के अहाते में महुआ बेचा करता था।

राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ के क्वार्टरों का किराया

*९०--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ के अन्तर्गत बने हुए क्वार्टर्स में कितने का किराया १९५७ या उससे पहले से लग रहा है और कितने का नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--७७ क्वार्टरों पर किराया लग रहा है। किन्तु १० स्टाफ क्वार्टर्स, २ काटेजेज तथा १ कोठी के एक हिस्से का किराया नहीं लगता है।

आबकारी विभाग में परिगणित जातियों के कर्मचारी

*९१--**श्री राम सूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में इस समय कुल कितने आबकारी निरीक्षक, आबकारी प्यून व ताड़ी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ? और प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों में अनुसूचित जाति की क्या संख्या व प्रतिशत है ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

		कुल संख्या	परिगणित जाति की संख्या	परिगणित जाति का प्रतिशत
(१) आबकारी निरीक्षक	..	२२१	९	४
(२) ताड़ी सुपरवाइजर	..	२१	३	१४
(३) आबकारी चपरासी तथा अन्य निम्न कर्मचारी वर्ग	..	८६८	६१	७

*९२--**श्री राम सूरत प्रसाद**--क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड देने पर सरकार बिचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी संख्या के संबंध में ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है।

यातायात विभाग, गाजीपुर में हरिजन कर्मचारी

*९३--**श्री यमुना सिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर डिवीजन के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में यातायात विभाग में कितने कन्डक्टर, ड्राइवर और क्लीनर्स हैं? उनमें कितने बैकवर्ड तथा कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

तालबेहट राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की इमारतें

*९४--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार २७-३-५८ के प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की जो इमारतें अप्रैल, १९५८ तक बन कर तैयार होने वाली थीं उनके अभी तक तैयार न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तालबेहट खंड की सभी इमारतें तैयार हो चुकी हैं और उनमें क्षेत्र विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों ने रहना भी आरम्भ कर दिया है। कुएं बनाने का कार्य जो कुएं बनाने वाले ठेकेदारों के अभाव के कारण रह गया था अब आरम्भ कर दिया गया है।

*९५--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त इमारतों के संबंध में जुलाई व अगस्त, १९५८ में जिलाधीश झांसी तथा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, झांसी के पास यह शिकायतें आई थीं कि जो भी इमारतें अभी बनी हैं उनकी सभी छतें टपकती हैं ? यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब छतें टपकने की शिकायत अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुई थीं उस समय तक छतें पूरी तरह से नहीं तैयार हो पाई थीं, अतः उस समय ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जौनपुर जिले के छाया ब्लाक

*९६--श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले के छाया ब्लाकों में एक वर्ष से अधिक समय से अनुदान न देने के कारण यहां पर निर्माण कार्य ठप्प सा हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, अनुदान की स्वीकृत राशियां, नियमानुकूल, बराबर दी जा रही हैं और निर्माण कार्य भी बराबर हो रहा है।

मजदूर यूनियनों का रजिस्ट्रेशन

*९७--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५८ से १५ सितम्बर, १९५८ तक कितनी मजदूर यूनियनें पंजीकृत (registered) हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९३।

अतारांकित प्रश्न

हैन्डीक्राफ्ट्स स्टोर, कानपुर

१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हैन्डी क्राफ्ट्स स्टोर, कानपुर से १९५७-५८ में कितने रुपये के माल की बिक्री हुई और कितने रुपये का माल स्टोर ने खरीदा और किस-किस कारखाने से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कानपुर में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स का कोई स्टोर नहीं है।

२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह खादी योजना की भांति कुम्हारी कला, चमड़ा, काठ, लोहे, तेलघानी की सहकारी समितियां प्रदेश लेविल पर संगठित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

३--श्री गनेशचन्द्र काछी--[२ अप्रैल, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों के लिए कैन्टीन

४--श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में किन-किन स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिये कैन्टीन की व्यवस्था है ?

डाक्टर सीताराम--गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, खलीलाबाद, आजमगढ़, बस्ती तथा बर्डघाट स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिये कैन्टीन की व्यवस्था है ।

५--श्री उग्रसेन--उक्त कैन्टीन के लिये किन-किन स्टेशनों पर सरकारी भवन हैं ?

डाक्टर सीताराम--इन सभी स्टेशनों पर कैन्टीन के लिये सरकारी भवन हैं ।

देवा के मेले में बसों के किराये से आय

६--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या परिवहन मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इस वर्ष सन् १९५८ में बाराबंकी में देवा के मेले के संबंध में बस के किराये से सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५८ में देवा के मेले में बस के किराये से रोडवेज को ६७,३२० रुपये ७२ नये पैसे की आमदनी हुई ।

श्री गंगा प्रसाद, विधान सभा सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--एक सूचना मैं सदन को देना चाहता हूं कि "भारतीय दंड विधान की धारा ३०२-२०१ के अन्तर्गत, पुलिस स्टेशन वजीरगंज से संबंधित एक मामले में श्री गंगाप्रसाद, सदस्य विधान सभा, वल्द श्री कलप नारायण, ग्राम खिरैया, पुलिस स्टेशन वजीरगंज ने आज अपने आपको मेरे सामने प्रस्तुत (surrender) किया और वह हिरासत में लिये गये हैं । वह आज के दिन दो दो हजार की दो जमानतें तथा उसी मात्रा का एक निजी बांड प्रस्तुत करने के उपरान्त जमानत पर छोड़ दिये गये हैं ।" उक्त सूचना गोंडा के अतिरिक्त जिलाधीश ने दी है ।

राजनीतिक पीड़ितों की सूची तैयार करने तथा उनको समुचित पेंशनें देने में सरकार की असफलता पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--यह श्री राजनारायण जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । "सदन ने निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया था--

इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से निश्चित होकर देश की सेवा कर सकें ।

यह प्रस्ताव २६ अगस्त, १९५५ को सदन में पास हुआ था । सदन की स्पष्ट राय के बावजूद भी आज तक सरकार की ओर से राजनीतिक पीड़ितों की कोई सूची तैयार नहीं कराई गई । सदन की निश्चित राय की अवहेलना करना ही सदन का अवमान है । अतः मैं इस पत्र द्वारा इस सरकार के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं ।"

[श्री अध्यक्ष]

यह जो सदन में प्रस्ताव हुआ था उसके बारे में अभी तक कोई प्रश्न मैं समझता हूं कि पूछा नहीं गया है कि क्या सरकार द्वारा सूची तैयार हुई या नहीं और इसके पहले ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय सदस्य सामने ले आये। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार सदन के प्रस्ताव पर अमल नहीं करती है तो उसके लिये तरीका यह है कि उसके ऊपर सेंश्योर का प्रस्ताव लाया जाय। जब इसके लिये अधिकार मौजूद है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है। इसमें कोई प्राइमाफेसी केस दिखाई नहीं देता है। इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं अर्ज कर दूं, आपकी रूलिंग के खिलाफ नहीं बल्कि जानकारी के लिये। मैंने इस संबंध में गृह मन्त्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी से पूछा था और जानकारी की थी कि क्या कोई राजनीतिक पीड़ितों की सूची तैयार कराई गई है और मैंने उनको यह भी बता दिया था कि ऐसा प्रस्ताव सदन में पास हुआ था तो उन्होंने बताया कि कोई सूची तैयार नहीं हुई। इसके बाद हमने यह प्रश्न उपस्थित किया।

श्री अध्यक्ष---मैंने कह दिया कि आपके लिये दूसरा रास्ता खुला है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो रास्ता है ही।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, क्या करें, जनता ने अभी हमें इतनी ताकत नहीं दी है। जब कभी ऐसा मामला आता है तो हमें दूसरे दलों से सलाह करनी पड़ती है। इसलिये बहुत से प्रस्ताव रखे रह जाते हैं।

श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न श्री नेकराम शर्मा जी ने उठाया है और इस संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी को इसकी सूचना मिल गई होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जी हां। हमको मिल गई। हमको ११ बज कर ५ मिनट पर श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने सूचना दी हमारे कार्यालय में। विलम्ब से सूचना दी, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि स्वतः वह इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष---सम्मति देने के पहले आपको कुछ नहीं कहना है ?

श्री राजनारायण---मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न को उठाने के बारे में आपको कोई आक्षेप है या नहीं ?

श्री राजनारायण---उस संबंध में तो बहुत आक्षेप हैं।

श्री अध्यक्ष---आक्षेप है तो आप मुझसे इस विषय में सहमति देने से पहले बताएं।

श्री राजनारायण---यानी कमरे में ?

श्री अध्यक्ष---जी हां। सहमति देना तो भिन्न चीज है।

श्री राजनारायण--तो सदन में पढ़ दिया जाय, क्या है ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । अनुमति दे दूंगा तब पढ़ूंगा । मैं नियम ६४ के अनुसार आपको मौका दूंगा कि आप यह कह सकते हैं कि अनुमति न दी जाय । अगर मैं समझूंगा कि आपका आक्षेप उचित है तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । और अगर अनुमति दूंगा तो उसको पढ़ूंगा । उसके बाद वैधानिकता के बारे में यहां प्रश्न उठेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सब के हित में है, इस सदन के हित में, प्रस्ताव करने वाले के हित में, और जिनके सम्बन्ध में आया है उनके हित में भी है कि इस तरह के सवाल यहां न उठाये जायं तो अच्छा है । यह प्रश्न उठाना किसी के हित में नहीं है । मैं आशा करता हूं कि आप अनुमति देने के पहले जो बातचीत करेंगे दोनों पक्षों से, उनसे यह बात मनवाने में सफल होंगे ।

श्री अध्यक्ष--मैंने अपने कमरे में इसीलिये बुलाया है जिसमें इस विषय में अच्छी तरह से सोच लूं कि मैं इसकी अनुमति दूं या नहीं ।

चीनी मिलों के अतिरिक्त मुनाफे के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--मान्यवर, चीनी मिलों के अतिरिक्त मुनाफे में गन्ना उत्पादकों को हिस्सा दिलाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३-५४ में एक फार्मूला बनाया था । वह फार्मूला वालंटरी बेसिस पर था । कोई आज्ञा ऐसी नहीं थी कि वह लागू कर दी जानी चाहिए । सुझाव के रूप में था । उसके मुताबिक हमारे प्रदेश में १९५३-५४ में १६ चीनी मिलों ने अतिरिक्त मुनाफे में से गन्ना उत्पादकों को एक हिस्सा दिया । यू० पी० और बिहार शुगर कंट्रोल बोर्ड की यह भावना थी यह कि मुनाफा बांटने का फार्मूला बड़ी उलझन पैदा करने वाला है, सीधा-सादा फार्मूला नहीं है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया जाय कि इस फार्मूले को किसी एक्सपर्ट कमेटी के सामने भेजे और ऐसा कोई फार्मूला निकलवायें जिससे कि गन्ना उत्पादकों को मुनाफे में हिस्सा मिलने का कोई सीधा-सीधा रास्ता निकल सके । इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार के सामने हमारी ओर से २२ नवम्बर, १९५८ को भेज दिया गया है । परन्तु अब तक केन्द्रीय सरकार के मन्त्री की ओर से या उनके विभाग की ओर से हमारे पास कोई भी सुझाव या पत्र नहीं आया है । यहां पर यह कहना भी अनुचित होगा कि सन् १९५३-५४ के सीजन के बाद अब तक कोई भी फार्मूला या किसी भी तरह अतिरिक्त मुनाफे में हिस्सा दिलाने का सुझाव न तो हमारे प्रदेश की सरकार के सामने आया है और न केन्द्रीय सरकार ने हमको कुछ भेजा है । जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को अपनी तरफ से रखा है कि १९५३-५४ का जो फार्मूला है उसमें कोई तरमीम की जा सकती है या नहीं, उस सम्बन्ध में उनकी आखिरी राय अभी तक हमारे सामने नहीं आयी । जो राय आयी थी उससे शुगर कंट्रोल बोर्ड को हम वाकिफ करा चुके हैं । सन् १९५३-५४ के बाद चलने वाले सीजन में यानी १९५४-५५, ५५-५६, ५६-५७ और ५७-५८ तक कोई अतिरिक्त मुनाफे में हिस्सा देने का प्रश्न इस सरकार के सामने नहीं रहा है । इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी के ध्यान में १९ दिसम्बर, सन् १९५८ का लोकसभा का बयान जो माननीय अजित प्रसाद जी जैन का है, उस तरफ उनका ध्यान गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि १९५३-५४ से ५७-५८ तक लगभग ८ करोड़ रुपया किसानों को अतिरिक्त मुनाफे की शक्ल में दिया गया ? दूसरे यह कि परसों या चौथे

[श्री गेंदासिंह]

रोज उन्होंने लोक सभा में यह कहा कि पिछले वर्षों में अतिरिक्त मुनाफे के बारे में जहां से हमको शिकायत मिली है, उसको हमने स्टेट गवर्नमेन्ट के सामने भेजा है। तो इन दोनों मामलों को स्पष्ट करने की मेहरबानी करेंगे कि आखिरी यह फार्मूला जो अब की मतर्बे भेजा गया वह फार्मूला क्या पिछले वर्षों के सम्बन्ध में नहीं था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा मान्यवर, मैंने पहले कहा इस प्रदेश की सरकार के पास कोई पत्र उनकी तरफ से नहीं आया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। अजित प्रसाद जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस बात की उलझन में पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जहां तक सम्बन्ध है उस फार्मूले का मैंने जैसा निवेदन किया वह सुझाव था वालंटरी बेसिस का। इसलिए उसके लिए कम्पेल करना किसी कारखाने को यह हमारे लिए कानून की दृष्टि से बहुत उचित भी नहीं था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वह १९५३-५४ के सीजन के लिए फार्मूला था उसमें १६ फैक्टरीज ने पैसा दिया। उसके बाद से न कोई मांग गन्ना उत्पादकों की है और न दिलाने का कोई प्रश्न ही शेष है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि अतिरिक्त मुनाफे में हिस्सा तय करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने उस संबंध में किसी मिल के हिसाब की जांच की और उसने क्या फैसला दिया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मेरी जानकारी इसकी नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने फार्मूला दिया था। उन्होंने किस आधार पर किस ढंग से कैसे बना के दिया, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सन् १९५३-५४ में जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने जो नैनीताल में इस अतिरिक्त मुनाफे के संबंध में एक मीटिंग बुलायी थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि यह फार्मूला केवल १९५३-५४ के सीजन के लिए ही नहीं बल्कि और दूसरे सालों के लिए भी रखा जा रहा है और इस सदन में भी दो तीन बार इसकी घोषणा की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह बात मेरी जानकारी में तो नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा। निश्चित जवाब के लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में जो अतिरिक्त मुनाफा दिलाया गया जिसमें कि १६ फैक्ट्रियों ने दिया वह सोलहों फैक्ट्रीज क्या पश्चिमी जिलों की थीं और पूरब की किसी भी फैक्ट्री ने नहीं दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें पूरब पश्चिम का तो सवाल है नहीं। अतिरिक्त मुनाफे से ताल्लुक था। जहां अतिरिक्त मुनाफा हुआ वहां मिला।

श्री गेंदासिंह---सन् १९५३-५४ का फार्मूला क्या वापस लिया शुगर फैक्टरियों ने और अगर कम्पलसरी नहीं था तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को अतिरिक्त मुनाफा दिलाने की क्या चेष्टा की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---गन्ना उत्पादकों की शिकायत यह थी कि उस फार्मूले के मुताबिक उन्हें बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। सन् १९५५ में इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई। उस एक्सपर्ट कमेटी ने १९५८ में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर यू० पी० बिहार का जो बोर्ड है उसने विचार किया है और उस पर अपनी सम्मति २२ नवम्बर, १९५८ को हमने केन्द्रीय सरकार को भेज दी। तो फिर जो हमें करना था या जो हमारा उत्तरदायित्व था वह पूरा हो गया।

उत्तर प्रदेश खाद्य आज्ञा, १९५९ के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---यह नियम ५२ के अनुसार मोतीलाल जी ने एक विषय दिया है---"केन्द्रीय सरकार द्वारा इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९३५ के अन्तर्गत दफा ३ के अनुसार उत्तर प्रदेश खाद्य आज्ञा, १९५९ (सरहद पर खाद्यान्न के आने जाने की रोक) जारी की गयी है। इस आज्ञा में गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, और उनकी अन्य उत्पत्तियों का उत्तर प्रदेश के आस-पास ५ मील तक आना जाना बिना परमिट के रोक दिया गया है।

अतः उपरोक्त खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नों की स्थिति क्या होगी तथा उपरोक्त आज्ञाओं के कारण अन्य खाद्यान्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आदि विषयों पर प्रकाश पड़ना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विषय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आशा है कि आज्ञा प्रदान की जायगी।"

खाद्य मंत्री इस विषय में, चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है, कब वक्तव्य देंगे, आज या कल ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अभी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आप अभी दे दें।

***श्री जगमोहन सिंह नेगी**---अध्यक्ष महोदय, जब पिछली मर्तबा खाद्यान्न के संबंध में यहां पर विवाद हुआ था तो उसके बाद माननीय दुबे जी और कुछ लोगों ने कहा था कि हमारे प्रदेश का खाद्यान्न बाहर जा रहा है, स्मीगल हो रहा है। तो इसका पता लगाने की चेष्टा की गई और यह पता चला कि कोरीडार न होने की वजह से यहां से माल बाहर भेजने में सहूलियत होती है। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया को यह सिफारिश भेजी गई कि वह उसको डिफाइन कर दे कि कोरीडार क्या है ? तो उन्होंने ५ मील जो दो स्टेट के बीच में है उसको कोरीडार माना है और उसमें भी ले जाने की मुमानियत है। अब यह स्मगलिंग नहीं होगी। ब्हीट, पैडी, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज व अन्य अन्नों के संबंध में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे तो प्रतिबन्ध अपने सूबे के बाहर ले जाने के बारे में पहले से ही सन् १९५८ के आर्डर के मुताबिक है। यह कोई नई चीज नहीं है। यह तो केवल कोरीडार की परिभाषा स्पष्ट की गई है कि पांच मील तक कोरीडार माना जायगा और इसमें अपने कंजम्पशन के लिए, बोनाफाइडी परपज के लिए २० सेर तक आदमी ले जा सकेगा और ट्रेवलर अपने साथ ५ सेर तक ले जा सकेगा। गवर्नमेंट मिलिटेरी एकाउन्ट में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका कोई बुरा प्रभाव, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो अन्न हमारे प्रदेश से बाहर जा रहा था उसमें रुकावट होगी और प्रदेश में अन्न के भावों की हालत अच्छी होगी और इसका सुन्दर प्रभाव होगा न कि कुप्रभाव।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो प्रान्त के आस-पास कोरीडार बनाया गया इसके संबंध में जो कुछ नियम बने क्या उनके पालन कराने के लिए भी कोई चेकपोस्ट या कर्मचारी वर्ग मुकर्रर किया जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस बात के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आर्मी स्क्वेड भी रहती है और हमारे चेकपोस्ट भी हैं। यह आलरेडी लगे हुए हैं। इसमें तो केवल कोरीडार को डिफाइन किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कोरीडार डिफाइन किया गया है इस देश के अन्दर जो स्टेट हैं उनके लिए है या जहां उत्तर प्रदेश की सीमा तिब्बत से लगी हुई है उसके लिए भी है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेश की सीमा का है और ५ मील तक है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध ट्रायल करने का क्या प्रोसेस होगा ? कौन ट्रायल करेगा और किस अथारिटी से ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्दर जो कानून हैं उनका सारा विवरण पढ़ लीजिए ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल से जो अन्न हमारे यहां आता है उसके लिए भी व्यवस्था है या उस पर भी रोक है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उस पर रोक तो पहले से ही थी । यह चीजें हमारे यहां से नहीं जा सकतीं और उनके यहां से जो आती हैं वह परमिट से ही आ सकती हैं ।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह बड़ी देर से "कोरीडार" शब्द सुन रहा हूं । यह किस भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अगर आप इसका मतलब समझ गये हैं तो फिर और क्या आप चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कोरीडार से जिन अनाजों को ले जाने पर रोक लगी है वह क्या सभी खाद्यान्नों पर लगी है या कुछ अनाजों पर अपवाद भी रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---इसको वह पहले बता चुके हैं ।

श्री मोती लाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो खाद्यान्नों में चना बाकी है उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---चने पर नहीं है । जो चीजें इसमें हैं उन्हीं पर है । इस के ऊपर कोई असर नहीं होगा ।

श्री राजनारायण द्वारा सूचना देने की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं कल आपकी आज्ञा से १३६ ए० ब्लाक की जांच करने के लिये गया था, मैं उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष---मैंने उनको अपने कमरे में बुलाया है । वहीं इस विषय में बात करूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, सदन की आज्ञा से गया था ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । आप बहुत दफा ऐसा कहकर स्वयं चले जाते हैं कि मैं आपकी आज्ञा से जा रहा हूं ।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,५०,६२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

इस अनुदान को पेश करते हुये कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत तो मेरी समझ में है नहीं। कोई भी देश हो उसको उद्योग की जरूरत हो सकती है । विशेष रूप से हमारे देश और प्रदेश को उद्योग की जरूरत दो कारणों से हुआ करती है । कुछ तो अपनी भीतरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये और कुछ इसलिये कि जो सामान तैयार हो वह बाहर देशों में भेजा जा सके ताकि उसका जो मूल्य मिले उससे वह चीजें खरीदी जा सकें जिनको बाहर से मंगाना हमारे लिये अनिवार्य होता है । उत्तर प्रदेश में कई दृष्टि से इस मामले में बहुत कमी है । हम बहुत पीछे हैं । इसलिये उद्योग की हमारे लिये आवश्यकता है । यह कहने की जरूरत नहीं है कि उद्योग की शुरूआत ऐसे होती है जैसे पश्चिम के देशों में जब उनके सामने उद्योग की बात करते हैं तो उनके सामने उत्पादन का प्रश्न रहता है । उनकी आबादी थोड़ी है तो उस आबादी का प्रबन्ध कुछ खेती बाड़ी में और कुछ और हो जाता है । जिनका प्रबन्ध न भी हो तो उसके लिये वे डोल दे सकते हैं, जो लोग वहां बेकार हैं उनको बैठा कर खिला सकते हैं । उनके सामने यह सवाल होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में कम से कम पैसे में अधिक से अधिक चीजें तैयार करें । इसीलिये वह जहां और काम करते हैं वहां रेशनलाइजेशन करके नये-नये वैज्ञानिक उपायों से काम लेते हैं ताकि कम से कम मजदूर लग सकें जिससे खर्चा कम हो सके और ज्यादा चीजें तैयार हो सकें ।

हमारे जैसे देश में जरूर हमको उद्योग की जरूरत है और साथ ही प्रोडक्शन की भी जरूरत है, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा अन एम्पलायमेंट का मसला है, कहीं बेकारी का, बाकार करने का लोगों को । इसलिये कई ऐसे तरीके हैं कि जिन से पश्चिम के देश काम ले सकते हैं । जिन तरीकों से यदि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाय तो काम लेना चाहिये, लेकिन हम नहीं ले सकते। कई वैज्ञानिक ढंग है, उनसे अगर काम लिया जाय तो मशीनों पर आदमी कम लगेंगे, लेकिन हम उन से काम नहीं ले सकते । हमको पुरानी मशीनों से काम लेना पड़ता है । एक आदमी की जगह मशीन पर भले ही ४ आदमी लगें, लेकिन हमको उसी तरह से काम लेना पड़ता है इसलिये कि बेकारी बहुत है । प्रोडक्शन के साथ-साथ एम्पलायमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है और उद्योग के साथ साथ हम को इसका भी विचार करना चाहिये । इसलिये इंडस्ट्रीज के मामले में हम कुछ देशों से पीछे रह जाते हैं ।

जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हैवी इंडस्ट्रीज का जिक्र खास तौर से करना पड़ता है । मैं इस संबंध में ज्यादा इसलिये नहीं कहता कि बजट पर सामान्य वाद-विवाद जब हो रहा था उस समय मैं इस संबंध में कुछ थोड़ा सा बोला था । मैं समझता हूं कि हमको इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है कि जिनको हम बड़े उद्योग कहते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, वह यहां कायम हों और यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय चूंकि हमको कृषि पर ही खास तौर से ध्यान देना चाहिये था इसलिये इंडस्ट्रीज पर ध्यान कम गया, लेकिन इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देते हुये हम जरूर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमको हैवी इंडस्ट्रीज मिलें चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हों अथवा प्राइवेट सेक्टर में । हमको वह चलानी हैं । प्राइवेट सेक्टर के नाम से घबड़ाने की कोई बात नहीं है । किसी भी दिन, जब देश इस बात को तय करे कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर को नहीं रखना है तो हम उनको पब्लिक सेक्टर में बदल सकते हैं। कम्पेन्शेसन दे कर बदलें या बिना कम्पेन्सेशन दिये हुये बदलें, यह दूसरी बात है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज कायम होने की जरूरत है । यह सही है कि हमारे पास साधन कम हैं, ट्रेन्ड पर्सनल, जो उन इंडस्ट्रीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

को चला सकते हैं, उन लोगों की कमी है, तो ऐसी स्थिति में हमको इस बात को सोचना पड़ता है कि जो सारे उद्योग हैं उन सब का क्या राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय ? इस स्थिति में उसे चाहे समाजीकरण कहें अथवा राष्ट्रीयकरण, उसे करने के सिलसिले में एक बात सामने आती है कि अभी हममें इतनी क्षमता नहीं है कि हम सारे के सारे उद्योग अपने हाथ में लें । ऐसी हालत में, जैसी अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का खयाल करना पड़ता है । कुछ उद्योग ऐसे हैं कि जो बेसिक हैं, मौलिक हैं, जो राष्ट्र के जीवन से सम्बन्धित हैं । ऐसे उद्योगों को तो राष्ट्र को अपने हाथ में लेना ही चाहिये । कुछ ऐसे रोजगार हैं कि जो इस दृष्टि से कुछ हद तक गौण कहे जा सकते हैं, और उनको अभी यदि अपने हाथ में न ले लिया जाय, उनका समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण, अभी न किया जाय तो भी काम चल सकता है । यही प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में भेद की बात होती है । किस व्यापार में प्रदेश या केन्द्र की सरकार कार्य कर सकती है, यहीं विभाजन होता है । इस वक्त चूंकि सभी व्यापारों और व्यवसायों को लेने के लिये हमारे पास आदमी नहीं हैं, ध्यान बंट जायगा और उसके कारण हम और आवश्यक काम नहीं कर सकते इसलिये कुछ रोजगारों को जिनका बहुत बड़ा संबंध है राष्ट्र से, उनको जरूर ले लेना चाहिये पब्लिक सेक्टर में, लेकिन उनके अलावा कुछ रोजगार थोड़े दिनों के लिये प्राइवेट सेक्टर में छोड़े जा सकते हैं ।

हम चाहते हैं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, हमारे यहां रोजगार अधिक से अधिक संख्या में लगें । मैं इसका जिक्र भी सदन में कर चुका हूं इसलिये दोहराता नहीं कि इधर कौन-कौन से रोजगार चले हैं और किन की हम कोशिश में हैं कि वह हमारे यहां चलाये जायं । अभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो एम० पी० लोग हैं वह यहां आये थे । उनके सामने जलसे में भी मैंने इस बात को रखा था कि कितने रोजगार ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूं कि वे आसानी से उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं । हम को कोशिश करनी चाहिये उन के लिये । किसी और प्रदेश का हम नुकसान नहीं करते । हम यह नहीं कहते कि किसी और प्रदेश में रोजगार न दिये जायं, लेकिन साथ ही उत्तर प्रदेश का हक है कि यहां और रोजगार बढ़ें । हमारे यहां बड़े रोजगार लगाना प्रोडक्शन की दृष्टि से बहुत उपयोगी चीज है । जिस रोजगार की चर्चा यहां बहुत बार हो चुकी है सोडाऐश फैक्टरी, यह जिस समय यहां चलेगी तो हमारे यहां जितनी भी ग्लास फैक्टरियां हैं, जितने भी शीशे के कारखाने हैं, उन के लिये जितना भी सोडा ऐश बाहर से आता है, वह सारे का सारा यह एक अकेली फैक्ट्री पैदा करेगी । उतने रुपये की बचत तो एकदम हो ही जाती है जितना रुपया फारेन ऐक्सचेंज में खर्च होता है या जितना रुपया बाहर जाता है, इसके अलावा सस्ता भी मिलेगा, शीशे के कारखानों का काम कम खर्च में चल सकेगा और उनका कुछ रुपया बच भी सकेगा । ऐसे ही और कारखाने भी खुलेंगे तो उनसे भी बचत होगी । इस सम्बन्ध में और ज्यादा कहने की जरूरत मैं नहीं समझता ।

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज पर किस प्रकार से खर्चा हो । इस पर पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ाया गया है । और बढ़ाये जाने की आवश्यकता भी है, लेकिन उसमें हमारी दो तीन दिक्कतें हैं । यह कहना तो सरल है कि छोटे उद्योगों में रुपया लगाया जाय, लेकिन उसके विषय में हमें बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं । एक तो यह तय करना बहुत कठिन होता है कि वे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाय । कुछ ऐसे उद्योग हैं जो हजारों नहीं तो सैकड़ों वर्षों से चले आते हैं जैसे रेशम का काम है, साड़ियां हैं । कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अपना स्थान बना लिया है जैसे फर्रुखाबाद का छींट का काम और मुरादाबाद के बर्तन । कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने देखते-देखते अपने लिये बाजार बना लिया है । अब देखने की यह आवश्यकता होती है कि जो चीजें तैयार होती हैं उनकी खपत कहां होगी । इसके लिये देश के अन्दर और विदेश में पता लगाना पड़ता है कि वहां किस किस्म के माल की आवश्यकता है । अगर इस किस्म का माल तैयार करना है, यह तय हो गया तो सोचना होता है कि उसके लिये कच्चा माल किस प्रकार से मिलेगा । लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है । जब

माल बन जाय तो उसको बेचना होता है । मार्केटिंग का प्रबंध करना कोई आसान बात नहीं होती । बड़े कारखानों के पास तो बहुत सा रुपया होता है । वे अखबारों में विज्ञापन करते हैं, लेकिन छोटे-छोटे लोग किस प्रकार से ऐसा करें ।

दूसरी तरफ यह भी है कि बड़ी इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं मिलता है लेकिन हमें तो इस एम्प्लायमेंट को सब जगह फैलाने की आवश्यकता है । शहरों में जो बेकारी है वह तो किसी प्रकार से मालूम भी हो सकती है, लेकिन गांवों में बेकारी के अतिरिक्त ऐसे बहुत से लोग हैं जो अन्डरएम्पलायड हैं । यदि इसको हमें दूर करना है तो छोटी इंडस्ट्रीज को हमें फैलाना होगा । सिवाय इसके हमारी और कोई गति है नहीं । एक और दिक्कत है । इसके लिये हमें बहुत सा रुपया चाहिये । गवर्नमेंट आफ इंडिया के खादी कमीशन के पास बहुत सा रुपया है इस तरह की विलेज इंडस्ट्रीज के लिये । लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह उसी वक्त रुपया देगा जब कि इस तरह के आर्टिजन्स की कोआपरेटिव सोसाइटी बन जायेगी । जिन माननीय सदस्यों को इसका अनुभव है, वे खुद जानते हैं कि देहात के कारीगरों को कोआपरेटिव बनाने के लिये राजी कर लेना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है । उनकी यह समझ में आना कि कोआपरेटिव किस प्रकार से बनायी जायं, उनसे क्या फायदा होगा, कोई आसान चीज नहीं है । फिर भी कोशिश करते-करते हम आर्टिजन्स की ३६७ कोआपरेटिव्स बना सके हैं । इस प्रकार जितनी कोआपरेटिव्स बनती जायंगी रुपया मिलता जायगा । जब तक आर्टिजन्स की कोआपरेटिव्स नहीं बनती तब तक रुपया मिलना कठिन ही नहीं, **असंभव है ।**

कई हमारी और भी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिये बहुत गुंजायश है । आज से कुछ दिनों पहले तक यह समझा जाता था कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के लिये कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन पिछले साल मैं गलती से नैनीताल चला गया और वहां मैंने एक एक्जीबिशन का आयोजन किया । गलती का लफ्ज मैंने इसलिये इस्तेमाल किया कि मैं दो तीन दिन से सुन रहा हूं कि मिनिस्टर लोग नैनीताल चले जाते हैं क्योंकि प्लेन्स में उनको गरमी लगती है । इसलिये ऐसा मालूम होता है और खासतौर से जो मुख्य विरोधी दल है उसको नैनीताल जाना हमारा नापसन्द है । अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे । बहरहाल, वहां हमने इस किस्म का एक एक्जीबिशन कराया ।

श्री अध्यक्ष––श्री नारायणदत्त तिवारी को छोड़कर ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि उस पार्टी के दो तीन सदस्यों से मेरी व्यक्तिगत रूप से कल बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि नैनीताल जाना चाहिये लेकिन सदन में उस तरफ के कुछ सदस्यों ने वहां जाने के सम्बन्ध में आलोचना की । अभी उसी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता आचार्य कृपलानी जी ने नैनीताल में भाषण दिया था कि मिनिस्टरों के मकान एयर कंडिशंड हैं फिर मालूम नहीं वे लोग नैनीताल क्यों आते हैं । मालूम नहीं किस मिनिस्टर का मकान एयर कंडीशंड है, मेरा तो है नहीं । लेकिन उनकी इस बात का खंडन उस दल के किसी व्यक्ति या नेता ने नहीं किया है । इसलिये मैं समझता हूं कि वे लोग नैनीताल का जाना पसन्द नहीं करते । बहरहाल, पारसाल गलती हो गयी । तो वहां हमने एक्जीबिशन कराया और केन्द्र के मिनिस्टर जो लोहे इत्यादि के इन्चार्ज हैं उनको बुलाया और दिखलाया कि हमारे यहां इंजीनियरिंग का कितना काम होता है और कितनी तरह की अच्छी-अच्छी चीजें बनती हैं । लेकिन अफसोस है कि यह भ्रम है कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का कोई स्थान ही नहीं हो सकता । उनको भी आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम होता है । दिल्ली में पिछले साल "इंडिया १९५८" एक्जीबिशन जो हुआ था उसमें भी हमारे यहां से सामान गया था जिसका देश और विदेशों में आज बहुत आदर है । कई चीजें, जैसे बाइसिकिल की इंडस्ट्रीज हमारे यहां बहुत अच्छी हैं और आज बहुत सी साइकिलें बाहर भी जाने लगी हैं लेकिन अफसोस है कि हमको लोहा नहीं मिल पाता है । कई मशीनें भी हमारे यहां ऐसी बनती हैं जो इस देश के अन्य प्रदेशों की ही नहीं बल्कि विदेश की मशीनों से भी मुकाबला कर सकती हैं और कीमत भी बहुत सस्ती

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है । अब हमको आशा दिलायी गयी है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो स्टील प्लांटस भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि में खुले हैं, वहां जब लोहा बनने लगेगा तो हमको मिलेगा । यदि काफी लोहा मिले तो उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज काफी तरक्की कर सकती हैं और यहां का बना हुआ सामान करोड़ों रुपये का बाहर जाने लगे । इसलिये हमारे यहां का भविष्य बहुत अच्छा है और हम आशा करते हैं कि इस तरफ उत्तर प्रदेश बराबर तरक्की करता जायेगा ।

जहां तक उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात है, इस प्रदेश में जितने लोग हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की होनी चाहिये, लोगों के पास काफी पैसे आने चाहिये, उनका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिये, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिये ताकि बड़ी-बड़ी चीजें बन सकें और साथ ही छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज भी हों जो गांव-गांव में, घर-घर में पहुंच सकें । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो अनुदान मैंने सदन के सामने रखा है उसको वह स्वीकार करेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । बड़े मशीनों से चालित उद्योग व हाथ से चालित उद्योगों के स्थान पर छोटी शक्ति संचालित मशीनों से ग्रामोद्योगों का विकास की नीति का सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मंत्री का भाषण इस सम्बन्ध में ध्यान से सुना और मुझे बड़ी निराशा हुई कि माननीय मुख्य मंत्री ने उन मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन करते हुये यह नहीं बतलाया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया है । और खेद इस बात का है कि जो उन्होंने मूलभूत सिद्धान्त माना उसके पीछे मैं समझता हूं कि वे आवश्यक और तथ्यपूर्ण बातों को छोड़ दिये ।

श्रीमन्, यह निर्विवाद है कि उद्योग के लिये हम क्या चाहते हैं । सबसे जरूरी यह होता है कि उद्योग पनपे, चले, उसके लिये कच्चा माल प्राप्त हो सके । दूसरी बात यह है कि वही उद्योग पनप सकता है जो प्रतिस्पर्द्धा में दूसरी जगह के बने हुये मालों का मुकाबला कर सके । अब देखना यह है कि कच्चा माल प्राप्त हो सकता है या नहीं, दूसरों का मुकाबला हम कर सकते हैं या नहीं और अपनी जरूरियात को पूरा करके हम अपना माल बाहर को भेज पाते हैं या नहीं । इन तीन बातों की कसौटी पर हमें इस अनुदान को कसना है । और श्रीमन्, उस दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमें निराशा होती है कि यह सरकार पूरे तौर से इस मामले में फेल रही है और सरकार को आज तक नहीं मालूम कि प्रदेश के अन्दर किन-किन चीजों की कितनी मात्रा में खपत है तथा वह चीजें कहां से प्राप्त होती हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार एक कमीशन बैठावे जो देश और प्रदेश के बारे में देखे कि यहां पर कितनी चीजें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, उनकी कितनी कीमत होती है और किस प्रकार से खपत होती है और उसका कच्चा माल हमारे यहां प्राप्त होता है या नहीं और अगर होता है तो उसके उद्योग-धंधे क्यों हमारे यहां नहीं पनपाये जाते हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ग्राम उद्योग को कैसे पनपायें क्योंकि उसका बाजार नहीं मिलता । बाजार मिले कैसे ? अगर ऐसे उद्योग पनपाये जायंगे जिनके लिये बाजार ही नहीं है तो सचमुच कठिनाई आयेगी । आज तक सरकार ने असेस नहीं किया कि किस-किस चीज की खपत है और कौन-सा कच्चा माल प्रदेश में पाया जाता है जिसका उपयोग हम यहां करें । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण श्रीमन्, पर्याप्त होगा जिससे मालूम होगा कि कच्चे माल का उपयोग करना यह सरकार कतई नहीं जानती और बड़ा अपव्यय चल रहा है । यहां पर गन्ना बहुत होता है और यह प्रदेश की मुख्य फसल भी है उसकी बगास जो होती है उसी से गोला गोकरननाथ मिल आज तक चीनी बनाती है, कोयले का कोई इस्तेमाल नहीं करती, अन्य मिलों को जो कोयला दिया जाता है वह ब्लैक में चला जाता है और ज्यादा खर्चा दिखा कर इन्कम टैक्स को भी बचाती हैं जिसको सरकार देख रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

अगर बगास से मिल चल सकती है तो और मिलों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, ऐसी भट्ठियां बनायी जा सकती हैं जो बगास से ही चल सकती हैं, और कोयले की बचत हो सकती है जो दूसरे काम में आ सकता है । लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी भट्ठियां खोज कर बनवाने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया । इसी बगास से कनाइड बोर्ड बनता है जो सिनेमा वगैरह की प्रतिध्वनि को रोकने के लिये बनाया जाता है और यहां जिसकी काफी मांग भी है । लेकिन नहीं, इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग यहां सरकार नहीं कराती वह चीज सारी विदेशों से मंगायी जाती है ।

तीसरी चीज एक प्रेस मड होती है जिसको मैल कहते हैं यह ढाई परसेंट निकलती है । हमारे यहां २४ करोड़ मन गन्ना पिछले साल पेरा गया जिससे ६५ लाख मन मैल निकली और प्रेस मड (मैल) से मोम और रंग बन सकता है । लेकिन सरकार उसका कोई प्रयोग ठीक तरह से नहीं कर पायी है । सरकार को नयी–नयी चीजों का बड़ा शौक है । डीजल इंजन प्रान्त में आये और पिछले साल बजट में डीजल इंजन की वजह से १०,००,००० रुपये की पावर अल्कोहल की जो शीरे से बनता है, बिक्री कम हो गई । एक तरफ तो पावर अल्कोहल की बिक्री कम हो और दूसरी तरफ डीजल इम्पोर्ट करना पड़े, हमारा फारेन एक्सचेंज खराब जाता है क्योंकि देश में तो डीजल आयल होता नहीं, बाहर ही से आता है और दूसरी तरफ पावर अल्कोहल की बिक्री कम हो जाय । तो यह तो सरकार की उद्योग की नीति है । पावर अल्कोहल इस समय पैट्रोल में मिलाकर चलाया जाता है इससे अकेले इंजन चल सकते हैं, यह जरूर है कि थोड़ा कार्बन उससे ज्यादा बनता है । तो क्यों नहीं सरकार ऐसे इंजन डिजाइन कराती जो उससे चल सकें आसानी से । और साथ ही सस्ता भी रहता है पावर अल्कोहल । साढ़े तीन आना मन शीरा बिकता है जिससे पावर अल्कोहल बनता है और २ गैलन पावर अल्कोहल १ मन शीरे से निकलता है । तो यह जो ६ आना गैलन पड़ता है तो यह सस्ता भी है, पैट्रोल तो सवा तीन रुपये गैलन मिलता है और साथ ही हमारा फारेन ऐक्सचेंज भी जाता है । तो क्यों नहीं सरकार इस तरफ ध्यान देती कि जो पावर अल्कोहल की बिक्री कम हुई है उसका कोई प्रबन्ध करे ताकि उसकी खपत यहां हो सके ? तो इस तरह से इतनी परेशानी है । जो चीज यहां उपलब्ध है उसका प्रयोग कहीं नहीं हो रहा है ।

इसी तरह से धान के पयाल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है । पहले से सब को मालूम है यह जानवरों के लिये खाने में हितकर नहीं है । इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन खाने का एक जरिया कृषि में निकाल दिया कि इस सम्बन्ध में खोज हो रही है कि यह भूसे की भांति जानवरों को खिलाया जा सकता है या नहीं । और उसका जो उपयोग कागज बनाने के काम में आ सकता था उसकी तरफ कभी नहीं सोचा गया । इस तरह से श्रीमन्, एक ओर तो यह तमाम वेस्टेज हो रहा है हमारे कच्चे माल का, और दूसरी तरफ बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को पनपाने की बात कही जा रही है । साथ ही साथ इस प्रदेश की सरकार ने यह कभी परवाह नहीं की कि आखिर हमारे उद्योग–धंधे कैसे चलेंगे । हम किस तरह से प्रदेश के आदमियों को कारोबार में लगा सकते हैं । श्रीमन्, स्पष्ट बात है कि इस प्रदेश में यह दोनों तरह के उद्योग नहीं चल सकते, हैवी इंडस्ट्री और ग्रामोद्योग के नाम से इस समय जिसको पुकारते हैं । इस तरह की चीज इस प्रदेश में चलने की नहीं है क्योंकि एक में तो पैसा इतना नहीं पैदा होता है कि जिससे पेट भर खा सकें और दूसरे के लिये इतना पैसा नहीं है, जैसा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हिसाब से १ अरब में १ लाख १९ हजार आदमियों को काम मिलेगा जब कि २६ लाख आदमी हमारे यहां बेकार हैं ।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल पीठासीन हुए ।)

अब सवाल इस बात का है कि दोनों के बीच का क्या रास्ता है ? दोनों के बीच का जो रास्ता है---मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस ओर सरकार ने आज तक कदम नहीं रखा है---कि इंजीनियर्स को लेकर के ऐसे इंजन डिजाइन कराए जायं जो शक्ति संचालित हों और

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जो दो-दो सौ, चार-चार सौ या पांच-पांच सौ की कीमत के हों। अगर इस तरह के इंजन बनाए जाते तो भला होता। एक इंच कपड़ा हाथ से बुनने में तीन मिनट खर्च होते हैं और छोटे-छोटे पावर लूम से २० सेकेंड खर्च होते हैं। नौ गुने कपड़े का उत्पादन बढ़ता है। यहां का उत्पादन साढ़े चार गज प्रति व्यक्ति है। एक तरफ कानपुर में सैकड़ों आदमी मिल के बेकार हो गये हैं और दूसरी तरफ उद्योग-धंधों के पनपने की बात सरकार कर रही है।

यह सही है कि सरकार पैसा उनको देती है। साहू केमिकल्स बनारस में जो है उसको १ करोड़ ४५ लाख रुपया दिया गया। जब कि उक्त कम्पनी को न तो उस समय लाइसेंस मिला, न जमीन, फिर भी उसे पूरा रुपया दिया गया। सन् १९५६ में एक लोन दिया था सरकार ने, लेकिन आज तक उसमें से भले ही एकाध मिल बन पाया हो, वह सब रुपया बेकार हुआ। उससे देश का कोई फायदा नहीं हुआ। इन चीजों को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे इंडस्ट्री बढ़े।

हमें बिजली की सब से अधिक जरूरत है। सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिये कि हम छोटी-छोटी मशीन बना कर पावर से संचालित करें। ताकि बहुत से कुटीर उद्योग पनपें। एक शक्ति संचालित जगदीश चर्खा निकला, इसी तरह से मूंज बनाने की पावर मशीन निकली। इसी तरह से और दूसरी मशीनें हैं। अब सवाल है कि बिजली कहां से आए? भाखड़ा से बिजली लेने की बात आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्कार कर दिया क्योंकि रिहन्द बिजली सप्लाई करेगा। रिहन्द सन् १९६७ में बनेगा और अभी से सोच रहे हैं। अगर कहीं कोई दूसरा सुझाव भी दें तो उससे माननीय मुख्य मंत्री लाभ उठाने की बात नहीं सोचते क्योंकि उन्हें हीनता की भावना आ जाती है कि नये लोग क्या सुझाव देंगे, हम लोग तो इतने पुराने हैं। बिजली थरमल की काम नहीं देगी क्योंकि कोयला नहीं है। अब पानी की बिजली हो या एटामिक हो। एटामिक प्लांट देने के लिये विदेश तैयार है। क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार से इसके लिये जोर दिया जाय। सब से प्रमुख आवश्यकता प्रदेश की सरकार के सामने बिजली की है। भाखड़ा से मिलती तो वहां से इसलिये नहीं ली कि रिहन्द से मिलेगी। यहां तो श्रीमन्, दूसरा रवैया है। अभी मालूम पड़ा कि माताटीला बांध से बिजली बनाने की जो योजना थी वह ठप्प कर दी गई। ढाई करोड़ से नौ करोड़ तो एस्टीमेट पहुंच गया और बिजली मिलेगी नहीं। अब बतलाइए कितना बड़ा अपव्यय है। विकास के बजाय बड़ा भयंकर विनाश हो रहा है। अब प्रदेश की जनता को सोचना पड़ रहा है कि साल, दो साल कैसे काटें। यह ३ साल का समय जो जनता की छाती पर बोझ बन कर लद गया है सरकार को बदलने के लिए, कैसे वह इस बीच में इस भाव को रोके कि यह सरकार जल्दी से जल्दी हटे या सही रास्ते पर चले। चन्द्रप्रभा डैम से बिजली बना कर इस प्रदेश की और विशेष कर पूर्वी जिलों की बेकारी की समस्या कुछ हल हो सकती थी, किन्तु यह कह कर कि वह १० महीने चलेगा उस योजना को खत्म कर दिया गया। माताटीला से बिजली लेंगे नहीं, रिहन्द बनेगा नहीं और भाखरा से मांगेंगे नहीं तो कैसे काम चल सकता है? अस्पष्ट नीति और मिली-जुली पूंजीवादी नीति के कारण यह हमारे प्रदेश में बेकारी की समस्या आज इतना विकराल रूप धारण किये हुए है और उद्योग-धंधे समाप्त होते जा रहे हैं।

एक बात और आपको बतला दूं कि अगर हमारे पास बिजली भी हो तो छोटी-छोटी मशीन बनाने के लिए लोहा कहां से आये। सरकार चीनी मिलें तैयार करने के लिए तैयार है। चीनी मिलों को लोन देने और खोलने के सम्बन्ध में बड़ी तारीफ की गयी है, लेकिन वह तारीफ नहीं है, दिल की कमजोरी है और सरकारी पक्ष की कमजोरी है जिससे नाजायज फायदा उठा कर वह इन मिलों को चालू रखना चाहते हैं। गन्ने का भाव कंट्रोल कर दिया, चीनी मिल वालों को मुनाफा करा दिया, उनसे लाखों रुपये सरकारी पक्ष को चन्दा मिलता है तो उनके पक्ष में जायंगे ही। लोहे की मिल क्यों नहीं खोलीं? भिलाई वाला कारखाना यहां खुलना चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का पांचवां हिस्सा है। यहां के लिए कैसे मशीनें बनायेंगे? अगर बिजली भी आ जाय तो मशीनों के लिए लोहा कहां से आयेगा? अगर केन्द्रीय सरकार से जोर देने पर भी

यहां लोहे का कारखाना नहीं खुलता तो गृह उद्योग को ही प्रोत्साहन देकर इस दिशा में आगे बढ़ते तो काम चल जाता। चीन में दुगुना लोहे का प्रोडक्शन हो गया, वहां कोई रूरकेला स्थापित नहीं हुआ। गृह उद्योग के बल पर ही वहां इतना उत्पादन हो गया। पहले यहां भी तो आखिर तलवारें बनती थीं और यहां का फर्स्ट क्लास स्टील होता था, इस प्रदेश में। यहां पहले कभी रूरकेला और भिलाई नहीं था। तो उस गृह उद्योग को पनपाने के लिए सरकार ने क्या प्रगति की? इस सरकार ने तो जन जीवन का स्रोत सुखाने का प्रयत्न किया है, उद्योग को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया।

अब अगर मशीनें बन जायं तो कच्चे माल का सवाल आता है। सरकार ने कभी नहीं सोचा कि जहां कच्चा माल मिलता है वहीं उद्योग चलाया जाय तो लाखों आदमी काम पर लगेंगे। यहां इतनी बेकारी बढ़ी हुई है कि तेल की घानी व अम्बर चर्खे से बेकारी दूर न होगी, यह सरकार के दिमाग में कभी नहीं आता। कच्चे माल में जैसे रेजिन है जो चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है, चीड़ के पेड़ पहाड़ों पर होते हैं जहां के लोग गरीबी से त्रस्त हैं, भुखमरी से परेशान हैं। सरकार ने क्या किया कि उनके उद्योग-धंधे को छीन लिया। गृह उद्योग से यह रेजिन का धंधा चलाया जा सकता था, लेकिन चूंकि मिल मालिकों से पैसा मिलता है तो वहां पहाड़ों पर गृह उद्योग न चला कर बरेली के आस पास के मिल-मालिकों को रेजिन सप्लाई होता है। पहाड़ी लोग भूखों मर रहे हैं और वह अपना कोई उद्योग नहीं पनपा सकते। दूसरी तरफ, प्लाईवुड का काम है। वह लकड़ी भी पहाड़ों पर मिलती है। लेकिन उसकी फैक्टरी सीतापुर में है, कोई अंग्रेज हैं जो लगाये हुये हैं और मनमाना मुनाफा अपने तरीके से कमा रहे हैं। अगर इस लकड़ी के काम को भी कुटीर उद्योग के तरीके पर पहाड़ों पर खोलने का प्रबन्ध कर दिया गया होता तो लाखों पहाड़ के रहने वालों को रोजगार मिलता।

इसी तरह से, सरकार किस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थों को देखकर इन्तजाम करती है इसके लिये एक उदाहरण पर्याप्त है। यों तो कल माननीय राजनारायण जी के आरोपों का उत्तर न देकर मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि ये निम्न स्तर की बातें हैं। श्रीमन्, अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी के खिलाफ लगे तो उसका सब से पहला फर्ज यह हो जाता है कि उसको सिद्ध करे कि वह बात गलत है न कि उसको निम्नस्तर की बात कह कर टाले। इसके साफ अर्थ हैं कि उनके पास इन आरोपों का कोई उत्तर नहीं है और जो बात सच्ची कही जाती है उसको निम्नस्तर की बात कह कर सचाई को छिपाया जाता है। निम्नस्तर का काम करने वाले अपने कामों को छिपाने के लिये निम्नस्तर की दुहाई देते हैं तो सब बातों की सफाई होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण और दूं। सहारनपुर में एक पेपर मिल है। उस पेपर मिल को १ लाख घनफुट लकड़ी १ आना घनफुट के हिसाब से जंगल से दे दी गयी। १ आना घनफुट में लकड़ी का दाम कहीं नहीं है। श्रीमन्, जलाने वाली लकड़ी भी ढाई और तीन रुपये मन मिलती है। तो उनको यह लकड़ी लुगदी बनाने के लिये दी गई। लेकिन लुगदी बनाने के लिये उसके पास आज तक मशीन नहीं है जिससे लुगदी वह बना सके। वह लुगदी बना नहीं सका और सारी लकड़ी बाजार में बिक गयी और लाखों रुपये उस मिल मालिक ने उस लकड़ी से कमाये। मैं आज इतना बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि सरकार ने कोई जांच आज तक उस बात की नहीं की। अगर सरकार की इच्छा होती कि हमारे ग्रामीण उद्योग-धंधे पनपें तो ऐसी मिलों को इतनी सस्ती लकड़ी देकर उसका दुरुपयोग नहीं कराती। उसकी जांच अब भी होनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह इस सदन को आश्वासन दे कि जांच करने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी।

एक बात और इसी सम्बन्ध में मुझे कहना है। एक घास भावर होती है उसका जितना एरिया है उस पूरे भावर घास के क्षेत्र का ठेका इसी मिल को दिया जाता है, यद्यपि यह मिल उसके बहुत थोड़े से भाग से ही कागज बना पाती है। भावर घास से बान बनती है और उससे रस्सी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

बनाई जाती है। जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का काम करने वाले हैं मिल मालिक उनको बची भावर घास मनमाने प्राइस पर देते हैं। मिल मालिकों को वह सस्ते दाम पर दी जाती है। जितना इस्तेमाल मिल में होता है उतना होता है बाकी को जिसको उन्होंने सस्ते दामों में खरीदा था तेज दामों पर बेचते हैं। जब तेज दामों पर छोटे-छोटे काम करने वाले खरीदते हैं तो वे बेचारे उसमें कितना मुनाफा कमा सकते हैं, यह एक चिंत्य विषय है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया। अभी आप और कितना समय लेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, कहना तो बहुत है, अगर १० मिनट दे दिये जायं तो अच्छा रहेगा या एक रास्ता और हो सकता है, मुझे बाद में १० मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---५ मिनट में आपको और दे सकता हूं। इसी में आप खत्म कर दीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---तो ५ मिनट में ही काम चलाऊंगा। कहने को तो बहुत है। हो सकता था कि मेरे अधिक कहने से सरकार में सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाती और उससे देश का बड़ा हित हो जाता, लेकिन खैर उतने ही में कहूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि बान का उद्योग वहां पर चल रहा है। मिल मालिक बचे हुये घास को भारी दामों पर औरों को बेचता है। उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन इधर जो छोटे काम करने वाले हैं उनको तेज पड़ता है लिहाजा वह अच्छा मुनाफा नहीं उठा पाते। फिर भी वह उद्योग वहां पर है। अगर ग्रामीण कुटीर उद्योगों को पनपाने की इच्छा सरकार की होती तो मिल वाले जो सामान इस्तेमाल करते हैं, जितने दाम पर उनको चीजें मिलती हैं उसी दाम पर दूसरों को भी दी जातीं। लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया।

मैं बताता हूं मुख्य मंत्री जी को कि बान बनाने वाली एक मशीन भी बन चुकी है, लेकिन सरकार ने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। वह छोटी-सी मशीन है। अगर उसका इस्तेमाल हो तो ९, १० गुना ज्यादा काम हो और लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हो।

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हम तो ग्रामोद्योग को पनपाने की बहुत फिक्र में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि खांडसारी गृह-उद्योग को पनपाने में कौन-सी मुसीबत थी ? अगर इस उद्योग के सब ऐस्पेक्ट्स को देखा जाय तो निश्चित रूप से खांडसारी उद्योग से राष्ट्रीय लाभ है जिसको एक दिन माननीय बहुगुणा जी ने बोलते हुये कहा कि नेशनल लास है। वे उस टैक्निकल्टी को समझते नहीं हैं बल्कि जो सेक्रेटरी वगैरह ने उनको बता दिया उसी को वे चिल्ला दिये। मिनिस्टर को तो ऐसे सामान्य दिमाग का होना चाहिये कि बहुत ज्ञान रखे और टेक्निकल लोगों की राय लेकर उसका जनहित में समन्वीकरण कर ले। इसीलिये नान-एक्सपर्ट आदमी को रखा जाता है। लेकिन यहां नान-एक्सपर्ट एक्सपर्ट का बिल्कुल दास बन गया है। श्रीमन्, होता यह है कि शुरू-शुरू में ६, ७ परसेंट शुगर बैठती है और यह होता है सितम्बर, अक्तूबर में। तब मिल चालू होनी चाहिये। उस वक्त मोलेसेज का हिस्सा ज्यादा होता है और शुगर कंटेन्ट्स कम होते हैं। उस वक्त शुगर बनाने में हमेशा नुकसान होता है इसलिए मिल वाले चलाते नहीं हैं। इससे किसान का यह नुकसान होता है कि जो उसमें रबी की फसल वह बो सकता है वह नहीं बो पाता और इसके अलावा जो लेट क्राप होती है वह भी नहीं बो पाता। जब बम्पर सीजन आता है, यानी जब १०, १२ प्रतिशत शुगर बैठती है वह जनवरी और फरवरी का महीना होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितना नेशनल लास होता है क्योंकि मिलें काफी देर में चलती हैं। इसके अलावा शकर के उत्पादन में भी कमी होती है क्योंकि जितनी बननी चाहिये उतनी बन नहीं पाती है। इसके विपरीत खांडसारी में कुछ विशेषतायें भी हैं।

गुड़ हमारे देश के लिये बहुत उपयोगी है और गुड़ उद्योग को पनपाने के लिये सरकार ने दिखावे के लिये लाख, डेढ़ लाख रुपये भी रखे हैं। लेकिन गुड़ उद्योग की पीठ में सरकार

छुरा भी भोंक रही है क्योंकि जो मिल का रिजर्व एरिया होता है उसमें सरकार कंट्रोल लगा देती है जिसके कारण वहां गुड़ बन ही नहीं सकता। एक तरफ तो गुड़ के लिये बहाना किया जाता है कि हम अच्छे कोल्हू चाहते हैं और दूसरी तरफ अगर अच्छे कोल्हू कहीं मौजूद हैं तो उनको सरकार काम नहीं करने देती। एक बात और, सेरीकोज क्रिस्टल शुगर में होता है लेकिन ग्लूकोज नहीं होता और सेरीकोज स्वास्थ्य के लिये हानिकर है। खांडसारी और गुड़ में ग्लूकोज के तत्त्व विद्यमान रहते हैं जो स्वास्थ्य के लिये लाभदायक हैं। इसके अलावा अगर खांडसारी उद्योग पनपने लगे तो जितना भी गन्ना पैदा होता है वह सब का सब काम में आ जाय क्योंकि शुगर मिलें सारा गन्ना तो पेर नहीं पाती हैं, और इसके अलावा मई, जून तक चलती हैं तब तक गन्ना काफी सूख जाता है और ४, ५ प्रतिशत शक्कर बनती है। इसके कारण इतना लम्बा नेशनल लास होता है कि उसकी पूर्ति यह सरकार कर ही नहीं सकती। अगर खांडसारी उद्योग को पनपाया जाय तो ४–६ बातों की बचत हो जाती है। पहली बात तो यह कि नेशनल लास बच जायगा। दूसरे यह कि जितना गन्ना होता है वह कुल का कुल इस्तेमाल हो जायगा गुड़ और खांडसारी दोनों बनाने में जिनमें ग्लूकोज होता है। तीसरी बात यह कि बड़ी-बड़ी मिलों को कायम करने के लिये मशीनरी की जरूरत होती है और उसके लिये फारेन एक्सचेन्ज चाहिये। तो जब सारा गन्ना गुड़ और खांडसारी में इस्तेमाल हो जायगा तो ऐसी मिलों को बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फारेन एक्सचेन्ज बचेगा। इसके अलावा जो गन्ना इधर से उधर ले जाने में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्च होता है वह सब बच जायगा और सब से बड़ी बात तो यह है कि लाखों बेकार आदमी इस उद्योग में लग जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा––इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री अधिष्ठाता––बाकी कटौती के प्रस्ताव इसी तरह के हैं। जिन माननीय सदस्यों ने भेजे हैं मैं उनके नाम पढ़ कर सुनाऊंगा। अगर वह उपस्थित होंगे तो उनके प्रस्ताव पेश हुये माने जायंगे:

[श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री पब्बर राम।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
	कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
	बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।
श्री ब्रजनारायण तिवारी श्री रामचन्द्र विकल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।
श्री गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री शिवराम,	कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
श्री शिवप्रसाद नागर, श्री ताराचन्द माहेश्वरी, श्री जगदीश प्रसाद तथा श्री रामगोपाल वैद्य।	लघु तथा कुटीर उद्योगों को कम प्रोत्साहन देना।
श्री हरिदत्त काण्डपाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार ये सदन में प्रस्तुत किये गये माने गये।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

पर्वतीय जिलों में उद्योगों पर परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक योजना न होना।

श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री मुक्तिनाथ राय।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अस्थायी तौर पर उद्योग की स्थापना।

श्री सूरतचन्द रमोला

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

पर्वतीय जिलों में खास कर टेहरी-गढ़वाल के विकास हेतु बागवानी, ऊन उद्योग, रिगांल उद्योग व टेहरी में पोलिटैक्नीक स्कूल भवन निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देना।

श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री रामस्वरूप वर्मा।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

ग्राम उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिये सुझाव।

श्री रामदास आर्य

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

छोटे घरेलू धंधे प्रत्येक जिला में वहीं के अनुकूल खोलना, उनमें पूर्ण सहायता देना, उनकी बनी वस्तुओं की बिक्री के प्रबन्ध पर सुझाव।]

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अधिष्ठाता महोदय, आज बड़े हर्ष की बात है कि हमें इस उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज या उद्योग के संबंध में सोचने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। परन्तु यहां दिन प्रति दिन बढ़ती हुई आबादी का बल्क कृषि पर बहुत बढ़ जाने की वजह से जरूरी है कि हम अपने प्रदेश में उद्योग-धंधों को बढ़ाने के लिये सोचें ताकि कृषि पर जो यह बल्क बढ़ता चला जा रहा है उसे किसी तरह से कम किया जा सके।

अधिष्ठाता महोदय, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो या काटेज इंडस्ट्रीज में हो, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि उद्योग चाहे

किसी रूप में हो हम हर प्रकर के उद्योगों को हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष का जो लिटरेचर बांटा गया है उसके संबंध में मैं सरकार को बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा लिटरेचर दिया गया है गो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक दो जगह ही इसमें नाम है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यहां नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि अगर हम इनकी ओर ध्यान दें तो हमारे यहां इतने उद्योग-धंधे हो सकते हैं कि हमें किसी दूसरे प्रदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समय चूंकि बहुत कम है इसलिये मैं थोड़े थोड़े रूप में जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे यहां खासकर पहाड़ी प्रदेश में सरकार ने हार्टीकल्चर की ओर कदम उठाया है लेकिन वह हाफ हार्टेड है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ध्यान देगी तो पहाड़ी प्रदेश उन्नतिशील हो सकते हैं और वहां के सैकड़ों, हजारों तथा लाखों बच्चे जो मैदान में बर्तन मांजने आदि की नौकरी के लिये जाते हैं उनको इस प्रकार जाने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी।

मैंने कुछ दिन पहले सरकार का ध्यान दिलाया था कि हमारे यहां रेशम तथा ऊन के उद्योग अच्छी तरह से पनपाये जा सकते हैं जिस पर वहां के लोगों की जीविका निर्भर हो सकती है। टेहरी-गढ़वाल में एक टेक्निकल स्कूल है उसकी बिल्डिंग के लिये तीन साल पहले कुछ रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन इस लेम एक्सक्यूज पर कि मैटीरियल नहीं मिलता है इसलिये उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया। मुझे इसका खेद है आखिरकार सरकार को एक न एक दिन तो इसकी बिल्डिंग बनानी ही होगी। आजकल लड़के मैदान में शिक्षा पाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की शिथिलता सरकार को नहीं रखनी चाहिये और इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जानी चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैंने एक और पत्र कुछ दिन हुए सरकार को लिखा था। हमारे यहां रिगांल इतना ज्यादा होता है कि वह एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर सरकार इसको बढ़ावा दे तो वहां पर बेंत की कुर्सियों आदि का फर्नीचर बनाया जा सकता है। आज कल रिंगेल ज्यादातर पाकिस्तान जाता है। अगर इस रिंगेल के उद्योग को बढ़ावा दिया जाय तो इससे यह उद्योग पनप सकता है।

आलू हमारे यहां का ऐसा उद्योग है कि अगर इसको बढ़ावा दिया जाय तो हमारे जिले आर्थिक क्षेत्र में सेल्फ सफीशियेंट हो सकते हैं। बजाय खेती के अगर इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फायदा प्रदेश का होगा। कुछ दिन हुए केरल के मुख्य मंत्री से प्रेस वालों ने पूछा कि आप दिल्ली गये थे वहां से क्या लाये? उनका जवाब था कि मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आपके यहां सड़कें तो हैं नहीं इसलिये हम उद्योग नहीं दे सकते। जब वह कम्युनिकेशन मिनिस्टर के पास गये तो उन्होंने कहा कि बड़ा दुख है आपके यहां कोई इंडस्ट्रीज हैं नहीं इसलिये हम आपके यहां कोई सड़क नहीं दे सकते। अधिष्ठाता महोदय, यही दिक्कतें हमारे सामने हैं। हमारे यहां आलू और फलों का विकास किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। आलू, खुबानी, सेब हजारों मन होता है लेकिन उनके ट्रांस्पोर्ट की सुविधा न होने के कारण नहीं हो सकता। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है। यह निर्माण जंगलात विभाग और पी० डब्ल्यू डी० दोनों की ओर से हो सकता है। लेकिन वे इस ओर बिलकुल आंख बन्द किये हुए हैं।

कत्थे की फैक्टरियां पहाड़ में अच्छी तरह से चल सकती हैं। अगर सरकार कुछ अनुदान दे, कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे, और डेफर्ड पेमेंट्स में दे तो मैं समझता हूं कि यह उद्योग वहां बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।

अभी भाई रामस्वरूप वर्मा जी ने कुछ रेजिन के बारे में कहा। उसका जबाब जरूरी है क्योंकि उन्हें कुछ गलतफहमी है। रेजिन जो पहाड़ों में निकलता है वहां के मजदूर ही निकालते हैं। लेकिन ज्यादातर वह बरेली फैक्टरी में आता है। उस फैक्टरी के कुछ

[श्री सूरतचन्द रमोला]

शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ लोगों के पास। सरकार का इस फैक्टरी से यह ऐग्रीमेंट है कि वह इतने मन रेजिन देगी। साथ ही साथ में वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वहां जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं सरकार उन्हें पांच हजार मन रेजिन देती है और डेफर्ड पेमेंट में दिया करती है। इस प्रकार, इस प्रकार की फैक्टरीज को बढ़ावा दिया जाता है।

रेशम के उद्योग के लिये वहां पर कोई काम नहीं किया गया है। कुछ थोड़ा सा देहरादून में किया गया है, लेकिन पहाड़ में इसके लिये कुछ नहीं किया गया। इसके लिये अगर पहाड़ में, गैंजेज वैली में बढ़ावा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी फायदा होगा।

अन्त में एक विषय पर और सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पर जो सरकार की योजना तकावी वगैरह देने की है वह बहुत क्लिष्ट-सी है कि जिससे आम आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मुझे इसका पर्सनल एक्सपीरियेंस है। एक आदमी जिसकी पहले कुछ जमीन वगैरह थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जमीन बह गई, उसने सोचा कि कुछ ऊन के उद्योग का काम करें। तो उसने तकावी मांगी। ६०० रुपये का लोन उसे दे दिया गया। अब ६०० रुपये से तो कोई उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता। उसने दो एक छोटी-मोटी मशीनें मंगायीं और कुछ ऊन मंगाया। इसके बाद उसने फिर एप्लाई किया कि कुछ लोन और दे दिया जाय लेकिन उसका जवाब उसको यह मिला कि जब तक पहला लोन तुम वापस नहीं करोगे तब तक दूसरा लोन तुम्हें नहीं दिया जा सकता। तो मैं अर्ज करूं कि न उसकी वह इंडस्ट्री चली और न उस उद्योग में वहां कुछ प्रगति हो सकी। फिर मजबूर होकर उसने साहूकारों से २५ परसेंट पर कर्ज लिया। तो इस तरह तो इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसके ऊपर दे ताकि कोई भी आदमी अपनी इंडस्ट्री को ठीक ढंग से चला सके। नहीं तो इस प्रकार से रुपये का भी नुकसान होता है और वह आदमी भी घाटे में रहता है। इसलिये मैं यह अर्ज करूं कि हम जो कुछ भी इंडस्ट्री को बढ़ावा दें उसमें पूरा रुपया उनको दें ताकि वह उस रुपये से कुछ काम कर सकें और उसमें कुछ फायदा उस व्यक्ति या उस कोआपरेटिव सोसाइटी को भी हो। जैसे कि कोआपरेटिव सोसाइटी के रूप में कुछ रेजिन फैक्ट्रीज हैं या कुछ लेबर सोसाइटीज हैं तो मैं समझता हूं कि यदि इन सोसाइटीज को ठीक ढंग से बढ़ावा दिया गया क्योंकि वहां पर एक आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता, कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से ही कुछ काम हो सकता है, और बहुत कुछ किया जा सकता है तो यदि सरकार कुछ थोड़ी सी अपनी नीति को इस सिलसिले में बदले और उनको पूरा लोन देने की कोशिश करे तो इससे कुछ उद्योग वहां चल सकते हैं। धन्यवाद।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के जिलों में आबादी के बढ़ जाने से खेत की कमी पड़ गई है और इन जिलों में ज्यादातर किसान बसते हैं। ८०, ८५ प्रतिशत लोगों का जीवन खेती पर ही निर्भर रहता है। लेकिन खेत की कमी पड़ गई। इसलिये गांव-गांव में जिले-जिले में भुखमरी, गरीबी व्याप्त हो रही है। इसको दूर करने के लिये यह आवश्यकता है कि सरकार का ध्यान गांवों में छोटे छोटे गृह उद्योग शुरू करने की तरफ जाय जिससे कि अन्न-संकट दूर हो। देखने में आता है कि महात्मा गान्धी का यह कहना था कि गांवों में छोटे-छोटे गृह उद्योग जब तक नहीं खुल जायेंगे तब तक देश का उत्थान नहीं होगा, यहां तक कि चरखे को महात्मा गान्धी अपना एक अस्त्र समझा करते थे। यह चरखा गांवों में अगर चले तो यह हमारा संकट दूर हो सकता है और हमारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन सरकार को इस तरफ भी अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय में मेरा एक सुझाव है। यह जरूर है कि गांवों में कहीं-कहीं चरखे का प्रबन्ध हुआ है जहां लोग सूत कातते हैं, लेकिन यह सूत बड़े आदमी ही, जिसके पास पैसा होता है, जो रुई खरीद सकते हैं, वही

कात सकते हैं । गरीब आदमी न चरखा खरीद सकता है न रुई समय से पा सकता है और न सूत कात सकता है । तो मेरा एक सुझाव है कि यह चरखा उद्योग का काम गांवों में ग्राम सभापतियों को सौंप दिया जाय । देखने में यह आता है कि हर एक गांव सभा में कुछ न कुछ पैसा इकट्ठा होता है । वह पैसा गांव की संपत्ति होती है । तो सभापति ऐसा करें कि गांव सभा के पैसे से रुई इकट्ठी करके गांव के हर घरों में बंटवा दें और जब सूत तैयार हो जाय तो मजदूरी देकर वह सूत ले लें जिससे गांव के खजाना का जो पैसा है वह भी गांव में रहे और गरीबों को मजदूरी भी मिल जाया करे । मान्यवर, मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि उद्योग के मामले में सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि गत वर्ष हमने उद्योग पर विशेष जोर दिया था, लेकिन इस साल कृषि पर विशेष जोर देने जा रहा हूं । तो इसमें सरकार को अपनी नीति साफ करना होगा, मान्यवर ।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले के उद्योग-धन्धे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । गाजीपुर जिला वीरान-सा पड़ गया है । यहां पर कोई उद्योग-धन्धा नहीं है । हां, यह जरूर है कि अंग्रेजी राज्य में यहां केवड़े के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल से इत्र निकाला जाता था और गुलाब जल बनाया जाता था जो कि विदेशों को जाता था । यहां ढोंढागंधी का कारखाना उजड़ी हुए दशा में पड़ा है । ढोंढागंधी के कारखाने से बनाया हुआ इत्र यहां से लन्दन गया था जिस पर इनाम मिला था । गाजीपुर जिले में आस-पास सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन में चमेली, गुलाब और केवड़ा के बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई खरीदार नहीं है, इसलिये वह उजड़े पड़े हुए हैं । देखने में आता था कि उन बगीचों में जब फूल खिलते थे, किसानों को पैसे भी मिलते थे और वे बाल-बच्चों को लेकर नित्य प्रति फूल चुना करते थे जिससे उनकी रोजी चलती थी । मान्यवर, आपके द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर गाजीपुर जिले की हालत को सरकार सुधारना चाहती है तो गाजीपुर का पुराना रोजगार जो गुलाबजल और इत्र का है उस पर पुनः ध्यान देने की कृपा की जाय ।

मान्यवर, गाजीपुर जिले के विषय में मुझे एक बात और कहनी है । गाजीपुर जिला एक गरीब जिला है, लेकिन मैं गर्व के साथ यह भी कहूंगा कि सन् १९४२ के आन्दोलन में यह गाजीपुर जिला भी अन्य किसी से पीछे नहीं रहा । तो मैं कहूंगा कि गाजीपुर जिले के प्रति यह जो सरकार की उपेक्षा है यह उपेक्षा की नीति बरदाश्त के काबिल नहीं है ।

मान्यवर, गाजीपुर जिले में एक मिट्टी होती है जिसको रेह कहते हैं । तुलसीदास जी ने लिखा है "ऊसर बर्षहि तृण नहिं जामै", तो इस मिट्टी में घास तक नहीं उगती । अंग्रेज के जमाने में वहां के रहने वाले जो एक विशेष जाति के नाम से हैं "चौहान" या "लोनिया" कहे जाते हैं । यह इस रेह से सज्जी जमाया करते हैं जिससे चिमनी शीशा वगैरह बनता है । सज्जी उपले से बनाते थे । उपला वहां के ग्रामीणों का खास धंधा था । इसी से उनकी रोटी चलती थी । मैं सरकार का ध्यान इस रेह मिट्टी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कि गाजीपुर जिले की १/४ भाग में है । यह मिट्टी किसी काम नहीं आती सिवाय सज्जी जमाने के । अगर इस मिट्टी का उपयोग किया जाय तो गाजीपुर जिले की गरीबी कुछ हद तक दूर हो सकती है । तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जब इस रेह से शीशे और चिमनी वगैरह तैयार किया जाता है तो अगर वहां पर शीशे का कोई फैक्टरी खोल दी जाय तो विशेष कृपा होगी और वहां की जनता की गरीबी दूर हो सकेगी । मान्यवर, आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले में ऊख की खेती किसानों की आधी खेती कही जाती है । ऊख की खेती से ही किसान अपना सारा काम चलाते हैं । मसलन धोती, कुर्ता, शादी पढ़ाई और लिखाई, सारा काम ऊख की पैदावार से ही करते हैं, लेकिन ऊख की खेती को बढ़ाने के लिये गाजीपुर जिले में सरकार की तरफ से कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला । यह सुनने में पहले आया था कि गाजीपुर में मरदह ब्लाक में सहकारी चीनी मिल खुलेगी और उस इलाके में मिल के लिये कुछ रुपया भी इकट्ठा किया गया था, लेकिन मुझे पत्र द्वारा यह सूचित

[श्री यमुनासिंह]

किया गया कि वह मसला स्थगित कर दिया गया है, यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--मान्यवर, आज मुझे इस प्रस्तावित अनुदान का समर्थन करते हुये अपनी सरकार का ध्यान कुछ आवश्यक बातों की तरफ दिलाना है। मान्यवर, मैं तो उस पंछी की बोली में बोलना चाहती हूं जो दिन भर दाने की खोज में निकला हो और शाम को आधा पेट दाना मिला हो, रात में उसके बच्चे और वह खुद आधा पेट, खा सो गया हो इस आशा से कि नींद आ जायगी, लेकिन चिन्ता के मारे सो नहीं पाया, सुबह उठा तो अपने आपको और अधिक थका हुआ पाया या उसको उठने की हिम्मत नहीं रही। ऐसे पंछी मनुष्य रूप में इस प्रदेश में लाखों की तादाद में मौजूद हैं। उनकी बोली में अगर मुझ भर-पेटी-वाली से बोला जा सके तो उस बोली में मैं बोलना चाहती हूं।

निःसन्देह सरकार ने काम किया है जिसको बहुत सी पुस्तकों में पढ़ने से मालूम हो जायगा, लेकिन मुझे अपने इन विचारों को रखते हुये माननीय माल मंत्री महोदय के भाषण के, जो २४ तारीख को उन्होंने इसी सदन में दिया था, अन्तिम शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की तरक्की के लिये गांवों की तरक्की आवश्यक है। गांवों की तरक्की के लिये प्रत्येक एकड़ उपज बढ़ाने के अलावा साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे, चाहे कितना ही कम पैसा उनको रिटर्न में क्यों न मिले, अत्यन्त आवश्यक हैं। यह शब्द मेरे कान में आज भी गूंज रहे हैं। अब निश्चय यह करना है कि कौन से घरेलू उद्योग-धन्धे ऐसे हो सकते हैं जो कम लागत से चल सकें, रा मैटीरियल मौके पर मिल सके, उसके औजार भी वहां पर बन सकें, और खराब होने पर वहीं पर उनकी मरम्मत हो सके और सब से जरूरी चीज यह कि जो माल बनकर तैयार हो उसकी खपत भी वहीं पर अधिक से अधिक हो सके। पूज्य बापू इन सारी चीजों को अपने सामने रखते हुये जिन उद्योग-धन्धों की मिसाल हमारे सामने रखते थे उन सब को जीवन देने वाला चरखा बता गये हैं। उस चरखे को इसलिये हमने अपनाया कि इसके जरिये से हम निर्वाह कर सकते हैं। अम्बर चरखा भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी इसको ठीक ही समझा है जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के एम० पीज० में भाषण करते हुये कहा था कि हमारे यहां छोटा चरखा ही काम दे सकेगा, परन्तु गम्भीरतापूर्वक इस चरखे की कामयाबी के प्रति हमारा दिमाग साफ होना चाहिये। चरखा कम से कम मजदूरी देने वाला काम है। यह भुखमरी को रोकने का साधन है जो अकाल के समय में काम दे या लाखों कुटुम्ब में हमेशा के लिये कहतशाली की हालत में जो आधा पेट जीवन व्यतीत करते हैं, उनका सहारा हो सके। इसका अर्थ यह नहीं कि जो १।। या २ रुपया रोज कमाते हैं वे उसको छोड़कर इसका सहारा लें, हां, उसके पास भी जब खाली समय हो और काम उसको न मिल सके, उस खाली समय को काम में लाने के लिये इस कार्य को कर सकते हैं। मैंने इतनी बात इसलिये कही कि हमारे किसान के पास ऐसा खाली समय निश्चित रूप से बहुत है और भारत का बच्चा-बच्चा इस बात को जानता है कि ऐसा खाली समय हम सब के पास भी है।

खादी बोर्ड बहुत हद तक, इस में असफल रहा है। देखना यह है कि खादी बोर्ड की असफलता का कारण क्या है। खादी बोर्ड को केवल कमर्शियल दृष्टिकोण से काम करने की आदत पड़ गयी है और उस चक्कर से निकलना अब उन के लिये कठिन हो रहा है। इसलिये अपनी सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इसकी जांच करवा ली जाय कि खादी बोर्ड क्यों असफल हो रहा है। मेरा खयाल है कि सभी को मालूम होगा कि लगभग १,६०० आदमी इसी वर्ष खादी बोर्ड की तरफ से निकले हैं।

सामने के भाई ने अभी एक दूसरे उद्योग की बाबत बतलाया, गुड़ और खांडसारी का उद्योग । इस उद्योग में किसान नवम्बर से ले कर मार्च तक लगे रहते हैं और उस समय हमारा किसान खाली होता है, उसके बैल भी खाली होते हैं और उस खाली समय में यह गुड़ बनाया जाता है और उसी में खांडसारी तैयार की जाती है । मेरा खयाल है कि कपड़ा और शक्कर की मिलें अब और अधिक न लगायी जायं और इस तरह के कामों के लिये जितना पैसा और खर्च करना हो उसको रोक लिया जाय । बड़े कारखाने खोले जांय जो घरेलू उद्योग-धंधों के सहायक हों और ऐसी फैक्ट्री खोली जायं कि जो जगह-जगह पर बंट कर काम दे सकें । लेकिन यह जो दो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, जो लोगों को, किसानों को उनके खाली समय में काम दे सकती हैं, उनको अपरूट करने के लिये और दूसरी इंडस्ट्रीज न खोली जायं । जहां भी शुगर मिल खुलती है वहां के लोगों की हालत देखिये । आप देखेंगे कि किस तरह से उनमें बेकारी फैलती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो फैक्टरीज खुलती हैं यदि वे किसान के गन्ने को न खपा सकें तो किसान अपना गन्ना गुड़ और खांडसारी में लगा सकते हैं ।

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त खांडसारी की कीमत बाजार में एक रुपया सेर है । केन्द्रीय सरकार द्वारा जो इस पर टैक्स लगा है वह यदि शामिल कर दिया जाय तो उसकी कीमत १ रुपया २ आना सेर हो जाती है जब कि चीनी १५ आने सेर मिल सकती है । एक तरफ मशीनों पर यह खर्चा और दूसरी ओर इस इंडस्ट्री पर इस तरह का टैक्स, यह दोनों एक समय में कैसे एक साथ चल सकते हैं । मान्यवर, मेरी यह भी प्रार्थना है कि हम जो भी इंडस्ट्रीज खोलें वह बाहर की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर नहीं वरन् अपनी आंतरिक आवश्यकताओं का ध्यान रख कर खोलें, क्योंकि जिस फारेन एक्सचेंज के चक्कर में हम अपनी इन्डस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि वे देश अपनी आवश्यकतो की पूर्ति इस बीच के समय में कर लें और हमारा पैसा बर्बाद जाय या दूसरे (competitors) और बढ़िया labour saving devices निकाल लें । दूसरी बात प्रयोग की है । हम सबको, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या इस माननीय सदन के सदस्य हों, यह देखना चाहिये कि अपने घरों में कुटीर उद्योगों की उपज प्रयोग में लायी जाती है या नहीं । अगर उस माल की खपत नहीं होती है तो वह चीज नहीं चल सकेगी ।

एक बात मैं नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के लिये कहना चाहती हूं । वहां बिजली का प्रबन्ध जल्दी से जल्दी होना चाहिये । वहां पर काफी इंडस्ट्रीज खुल रही हैं ।

दूसरी तकलीफ वहां पानी की है । वहां केवल एक ही ट्यूबवैल है । दो साल से मैं लगातार कह रही हूं कि दो होने चाहिये, क्योंकि जब वह एक बार ट्यूबवैल खराब हो गया था तो १५ दिन तक लोग बिना पानी के तरस गये थे । इतनी भारी इंडस्ट्री का लास १५ दिन तक कैसे सहा जायगा ? इसलिये एक ट्यूबवेल वहां और होना चाहिये ।

एक बात प्रधान मंत्री की मुझे याद आ गई । उन्होंने लेजिस्लेटर्स की मीटिंग में कहा था कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन पर इंडस्ट्री खोली जाती है । लेकिन नैनी की रशियन फैक्ट्री के बारे में मुझे एक्सपर्ट्स की ओपीनियन खूब मालूम है । वह मेरा एरिया है । ऐसा था कि दो बार वह खोलनी वहां पर पास हुई और तीसरी बार फेल हो गई । मुझे मालूम हुआ कि तीसरी बार उसमें रशियन पोलीटीकल डिप्लोमेट्स आये थे । मैंने कहा कि ठीक है, पंडित जी की जन्मभूमि और उसका माहौल भला कहां उनको सूट करता था । एक दम सब चीजें रिजैक्ट हो गईं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि एक्सपर्ट्स की ओपीनियन को सोचते समय यह भी देख लिया जाय कि यह क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ।

इस विभाग के काम में इतनी ढोल-पोल है कि यहां के सेक्रेटरी या बड़े कर्मचारी अपने पत्र का उत्तर अपने माहतहतों से नहीं ले सकते । कहां यह आशा की जा सकती है कि हमारी

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

जनता जिनके लिये यह उद्योग खुल रहे हैं वह उत्तर पा जावेंगे ? इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाय । मेरा खुद का यह तजुर्बा है ।

यह न समझ लीजिये कि जो कुछ मैंने कहा है उसके अलावा बाकी कुछ अच्छा ही नहीं है । मैं फिर एक बार उपस्थित अनुदान का समर्थन करती हूं ।

*श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)----माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामस्वरूप जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने इस अनुदान में ५,५०,६२,४०० रुपये की मांग की है हम देखते हैं कि उद्योग विभाग के लिये जितना रुपया मांगा गया है उसके आधे से ज्यादा केवल नौकरों की तनख्वाहों पर खर्च होगा । होना यह चाहिये कि उद्योग के प्रोत्साहन के लिये मांगी हुई धनराशि में से अधिक भाग उद्योग के प्रोत्साहन में ही खर्च हो । हम लोगों को पुस्तिका मिली है "उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास" उसके पृष्ठ १८ पर लिखा है "विभाग के कार्यों की निरन्तर वृद्धि के साथ विभाग के अधीन कार्य करने वाले केन्द्रों और कार्यालयों की संख्या जिनके नियमित निरीक्षण की आवश्यकता होती है, आलोच्य वर्ष में बढ़कर ७०० हो गई " । ७०० कार्यालय और बढ़ गये हैं । नौकरशाही की वृद्धि निरन्तर होती जा रही है । इस तरह से बेरोजगारी खत्म करने का कार्य भले ही हो रहा हो, परन्तु उद्योगों के संबंध में कोई कार्य नहीं हो रहा है । कुछ दिन पहले, अंग्रेजी शासन में, एक कमेटी स्थापित हुई थी जिसका नाम काटेज इंडस्ट्रीज सब कमेटी था । उस कमेटी ने पृष्ठ ४ पर लिखा था कि

"It is interesting to note that the workers engaged in cottage intustries are 25 times more than those engaged in large-scale industries. The Committee is of the opinion that the problem of the province is not whether there should be smalls-cale or large-scale industries ; but the problem is to devise the best means of providing employment and occupation to the vast rural population which has to remain idle during the off-season of agriculture."

प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो कमेटी स्थापित की गई थी उसकी यह फाइन्डिन्ग थी कि ग्राम उद्योगों को और कृषि के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । लेकिन इस अनुदान में उसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । आधे से ज्यादा रुपया वेतनों में जायगा और काफी बड़ा हिस्सा कंटिजेन्सीज में खर्च होगा । थोड़ा सा रुपया उद्योगों के लिये बचता है । जब आप इंस्पेक्टर्स की गिनती करें तो आश्चर्य होगा कि जहां एक माला में केवल १०८ गुरियें होती हैं परन्तु इंस्पेक्टर्स की संख्या उससे कम नहीं होगी । सूत, गुड़, पंचायत, घूरा इंस्पेक्टर, और इसी तरह के इंस्पेक्टर हैं । अगर मंत्रीजी भट्ठा खोलना चाहते हैं तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां के लोग भट्ठा खोलने के लिये तैयार न हों । यदि कुटीर उद्योगों का विकास करना है तो आवश्यक है कि सरकार उनको प्रोत्साहन दे परन्तु यहां उलटा होता है । कहा जाता है कि सहकारी संस्थाओं को भट्ठा खोलने की आज्ञा दी जायगी और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन संस्थाओं को बनाने में कठिनाई है । तो फिर उन व्यक्तियों को क्यों नहीं इजाजत दी जाती है जो खोलना चाहते हैं।

एक बात छुरी-कांटे की है । वैसे तो मंत्रिगण भारतीयता का नारा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने छुरी कांटे बनाने के लिये कारखाने को रुपया दे रखा है । स्मृति-पत्र में लिखा है "वास्तविक आंकड़ों की प्रगति तथा कार्यकलापों में अनुमानित वृद्धि के आधार पर वाणिज्य क्रियाओं की व्यवस्था में, मिट्टी के बर्तन बनाने की योजना के अन्तर्गत ५०,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फल संरक्षण तथा उनको डिब्बों में रखने की योजना के अन्तर्गत ६०, और कटलरी योजना के अन्तर्गत १० की वृद्धि की गई है"। १०,००० रुपये अलग से छुरी-कांटे के लिये दिये गये हैं । केवल मंत्रिगण छुरी-कांटे से खाना जानते होंगे, हम लोग तो जानते भी नहीं । ऐसी चीज के लिये जो हमारे उपयोग में भी नहीं है, उसके लिये प्रावीजन विशेषरूप से कर दिया गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--विदेश को भेजकर उनसे फारेन एक्सचेंज कमाया जाता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--नहीं, वे मंत्रीजी की दावतों में काम में आते होंगे । मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, यही नहीं कि इसी प्रदेश की पूंजी को यहां लगाया गया हो, विदेशी पूंजी को भी यहां लगवाया गया है । उसका उदाहरण मैं पेश करता हूं ।

"दूसरी महत्वपूर्ण नवीन औद्योगिक इकाई लखनऊ में एवरैडी फ्लैश लाइट डब्बों के निर्माण के लिये स्थापित की गयी है जो एक आंग्ल भारतीय प्रयास है"।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में उनको कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिला ? यह विदेशी व्यापारी को क्यों दिया गया ? सहकारी संस्था के द्वारा इसको क्यों नहीं चलाया गया ? विदेशी पूंजी को प्रश्रय देने के विषय में जनसंघ की यह स्पष्ट नीति है कि अगर आप कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप उसमें अपने देश की पूंजी लगाने का प्रयास करें, सहकारिता के आधार पर आप उनको चलायें, थोड़ी सी पूंजी से पृथक्-पृथक् रूप में रुपया लगा कर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, विदेशी पूंजी को प्रश्रय न दें ।

अब मैं देशी औषधियों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जब मंत्रिगण या उच्च अधिकारी रुग्ण होते हैं तो वे देशी औषधियों पर विश्वास नहीं करते और देशी औषधियों के प्रयोग को निरुत्साहित करते हैं । हमारे देश की एक बहुत बड़ी रकम इसलिये खर्च की जाती है कि बाहर से टानिक्स या दवाइयां मंगानी पड़ती हैं । यदि हम देहाती क्षेत्र की ओर जरा भी ध्यान दें तो प्रचुर मात्रा में हमें प्राकृतिक रूप में औषधियां प्राप्त हो सकती हैं । इस प्रकार से बाहर जाने वाले रुपये को आप बचा सकेंगे और आयुर्वेदिक औषधियों को प्रोत्साहन दे सकेंगे । लेकिन इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आयुर्वेद की उन्नति के लिये और विदेशी पूंजी को कम करने के लिये आवश्यकता है कि आयुर्वेदिक औषधियों को प्रोत्साहित किया जाय । पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक ऐसी औषधियां उगती हैं। उनके लिये प्रयोगशालाएं सरकार को खोलनी चाहिये और इस मद में अधिक रुपया व्यय करना चाहिये ।

देहात में छोटे-छोटे कामों को खोला जाना चाहिये । मूढ़ा बनाने के कारखाने खोले जाने चाहिये । जब से सीमेंट की फैक्ट्रियां खुली है तब से चूना इंडस्ट्री गांवों की खत्म हो गयी है । अनेक गांव ऐसे है जहां पर कंकड़ पाया जाता है । उससे गांव के लोग चूना बनाकर और उसको पीस कर बाहर भेजते थे । लेकिन उनका यह कारबार समाप्त हो रहा है । इसके लिये सरकार को कोई प्रयत्न करना चाहिये । मंत्री जी चूने के उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना बनायें ।

इनके अतिरिक्त एक दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आपने जितने भी यह विभाग बना रखे हैं इन सब समाप्त कर दिया जाय । साढ़े चार करोड़ रुपया उनकी तनख्वाहों का बच जायगा । एक आपका डायरेक्टर है और उसके नीचे ज्वाइन्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडीशनल डायरेक्टर न जाने कितने हैं । इन सब को समाप्त करके केवल एक डायरेक्टर रखा जाय। तहसीलों में उस रुपये को भेज दिया जाय । डिप्टी

[श्री राजेन्द्र सिंह]

कमिश्नर के मातहत उसको रख दिया जाय और वहां से छोटे-छोटे उद्योग धंधों को यह रुपया कर्ज दिया जाय। किसी को ३० हजार रुपये से अधिक कर्जा न दिया जाय। तभी काटेज इंडस्ट्रीज की उन्नति हो सकेगी। टरपेन्टाइन बनाने का कारखाना बरेली में है, वह पहाड़ी क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना चाहिये। जहां पर कच्चा माल मिलता है वहीं पर उसका कारखाना भी होना चाहिये। इसलिये वह अल्मोड़ा या नैनीताल में खोला जाना चाहिये। विदेशी माल पर रोक लगायी जानी चाहिये, विलासिता के सामान पर रोक लगायी जानी चाहिये, तभी हम उद्योग-धंधों को आगे बढ़ा सकेंगे।

खांडसारी पर केन्द्रीय सरकार की ओर टैक्स लगा दिया गया है आज के पेपर में आया है। मैं माननीय मंत्रीगण से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मेम्बरों ने इसका विरोध किया है सरकार भी उनसे अपना विरोध प्रदर्शित करे। यदि आप ग्राम उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं तो खांडसारी पर लगा टैक्स तुरन्त ही समाप्त किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मिल मालिकों को अधिक रुपया कमाने का मौका मिलेगा और देहात के गरीब किसान और भी गरीब हो जायेंगे। जो लोग गुड़ बना लेते हैं उनको भी इससे परेशानी होगी। अधिष्ठाता महोदय, यदि माननीय मंत्री जी उन स्थानों पर जहां मिलें नहीं हैं और गन्ना उत्पन्न किया जाता है, वहां मिलें नहीं खोल सकते हैं तो उनको चाहिये कि वहां पर खांडसारी उद्योग को प्रोत्साहन दें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, यह बजट जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको बतलाया कि इस उद्योग के विषय में जब हम सोचें तो हमें खासतौर से इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रोजगार इसके साथ सम्बन्धित हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी रोशनी में हमको इस पर सोचना होगा। यह भी उन्होंने कहा और स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर था और अब की बार उद्योग पर बहुत जोर दिया गया है और बेरोजगारी दूर करने पर भी बहुत जोर है। परन्तु जब हम बजट को देखते हैं तो मालूम होता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष इंडस्ट्रीज के बजट में ७,११,००० रुपये की कमी दिखलायी गयी है। यही कमी नहीं दिखलायी गयी है बल्कि आप यदि बजट को आगे देखें तो मालूम होगा कि ९,४०,००० रुपये और भी कम हो जाता है जो खादी कमीशन से मिला है, जिसको खर्चे में दिखलाया गया है, लेकिन आय में इस अनुदान में नहीं दिखलाया गया है। तो यह चीज समझ में नहीं आयी कि फिर किस प्रकार से रोजगार को आगे बढ़ाया जायगा और कैसे बेरोजगारी को कम किया जायगा।

बेरोजगारी का जहां तक सम्बन्ध है यह स्पष्ट था कि यह लक्ष्य गृह उद्योगों के प्रोत्साहन से पूरा हो सकता है। अगर देखा जाय तो जितने आदमी को दूसरी योजना में जाब्स देने का विचार था उतना पूरा नहीं कर सके हैं। दूसरी योजना में ९६ लाख जाब्स का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जब रिवाइज किया गया तो उसे ६५ लाख ही कर दिया गया और ढाई वर्ष में २५ लाख भी पूरा नहीं हो सका है। तीसरी योजना अभी बनी नहीं अतः कुछ कहा नहीं जा सकता परन्तु जहां तक पत्रों से पता लगता है तीसरी योजना में सारे हिन्दुस्तान में डेढ़ करोड़ जाब्स देने की बात है जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में करीब-करीब ३० लाख आया। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से इस तरह से गृह उद्योगों की अवहेलना करके ३० लाख जाब्स को पूरा किया जा सकेगा। जहां तक गृह उद्योगों की अवहेलना का सम्बन्ध है, हमको देखना यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कामों के लिये जो बजट रखा जाय उसमें कोई कमी न हो। आप बजट को उठा कर देखें तो हर उद्योग में किसी में १० हजार, किसी में ५ हजार और किसी में २ हजार की कमी ही दिखलायी गयी है। खासतौर से १०० खादी केन्द्र सरकार की तरफ से चल रहे थे जिनको सरकार ने गांधी आश्रम को ट्रांस्फर कर दिया। होना तो यह चाहिये था कि

यदि सरकार ने उन केन्द्रों को गांधी आश्रम को ट्रांसफर कर दिया तो ठीक ही किया, लेकिन १०० केन्द्र वह अपने यहां और खोलती, ताकि खादी उद्योग की अपने यहां और तरक्की हो सके लेकिन सरकार की तरफ से यह नहीं किया गया। ९,४०,००० जो खादी कमीशन से आपको मिला तो आपने अपनी सहायता बन्द कर दी। होना यह चाहिये था कि यह सहायता और बढ़ाई जाती।

दूसरी बात यह कि गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में इसी सदन में माननीय देवकी नन्दन विभव जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट रूप से था कि गृह उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर कोई बिक्री कर न लिया जाय परन्तु उन वस्तुओं पर आज तक बिक्री-कर लिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि उल्टा यह किया जा रहा है कि कुछ गृह उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर और लिया जायगा। एक उदाहरण मैं बतला दूं कि मुरादाबाद में बर्तन की इंडस्ट्रीज है जिस पर बिक्री-कर लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि पीतल से जब बर्तन बनाया जाता है तो उसके पहले भी एक प्रोसेज होता है तब जाकर बर्तन तैयार होता है। पहले प्रोसेज में वह बर्तन तो होता है पर बिकने योग्य नहीं होता उसको तैयार करके बेचा जाता है परन्तु वहां उन्होंने बिक्री-कर लगा दिया। मिसाल के तौर पर बतलाऊं कोई सूत कातने वाली गरीब बुढ़िया है वह सेर भर रुई लाती है और कातकर सूत बेचती है। सूत काम में तो नहीं आता कपड़ा बनकर मिलता है। तो वहां सूत के बेचने को बिक्री समझ कर बिक्री-कर लगा दिया। उसका रिप्रेजेन्टेशन किया गया है मैं आशा करता हूं माननीय उद्योग मंत्री जी उस पर सोचेंगे सहानुभूतिपूर्वक। ऐसी बहुत सी चीजें है जिनमें बान है जो हमारे जिले में बहुत काफी बनता है और बिल्कुल गृह उद्योग है, मशीन का कहीं नाम नहीं उसमें, परन्तु उस पर भी बिक्री-कर लिया जाता है।

दो, तीन खास बातें और हैं। एक जो अभी माननीय राजेन्द्र जी ने कही वह खंडसारी उद्योग की हैं। मैं जानता हूं उसका प्रदेश की सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है वह टैक्स केन्द्रीय सरकार का लगाया हुआ है। मगर अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि खंडसारी उद्योग हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा उद्योग है। मैं जहां तक जान पाया हूं दूसरे प्रदेशों में या तो यह उद्योग है नहीं और होगा भी तो थोड़ा-बहुत ही होगा। लेकिन हमारे प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में इस रोजगार में लोग लगे हुए हैं उस पर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया है कि वह करीब-करीब नष्ट प्राय हो जायगा। अच्छा हो यदि माननीय उद्योग मंत्री इस विषय में केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखें।

अभी परसों एक किताब वितरित हुई, मैं उसके लिये उद्योग विभाग को बधाई देता हूं। मैं तो कहने वाला था कि ऐसी पुस्तकें छपें। इसमें १० चीजें उन्होंने लिखी हैं और उनके साथ यह भी लिखा है कि इस पर इतना व्यय होगा और इसका सामान वहां मिलेगा, इतनी उत्पत्ति होगी और इतनी आय होगी। इस किताब का वास्तविक उपयोग तब होगा जब कोई योजना बनाकर उद्योग में सहायता दें। यह सहायता हम तीन प्रकार से देते हैं प्रशिक्षण, अनुदान तथा सहायता। यदि हम (योजना बनाकर) यह कहें तो यह पुस्तकें हमने छापी है, आज १० उद्योगों की है कल ५० की छपें। यह भी देखें, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह देखना होगा कि छोटे उद्योगों में किनको सहायता दी जाय। अगर हमारे प्राविधिक विशेषज्ञ इस परिणाम पर पहुंचे कि अमुक उद्योग को सहायता देना व्यर्थ है, लाभ नहीं होगा तो सहायता नहीं देनी चाहिये। जब उन्होंने यह देख लिया, और प्रशिक्षण दिया तो यह भी देखें कि जो युवक वहां से शिक्षा पाकर गये हैं उनको सहायता दें और उनको रोजगार में लगा दें और उनसे एक स्थायी सम्पर्क रखें। जो हमारे जिले के इंडस्ट्रीज अफसर हैं वह देखें कि वह उस उद्योग को चला रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है हमारी इन संस्थाओं में जो नौजवान जाते हैं वे नौकरी की तलाश में रहते हैं और प्रशिक्षण बेकार हो जाता है। अगर हम यह समझें कि किसी उद्योग में दो वर्ष नुकसान होगा तो दो वर्ष तक उन्हें सहायता दे सकते हैं और अगर वह उद्योग अच्छी तरह से

[श्री जगदीशप्रसाद]

चलने लगे तो फिर उनसे तकावी की शकल में वसूल होना शुरू हो जाय। ऐसी योजना पर सोचा जा सकता है। इसी समय एक बात और कहनी है कि कृषि के साथ भी हमें कुछ सह-उद्योगों को देखना होगा। कृषि प्रदेश का मुख्य उद्योग है, लेकिन केवल कृषि से कोई किसान अच्छी हालत में नहीं हो सकता जब तक कि बड़ा किसान न हो। तो इस बात की भी आवश्यकता है कि किसानों का कोई सह-उद्योग हो। हमारे प्राविधिक विशेषज्ञों को सोचना चाहिये कि किस इलाके में कृषि के साथ कौन-सा सह-उद्योग दे सकते हैं, वह थोड़े समय का हो, ज्यादा समय का हो, बरसात में कितना समय दिया जाय दूसरे मौसम में कितना हो जिससे किसान की आय में वृद्धि हो सके।

अधिष्ठाता महोदय, इसी समय २, ३ चीजें मैं और कहना चाहता हूं। एक बैरक ब्लैंक्ट योजना है उसके अन्तर्गत ४०,००० रुपया रखा गया है बजट में। योजना बड़ी अच्छी है। पिछले साल ५२,००० कम्बल आपने तैयार किये। इस साल भी करीब ५०,००० कम्बलों का लक्ष्य है। एक तरफ तो आप बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं तो लघु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों कर रहे हैं? यह क्या आवश्यकता है कि इन कम्बलों को बनवाने के लिये अलग से कारखाना, अलग से उसकी व्यवस्था की जाय। आप गांधी आश्रम को दें, या जहां कम्बल बनते हैं, जिन जिलों का इसमें जिक्र है, उन्हीं से आप बनवायें और उन्हीं को आप सहायता दें। यह जो ४०,००० रुपया रखा गया है जो आप इस योजना पर खर्च करते हैं वह मेरी समझ से सिवाय इसके कि आप अफसर रख लें, एस्टेब्लिशमेंट रखें, और कुछ नहीं। जिन जगहों का इसमें जिक्र है मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, वहां पर कम्बल बन सकते हैं। केवल आपकी सहायता से बन सकते हैं। आपको कारखाना खोलने या डिपार्टमेंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। सारनाथ, अमौसी हवाई अड्डे और मसूरी में सरकार हैण्डी-क्राफ्ट के प्रदर्शन कक्ष खोलने जा रही है। इसका उपयोग क्या होता है? सिवाय इसके कि कुछ कर्मचारी और बढ़ जायेंगे, उनके कार्यालय होंगे, फर्नीचर होगा और टेलीफोन होगा। इससे बहुत बड़ा उपयोग नहीं होगा। इससे जिन उद्योगों को आप समझते हैं फायदा होगा, उनको आप सहायता देकर प्रोत्साहन दें।

औद्योगिक बिजली की जो ड्यूटी हटा दी है वह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इससे प्रोत्साहन मिलेगा। लोहे के बारे में मंत्री जी ने जो कहा था उससे संतोष होता है कि मशीनरी के बारे में अब भविष्य अच्छा है। अधिष्ठाता महोदय, मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि कानपुर में एक लेदर वर्किंग स्कूल है। अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उसके आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि जितना रुपया आप खर्च करते हैं उतनी उपयोगिता उसकी नहीं होती। बहुत छोटी-सी तादाद में लड़के निकलते हैं जबकि इतनी बड़ी रकम खर्च होती है। वह सब क्या करते हैं? वह सब इस फिक्र में रहते है कि कहीं न कहीं नौकरी मिले। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसको देखें। अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें।

श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामस्वरूप वर्मा का जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और जो भाषण दिया उससे मुझे निराशा पैदा हुई, और सबसे बड़ी निराशा उस वक्त हुई जब कि उन्होंने बड़े-बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण न कर सकने की दलील दी। इससे पहले भी माननीय हुकुमसिंह जी जब उद्योग मंत्री थे उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीयकरण हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जितनी भी मिलें हैं, पुरानी हैं। उनका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा, मुआवजा दिया जायेगा तो उससे स्टेट को फायदा नहीं होगा। इसके बाद माननीय गुप्ता जी जब उद्योग-मंत्री हुये, तो उन्होंने भी राष्ट्रीयकरण न करने के प्रश्न पर कहा कि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार का है, प्रदेशीय सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर सकती है। आज माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाया

कि राष्ट्रीयकरण इसलिये नहीं कर सकते कि उनमें क्षमता इतनी नहीं है और आदमी भी नहीं हैं। यह जितनी भी बातें हैं वह सब निर्मूल हैं, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीयकरण से सिर्फ मजदूरों को ही अच्छी रोजी नहीं मिलेगी बल्कि इसके साथ-साथ जो उपभोक्ता लोग हैं उनको सस्ता सामान भी मिलेगा। समाजवादी उसूल जो सरकार मानती है और कहती है कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि यदि और अधिक सूत कताई और बुनाई वाले मिल के कारखाने खोले गये तो इस बात में संदेह नहीं कि उनके द्वारा उत्पादित कपड़ा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा कर देगा और इन कारखानों के सरकारी नियंत्रण में आ जाने पर यह भी संभावना है कि जनता को उचित मूल्य पर सस्ता कपड़ा मिल सकेगा और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को यथोचित वेतन मिल सकेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मिलों का राष्ट्रीयकरण होना निहायत ही जरूरी है और इस दिशा में सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए और यदि सरकार इस दिशा में कदम न उठाया तो यह बेरोजगारी की जो समस्या है वह हल नहीं की जा सकती। इस लिए मिलों का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही जाती है। कोआपरेटिव कृषि को लेकर विरोधी लोग जनता में इस बात का प्रचार करते हैं कि गांव में तो जमीन की सीलिंग की जा रही है और सरकार वहां कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहती है, लेकिन शहर के रहने वाले लोगों की इनकम की कोई भी सीलिंग नहीं की जाती है और जितनी बड़ी मिलें हैं उनका कोई राष्ट्रीयकरण सरकार नहीं कर रही है, इसलिए गांव की जनता को सरकार गरीब बनाना चाहती है, यह तथ्य प्रतिक्रियावादी लोग कोआपरेटिव फार्मिंग के खिलाफ देते हैं। तो सरकार अगर समाजवादी समाज की रचना करना चाहती है, उपभोक्ताओं को सस्ता माल देना चाहती है और मजदूरोंका स्टैन्डर्ड ऊंचा करना चाहती है तो मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उसके द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाय।

इसके साथ-साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार की ग्रांट ऐंड लोन की जो कमेटी है उसके द्वारा जो ग्रांट और लोन दिया जा रहा है वह बड़े-बड़े लोगों को ही मिलता है। बड़ी बड़ी फर्म और पूंजीपति उससे पैसा पाते हैं और फायदा उठाते हैं। कई फर्म्स के लोगों ने मुझसे बराबर शिकायतें कीं कि हमको इसलिए पैसा नहीं मिलता है कि हम विरोधी खयालात रखने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं यह मांग करूंगा कि लोन ऐंड ग्रांट्स कमेटी में विरोधी पक्ष के लोगों को भी लिया जाय। अभी तक जो सदस्य हैं वह ट्रेजरी बेंचेज के हैं। विरोधी पक्ष का भी उसमें सहयोग होना चाहिए, उनकी भी वायस होनी चाहिए और उनका सम्मिश्रण होना चाहिए। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है हमारी सरकार इस बात पर संतोष कर लेती है कि उसने चुर्क में सीमेंट फैक्टरी शुरू कर दी और लखनऊ में छोटे-छोटे औजार बनाने का कारखाना खोल दिया, लेकिन इससे ही संतोष नहीं करना है बल्कि स्टेट के पैमाने पर और बड़े-बड़े उद्योग-धंधे खुलने चाहिए और उनको सरकार अपने हाथ में ले। जहां तक चुर्क सीमेंट फैक्टरी का ताल्लुक है, मैंने वहां पर देखा है कि सरकार कहती है कि हमने क्वार्टर बना दिये हैं लेकिन बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके पास क्वार्टर नहीं है। क्वार्टरों में ए, बी, सी, डी--४ किस्म के क्वार्टर्स बनाये गये हैं। जहां तक मानव की आवश्यकताओं का ताल्लुक है हर एक के रहने के लिए गुसलखाना और पाखाना यही आवश्यक है। फिर गजटेड आफिसर और बड़े-बड़े अफसरों के लिए तो स्पेशल टाइप के क्वार्टर बनाये जायं और जो निम्न-कोटि के मजदूर जो कि छोटी तनख्वाह पाते हैं उनके लिए बहुत ही रेचेड किस्म के बनाये जायं, इस प्रकार से वर्गीकरण करके सरकार कैसे कह सकती है कि वह वर्गहीन समाज की रचना करना चाहती है। इस वर्गीकरण को मिटाना चाहिए। सीमेंट की जो भस

[श्री गजेन्द्र सिंह]

उठती है उससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उनके लिए मिठाई की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल अलावेंस होना चाहिए, क्योंकि भसमें रहने से उनकी उम्र कम हो जाने और जल्दी बीमार हो जाने की सम्भावना रहती है।

पिछले दिनों में उद्योग की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रामपुर में जो स्टेट का रुपया लगा हुआ है जो कि पूरी तरह से फंस गया है उसके लिए एक सब-कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उस समय के संचालक महोदय ने उसको जांच के लिए जाने नहीं दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है, प्रावीजन नहीं है। तब यह कहा गया था कि वह स्वयं एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे कि किस प्रकार वह रुपया जो गवर्नमेंट का लगा हुआ है वह निकल सके। जो रिपोर्ट उस सम्बन्ध में पढ़ने को मिली है वह बहुत नाकाफी है, उसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाय कि कितना रुपया है, क्यों फैक्टरियां काम नहीं करती हैं, कौन-कौन-सी पासिबिलिटीज मुहइया की जा सकती हैं जिससे वह ठीक ढंग से चलें और गवर्नमेंट का रुपया रिटर्न हो सके। तो इसकी विशिष्ट रिपोर्ट आनी चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खादी कताई केन्द्र करीब १०० की तादाद में तोड़ दिये गये हैं और दलील इसके लिये यह दी गयी है कि मितव्ययता की दृष्टि से तोड़े गये हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को पनपा रहे हैं और दूसरी तरफ यह हो रहा है। हमारे गांव में ही एक खादी कताई केन्द्र था उसको तोड़ दिया गया है। वहां १८, २० जो पास के गांव थे उनके छोटे-छोटे बच्चे, बूढ़े, अपाहिज और स्त्रियां सूत कातते थे और १० आना, ८ आना और ६ आना रोज पैदा कर लेते थे। तो इसी तरह से १०० केन्द्र तोड़ दिये गये। इन इंडस्ट्रीज को तोड़ कर ठप किया जाता है और कहा जाता है कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। कहा यह गया कि हम अम्बर चरखा परिश्रमालय खोलेंगे, लेकिन न तो वह परिश्रमालय ही खोला गया और न जो केन्द्र पहले थे उनको चालू किया गया, जहां लोग अर्न कर लिया करते थे। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर अम्बर चरखा परिश्रमालय नहीं खोले गये हैं तो फिर दूसरे परिश्रमालय खोले जायं या फिर इन्हीं केन्द्रों को जारी रखा जाय।

गवर्नमेंट हैंडलूम स्टोर्स में काम करने वाले वीवर्स हैं वे जब अपना काम बनाकर हैंडलूम स्टोर्स में ले जाते हैं तो उनका चेक बनाने के लिये कानपुर में दिया जाता है और ढाई-ढाई, तीन-तीन महीने के बाद उनको रुपया मिलता है। गरीब वीवर्स, सुबह से शाम तक काम करते हैं और दो-दो, तीन-तीन महीने के बाद रुपया मिलने से उनके लिये एक समस्या पैदा हो जाती है। इसलिये उनका रुपया शीघ्र मिल सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये मैं उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ भाषणों के सुनने के बाद मन में उत्साह पैदा हुआ और साथ ही इन पुस्तिकाओं को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश कुछ उद्योगों की तरफ जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लघु उद्योगों, वृहत् उद्योगों और कुटीर उद्योगों के आधार पर ही हम उन्नति के पथ पर बढ़ सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जितनी बड़ी योजनायें हमारे सामने आती हैं उनके अन्दर हम पूर्णतया सफल नहीं हो पाते हैं उसके कुछ कारण हैं। जैसा कि कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा इसलिये मिल जाता है कि हमारी देखभाल में कोई कमी आ जाती है। वही चीज आज उद्योगों के साथ हो रही है। वास्तव में योजनायें बहुत हैं। रुपया काफी लगता है परन्तु उसका उपयोग जो इन उद्योगों में होना चाहिये वह नहीं होता। उदाहरण के लिये आपका ध्यान मैं कुछ इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरे के अन्दर तीन-चार घरेलू उद्योगों के केन्द्र हैं जो कि वहां सैकड़ों वर्षों से चले आते थे और यदि उनको प्रोत्साहन ठीक ढंग से मिलता तो वह उद्योग आज भी जिन्दा रहते और उनकी दिन ब दिन तरक्की होती जाती। परन्तु खेद की बात है कि उनकी तरक्की के बजाय उनकी दुर्गति और अवनति होती जा रही है। आज आगरे जैसे शहर में जो यू० पी० के कवाल टाउन्स में से एक है वह भी उद्योगों के मामले में बहुत कुछ पिछड़ा हुआ है। वहां कुछ ऐसे उद्योग थे जिनको कि यदि प्रोत्साहन मिले तो आगरे को ही नहीं विदेशों से जो पूंजी आती हैं उसमें भी यू० पी० और अन्ततोगत्वा हमारे देश को भी बड़ी भारी पूंजी प्राप्त होती, परन्तु उन उद्योगों को बढ़ावा न दे करके आज उनको घटाया जा रहा है और इससे हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश को बड़ी हानि हो रही है। उदाहरण के लिये जूते का उद्योग है। यह उद्योग वहां सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। विदेशों के लोग आज नहीं १०, २० वर्ष पहले भी जब उसको देखते थे तो उसको पसन्द किया करते थे। आज भी आगरे का यह सौभाग्य है कि बाटा कम्पनी जो है वह आगरे के जूते को खरीदती है। फ्लेक्स तो अपने जूते आगरे में बनवाती ही है, लेकिन बाटा बनवाती नहीं है परन्तु वहां की फैक्टरीज से आज भी वह जूता खरीदती है।

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

उसके कारीगरों ने किसी स्कूल में ट्रेनिंग पायी नहीं है, परन्तु वे बाटा जैसी कम्पनी को जिसके जूते ४०-४० और ५०-५० रुपये के बिकते हैं माल सप्लाई कर रहे हैं। कारण यह है कि वर्षों से कार्य करते रहने के कारण वे यह जानते हैं कि किस प्रकार की चीज बनायें। वहां हमने पायलट प्रोजेक्ट स्कीम बना कर हजारों रुपये खर्च किये हैं लेकिन वह केवल इसीलिये है कि कुछ व्यक्ति विशेष को या कुछ नौकरी पाने वालों को हम प्रशिक्षण देते हैं जिनका उद्देश्य काम करने का नहीं है बल्कि जिनका एकमात्र यही ध्येय होता है कि इससे निकलने के बाद उनको कहीं न कहीं कोई जगह मिल सके जिससे वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। उनका यह ध्येय कभी नहीं होता कि इस उद्योग की कुछ तरक्की करें।

इसके अलावा जो इस प्रकार के और छोटे-छोटे उद्योग हैं, जैसे जरी और दरी का काम या बर्तन बनाने का काम उनके सामने कच्चे माल की समस्या बड़ी कठिन है। उदाहरण के लिये मैं बर्तन बनाने का काम लेता हूं। बर्तन बनाने के लिये तांबे को कंट्रोल से दिये जाने की बात हमारे सामने है। जब कंट्रोल से तांबा देने की बात आयी तो वह पूंजीपति जो वास्तव में माल बेचते हैं, बनाते नहीं उनको मिल गया क्योंकि वे अपना रेकार्ड दिखला सके कि हम इतने दिनों से यह काम करते आ रहे हैं और हमारा इतना कन्जम्शन है। जहां कहीं भी कंट्रोल से रामैटीरियल मिलने की बात होती है तो यही देखा जाता है कि कितने वर्षों से आप यह उद्योग कर रहे हैं, कितनी खपत है। वास्तव में जो मजदूर है, जो काम करने वाला है वह कोई पढ़ा-लिखा तो होता नहीं है और न उसके पास कोई रजिस्टर होता है इसलिये वह यह सब दिखला नहीं सकता। यह तो पढ़े-लिखे लोग ही दिखला सकते हैं जो उन काम करने वालों से कच्चे माल के बदले बनी बनायी, निर्मित चीजें लेते हैं, यानी जो केवल दुकानदारी करते हैं, बनाते नहीं हैं। यही हालत चमड़े से संबंधित कच्चे माल की है। उसके इम्पोर्ट का लायसेन्स उन्हीं को मिलता है जो वास्तव में बनाते कभी नहीं हैं बल्कि बना-बनाया माल बेचते हैं। अधिकारियों से मैंने इसके बारे में कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनसे हम भी बाध्य होते हैं और सेन्टर उन नियमों के आधार पर ही कच्चा माल देने को तैयार है। परन्तु उन्होंने यह आश्वासन भी दिलाया था कि हम कोशिश कर रहे हैं उन नियमों में परिवर्तन हो जिससे माल तैयार करने वाले को ही कच्चा माल मिले। मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी के साथ जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वे एक यंग आदमी हैं और उनके अन्दर उत्साह भी है। उनको यह देखना चाहिये कि यदि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ तो

[श्री छत्रपति अम्बेश]

जो असल में काम करने वाले हैं वे हट जायेंगे और ऐसे लोग सामने आ जायेंगे जिनका काम केवल जीविकोपार्जन ही है। इसके अलावा इस संबंध में एक और दिक्कत सेल्स टैक्स की है। आगरे के बहुत से कारखाने इस वजह से बन्द हो गये क्योंकि वे सेल्स टैक्स का एकाउन्ट देने में असमर्थ रहे। आमतौर से ये लोग कोई एकाउन्ट नहीं रख पाते हैं। इसलिये सेल्स टैक्स की बात जब आती है तो बड़ी कठिनाई होती है।

यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट के बारे में एक बात कहूंगा। यह निर्विवाद सत्य है कि यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट कुछ ऐसी चीजें ज्यादा बनाता है जो वास्तव में मजदूरों के काम की चीजें नहीं हैं, जो बड़े आदमियों की चीजें हैं, जो आवश्यकता की चीजें नहीं है, वह सजावट की चीजें हैं, वह ऐश की चीजें है, और हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये कि ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाय जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यदि इन चीजों का बाहर निर्यात होता है तो हम इतनी तादाद में बनायें जिससे उनको बाहर भेज सकें, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में न बनायें कि वह बेकार पड़ी रहें और उनकी बिक्री न हो सके और शो रूम में एक तमाशा बन कर रखी रहें। कहने को तो हम बहुत-सा रुपया इंडस्ट्रीज पर खर्च करते हैं, लेकिन हम ऐसी स्कीमों पर खर्च कर देते हैं जिससे जनता का भला नहीं होता है। वास्तव में जो रुपया हम लघु उद्योगों के लिये खर्च करते हैं उससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों का ही फायदा हो सकता है, जनता जनार्दन का फायदा नहीं हो पाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आज निर्विवाद है कि हमारे प्रदेश के विकास के लिये कृषि और उद्योग दोनों के समान रूप से विकास और उन्नति की नितान्त आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि आज हमारे सरकार की नीति जो उद्योगों के संबंध में है आया उससे हमारे प्रदेश के उद्योगों का विकास होगा और उस विकास से जनता का लाभ होगा अथवा नहीं ? पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इस महत्व को समझती है कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास अधिक से अधिक होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, यदि हम राज्य सरकार की पिछले वर्षों की नीति को देखें तो हमारे प्रदेश की सरकार की और मुख्य मंत्री की स्पष्ट घोषणायें जो सदन में हुई हैं कि हमारे प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास को बराबर ध्यान देना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम देखते हैं कि सरकार सार्वजनिक क्षत्रों की अपेक्षाकृत निजी उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन देती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रीमन्, औद्योगिक विकास के लिये करीब २३ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमें से आधा रुपया प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अनुदान के रूप में, कर्ज के रूप में दे दिया गया। हमारे प्रदेश की सरकार की औद्योगिक नीति बड़े-बड़े पूंजीपतियों के चंगुल में फंसी हुई है। हमारे प्रदेश में पब्लिक सैक्टर की दो ही फैक्टरीज हैं। एक तो चुर्क सीमेंट फैक्टरी और दूसरी गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ। किसी चीज का महत्व इसलिये नहीं होता है कि उस पर कितना रुपया खर्च होता है बल्कि महत्व इस बात का है कि सरकार जिस उद्योग को चला रही है उसका प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज निश्चित रूप से औद्योगिक व्यवस्था में रोजगार का तथा व्यवसाय का महत्व है। जैसे कपड़े का उद्योग, चीनी का उद्योग तथा बिजली का उद्योग आदि। आज इनके ऊपर किसका कब्जा है ? इसको हम देखें तो पता चलेगा कि चीनी का उद्योग आज निजी उद्योगों के क्षेत्र में हैं, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है और इसमें बड़ी भारी लूट मची हुई है।

आज हमारे प्रदेश में कपड़े का उद्योग बड़े संकट में पड़ा हुआ है। कई मिलें बन्द हैं और लगभग ५ हजार मजदूर केवल कानपुर में बेकार हैं। लाखों रुपया मिल मालिक खाये पड़े हैं। सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह मिल वालों से तनख्वाह दिलाये। सरकार की राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत नहीं होती है। एक कानपुर की मिल लेने का इरादा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। कपड़ा उद्योग की हालत यह है कि १९५३

में कपड़े का औसत २९,५९९ गज थी लेकिन अब घटकर २२,४६९ गज ही रह गई है। इतना हो जाय और सरकार चुप बैठी रहे और एक तमाशे की हालत में स्थिति को देखे जब कि यह बड़ी नाजुक और खतरनाक हालत है। इसलिये मैं माननीय उद्योग मंत्री से कहूंगा कि वह इस तरफ कदम बढ़ाएं और कपड़े के उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। उनको इसकी घोषणा करनी चाहिये और जो भविष्य में कपड़े की मिलें खुलें वह या तो सरकार के हाथ में होंगी या कोआपरेटिव समितियों के हाथ में होंगी।

दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वह चीनी उद्योग है। आज चीनी मिलें बढ़ रही हैं। इसलिये बढ़ रही हैं, क्योंकि एक लम्बी मुनाफे की रकम कमाते हैं, किसान का पेट काट करके। उन पर साढ़े तीन करोड़ रुपया सेस के रूप में बकाया है। मुनाफा उनका बढ़ता जा रहा है। मजदूरों की हालत बिगड़ती चली जा रही है। किसानों को गन्ने की कीमत नहीं मिलती और सरकार बैठ कर तमाशा देखती है।

इसके अतिरिक्त किसी उद्योग का विकास तब तक नहीं हो सकता जब कि बिजली उद्योग का विकास न हो। रिहंद डैम के नाम पर बड़ी डींग हांकी जा रही है। मिर्जापुर में अल्मूनियम की फैक्टरी खुलने जा रही है। वह बिड़ला के हाथ में होगी। साहू जैन फैक्टरी खुल रही है। प्रदेश की सरकार के द्वारा खुल रही है या एक बड़े पूंजीपति द्वारा? डैम की बिजली का एक बहुत बड़ा भाग इन दो फैक्टरियों में लगने जा रहा है। मुझे भय है कि प्रदेश की जनता को जो बहुत अरसे से यह आशा दिलायी गयी है कि रिहन्द डैम से पूर्वी जिलों का विकास होगा उससे भयंकर निराशा होने की संभावना है। करीब-करीब ७० हजार किलोवाट बिजली इन दो मिलों में खर्च होने वाली है। अल्मूनियम फैक्टरी पहले सरकार द्वारा खुलने वाली थी। क्यों दी जा रही है बिड़ला को? माननीय मंत्री जी इसका जबाब दें।

दूसरे, पिछले साल घोषित किया गया था कि प्रदेश में पांच चीनी मिलें कोआपरेटिव बेसिस पर खोली जायंगी, लेकिन उनमें केवल एक मिल खुल सकी। बकिया सरकार नहीं खोल सकी। क्या कारण है? किछा के अन्दर एक प्राइवेट आदमी को एक ज्वाइंट फैक्टरी के नाम पर काफी बड़ी रकम कर्जे के रूप में दी गयी, लेकिन उसकी इमारत बनी हुई पड़ी है, न मशीन आ रही है, न वह खुल पा रही है। क्यों नहीं सरकार ने कोआपरेटिव बेसिस पर चलाने का प्रोत्साहन दिया? क्या जवाब है? आज प्रदेश की जनता चाहती है कि सरकार इन बातों का जबाब दे। इसी प्रकार बिजली की हालत है। मार्टिन ऐंड को० को सरकार ने करीब डेढ़ करोड़ रुपया दिया। जब सरकार यह समझती है कि बिजली के बिना उद्योग का विकास नहीं हो सकता.....

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)——मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस बजट में जिन चीजों का जिक्र नहीं है क्या उन पर भी डिस्कशन इस ग्रांट में हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष——उद्योग से संबंध है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा——पावर डिपार्टमेंट के बजट में वह रकम है। उस पर बहस भी सदन करेगा। जो संबंधित हो वह बात अलग है।

श्री उपाध्यक्ष——उसको विस्तृत तरीके से नहीं, पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव——मंत्री महोदय को इससे घबड़ाना नहीं चाहिये, जो बात है उसका जवाब दें।

जहां तक बिजली का उद्योग से संबंध है और उस संबंध में जो सरकार का रवैया है उसको मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार इस बात की बार-बार दुहाई देती है कि सरकार कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल इसी सदन में घोषणा की थी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिये वह एक अलग विभाग खोलने जा रहे हैं। एक साल हो गया। क्या कोई अलग

[श्री चन्द्रजीत यादव]

विभाग खुला ? इस संबंध में भी सरकार बिलकुल शान्त बैठी हुई है। हमारे प्रदेश का करघा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है और हमारे प्रदेश में लगभग २,६१,८७६ रजिस्टर्ड करघे हैं। पूर्वी जिलों के अन्दर उसके बड़े-बड़े सेंटर्स हैं। मऊ, मुबारकपुर, बनारस में भदोही, मिर्जापुर ये तमाम सेंटर्स इसके बड़े-बड़े हैं। सरकार की नीति के कारण आज यह उद्योग बराबर ह्रास की तरफ बढ़ रहा है। कोई संरक्षण उसका नहीं है। जिलों के अन्दर एक इंडस्ट्रीज आफिसर रख दिया गया है। उनका पता ही नहीं चलता कि वह क्या काम करते हैं। न उनका कोई संबंध जनता से है न जन प्रतिनिधियों से है। क्या काम वह करते हैं पता नहीं। श्रीमन्, सरकार ने जो साहित्य दिया है उसमें वह कहते हैं कि उस उद्योग को वह सहकारी ढंग पर चलाना चाहते हैं। कर्ज देते हैं, लेकिन इस बड़े उद्योग के लिये ३, ३४,४७५ रुपये की छोटी सी रकम से क्या हो सकता है ? वह इस उद्योग को क्या आगे बढ़ायेगी। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार गृह उद्योगों का उचित संरक्षण करें और जो उनका आज दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है उसको बचाने के लिये सहकारी समिति बनाकर के उनको अनुदान देकर के दूसरों की प्रतियोगिता से उनको संरक्षण देकर के इस रोजगार की रक्षा करें अन्यथा प्रदेश की हालत न तो औद्योगिक विकास की तरफ जायगी न प्रदेश की जनता खुशहाली के रास्ते की तरफ बढ़ेगी।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विचारों में क्रान्ति हो चुकी है और हमारा प्रदेश इस बात की आकांक्षा आज पूरी होते हुए देखना चाहता है कि हमारा पूर्ण रूप से औद्योगीकरण हो। हमारे प्रदेश में जो बेकारी की समस्या व्याप्त हो रही है जिसके कारण जिले-जिले गांव-गांव में बेकारों की पल्टन घूमती दिखलाई देती है वह भी इस ओर इशारा कर रही है कि हमारे प्रदेश का समुचित रूप से औद्योगीकरण होना चाहिये जिससे कि उनको काम मिल सके। हम जिस समाजवाद की स्थापना की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं उस समाजवाद की स्थापना के लिये भी यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण हो। आज उद्योग पर जितना ध्यान देना चाहिये हो सकता है कि उतना ध्यान हमारे मंत्रीगण के दिमागों में हो उसके लिये बहुत काफी समय भी देते हों, बहुत काफी सोचते भी हों किन्तु जो कुछ दिखलाई देता है उसको देखने से ऐसा नहीं विदित होता कि इस ओर गम्भीरतापूर्वक कदम उठाया गया है। मैं जानता हूं कि अपने प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों को खोलने की बात की गई लेकिन विशेषज्ञों ने उनको रिजेक्ट कर दिया इस बिना पर कि इस प्रदेश में न तो जमीन ऐसी है न आसमान ऐसा है और न वैसी फिजा है पंडित जी के शब्दों में कि यहां पर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे खोले जा सकें। लेकिन हमारी सरकार ने क्या अपने विशेषज्ञों की कोई ऐसी समिति यहां पर बैठायी और उन विशेषज्ञों से इस बात की राय लने की कोशिश की कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण कैसे हो सकता है ? मैं समझता हूं हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, उनको बैठाकर के अगर भलीभांति विचार किया जाय और इस बात पर जोर लगाकर के कोशिश की जाय कि आया इस प्रदेश का निकट भविष्य में औद्योगीकरण पूर्ण रूप से संपन्न हो सकता है या नहीं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें हां में जबाब मिलेगा और ऐसा उत्तर मिलेगा जिससे कि हम अपने प्रदेश की प्रगति को बढ़ा सकें। हमने आये दिन यहां पर सुना कि हमारे यहां बहुत सी कपड़े की मिलें है और वह बन्द हो रही हैं। तो क्या हमारी सरकार ने इस बात पर विचार किया कि ये मिलें जो बन्द हो रही हैं। क्या इसलिये बन्द हो रही हैं कि हमारे प्रदेश में कपड़े की आवश्यकता नहीं है या मिल इसलिये बन्द हो रही हैं कि जिन-जिन किस्म के कपड़ों की हमें जरूरत है उन कपड़ों की पैदावार मिलों में नहीं हो रही है ? हमें आज जरूरत इस बात की है कि हम जिस तरह से प्लान्ड एकोनामी की बात करते हैं उसी तरीके से हम औद्योगीकरण का प्लान बनायें जिसमें एक तरफ तो हमारी जरूरत रहे और दूसरी ओर उन जरूरतों को पूरा करने के लिये हमारे प्रदेश में कितने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योग यंत्र और साधन उपलब्ध हैं और हो सकता है वह हों और इस तरह से विचार किया जाता कि हमें इतना कपड़ा प्रदेश के लिये आवश्यक है, हमें इतनी चीनी अपने प्रदेश के लिये जरूरी हैं, हमें अमुक वस्तु इतनी मात्रा में इस प्रदेश के लिये आवश्यक है। और उन तमाम तालिकाओं के आधार पर जो-जो चीजें हमारे प्रदेश के बाहर से यहां आती हैं उन चीजों पर हम रोकथाम लगाकर के और उनके उत्पादन के लिये अपने प्रदेश में व्यवस्था करते।

आज बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां से आसाम तक चले जाइए, उड़ीसा चले जाइये, बम्बई और मद्रास में चले जाइये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले के लोग कुली और मजदूरों का काम करते हुए कहीं भी आपको नजर आ सकते हैं। क्या वह शौक से बंगाल में जाकर के अपने दिन काट रहे हैं, क्या वह शौक से आसाम और डिबरूगढ़ में, पाकिस्तान की सीमा पर अपने दिन काट रहे हैं? क्या वह शौक से बम्बई में इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। वह इस कारण जा रहे हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं है जिससे वह जीविका का उपार्जन कर सकें, कोई उद्योगधंधा यहां पर ऐसा नहीं है जिसमें उन सभी लोगों को खपाया जा सके। जिस प्रदेश में इतना मैन पावर हो, आदमी की शक्ति हो वहां पर किस चीज की और जरूरत है जो कि हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास आदमी की शक्ति है तो हमें बिजली की शक्ति के ऊपर अधिक से अधिक जोर देकर और औद्योगिक सर्वे करा के उन तमाम उद्योगधंधों को यहां पर खुलवाने की आवश्यकता थी जिसमें कि हमारे सभी भाई खप जाते।

कहा जाता है कि ग्रामीण उद्योग-धंधों की यहां पर तरक्की नहीं हो रही है। यह बात सही है। बहुत से गांवों में चरखा के केन्द्र खोले जाते हैं और जब हम कुटीर उद्योगों की बात करते हैं तो तुरन्त सिलाई की मशीन कहीं रख दी जाती है और दस विद्यार्थी उसमें भरती कर लिये जाते हैं कि यहां पर सिलाई की ट्रेनिंग दी जायगी, कहीं बढ़ईगीरी का काम शुरू कर दिया जाता है और कहीं पर ऐसे ही छोटे मोटे काम खोल करके ग्रामीण उद्योग-धन्धों का मखौल उड़ाया जाता है। मैं नहीं समझता कि क्या इन्हीं से हमारा विस्तार हो सकता है? यह सीने का काम अगर हम न भी खोलें तो भी वह चालू रहेगा, बढ़ई का काम अगर राजकीय स्तर पर हम न चालू करें तो भी वह काम रुकने वाला नहीं है। लोहे का काम या गांव के जितने भी आर्टीजिन्स हैं जिन्होंने अपना जातीय पेशा बना रखा है गृह उद्योग धन्धों का उन लोगों को प्रोत्साहन कहा मिल रहा है? क्यों नहीं इस ओर कदम उठता कि जितने गांव-गांव में फैले हुए लोहे का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले हैं हर एक के लिये कारपोरेशन बना दिया जाय और अपने इनीशिएटिव पर सरकार कोआ-रेशन को बना करके इनको कच्चा माल काफी मात्रा में उपलब्ध करके उनकी निगरानी करके उन सारे सामानों के बिक्री का प्रबंध करें।

आज जरूरत इस बात की थी कि जो लोग उन पेशों में लगे हुए थे, अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे थे वह उसे करते जाते और दूसरे लोग जो बेकार होते उन लोगों के लिये वैसे उद्योग-धन्धों का निर्माण करते जिनकी कमी हमारे प्रदेश में है या जिन चीजों को हम बाहर से मंगाते हैं उन चीजों को सरकार राजकीय स्तर पर पैदा करने के लिये प्रयत्न करती जिससे इन बेकार लोगों का निर्वाह भी होता। जिस तरह से आपने चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी खोली है उसी तरह सरकारी तौर पर बहुत सारे ऐसे कारखाने कोआपरेटिव बनाकर खोले जा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर इस ओर काफी गंभीरता से सोचा जायगा और अपने बजट में काफी रुपया इस पर खर्च किया जायगा तो अवश्य ही हमारे प्रदेश से बेकारी हट जायगी। हम जिस गरीबी का आज अनुभव कर रहे हैं और जिस गरीबी के पिन्जरे में बन्द हैं, उस गरीबी के पिन्जरे से हम अवश्य ही बाहर आ सकेंगे। हमने गरीबी को दूर करने के लिये जिस तरह से भूमि वितरण की ओर कदम बढ़ाया है उसी तरीके से हमें उद्योग धंधों की ओर काफी गंभीरतापूर्वक आज कदम उठाने की जरूरत है। हम इसको पूरा करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम, जिसकी हमने स्वराज्य-प्राप्ति पर कल्पना की

[श्री रामलक्षण तिवारी]

थी, वह ग्रा होता नजर आयेगा। मैं इन शब्दों के साथ सरकार के अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार किया जायगा और हमारे प्रदेश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिये कोई भी कदम, जो संभव हो सके, उसे छोड़ा नहीं जायगा, हर उपाय सोचा जायगा और विशेषज्ञों की अत्यन्त शीघ्र कोई ऐसी बैठक बुला कर या एडवाइजरी बाडी बनाकर उनसे राय ली जायगी और इस औद्योगिक क्रान्ति को सफल किया जायगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं रामस्वरूप वर्मा के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी एक सज्जन ने, जो ट्रेजरी बेन्चेज के हैं, काफी ऐसी चीजें कही हैं जो उस तरफ के माननीय सदस्यों को समझनी चाहिये। अभी चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की बाबत सवाल आया। अगर आप देखें तो सूबे में जो भी सीमेन्ट आ रहा है उसमें ज्यादातर यह देखा गया है कानपुर में कि उन सीमेन्ट की बोरियों में २ सेर सीमेन्ट हर एक में कम निकलता है। इस चीज का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जो मैनेजर साहब हैं या जो सब से बड़े अधिकारी हैं वह आई० ए० एस० हैं। टेक्निकल हैन्ड कोई नहीं हैं। वह ऐसे नहीं हैं जो मशीनरी के काम को जानते हों। वह सब आई० ए० एस० हैं जिनका संबंध उद्योग से नहीं है। वह उस मशीनरी को जितना भी चलायें, लेकिन उसको लाभ नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वे ऐडमिनिस्ट्रेशन को ही जानते हैं।

इस सूबे में जो पुराने उद्योग धन्धे हैं आज उनकी क्या हालत है? जो चूड़ियों का उद्योग था आज उसकी क्या दशा है? उसके लिये आपने क्या मदद की? यदि कुछ मदद की है तो वह बहुत कम है। वह चीज सब से पुराने जमाने से हिन्दुस्तान में चली आ रही है। सब से ज्यादा मशहूर चूड़ियां फिरोजाबाद की हैं लेकिन आपने उनकी सबसे कम मदद की है। मैंने वहां भी मीटिंग में कहा था जब कि मंत्री जी वहां पर बैठे थे कि हिन्दुस्तान की सब से बड़ी दौलत, चाहे वह खेती में हो या और जगह, मेहनत है। मनुष्य का परिश्रम है। आज उस मनुष्य के हाथ बेकार हैं। यह सबसे बड़ी दौलत देश की बेकार जा रही है। अगर आप इन हाथों को काम नहीं देंगे तो देश में कोई चीज बढ़ नहीं सकती है। खेती की पैदावार गिर रही है। आप खेती से सम्बन्धित जितनी पैदावार हैं उनके सिलसिले में तथा औद्योगिक उन्नति के बारे में एक रिसर्च कमेटी बनायें। उसके लिये अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। हिन्दुस्तान के अरबों रुपये की चीज जो इस जमीन से पैदा हो सकती है, बेकार जा रही है।

अभी रामस्वरूप वर्मा जी ने गन्ने के सिलसिले में कहा कि अगर आप गन्ने के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो निकल सकती हैं और जो अभी तक हिन्दुस्तान में नहीं हैं, जैसे मोम, स्प्रिट तथा कागज आदि उसके मैटीरियल से बन सकता है। गन्ने की पैदावार प्रदेश की सब से बड़ी पैदावार है और उसकी जड़ से लेकर फुनगी तक इस्तेमाल करने के लिये अगर एक रिसर्च सेक्शन कायम किया जाय तो करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं। सरकार ने ४,००० रुपया इस बात पर खर्च करने का इरादा किया है कि पता लग सके कि बैलों की शक्ति क्या है तेल के कोल्हू में काम करने के लिये। इसके लिये ४,००० रुपया खर्च किया जा रहा है।

अम्बर चरखे की बात होती है। अब पुराना जमाना गया। इसके प्रचार से बेकारी फैलाने की बात ही होगी। अब तो बिजली का इस्तेमाल होना चाहिये। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार का नारा हो चुका है। भले ही उसके अन्दर कोई जिन्दगी या जान न हो, लेकिन अम्बर चरखे की बात नीचे से लेकर प्रधान मंत्री तक करेंगे कि यह देश की गरीबी को दूर करने के लिये एक बड़ा काम है। इससे कोई फायदा नहीं। आप उसे बिजली से चलाइये तो वह फायदेमंद हो सकता है। इस ऐटम ऐज में जरूरत इस बात की है कि आप लोगों को मशीनें दें, बिजली दें, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है।

सरकार अगर चाहती है कि लोगों को काम मिले तो वह लोहे की तरफ ध्यान दे। उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं। जैसा दूसरे किसी सदस्य ने कहा था, चीन ने लोहे का उत्पादन दूना कर लिया। कानपुर जिले में ही एक कस्बा है मूसानगर। वहां अभी भी लोहे की भट्ठियां हैं और कढ़ाई वगैरह बनती हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार को आज दुनिया के दूसरे देशों के साथ रहने के लिये लोहे के उद्योग को बढ़ाना चाहिये। आखिर लोहे से आपको क्या दुश्मनी है? आखिर दुनिया में आज कौन-सा ऐसा देश है तरक्कीशुदा कि जिसने लोहे के उद्योग को प्रोत्साहन न दिया हो। इसको इसलिये बढ़ाइये, इसकी भट्ठियां खोलिये। चीन ने अपने लोहे के उद्योग को छोटी-छोटी भट्ठियां खोल कर ही बढ़ाया है। उसका उत्पादन १ करोड़ टन के करीब हो गया है। आपका कितना बढ़ा है? सूबे में कहीं आपकी भट्ठियां हैं? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो जरूरी चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाय और कम से कम इसके लिये एक रिसर्च कमेटी बनायी जाय। अभी कोई ऐसी कमेटी नहीं है कि जो इस बात को सोचे कि जमीन से जितनी चीजें निकलती हैं उनके पूरे उपयोग के लिये क्या-क्या चीजों की जरूरत है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन चीजों की तरफ भी सरकार जाय।

कल माननीय राजनारायण जी ने जो बात कही थी उसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं इतने नीचे स्तर पर नहीं जा सकता कि उनकी बातों का जवाब दूं। बनारस में एक काटन मिल है वह बन्द हुई। कलकत्ते के एक सेठ ने कहा कि वीविंग और स्पिनिंग दोनों को वह चलायेंगे। उसका रुपया बैंक में जमा हुआ, लेकिन वह उसको न देकर सिर्फ वीविंग का काम कानपुर के एक मिल मालिक को दे दिया गया और वह वहां से सामान लाता है, वह लाखों रुपये की ड्यूटी चुराता है। आखिर, मैं क्या सरकार से पूछ सकता हूं कि यह लाखों रुपये का गोलमाल बनारस ही में क्यों होता है? बनारस में यह गड़बड़ी क्यों होती है? बजट भी बनारस का बनाया गया और जितनी भी चीजें होती हैं वे सब बनारस के लिये ही होती हैं। बनारस की बात करते समय अगर कह दिया जाय कि भाई, अगर किसी मिनिस्टर के लड़के को किसी उद्योग में, किसी मिल में नौकरी मिलती है तो क्या बात है, तो कहा जाता है कि यह इतने नीचे स्तर की चीज है कि हम उसका जवाब नहीं दे सकते। आखिरकार जो फैक्ट्स हैं, जो सचाई है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? ऊंचा और नीचा स्तर क्या होता है? क्या आपकी तारीफ की जाय, वही ऊंचा स्तर है और अगर आपकी गड़बड़ी को खोल कर रख दिया जाय तो वह नीचा स्तर हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह बनारस की काटन मिल क्यों कलकत्ते के सेठ को नहीं दी गयी? कानपुर की काटन मिल बन्द पड़ी हैं, क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि हम देश की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों रुपये की मशीनें कानपुर में बेकार पड़ी हुई हैं। आपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, उनके विद्यार्थी भी बेकार पड़े हुए हैं। उनको भी सरकार काम नहीं दिला पायी है जिनके ऊपर सरकार का हजारों रुपया खर्च हो रहा है। जो चीज आलरेडी है उसको भी सरकार चलाने की कोशिश नहीं करती है। कानपुर में हजारों मिल मजदूर बेकार हैं और देश में कपड़े की कमी है।

भदोही में एक कारखाना है, वहां कालीन बनाये जाते हैं। उनको आप क्या प्रोत्साहन देते हैं? क्या दरियों के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है? क्या ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज को अथवा मजदूरों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है? इसलिये वह सरकार गौर से सोचे वरना वह पांच करोड़ के अनुदान की मांग फेंक दी जायगी। ५ करोड़ नहीं आप १० करोड़ रुपया ले लीजिये, लेकिन उसका कुछ उपयोग तो कीजिये। आप यह तो दिखाइये कि लाखों लोगों को आप काम दे सके हैं। जिस जमीन में कोई चीज पैदा होती है, वहां पर आप उसका उपयोग तो कीजिये। यह नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों को ४-४, १०-१० हजार रुपया दे दें। उन लोगों को आप रुपया दे दें जो वाकई खुद पैदा नहीं करते हैं। जो बेंचने वाला है उसको आप हजारों रुपया देते हैं, लेकिन जिस मजदूर को वाकई आपको मदद करनी चाहिये उनको आप कोई सहायता नहीं करते हैं।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने खयालात का इजहार काटेज इण्डस्ट्रीज के विकास तक ही सीमित रखूंगा। जहां तक सरकार की काटेज इंडस्ट्री के विकास का ताल्लुक है उससे कम से कम मुझे घोर निराशा पैदा हो चली है। मेरा खयाल है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट के पास कोई साफ नक्शा नहीं है और न गवर्नमेंट ने प्राविन्स के मुख्तलिफ हिस्सों में इसका सर्वे ही कराया है कि प्रान्त के किस हिस्से में किस किस्म की काटेज इंडस्ट्री कामयाबी के साथ चलाई जा सकती है।

मैं यह भी कहना मुनासिब समझूंगा कि गवर्नमेंट ने इस किस्म का भी कोई प्लान नहीं बनाया कि सूबे भर में जो सब से नीचा तबका है, जिसको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, उसको इस काटेज इण्डस्ट्री के जरिये से काम में लगाया जा सके। कितने लोगों को सरकार किस किस्म की दस्तकारी में लगा सकती है, इस किस्म का भी सर्वे सरकार ने नहीं कराया है। जब तक इस किस्म का सर्वे नहीं कराया जाता तब तक उसकी विकास की योजनाएं भी अंधेरे में चलने की तरह से होंगी और उनसे उतना फायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिये।

मैं अपनी सरकार से बिल्कुल मायूस तो नहीं हूं और न मेरा यह खयाल है कि इस सरकार के द्वारा काटेज इंडस्ट्री का कोई विकास हो नहीं सकता या उसमें जितनी जल्दी विकास होना चाहिये उतनी जल्दी विकास करने की क्षमता नहीं है, लेकिन मेरा विचार ऐसा जरूर है कि गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी है, जिस मशीनरी के जरिये काटेज इंडस्ट्री द्वारा इस प्रदेश में विकास करना चाहती है, वह कम से कम ऐफीशियेंट नहीं है, और वह मशीनरी गवर्नमेंट को इस तरह के सुझाव नहीं देती है जिसके जरिये गवर्नमेंट इस दिशा में प्रगति कर सके। मैं आशा करूंगा कि गवर्नमेंट तमाम सूबे में इस किस्म के सर्वे करावेगी कि सूबे के किस-किस भाग में कौन-कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश कर सकती हैं और यह योजना अगर सफल हो गयी तो हमारा तथा सरकार का जो मकसद है वह भी पूरा होता रहेगा।

दूसरी बात अम्बर चर्खे के सिलसिले में जो कही गयी, मैं कहता हूं कि अम्बर चर्खा नाकामयाब चर्खा नहीं है, बल्कि कामयाब चर्खा है, लेकिन वह गवर्नमेंट की पालिसी की वजह से नाकामयाब होगा और उसकी नाकामयाबी की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर जायगी। अगर सरकार की तरफ से अम्बर चर्खे से बनाये गये सूत को प्रोटेक्शन नहीं दिया जायगा कि वह मिल द्वारा बनाये गये सूत के कम्पटीशन में ठहर सके तो फिर अम्बर चर्खा अवश्य फेल होगा। अगर अम्बर चर्खे के सिलसिले में सरकार की वही नीति चलती रही जैसी कि आज तक चल रही है तो वह अवश्य असफल होगा। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसके हाथ में एक चीज है और वह यह कि वह मिलों द्वारा तैयार किये गये सूत पर इतना सेल्स टैक्स बढ़ा दे जिसके बढ़ाये जाने से मार्केट में अम्बर चर्खा द्वारा पैदा हुए सूत की खपत भी हो सके और वह उसका मुकाबला कर सके। जब तक उसका प्रचार नहीं किया जायगा और उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया जायगा तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता है।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं और वह यह है कि काटेज इंडस्ट्रीज का विकास करने की मनोवृत्ति से आप चेष्टा करेंगे तभी उसका कुछ उद्धार हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि सरकार को कुछ टेक्निकल गाइड मुकर्रर करना चाहिये और जिले में कुछ खास रीजन बना लेना चाहिये तथा एक-एक रीजन को एक-एक गाइड के सुपुर्द कर देना चाहिये जिनका काम यह हो कि वे अपने इलाके में घूम फिर कर देखें और पता लगावें कि किस दस्तकारी की कहां पर गुंजायश है और फिर वे एडवाइस करें कि फलां जगह के लोग फलां दस्तकारी करने के योग्य हैं और उनको चाहिये कि वहां के लोगों को इस उद्योग को अपनाने की सलाह दें। साथ ही उनको यह भी बतलावें कि फलां वस्तु को चालू करने के लिये फलां-फलां चीज की जरूरत होगी और फलां-फलां चीज फलां जगह से मिलेगी और साथ ही उन चीजों के हासिल करने में भी वे उनकी मदद करें तथा उनके इन्तजाम करने में अगर किसी किस्म की मदद की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरत रुपये पैसे की भी हो तो उसे सरकार से दिलवायें। अगर इस मनोवृत्ति से काम हो तो मेरा खयाल है कि बहुत जल्दी हम दस्तकारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकेंगे और साथ ही बहुत से बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही जो अनुदान के रूप में या लोन के रूप में रुपया देते हैं उसका कुछ अंश सब से नीचे के तबके को पहुंच सकता है। वह लोन की शक्ल में, ग्रांट्स की शक्ल में या सबसिडी की शक्ल में हो सकता है, यह सही है।

यह भी कहा गया कि कुछ रुपये वेस्ट भी बहुत होते हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं जो उस काम को ऐक्चुअली नहीं करते हैं उस तबके के लोग दूसरों के नाम पर फायदा उठाते हैं। यह बात दूसरी है कि वे अपना स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही जो छोटे लोग हैं वे उनकी वजह से पिसते हैं। ऐसे बड़े तबके के लोग तो फायदा उठाते हैं और नीचे तबके वाले भूखों मरते रहते हैं। जिनके पास कपड़ा नहीं है तो गवर्नमेंट के जरिये से जो रुपया रखा जाता है उद्योग में मदद करने के लिये उस रुपये से उनको कोई मदद नहीं होती है। मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा कि वह दिन बहुत जल्दी आये और परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूं कि जो अधिकारिवर्ग है उसको भी ईश्वर सूझ दे और सरकार भी कुछ थोड़ा अधिक प्रयत्न करे और जनता भी सहयोग दे। इस तरह से काटेज इंडस्ट्रीज का विकास जल्द से जल्द हो जाय ताकि भुखमरी की भट्ठी में जो जल रहे हैं उससे निजात हो सके।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य के बाद ग्राम स्वराज्य की ओर जाने के लिये यह योजनाएं हमारे मुल्क में चली हैं। पहली योजना का लक्ष्य भी यही था कि हम अपने स्वराज्य को गांवों तक पहुंचायें, दूसरी योजना अब चल रही है। आंकड़ों के अनुपात से मैंने उस रोज भी जिक्र किया था और आज भी कुछ कहना चाहता हूं। जब यह उसूल मानते हैं कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, ३० करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो जो औद्योगीकरण का दिशा ज्ञान है उसमें यह लक्ष्य सामने रखना होगा कि हम ३०करोड़ आदमियों की तरफ कितना ध्यान दे पाये हैं और कितना उद्योग चला पाये हैं। जहां तक मैं समझता हूं ५० लाख या १ करोड़ आदमियों को ही काम मिला होगा। यह सब रोशनी जो योजनाओं की ली जा रही है वह पश्चिम के देशों से ली जा रही है और उसी रोशनी में यहां का उद्योग चलाया जा रहा है। सब से बड़ा उद्योग इस मुल्क का, सूबे का गन्ना और चीनी उत्पादन का है। इसको सरकार ने कितना प्रोत्साहन दिया है? अभी-अभी बाजपुर में जो एक फैक्ट्री है आप कितना प्रोत्साहन उसको दे रहे हैं? १,५०० रु० के मैनेजर के हाथ में वहां का पूरा शासन सौंप रखा है। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि कुछ दिन में ही वह मैनेजर यह दिखा देगा कि आपकी यह फैक्ट्री नाकामयाब हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जरा पीछे को भी देखें। जहां से दौड़े हैं उस रास्ते को भी खयाल करें। छोटी-छोटी जो गन्ने के सम्बन्ध में फैक्टरीज चालू की हैं उन पर भी कुठाराघात शुरू कर दिया है। तो सब से बड़ा उद्योग चीनी, गुड़ और गन्ने का था उस पर आप कितना कर पाये हैं, इस सम्बन्ध में आप जरा पीछे को मुड़ कर देखें कि आप कितनी प्रगति कर सके हैं?

पहली योजना के शहरी और देहाती आमदनी के आंकड़े मैं दे रहा हूं। इससे पेश्तर एक निवेदन करूं कि अमेरिका में औसत फी आदमी जमीन का १२ एकड़ है, रूस में १६ एकड़ है और भारत में डेढ़ एकड़ है। तो अगर विदेशों के औद्योगीकरण की रोशनी में आप भारत में औद्योगीकरण करना चाहेंगे, जैसा कि आपने अब तक किया है, तो आपका सदा फेल्योर ही रहेगा, कामयाबी नहीं होगी। ग्राम तक औद्योगीकरण पहुंचाने के लिये यह जरूरी है कि आप हिन्दुस्तान के गांवों की वे दस्तकारियां, वे उद्योग, जो ठप्प हो गये हैं उनकी जांच करायें। मैं समझता हूं यह जो पोथा आज मैंने पढ़ा है, अव्वल तो हम विधायक हैं इस वजह से इसको थोड़ा-बहुत देख भी

[श्री बुद्धीसिंह]

लेते हैं, लेकिन अगर गांवों के आदमियों को पढ़ कर सुनायेंगे तो चिढ़ जायंगे और आपकी इस किताब को फाड़ डालेंगे। गांवों के बारे में जैसा कि भाई खूबसिंह जी ने कहा, आपके पास कोई सर्वे नहीं है कि कौन-कौन से उद्योग ग्रामों में चलते थे जो आज चौपट हो गये हैं। मैं आपके ही सदस्य की इत्तिला का समर्थन कर रहा हूं। जब तक गांव के उन छोटे-छोटे उद्योगों को जो लुप्त हो गये हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, लाभ नहीं होगा। देखिये मुरादाबाद को। मुरादाबाद में कितने आदमी दामन बुनते थे। सहसपुर बिलारी में, ठाकुरद्वारा में लाखों आदमी इस तरह का कपड़ा बुन कर गुजर करते थे। आज वह मार के इलाके में चले गये हैं। मार का इलाका वह है जो कच्चा इलाका कहा जाता था। वह पूरी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरे में दस्तकारी का जिक्र कर दूं। मुरादाबाद में ही देखिये कलई के बर्तन के लिये वहां पर कारखाना खोला जा रहा है। सुन्दरता लाई जाय, यह हो, वह हो। सहसपुर बिलारी के कपड़ा उत्पादन का जिक्र किया। सम्भल में कंघा-कंघी का जिक्र किया है। लखनऊ और हरदोई का भी जिक्र किया है। इस किताब में लिखा हुआ है कि कम से कम १५ हजार परिवार सम्भल सराय तरीन में काम करते हैं और सिर्फ हरदोई के दस्तकारों को शायद १,५०० रुपया आपने दिया है। कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जब कि सराय तरीन के लिये लिखा पढ़ी मिनिस्टर साहब से बराबर होती रही। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप पश्चिमी देशों की रोशनी में यह सब करेंगे तो जो ग्राम राज्य आप चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा।

भारत सरकार का फैसला यह था और यह रिपोर्ट है कि पहली योजना में शहर की फी कस आमदनी ८०० रुपया, दूसरी में १,५०० रुपया और देहात की पहली योजना में फी कस आमदनी १८० रुपया और दूसरी में एक पाई भी नहीं बढ़ी। फिर आप गर्व करते हैं कि देश में स्वराज्य ला रहे हैं और बापू जी के स्वराज्य का स्वप्न पूरा कर रहे हैं।

जो महान् पुरुष हैं आज हिन्दुस्तान के उनका लेख मैं यहां जरूर पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि "स्वराज्य के बाद ग्राम-स्वराज्य ही हमारी मंजिल है। ग्राम-स्वराज्य के बिना गांवों का शोषण बन्द नहीं होगा। इसलिए मैं ग्राम-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तब तक चलता रहूंगा, जब तक यह लक्ष्य पूरा न हो जाय। ग्राम-स्वराज्य के बाद ही लोकनीति के आधार पर वास्तविक लोकशाही का निर्माण संभव है। आज तो सेना के आधार पर शासन चलता है। सेना के आधार पर चलने वाली लोकशाही की बुनियाद बालू पर खड़ी है। हम तीन सौ करोड़ रुपया इस गरीब देश का सेना पर खर्च करके लोकशाही का दम भरते हैं—यह हमारा भोलापन है। आज इस केन्द्रित शासन व्यवस्था में जहां ५५ लाख सरकारी नौकरों का अनुत्पादक वर्ग खड़ा है, लोकशाही के विकास के लिये कहीं स्थान नहीं है। इन सरकारी नौकरों ने जनता के अभिक्रम को नष्ट करने में योग दिया है। ऐसी स्थिति में ग्राम-स्वराज्य की अनिवार्यता स्वयंसिद्ध है। ग्राम स्वराज्य के बाद शासन-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था सर्वथा विकेन्द्रित हो जायेगी। विकेन्द्रीकरण में न तो इतनी बड़ी सेना टिकेगी और न ५५ लाख सरकारी नौकरों की जमात टिकेगी। गांव को अपनी योजना बनाने का और गलतियां करने का भी स्वातंत्र्य होगा। आज जो स्वराज्य दिल्ली के सचिवालय में बन्द पड़ा है, वह गांव-गांव में पहुंचे इसके लिये ही हम समर्पित हुए हैं।"—विनोबा भावे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जल्दी पढ़े देता हूं। पहला यह है कि हर ग्राम में कौन-कौन से उद्योग हमेशा से रहे हैं इसका सर्वे कराया जाय। दूसरा मुरादाबाद जिले में मूंज का काम (बान का) होता है, बुनकर का काम होता है। इन चीजों का औद्योगीकरण होना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि ग्राम सभाओं में सर्कुलर भेजा जाय कि जो अनुदान आप भेजते हैं वह सब को मिले। वह कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेज दिया जाता है, हमको पता नहीं चलता कि

कितना रुपया आया और यह सब राज्य खानदान के लोग जो हैं वही फायदा उठाते हैं और वही उसको मोड़ लेते हैं लोहे और तांबे में। आप देखिये कि जो सम्बन्धी हैं जो पहले भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी रहे और अब भी उलट-पुलट कर घूम फिर कर कांग्रेस में आ गये उन्हीं लोगों को लोहा मिला और लिख रखा है कि हम आलात काश्तकारी तैयार करते हैं। तो जरा उन काश्तकारी के औजारों की जांच की जाय कि कितने लोहे और सीमेंट के परमिट इस प्रकार से लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त हो गया, बाकी लिख कर भेज दीजियगा।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इत्तफाक की बात है कि जो पूर्व वक्ता हैं, श्री बुद्धी सिंह जी, उसी जिले मुरादाबाद के रहने वाले हैं जिसका कि मैं रहने वाला हूं। यद्यपि हमारे जिले के उद्योगों के बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया है, परन्तु मैं भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार का ध्यान उन तमाम उद्योगों की तरफ दिलाऊं जो हमारे जिले में है।

आजकल भारतवर्ष में विदेशी मुद्रा की काफी कमी है और हमारे जिले से जनता की बनी हुई चीजें अधिकतर विदेश में जाती हैं, जैसे अमरोहा का हैंडीक्राफ्टस् का सामान है जो १ करोड़ के करीब विदेश को जाता है। मुरादाबाद का ब्रास वेयर का सामान जो तीन करोड़ के करीब है विदेशों को जाता है। साथ ही साथ वहां एक सींग की इंडस्ट्री है, जो सम्भल में है। उसकी ओर सरकार की निगाह जितनी लगी है वह काफी नहीं है, उसको और अच्छी तरह से डेवलप किया जाय तो बाहर की मुद्रा उसके द्वारा काफी लायी जा सकती है। जहां तक और इंडस्ट्रीज का सवाल है दूसरी इंडस्ट्रीज की अपेक्षा शुगर की इंडस्ट्री एक खास इंडस्ट्री है प्रदेश में और खासतौर से मेरे क्षेत्र तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में केवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है जिस पर वहां के रहने वाले किसानों का जीवन निर्भर है। किसान की पूंजी (कैश क्राप) गन्ना की है, यदि उसके खरीदने और बेचने का ठीक प्रबन्ध नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि पश्चिमी जिलों की हालत, जब तक गन्ने की हालत ठीक न हो जाय, ठीक नहीं हो सकती।

जहां तक शुगर इंडस्ट्री को नैशनलाइज करने का सम्बन्ध है उससे उस समय तक कुछ फायदा नहीं होगा जिस समय तक कोआपरेटिव मूवमेंट जोरों पर न हो और लोग उसके महत्व को न जानें। प्रदेश के लोग सहकारिता को न अपना सकेंगे और उद्योग का नैशनलाइजेशन हो जाता है तो उसका मतलब यह होगा कि ब्यूरोक्रेसी का जोर बढ़ जायगा, जिसका प्रभाव यह पड़ेगा कि देश की पैदावार कम हो जायेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की कड़ी निगाह इस ओर होनी चाहिये कि शुगर मिलों का जो प्रबन्ध है वह उतना ठीक नहीं है जिससे किसानों को संरक्षण मिल सके। मैं राजा का सहसपुर के शुगर मिल के बारे में जिक्र करता हूं कि जो किसान की गाड़ियां हैं वह बीस बीस घंटे खड़ी रहती हैं और रात में तोली जाती हैं, इस कार्य से किसान का समय खराब होता है और उसके गन्ने की तौल पूरी नहीं होती और उससे मनमाना जो कार्य होता है उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। वहां पर मिल में बैलों को खड़ा करने वालों को कोई शेड नहीं है, दिनभर जो बैल हैं, वह धूप में खड़े रहते हैं। उससे किसानों को बड़ी तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो मिल से शीरे का पानी निकलता है उस गन्दे पानी को ले जाकर अरिल नदी में मिला दिया गया है। जिसका नतीजा यह हुआ कि नदी बेकार हो गई। मैं समझता हूं कि बिलारी शुगर मिल से जो पानी निकलता है सरकार को उसे रोकना चाहिये। अरिल नदी में गंदे पानी की वजह से तमाम मछलियां मर जाती हैं और जो जानवर उसका पानी पीते हैं बीमार हो जाते हैं। सरकार को उस गन्दे पानी का निकालना तुरन्त बन्द करना चाहिये। जब तक किसानों के लिये मिलों के जरिये से जो कष्ट हैं उन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण नहीं होगा तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। गन्ने की फसल को बेचने का दूसरा तरीका यह है कि किसान स्वयं कोल्हू द्वारा गन्ने को पेरकर और उसकी राब बनाकर बाजार में बेचें।

[श्री जगदीशनारायण]

बहुत-सी चीजें जिनमें सरकार का मन्शा तो नहीं होता, लेकिन जो कानून के द्वारा हो जाती हैं उसके लिये हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि सरकार का ध्यान उस ओर ले जायं । इस समय खंडसारी शुगर इंडस्ट्री पर बड़ा भारी क्राइसिस है । अगर उसका यही हाल रहा तो मैं समझता हूं कि जो हमारे यहां के किसान हैं वह बेबस होंगे कि राब न बनायें और मिल मालिक के आश्रय में जायं क्योंकि जो ६ रुपये हंडरवेट की ड्यूटी लगी है इससे किसी भी हालत में खंडसारी कम्पेटीशन नहीं ले सकती और जब वह कम्पेटीशन नहीं लेगी तब खंडसारी की शुगर मशीनें बन्द हो जायेंगी । उस समय हर हालत में किसान बेबस होगा कि उन पूंजीपति मिलमालिकों के सामने अपना गन्ना फेंक दे और इससे एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी । पश्चिमी जिलों में, खास तौर से चन्दौसी, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, वहां एक सप्ताह हुआ, बाजारों में पूरी हड़ताल है और राब की खरीद फरोख्त बन्द है यह दूसरी बात है कि हड़ताल को मैं पसन्द करता हूं या नहीं लेकिन वहां लोगों में एक परेशानी है । किसान पश्चिमी जिलों में राब बना रहे हैं । खंडसारी का परता नहीं पड़ता है कि उस भाव में राब खरीदे और राब को खरीद कर मिलों से कम्पेटीशन ले सके । इसी कारण खंडसारियों में राब खरीदना बन्द कर दिया है और यह उद्योग मुरादाबाद जिले में बन्द हो गया है, जिससे साढ़े तीन हजार मशीनें बन्द हो गई हैं और हजारों की संख्या में उन पर काम करने वाले गरीब मजदूर बेकार हो गए हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलायें कि जो कम से कम हाथ से चलने वाली मशीनें हैं उन पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उसको वह हटा दे ताकि उससे जो किसानों को नुकसान पहुंचता है उससे तमाम प्रान्त और खास तौर से पश्चिमी जिले की परेशानी दूर हो जाय ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं । जो सरकारी अनुदान मिलते हैं, इस मामले में मैं श्री बुद्धीसिंह जी से बिलकुल इत्तिफाक करता हूं कि जो छोटे किसान हैं उनसे उनको लाभ नहीं मिल पाता और जो बीच के आदमी हैं और जो अपनी पूंजी लगा सकते हैं वे ले जाते हैं । यह मैं बहुत अनुचित समझता हूं कि जो रुपया सरकार दे वह छोटे लोगों को न मिले ।

हमारे यहां बान और सींग का बहुत बड़ा उपयोग है । उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिये ।

साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब तक जो छोटे उद्योग हैं, उनको सरकार नहीं पनपायेगी तब तक किसानों का हाल कभी भी ठीक नहीं हो सकता ।

साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के लिये जो कच्चा माल मिलता है खास तौर से लोहा, यह जो फैब्रीकेटर्स हैं उनका अपना एक तरीका है वह मिडिलमैन ले जाता है और मजदूरों के पल्ले वह कच्चा माल नहीं पड़ता । तो जो सरकार की नीति है कि जो हम माल दें वह उस मजदूर के लिये दें ताकि वह उससे फायदा उठाये बल्कि वह कच्चा माल जो फैब्रीकेटर्स के भाग से होता है जिनका कोई उद्योग नहीं है सिवाय इसके कि जो लोहा मिले उसको वह बेंच लें तो मैं समझता हूं कि सरकार इस नीति पर फिर से विचार करे और जो फैब्रीकेटर्स हैं ए० बी० और सी० क्लास वाले उनके सम्बन्ध में अपनी नीति को फिर से समराइज करे ताकि जो वहां का मजदूर है, उसको उससे फायदा हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उस पर माननीय रामस्वरूप जी वर्मा ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह उद्योग का विषय ऐसा विषय है जो अपने प्रदेश से काफी ताल्लुक रखता है । हमारे यहां खेती का काम करने के बाद काफी आदमी बेकार रह जाते हैं, क्योंकि एक परिवार पीछे जो खेत पड़ता है वह बहुत ही कम है जिससे परिवार के काफी लोग बेकार रहते हैं । अगर गांव गांव में ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाय तो काफी बेकार लोगों को काम मिल सकता है ।

इस अनुदान में करीब ५,५०,००,००० रुपये की रकम माननीय मंत्री जी ने मांगी है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने अपने भाषण में इसका भी एहसास किया है कि बेकारी खत्म करने के लिये यह चीज जरूरी है इसलिये यह रुपया मैंने इसमें रखा है, लेकिन जो तरीका इस रुपये को बांटने का, अनुदान देने का, ऋण देने का है वह बहुत गलत है। आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उनको यह भी देखना चाहिये कि जो रुपया दिया जाता है वह कहां जाता है और वाकई जो उसका मकसद है वह पूरा होता है या नहीं। मेरा खयाल है कि यह रुपया सिर्फ उन्हीं लोगों तक रह जाता है जिनका कुछ ऊपर के लोगों से ताल्लुक है। बहुत से ऐसे प्रमाण मिलेंगे अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि लाखों रुपये का ऋण अनुदान उन्होंने लिया है और सिर्फ फर्जी नाम पर काम शुरू कर दिया है कि करघे के माल का काम करते हैं, लेकिन वास्तव में वे न किसी करघे वाले से कपड़ा लेते हैं न किसी करघे स्टोर से, महज दिखाने के लिये थोड़ा बहुत कपड़ा करघा रख रखा है। तो मैं चाहूंगा कि यह ऋण उन्हीं सोसाइटियों को दिया जाय जो क्षेत्रीय संस्थाओं से सम्बन्धित हों और जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है जहां भी इस प्रकार का अनुदान दिया जाय वहां की ग्राम सभाओं को, क्षेत्रीय एम० एल०एज० को, व टाउन एरिया में चेयरमैन को और इस प्रकार के जिम्मेदार व्यक्तियों को उसकी इत्तला दे दी जाया करे ताकि साधारण लोगों को भी मालूम हो सके कि इस प्रकार का रुपया आया है और जन-साधारण ऐसी सहायता से लाभ उठा सकें।

बहुत सी रकमें ऐसी हैं जो बीच के लोग खा जाते हैं, नाम सिर्फ कागज में यह होता है कि उद्योग-धन्धे पर खर्चा हो रहा है। बीड़ी का व्यवसाय ऐसा है जिसमें काफी बेकार लोग काम करते हैं, लेकिन उस सम्बन्ध में अब तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया कि जो उसमें काम करने वाले मजदूर हैं उनको रुपया मिल सके वे अपनी सोसाइटी काम करके अनुदान लेकर उस उद्योग को खुद चला सकें।

श्रीमन्, पूर्वी जिलों में जिनमें खास तौर से गोरखपुर का जिला काफी बेकार आदमियों को अपने यहां रखता है, आपको मालूम होगा कि वहीं के लोग ज्यादातर बिहार बंगाल में और कोयले की खानों में जाकर मजदूरी करते हैं। वहां इन कामों को जारी करने की बहुत सख्त जरूरत है। जिले के उत्तरी हिस्से में कागज का उद्योग काफी चल सकता है। क्योंकि कच्चा माल वहां काफी मिल सकता है। इससे भी काफी बेकारी दूर हो सकती है। जो यह उद्योग हमारे यहां पुराने थे कागजों में तो यही दिखाया जा रहा है कि हम उनकी उन्नति के लिये कार्य कर रहे हैं लेकिन मेरे खयाल से उन्हें बरबाद किया जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगों के मुकाबले में उन पर इतना कर लाद दिया जाता है कि वे तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो गुड़, खांडसारी उद्योग देहातों में चल रहा था, जिससे गांव का गन्ना किसान कुछ पैसे पा जाता था और नजदीक में अपना माल दे कर काम करता था आज इस सरकार ने उस पर कर लगा कर उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वह किसी तरह से पनप नहीं सकता। यही हालत मुरादाबाद के बर्तन बनाने वालों की है। पीतल या धातु पर तो सेल्स टैक्स लगता ही है लेकिन बीच में एक नये तरीके से सेल्स टैक्स लगा दिया है कि जब बर्तन ढलाई के बाद निकाला जायगा तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। इसका नतीजा यह होगा कि मुरादाबाद में बर्तन बहुत मंहगे पड़ जायेंगे और बाजार में नहीं चल सकेंगे और ढलाई का काम बन्द हो जायगा। मेरी समझ में महाजन तो दूसरा काम कर सकता है, लेकिन जो कारीगर वर्ग है वह बेपढ़ा लिखा है और दूसरा काम नहीं जानता है। वह कहीं नहीं जा सकेगा और भूखों मरेगा। यही हालत बुनकरों तथा जरदोजी के काम करने वालों की है। इसलिये मैं कहूंगा कि अनुदान की रकम इस तरह से खर्च की जाय जो सब जगह पहुंच सके और जो गरीब तबका कारीगरों का है जो बेपढ़ा लिखा होने पर भी अच्छे से अच्छा काम जानता है, उसका प्रोत्साहन मिले, उसको रोजी मिले और उसके बाल बच्चे जियें।

श्रीमन्, हमारे यहां धान का पयाल बहुत होता है। इसके अलावा बनकस भी काफी पैदा होता है जो लखनऊ लाया जाता है। अगर तराई एरिया में कागज का कारखाना खोल

[श्री अब्दुलरऊफ लारी]

दिया जाय तो इसका इस्तेमाल होने लगेगा और किराये में कुछ खर्चा नहीं होगा और इस इलाके के मजदूरों को रोजी मिलेगी और उनके बाल बच्चों की परवरिश होगी। उद्योगपतियों की मदद के लिये मंत्रिमंडल तथा उच्च अधिकारी जितना जोर देते हैं उतना गरीब मजदूरों के लिये नहीं दिया जाता है, जो समाजवादी देश के लिये जरूरी है। मजदूरों का खयाल किया जाना चाहिये। आज कई बड़े बड़े मिल बंद पड़े हुये हैं और इसलिये उन्होंने बंद कर रखे हैं जिससे मजदूर अपनी जायज मांग न उठा सकें और जैसे मिल वाले चाहें मजबूर होकर वैसे ही काम करते रहें।

आज शुगर मिल के मजदूरों की हालत मामूली परेशानी की नहीं है। इस सम्बन्ध में लोग अपनी जान दे रहे हैं। आज १२ दिन से हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री मदन पांडेय और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ठाकुर मुकुंद सिंह जी १२ रोज से अनशन कर रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं हो पाता कि उनकी बात समझें और देखें कि उनकी मांगें कहां तक जायज हैं। मैं नहीं कह सकता कि मिल मालिकों का साथ देकर देश में कैसे कल्याणकारी राज्य बन सकेगा और कैसे गरीब जी सकेंगे। आपके द्वारा मुझे यही चन्द बातें कहनी थीं।

श्री आर्थर सी० ग्राइस (नाम निर्देशित--आंग्ल-भारतीय)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामस्वरूप वर्मा के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। नेशनेलाइजेशन के संबंध में जो उन्होंने कहा है तो इसके कहने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दो चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, इंडस्ट्री और लेबर। इन दोनों का एक दूसरे से खास ताल्लुक है। लेबर के बिना इंडस्ट्री नहीं रहती और इंडस्ट्री के बिना लेबर नहीं रहती। पारसाल मुझे मौका नहीं मिला था इसलिये मैं थोड़ा-सा लेबर के संबंध में कहना चाहता हूं। उसके लिये मुझे थोड़ा-सा समय दिया जाय। इस हाउस में और बाहर कानपुर की काटन मिल्स के लिए बहुत काफी बहस हो चुकी है कि क्यों यह काटन मिल्स बन्द हो गयी हैं। मैं पहले से ऐलान कर देना चाहता हूं। मैं यहां मिल मालिकों की तरफ से नामिनेटेड नहीं हूं। मैं जो कुछ कहूंगा उनके पक्ष से नहीं कहूंगा। मैं जो रोज की वर्किंग देखता हूं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी लेबर पालिसी इंड्युसिव टु इंडस्ट्री नहीं है। पिछली बजट स्पीच में मंत्री जी ने कहा था कि यू० पी० में इंडस्ट्रीज बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बगैर इसके इम्प्लायमेंट फोर्स बढ़ नहीं सकता है, उसके बगैर यू० पी० बढ़ नहीं सकता है, लेकिन कानपुर की दोनों मिलें बन्द पड़ी हैं। और भी मिलें बन्द करने जा रहे हैं। मैंने डिप्टी मिनिस्टर से भी कह दिया था मिल बन्द होने के पहले ही कि होशियार हो जाइये। गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं। सब देख लिया। मैं फिर हाउस में कह रहा हूं कि आप की लेबर पालिसी सही नहीं है। इससे लेबर को नुकसान होगा। आपने मेहरबानी करके कुछ टैक्स हटा दिये, लेकिन दूसरे टैक्स बढ़ गये हैं--स्टैट इंश्योरेंस, प्राविडेंट फंड, एक्साइज ड्यूटी, एक रुपये का कपड़ा लीजियेगा आठ आने से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, इरिस्पेक्टिव आफ अदर टैक्सेज। फिर वेजेज देते हैं। उसके साथ डी० एफ० ए० देते हैं। इट इज नाट लिंक्ड विद वेजेज। एक रुपया ढाई आने वेजेज मिलेगी तो एक रुपया पांच आने डी० एफ० ए०। तो वह मेहनत करेगा ? मेहनत तब करेगा जब दोनों लिंक्ड होंगे। बिना वेजेज और डी० एफ० ए० को लिंक किये हुये इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकेगी।

इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। यह नहीं कि मिल में अनाड़ी भरते चले जायं। हर मिल में लेबर अपरेंटिसशिप स्कीम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एजूकेशन प्लस टेक्निकल एजूकेशन--हर मिल में टेक्निकल एजूकेशन होनी चाहिए। हमारे यहां इंटरमीडिएट आते हैं। वह वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि अपरेंटिसशिप स्कीम नहीं है। क्यों नहीं हुई ? वहां अपरेंटिसशिप ग्रेड नहीं है। उनको मजदूरों में ले लिया जाता है

और जहां मजदूरों का काम अच्छी तरह से चलता नहीं। वह लेबर कमिश्नर के पास केस ले जाते हैं। इसलिए हर फैक्टरी में लेबर अपरेंटिसशिप की स्कीम हो। और वह दूसरी फैक्टरी में जा सकें। इंडस्ट्री चलाने के लिए पूरी फैक्टरी नहीं चालू होनी चाहिए। फिनिशिंग फैक्ट्री, जहां प्रेसिंग मशीन हो यानी खिलौने का एग्जैम्पुल मैं दे रहा हूं, यानी लेबरर उसको घर ले जाय, फिट करके वापस लाये दूसरे दिन और वहां पालिश होकर, पेंटिंग होकर निकाल दिया जाय। मैं इसको एलैबोरेट कर सकता हूं मगर समय नहीं है।

खांडसारी शुगर का जो सेस लगाया गया सेंटर से यह हम लोगों को बिलकुल विरोध उसका करना चाहिये। यह सेस लगाया जायगा तो मैं विरोधी दलों की सिफारिश तो नहीं करना चाहता हूं मगर यह सच बात है कि हम लोगों की उससे बहुत मुश्किल हो जायगी और यह बिलकुल नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों के यहां पाम (ताड़) बहुत है। इससे गुड़ की इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। इससे गुड़ बन सकता है। हमारे यहां पाम बहुत काफी है। इसका इन्तजाम कर दिया जाय। अन्त में मैं फिर से कहता हूं कि कानपुर पर जरा ज्यादा ध्यान दिया जाय और लेबर की तरफ और ध्यान दें नहीं तो और भी मिलें बन्द होने वाली हैं।

श्री उपाध्यक्ष---श्री व्रजनारायण तिवारी, आप ५ मिनट केवल लें।

श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात से बड़ी निराशा हुई कि हमारे अनुभवी मुख्य मन्त्री जो आज इस प्रदेश के उद्योग मन्त्री हैं और हमारे नवयुवक बहुगुणा जी के नेतृत्व में भी अगर इस प्रदेश का विकास नहीं हो सका तो फिर यह अभाग्य है इस प्रदेश का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया कि उत्पादन बढ़ाना है, माल बाहर भेजना है, बेकारी खत्म करना है, लेकिन यह काम कैसे हल होगा? राष्ट्रीयकरण करने की क्षमता नहीं, उसमें असमर्थता है, लघु उद्योगों का संरक्षण नहीं किया जा सकता, वितरण की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती, रा मैटिरियल का उचित दाम नहीं दिलाया जा सकता तब मेरी समझ में बात नहीं आती कि यह सरकार कैसे इस प्रदेश की समस्या को हल कर सकेगी? समय बहुत कम है। अधिक न कहकर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आखिर बम्बई की सरकार कोआपरेटिव बेसिस पर कारखाने खोलने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो फिर क्या कठिनाई इस सरकार को है कि आज भी कई जगहों पर रुपया जमा है जैसे मझोला, सरसांवा, लेकिन सरकार को साहस नहीं पड़ता कि कोआपरेटिव बेसिस पर फैक्ट्री की स्थापना करे। आज बाजपुर का नक्शा आपके सामने आया। यह सरकार आखीर इस प्रदेश को कहां ले जा रही है? सबसे बड़ा उद्योग जो इस प्रदेश का गन्ने का है आज से कुछ दिन पहले उस विषय को लेकर आन्दोलन भी चले, हड़ताल भी हुई लेकिन एक प्रश्न मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर हमको न्याय पाने के लिए आपके विधान में आपकी नीयत में कोई रास्ता है या नहीं? मैं यह पूछना चाहूंगा कि सन् ४६ में जब गन्ने की कीमत चीनी के उत्पादन पर ६० प्रतिशत मिलती थी गन्ना उत्पादकों को तो आज ४० प्रतिशत किस नीयत से दे रहे हैं? हमने यह भी कहा कि कृपा करके कम से कम कुछ न हो तो किसी एक जज के जिम्मे इसे कर दिया जाय ताकि हम अपनी चीजें उनके सामने रखकर न्याय पा सकें, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या दस वर्ष के अन्दर चीनी के उत्पादन का व्यय बढ़ा, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी, घिसाई बढ़ी, तो क्या गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ा? मैं

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

सदन से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि क्या यह सही नहीं है कि गन्ने के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि हुई ? तो फिर सीधे सीधे उस गन्ने की कीमत बढ़ा देने में आपको क्या कठिनाई है ?

यह भी मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस औद्योगीकरण का नक्शा देख रहे हैं क्या अमेरिका में या किसी दूसरे देशों में जो बहुत प्रगतिशील मुल्क कहे जाते हैं वहां अगर उत्पादन और वितरण की समस्या ठीक सन्तुलित नहीं होती तो क्या वहां आर्थिक संकट नहीं उत्पन्न होता, क्या वहां इस तरह की विपत्ति जनता नहीं झेलती ? क्या यह समस्या आपके सामने नहीं है कि आप संतुलन स्थापित करें ? अगर स्थापित नहीं कर सके और जो उत्पादन यहां हो रहा है उसका वितरण जिस तरह से सरकार करा रही है और जिस प्रकार प्रदेश की जनता की क्रय शक्ति घटती जा रही है, आर्थिक संकट चारों तरफ से घेरता जा रहा है, इन सब चीजों की ओर ख्याल करते हुये अन्त में यही कहना पड़ता है कि कहीं कमजोरी है इस सरकार के अंचल में और वह कमजोरी है केवल साहस की । जितना खर्च करना चाहिए उसकी शक्ति सब माननीय मुख्य मंत्री जी को जनता ने दी है । सरकार जनता से टैक्स का बोझ लाद कर वसूल करती है और उस टैक्स की किस प्रकार बरबादी होती है, एक मिसाल देकर मैं बैठूंगा । यह ५,५०,६२,४०० रुपये का अनुदान है । एक उत्तर में जो आज ही उद्योग विभाग से दिया गया है । हमने उसमें पूछा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने रुपये कर्ज के तौर पर प्रदेश में उद्योग के मद में उद्योगपतियों को दिया गया है । वह कर्जा है ४,११,७७,५०० रुपये । माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि पांच करोड़ का सालाना अनुदान और आज तीसरा वर्ष उस पंचवर्षीय योजना का चल रहा है और ४ करोड़ रुपया बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है । आप किस तरह देश का विकास कर सकेंगे जब कि छोटे-छोटे उद्योग गिरते जाते हैं । एक बार सरकार उनकी मदद करती हैं फिर छोड़ देती हैं उनकी बिक्री के लिये जो उनका माल होता है । कोई योजना सरकार के पास नहीं है ताकि वह अपने उद्योग को स्वतंत्र बना सकें व चला सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय रामस्वरूप वर्मा, केवल दस मिनट समय है आपका ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—बहुत विषय कहना है । जैसी आपने आज्ञा दी कोशिश वैसी ही करूंगा ।

मुझे प्रसन्नता है सदन के प्रायः सभी सम्मानित सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का येन केन प्रकारेण और प्रत्यक्षरूप से समर्थन किया है । मैं इसके पहले कुछ आवश्यक विषय, जिनका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और श्रीमन्, समय की कमी के कारण उत्तर नहीं दे सका था, उनको कहने के पहले कुछ सदस्यों ने जो बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति से थोड़ी सी ऐसी बातें कही थीं कि जिनमें सत्य नहीं है, मैं उनके संबंध में कुछ कह दूं । एक माननीय सदस्य जो सम्भवतः पर्वतीय प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा कि रेजिन जो पहाड़ों से निकलता है वह बरेली में आकर इकट्ठा होता है और पक्का किया जाता है । यह बात उनके बताने की नहीं है । मेरे कहने का मतलब यही था कि उस उद्योग का कच्चा माल तो वहां तैयार होता है, लेकिन पक्का माल बरेली में आकर बनता है । मैं नहीं कहता कि सरकार का शेयर या किसी का शेयर हो, लेकिन बरेली में बनने के बजाय क्या वह उसी पर्वतीय प्रदेश में नहीं पक्का बन सकता जहां उपलब्ध होता है ? माननीय सदस्य को भ्रम हो गया कि मैं जानता नहीं कि पक्का होने के लिए वह बरेली आता है । मेरा मतलब यही था कि कच्चा माल जहां मिले वहीं पर पक्का हो तो परिश्रम भी बचता है और खर्चा भी बचता है, और मुनाफा भी ज्यादा होता है ।

एक सज्जन कानपुर से आते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो यह कहा कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं परन्तु उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि सरकार जो टैक्स लगाती है उसके कारण कानपुर की कपड़े की मिलें बन्द हो गईं और साथ ही साथ कुछ बातें रखी गई थीं। इसी प्रस्ताव के संबंध में मैंने कहा कि टेकनिकल लेबर और स्किल्ड लेबर की मुख्य रूप से आवश्यकता है जब हम उद्योगों का विकास करना चाहते हैं। तो फिर हम हैवी इंडस्ट्रीज से रूस और अमेरिका की नकल करके यहां पर उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूस और अमेरिका की जनसंख्या कम है और उनके पास अतुलित सम्पत्ति है। वहीं के इंजीनियर इन हैवी इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं। हमारे यहां तो जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि पुरानी मशीनरी है तो उससे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात और भी पुष्ट हो जाती है कि जो मैंने सुझाव दिया था वह उचित है। मेरा सुझाव यही था कि इस देश के इंजीनियर छोटी-छोटी मशीनों का डिजाइन बनायें। रूस और अमेरिका के इंजीनियर हमारे नौकर नहीं हैं जो कि हमारी छोटी-छोटी मशीनरी की डिजाइन बनायें जिससे छोटे-छोटे परिवारों का परिपालन हो सके। यह हमारे देश के इंजीनियरों को करना है तभी देश की तरक्की हो सकती है। इस सम्बन्ध में हमारे इंजीनियर ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी सरकार अभी तक अन्धेरे में है तो फिर प्रदेश में इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? आवश्यकता इस बात की है कि नये नये किस्म के इंजिन बनें जिनसे कुटीर उद्योग का संचालन हो सके।

एक बात मुख्य मंत्री जी ने कही कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें लोगों के लिये काफी काम है और हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो उससे काम बढ़ जायगा जिसका इन्तजाम होना दिक्कततलब हो जायगा। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री जी को यह याद होगा कि यह बनारस की बात है वहां चौका घाट मिल को ६ महीने तक मजदूरों ने कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया। जब सरकार और पूंजीपतियों के हाथ पैर कट गये तो उस मिल को मजदूरों ने ठीक तरह से चलाया। सरकार ने देखा कि यह नये प्रकार का तजुर्बा हो रहा है। सरकार का जो राष्ट्रीयकरण का रूप है उसके बिलकुल विरोध में जाकर समाजीकरण का रूप यह मिल धारण कर रही है और जनता इसको सपोर्ट कर रही है तो सरकार जो माल का स्टाकिस्ट था, जहां से तनख्वाह मजदूरों को मिल जाती थी और मशीनरी चलती रहती थी, उसको बहका दिया। उसने मजदूरों को खर्चा देना बन्द कर दिया। उससे वह काम ठप्प हो गया। जयपुरिया ने उसको लिया और अब जो वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है उसके सम्बन्ध में बलवानसिंह जी ने काफी कह दिया है। अगर सरकार का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार का हो जैसे कि ट्रान्सपोर्ट का हुआ कि वह बहुत से लोगों के हाथ में आने के बजाय एक सरकार के हाथ में या एक पूंजीपति के हाथ में आवे और इससे नौकरशाही पनपे तो फिर इससे सचमुच देश का हित होने वाला नहीं है। इससे अगर कुछ लाभ होने का भ्रम मन्त्री जी को हो तो वह उनको दूर कर देना चाहिये। राष्ट्रीयकरण तो ऐसे होता है कि जो वहां मजदूर हों या जो टैक्निकल एक्सपर्ट हों, जो उपभोक्ता हों और जो सरकार हो यह तीनों मिलकर उस काम को करें और तीनों को बराबर लाभ हो। एक आदमी उस पूंजी को इकट्ठा ले इससे क्या देश का लाभ हो सकता है? अगर इन सम्बन्धित लोगों को बराबर का लाभ मिले और एक जगह जाकर दौलत इकट्ठी न हो यदि इस प्रकार का तरीका स्थापित हो जाय तो हम उसको मानने के लिये तैयार हैं और ऐसी सरकार को भी मानने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को शीघ्र से शीघ्र इस दिशा में कदम उठाना चाहिये और जिस प्रकार के राष्ट्रीयकरण का वह विचार कर रही है उसको छोड़कर मजदूरों के हाथ में, एक्सपर्ट के हाथ में, उपभोक्ता के हाथ में शक्ति दे जिससे इस समाज में ईमानदारी बढ़े, देश का उत्पादन बढ़े और बेकारी दूर हो। सरकार जिस नीति को अब तक बरत रही है वह गलत है और उसका कोई आधार नहीं है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

श्रीमन्, अब जो आज कल राष्ट्रीयकरण सरकार का चल रहा है उसमें किस तरह से होता है इसका पता किसी को नहीं हो पाता है। सरकार की सीमेंट की चुर्क सीमेंट फैक्टरी है। मेरे पास सीतापुर के एक सज्जन का पत्र आया शायद उनको मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है। डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज को पत्र लिखा गया है, माननीय मुख्य मंत्री को लिखा, माननीय उद्योग मंत्री को लिखा, सबके पास लिखा तो उन सब के जवाब का लब्बोलवाब यह निकला कि मैंने जो बैलैन्सशीट मांगी थी कि कितना खर्चा हुआ, है उसका जवाब यह लिखा मिला कि चूंकि यह पब्लिक की चीज है, सरकारी है इसलिये इसकी बैलेन्स सीट नहीं दी जा सकती। आखिर यह सरकार किसकी है ? जनता की है न। तो जनता को अपने कारखाने की बैलेन्ससीट न मिले, इससे ज्यादा निन्दनीय बात और क्या हो सकती है। इसका कारण एक ही है कि सरकार उसमें हो रहे बहुत ज्यादा घाटे को छिपाने के लिये जनता के सामने इस तरह का कोई न कोई बहाना बना दिया करती है कि जो बेबुनियाद, अनियमित और अवैधानिक होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, चुर्क फैक्टरी आदि के बैलेंस शीट अखबारों में प्रकाशित नहीं होते ? कौन इंतजाम कर्ता रखे जा रहे हैं, कौन टेक्निकल हैंड्स है, कौन नहीं है, उनमें घाटा हो रहा है या मुनाफा और उसका क्या कारण है, इस सब की सफाई होनी चाहिये। सरकारी कारखाने मंत्री जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उद्योग विभाग में ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं और जनता की संपत्ति पर होली यह सरकार खेलना चाहती है। कभी-कभी यह सरकार दावा करती है कि हमने अच्छे काम किये हैं और हम छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं। मैं एक मिसाल दूं। यह जो हमारे जानवर बैल आदि मरते हैं। तो इसकी खाल को एक जाति विशेष कमाती है। और ऐसी धारणा होने के कारण कि यह काम नीचा है और कोई लोग उसे करना नहीं चाहते। सरकार ने उस काम को अपने हाथ में नहीं लिया। अगर उसको सरकार अपने हाथ में ले तो हमारे यहां का चमड़ा उद्योग पनपेगा, साथ ही जो लोगों में उनके लिये नीची धारणा है वह भी दूर होगी और उस व्यापार में मुनाफा होगा इसलिये कि जनावरों का चमड़ा, हड्डी और मांस आदि सब काम में आ सकता है, लेकिन सरकार ने इस उद्योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मतलब यह कि जिन छोटे-छोटे कामों से देश और समाज की तरक्की हो सकती है उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार की उद्योग नीति फेल हुई है। इसलिये मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब सरकार अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुई है तो उसके लिये पैसा क्यों दिया जाय। मैं उनसे अपील करूंगा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को वे स्वीकार करें।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो समय निकल चुका।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने दिन भर आज काफी नेक सलाह हमको देने की कोशिश की। मान्यवर, हमारी नीति और हमारी औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण एक भाषण से नहीं हो सकता। हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वे नीतियां निहित हैं, लेकिन जैसा कि आज के भाषणों से मुझे आभास हुआ, शायद उसको दोहराना गैरमुनासिब न होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी नीति इस देश से गरीबी को मिटाने की है, इस देश में समाजवाद को लाने की है और अहिंसा के और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए उस नीति को हमें अमली जामा पहनाना है। इन दो बातों को---अपनी अहिंसा के रास्ते को मानते हुए और प्रजातंत्र को मानते हुए समाजवाद को लाने के सिलसिले में जो कदम हमें उठाने हैं, वह हम उठायेंगे, वह हम उठा रहे हैं, और उठाते जायेंगे जब तक कि समाजवाद हम यहां स्थापित न कर दें।

यह जरूर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि जो आज समझते हैं कि इस रास्ते से समाजवाद आने वाला नहीं है, लेकिन मान्यवर, यह पहली बार नहीं है कि जब अहिंसा के सम्बन्ध में इस तरह की बात कुछ लोगों के दिलों में उठी हो। गांधी जी का जमाना था। बापू के हाथ में झंडा था। उस समय बहुत से लोगों के दिलों में खलबली थी कि अहिंसा के रास्ते से स्वराज्य आनेवाला नहीं है। अहिंसा के अस्त्र की विजय होने के बाद भी यदि हमारे बहुत से भाई आज उसमें शुबहा करते हों तो आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूं कि मनुष्य की प्रकृति का ताकाजा है कि वह पुरानी बातों से सीखे और आगे देखने की आदत डाले। मुझे भरोसा है कि अपने आंखों देखी बात पर विश्वास करते हुये यह सदन जनता को सही रास्ते पर ले जावेगा जिससे वह आगे बढ़ सकेगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति को छीनना और अपहरण करना हमारी नीति नहीं है। चाहे कोई सार्वजनिक पूंजी हो या व्यक्तिगत हो, हमने हर चीज की अच्छाई और बुराई इसी बात से आंकी है कि सबके कल्याण में उस पूंजी के लगने से आगे बढ़ने का काम होता है या नहीं। अगर ऐसा सम्भव होता है तो व्यक्तिगत पूंजी के लिये भी स्थान है।

हमारे प्रधान मंत्री ने अभी हाल में, मान्यवर, कहा था कि इस देश में न तो कोई चीज पब्लिक सैक्टर माने रखती है और न प्राइवेट सैक्टर। इस देश में एक ही सैक्टर है और उसका नाम है नैशनल सैक्टर। उसी के अन्दर हम सारे काम करते हैं और उसी हद तक हर एक को स्थान है जिस हद तक वह इस सैक्टर को सहायता देने में और राष्ट्रीय भावनाओं को मदद देने का काम करता है। जब कभी हम किसी को पैसा देते हैं, इसी नीति को सामने रखते हैं। हमने उद्योगपतियों को जो पैसा दिया है और उद्योग को जो सहारा दिया है हमने उसमें कोई शर्म की बात नहीं की है। अगर हमारे साधन और ज्यादा होते तो हम और ज्यादा मदद देते और इसका इरादा भी रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक भाई ने कहा था कि जवाहरलाल जी ने फिजां की बात कही है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये फ़िजा की भी जरूरत है। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल ठीक बात है। इस प्रदेश का सबसे ज्यादा बुरा वह आदमी करता है जो उद्योगपतियों के लिए स्कैयर पैदा करता है। कैरेल का उदाहरण हमारे सामने है। माननीय चन्द्रजीत यादव या झारखंडेराय इस समय सदन में नहीं है, लेकिन मैं आपके द्वारा इस प्रदेश की जनता को और इस माननीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार कैरल के मंत्री आ-आकर कैरल के बाहर बम्बई और दिल्ली में उद्योगपतियों से मिलकर उन्हें अपने प्रदेश में ले जाने के लिये बातें करते हैं। कहते हैं कि चाहे मजदूरों को बोनस देना या न देना और जो कुछ चाहे मजदूरी देना, परन्तु कैरल में उद्योग लगाओ। हमारे प्रदेश की सरकार उस हद तक जाने के लिये तैयार नहीं है। अगर कोई उद्योगपति हमारे प्रदेश में आना चाहता है और वह यह सोचे कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा की बात को हम अपने से हटाने की सोचेंगे तो वह गलतफहमी में रहेगा।

एक ही उदाहरण देख लीजिये। हमने साहू–जैन को रुपया दिया जिसकी यहां बहुत चर्चा हुई। शायद हमारे कामों की पूरी सूचना या तो माननीय सदस्यों को मिल नहीं पाती है या कुछ दूर तक पढ़कर उन्हें थकावट आ जाती है और उतनी ही दूर तक पढ़ना पसन्द करते हैं जितनी दूर तक उन्हें कोई गड़बड़–शड़बड़ मालूम होती है। साहू–जैन को दिये हुये रुपये से न केवल बाहरी देशों से सोडाऐश आना बन्द हो जायगा बल्कि लाखों मजदूरों को बराबर रोजगार भी मिलेगा। फीरोजाबाद में ३०,००० मजदूर आज काम पाते हैं तो कल नहीं पाते हैं और कल पाते हैं तो परसों नहीं पाते हैं क्योंकि बैगिल इंडस्ट्री के लिये सोडा ऐश की कमी हो जाती है। वह अब भरपूर वहां से मिलेगा। इसके साथ हमको एमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा जिससे खेतों की पैदावार बढ़ेगी और किसान देश की पूंजी बढ़ाने में मदद कर सकेगा। जो खाद सिंधरी से हम ले रहे हैं, उसके मुकाबले में यह शर्त है साहू–जैन के साथ कि इन्हें १० प्रतिशत कम दामों में हमारे हाथ बेचना होगा। कहा गया कि सरकार ने जनता से टैक्स का पैसा उन्हें दिया है। अव्वल तो यह बात गलत है, हमने रुपया बाजार से कर्ज लिया था और

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

हमारी साख अच्छी होने से ३, सवा तीन करोड़ रुपया अधिक आ गया। इस रुपये में से हमने उन्हें दिया। तो जाहिर है कि इससे न केवल उद्योगीकरण हुआ और बहुत से लोगों को काम मिला, बल्कि खेती को भी बल मिला और कांच के उद्योग को भी। हमको भरोसा हो सकता है कि हमारे प्रदेश का कांच का मजदूर बेकार नहीं रहेगा जैसा कि सोडाएश न होने से प्ले-आफ हो जाता था। सरकार द्वारा बटने वाली खाद भी १० प्रतिशत कम दाम में किसान को मिलेगी। मुझे अफसोस है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को जो छोटी नजर से सरकार को बुराई देते हैं, उनको हर वह चीज बुरी दिखाई पड़ती है जो उद्योग से सम्बन्धित है। उद्योगपतियों की तरक्की हो या न हो, इससे हमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उद्योग को बढ़ाने में इस सरकार को बेहद दिलचस्पी है। उद्योगपतियों को भी हम इस नीति में अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देश के हित में वह जाता है।

कहा गया कि हमने लीसा का कारोबार किया है जो हमने पूंजीपतियों को दिया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बात वहां तक कहना तो ठीक मालूम होती है जहां तक पूरी कब्जे में हो और जहां कब्जे के बाहर बात हो, न कहने से शायद कोई नुकसान नहीं होता। बरेली में टर्पेंटाइन का एक कारखाना है। ८२ सैकड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार का उसमें हिस्सा है और उसका मुनाफा हमारे यहां आता है। १८ सैकड़ा बाहरी लोगों के हिस्से हैं। हम लीसा लेते हैं पहाड़ों से और टरपेंटाइन फैक्ट्री को आता है रेजिन। दायें हाथ से लेते हैं तो बायें हाथ से उनको देते भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि जनता की लूट हो गयी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन उसको लूट रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद, मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में जो लोगों को गलतफहमी थी, उससे उनके दिमाग साफ हो गये होंगे।

शायद राम स्वरूप जी वर्मा ने यह कहा और उन्होंने इसका एक नया नारा पकड़ा है कि कच्चा माल जहां हो वहीं कारखाने खोले जायं। यह वही दलील है जो हमेशा केन्द्र की तरफ से हमें दी जाती रही है और सदैव ही उत्तर प्रदेश का उनसे अहित होता रहा है, लेकिन बराबर माननीय मुख्य मंत्री ने उसका विरोध किया है और इस दलील को मानने से इंकार किया है और कहा है कि जब दक्षिण में पेराम्बुर में कोच फैक्ट्री खुल सकती है, जहां न लोहा है और न कोयला है तो फिर हमारे प्रदेश में ऐसे कारखाने क्यों नहीं खुल सकते। वह पुराने सिद्धान्त समाप्त हो चुके हैं जिनमें यह कहा जाता था कि जहां कच्चा माल होगा वहीं पक्का माल भी बनाया जायगा। जब लीसा आसानी से नीचे आ सकता है, जंगल की लकड़ी आसानी से नीचे आ सकती है तो फिर फैक्ट्री नीचे क्यों नहीं खोली जा सकती, मान लीजिये पेपर इंडस्ट्री है। उसके लिये काफी पानी की आवश्यकता होती है। अब उसके लिये कहा जाय कि वह हिमालय के ऊपर लगायी जाय तो वह असंभव है। तो कच्चे माल के पास ही फैक्ट्री लगाने की दलील आज के जमाने में गलत है और उससे प्रदेश को हानि हुई है और आगे भी इस दलील को अपनाने से धक्का लगने का अंदेशा है। जहां तक पहाड़ों के जनजीवन को उठाने की बात है, हम उसका पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अगर सहकारी समितियों को लीसे की आवश्यकता होगी तो उनको वह दिया जायगा, पहले भी दिया जाता रहा है और आगे भी उनकी सहायता की जायगी। अगर और कोई काम वहां किया जाता है तो उसमें भी सहायता दी जायगी, लेकिन अगर कोई लोग नीचे अपने कारखाने लगाना चाहते हैं तो पहाड़ों के लोग कच्चा माल देने से इसलिये इंकार करें, क्योंकि वह माल पहाड़ का है तो हिन्दोस्तान की एक रूपता और एकता की बात तो अलग छोड़ दीजिये, हमारी आकांक्षा जो उद्योगों को बढ़ाने की है और जिस कामना के लिये हम हिमालय की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि वहां से बहुत-सा कच्चा माल हमें मिल सकता है, मैं समझता हूं उसको भी बड़ा धक्का लगेगा। उससे न केवल इस प्रदेश का ही बुरा होगा, न केवल हिमालय के जो तीन-चार जिले हैं, उनका ही बुरा होगा, बल्कि सारे देश का ही बुरा उससे होगा। इसलिये इस तरह के विचार से तो दूर ही रहना उचित है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मान्यवर, मैंने कहा था कि जहां कच्चा माल मिल सकता है, वहां उसका सही तरीके से उपयोग किया जाय। जहां तक लोहे के कारखाने की बात है, लोहे के कारखाने यहां आप खोलें।

तीसरी बात रेजिन की कही गयी। मैंने यह कहा था कि रेजिन को गृह उद्योगों के रूप में चलाया जाय। अगर मुनाफा कुछ सरकार को इससे मिलता है तो क्या उसके लिये जनता को मार दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यदि मैं माननीय राम स्वरूप वर्मा जी की बात को गलत समझा तब तो ठीक ही है। उन्होंने भी यह स्वीकार किया और मैं भी यह स्वीकार करता हूं कि जहां कच्चा माल मिलता हो वहीं के लिये यह जरूरी नहीं है कि बड़े कारखाने वहीं लगाये जायं। उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि लोहे के कारखाने यहां लगाये जायं। मैं लोहे की भट्ठियों की बाबत भी कहूंगा लेकिन बाद में उस विषय पर आऊंगा। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कह देना चाहता हूं कि अगर दिमाग की उलझन को निकाल कर बातें की जायं तो अधिक उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के कच्चे माल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिये। लेकिन किसी कारखाने के लिये एक ही कच्चा माल तो नहीं होता। पेपर मिल ही है, उसके लिये बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिये कोई भी इंडस्ट्री किसी एक कच्चे माल के आधार पर ही नहीं लगायी जा सकती, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं और वे भी स्वीकार करते हैं।

हां, एक बात अवश्य है पहाड़ों में जो भी इंडस्ट्री या काम आसानी से हो सकते हैं उसको करने में सरकार कोई बात उठा नहीं रखती। सरकार ने एक हिल वूल स्कीम चालू की है। पिछले दसियों सालों से वह जो काम कर रही है, उसके लिये किसी सबूत के देने की आवश्यकता नहीं है। अलावा ऊन बनाने के, कपड़े और कंबल उससे वहां बनाये जाते हैं। यह चीज वहां खूब व्याप्त है। काफी जोरों से फैला है, उसका काम करते हैं और बड़ी मेहनत से उसमें लगे हुए हैं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि कम्बल योजना की क्या जरूरत है, वह तो खुद ही चलेगा। खुद ही चलने का सिलसिला इस देश में नहीं चला। उसको गाइडेंस, सलाह और दिशा भी बराबर देनी पड़ती है कि बाजार में किस चीज की कितनी खपत है, किस पैटर्न की चीज बने तो उसकी बाजार में अधिक खपत हो सकती है। उन लोगों को जगह-जगह की सूचनायें बराबर दी जाया करें तो हम आसानी से अच्छा और सस्ता माल तैयार करवा सकते हैं। उनको इसकी सलाह मिल सकती है कि कच्चे माल से क्या क्या चीज तैयार हो सकती है। इस दिशा में हमने काम किया भी है जैसे किस प्रकार लकड़ी के खिलौने आदि बनें, किस प्रकार खेल-कूद के सामान बनें, इस तरह के काम सारे के सारे हम उन इलाकों में कर रहे हैं जिन इलाकों में काम करने के लिये न केवल सामान ही मिलता है बल्कि काम करने वाले भी काफी तादाद में वहां मिलते हैं।

मान्यवर, एक बात कही गयी चीनी मिलों के सम्बन्ध में। बड़ी अजीब-अजीब बातें सुनने में आई और यह शिकायत हुई कि अमुक विशेष क्षेत्र में चीनी मिलें लगी क्यों नहीं, दूसरी तरफ से यह शिकायत भी हुई कि चीनी मिलों को हटा कर केवल खांडसारी के लिये ही क्यों नहीं प्रोत्साहन देते। अब ऐसी हालत में क्या कहा जाय ? इस तरह की बात कहने वाले इधर के भी हो सकते हैं और उधर के भी हो सकते हैं कि बड़ी-बड़ी मिलों को हटा दिया जाय। श्रीमन्, जब दोनों दृष्टियों से हम विचार करते हैं तो हम इस नतीजे पर आते हैं कि हमारे प्रदेश में चीनी उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। हमारे प्रदेश के करोड़ों गन्ना उत्पादकों का उससे घनिष्ठ और सीधा-सीधा सम्बन्ध है। उनका कच्चा माल इन बड़ी-बड़ी मिलों में पेरा जाता है और उससे उनको काफी पैसा मिलता है, इस तरह से उनका यह एक बहुत बड़ा जरियामाश है। चीनी मिलों का बहुत बड़ा सम्बन्ध उनकी जिन्दगी से है लिहाजा उनको हटाया नहीं जा

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

सकता है । लेकिन यह जरूरी है कि इस प्रदेश में व्यक्तिगत चीनी मिलों को लाइसेंस न देकर सरकार का प्रयास है कि कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा अधिक से अधिक मिलें चलायी जायं । हमने यह निश्चय किया कि हमारे प्रदेश में ५ चीनी मिलें कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा स्थापित की जायं । बाजपुर में शुगर मिल के लिये जो सरकार की तरफ से कर्जा दिया गया है उसके लिये भी बड़ा क्रीटिसिज्म हुआ कि यह रुपया किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है । अगर किसी माननीय सदस्य के दिमाग में इस तरह की गलतफहमी हो गयी हो तो उसको उन्हें निकाल देना चाहिये क्योंकि बाजपुर की जो शुगर फैक्टरी है वह सहकारी समिति के द्वारा चलायी जा रही है । हमारा इरादा ऐसी ५ शुगर फैक्टरीज लगाने का था जिनमें से एक तो बाजपुर में लग गयी लेकिन शेष के लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वे भी लग जांय । एक फैक्टरी जो लगी है इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी को गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल से तमाम झगड़ा करना पड़ा तब जाकर इस फैक्टरी के लिये ग्रांट मंजूर हो सकी । इसी वजह से इसके लगने में भी देर हो गयी लेकिन अब हम आशा करते हैं कि शेष ४ फैक्टरीज में से ३ के लिये स्थान निश्चित हो ही गया है लेकिन मझोला वाली फैक्टरी के सिलसिले में बात चल रही है कि वहां के लोग किस स्थान पर उसे लगाना चाहते हैं तथा उसके लिये वहां इतना गन्ना उपलब्ध हो भी सकेगा या नहीं । हमारे यहां एक ऐसा कारखाना भी तैयार हो गया है जहां से शुगर मिलों की मशीनें अपने देश में ही तैयार होने लगेंगी और वे हमको आसानी से मिल सकेंगी । अगर वहां से मशीनें मिलनी शुरू हो जायं तो फारेन एक्सचेंज आदि का भी झगड़ा समाप्त हो जायगा और इस तरह से हमको जल्दी ही वे मशीनें मिलनी शुरू हो जायेंगी । इससे आप समझ सकते हैं कि ५ फैक्टरीज लगाने का जो पहले इरादा था उसमें कोई फर्क नहीं आया है, हम उसी अपने इरादे पर कायम हैं ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---बाजपुर पर आपकी निगाह तो है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---बाजपुर फैक्टरी तो बहुत अच्छी तरह चल रही है ।

एक बात खांडसारी के सिलसिले में कही गयी कि उसकी तरफ हमारी कोई बुरी दृष्टि है । मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि ऐसा क्यों समझा जा रहा है । खांडसारी को हम कोई गयी गुजरी चीज नहीं समझते हैं बल्कि उसका भी हमारे प्रदेश के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है लेकिन जिस हद तक खांडसारी उद्योग के चलने से प्रदेश का कोई नुकसान न हो उस हद तक खांडसारी सर आंखों पर । लेकिन अगर खांडसारी उद्योग के हित को कहीं पर ठेस पहुंचाने की बात होती है तो देख रेख करनी पड़ेगी । ठेस इसलिये नहीं पहुंचती कि चीनी मिलों पर बुरा असर पड़ेगा, मैं कह चुका हूं कि १०० मन गन्ने की पेराई के बाद खांडसारी मिलों से निकलने वाली जो चीनी की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है । अगर इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया जाय तो भी खंडसारी की खपत की एक लिमिट है । उस मात्रा के ऊपर अगर खांडसारी का उत्पादन चला जायगा तो शुद्ध आर्थिक नियम उसके खिलाफ आपरेट करेगा, खांडसारी के खिलाफ आपरेट करेगा और खांडसारी उद्योग को एक मुसीबत में डाल देगा । इसलिये यह जरूरी है कि खांडसारी अपने को दिक्कत में न डाले । यह आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है, हमारे माननीय सदस्य आजमगढ़ के, बहराइच के, बलिया के या और जिलों के जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह कहते हैं कि उनके यहां का गन्ना पिर नहीं पा रहा है । बनारस की चंदौली तहसील में गन्ना खड़ा रहता है उसका बिहार की मिलों से ताल्लुक है वह दूर होने के कारण नहीं ले जा सकती । तो ऐसे सब स्थानों पर खांडसारी यूनिट्स लगाने की मेरी दावत है, जो कोई भी साहब किसी ऐसी योजना को हमारे सामने लायेंगे हम उस योजना का पूरा स्वागत करेंगे पूरी सहायता देंगे और हरचन्द कोशिश करेंगे कि उन क्षेत्रों की दिक्कतें दूर हो जायं ।

एक बात मान्यवर, कही गई कि तैलघानी की एक तरफ आप मदद करते हैं और साथ ही बड़े-बड़े उद्योगों की भी मदद करते हैं । तो तेल घानी से क्या फायदा, अम्बर चर्खे से क्या

फायदा ? मैं दावा तो नहीं करता कि मैं गांधी जी के पूरे उसूलों को मानने के लायक हूं, लेकिन जहां तक गांधी जी की उन बातों का सम्बन्ध है जो रोज की जिन्दगी में देखता हूं, जिनको देखने का हमें भी अवसर मिला है, अगर बड़े उद्योगों से आप देश की बेकारी को दूर करना चाहेंगे तो अरबों रुपये चाहिये और शायद २०० साल में भी वह न कर पायें। अगर वह हम नहीं कर सकते तो हम क्या करें ? हम दूसरी चीज करते हैं वह यह कि छोटे मोटे उद्योग घर घर फैला सकते हैं, उनको हम लोगों के हाथों तक पहुंचावें। आपत्तिकाल में जिस प्रकार से इनसान हल्की मुसीबत की जिन्दगी निभाने के लिये आमादा होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रदेश के जीवन में जो संकट का समय है उसको इन्हीं अस्त्रों से, सहायताओं से निभाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं देश के अन्दर बेकारी को दूर करने के लिये जो खादी कमीशन की योजनायें अम्बर चर्खे की, तेलघानी आदि की हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दीजिये और उसमें हमारी मदद कीजिये। तेलघानी के सम्बन्ध में एक बात कह दूं कि दक्षिण में तेलघानी बड़ा जोर कर चुकी है, मद्रास में भी है और यही नहीं मुझे केन्द्र के कामर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बताया था कि तेलघानी का बना तेल मद्रास से पैक हो कर विदेशों को जा रहा है और उसकी बड़ी फौरेन ऐक्स-चेंज कैपेसिटी है। मैं समझता हूं कि अगर अपने इस्तेमाल के बाद हम कुछ कर सकें इस दिशा में तो करना चाहिये।

एक चीज यह कही गई कि छोटे उद्योगों को मदद करने का आपका इरादा नहीं दिखाई देता बड़े उद्योगपतियों को हम मदद देते हैं, मझोले उद्योगों की तरफ आपकी नजर नहीं जाती। मैं समझता हूं यह लांछन गलत समझ पर आधारित है। हमने प्रदेश में जो ऋण देने की योजनायें बनायी हैं, माननीय ब्रजनारायण जी जिस योजना के अन्तर्गत कह रहे थे कि ४,११,००,००० रु० उद्योगपतियों को दिया गया, तो उसमें अगर कल्लू मास्टर ने भी जो पैसा मांगा अपने यहां खराद का कारखाना लगाने के लिये वह रुपया भी उसमें शामिल है। उद्योग-पति वह हर आदमी है तो उद्योग करे। तो ४,११,००,००० रु० मझोले, छोटे और बड़े उद्योगों को, तीनों उद्योगों को दिया हुआ ऋण है। अब जो ऋण हमने दिया, आपने कहा कि कैसे दिया। तो उसमें आप जानते हैं उसकी अलग–अलग योजनाएं हैं। एक योजना फाइनेन्स कारपोरेशन के मातहत काम में आती है। एक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोन की योजना है जो जिले की इंडस्ट्रीज सब-कमेटी की सिफारिश पर जिलाधीश दे दिया करता है। तीसरी है जिसको स्टेट लोन एडवाइजरी कमेटी देती है। कहा यह गया कि "राज्यबंसी" लोग आपस में बांट लेते हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस भवन की प्रतिष्ठा इस तरह ज्यादा रह सकती है कि अगर निश्चित लांछन निश्चित व्यक्ति पर और निश्चित समय पर लगाया जाय। आम लाछंन आम आदमियों पर लगाने की जो परम्परा शायद बन रही है यह प्रजातंत्र के लिये खतरनाक है और इस सदन की मर्यादा के लिये भी खतरनाक है। मैं दावत देता हूं उस भाई को जो बतावे कि लोन देने के सम्बन्ध में कहीं कुछ हुआ है। इंडस्ट्रीज सब-कमेटी के जिले में हर एम० एल० ए० और एम० एल० सी० मेम्बर है। वह कमेटी बैठ कर बात करती है। दूसरी बात यह भी कही गई कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में सिर्फ कांग्रेस दल के लोग हैं, उस तरफ के नहीं। मैं क्या कहूं। श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह उसके खुद सदस्य हैं। अब अगर विरोधी दल का सदस्य किसी जगह तभी शामिल माना जाय जब कि वह किसी विशेष दल का हो तो मैं लाचार हूं। लेकिन अगर विरोधी दल का मेम्बर है तो फिर शिकायत करना कि विरोधी दल का कोई सदस्य नहीं है, वास्तविकता से परे है। इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिये। यह कहा गया कि इन्डस्ट्रीज सब-कमेटी जिले में मिलती नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी भी जिले में किसी भी इंडस्ट्रीज सब-कमेटी के परामर्श के बिना लोन दिया गया होगा तो उस चीज की शिकायत आने पर उस अधिकारी को जिसने ऐसा लोन दिया हो उसको सजा दी जायेगी। लेकिन सदस्य मीटिंग में न जायं, उन्हें मौका न हो, वक्त न हो और भी बहुत से काम तो उनको रहते हैं, तो बात दूसरी है। मैं आपको बताऊं कि यदि ऐसी कोई चीज हमारे सामने आएगी तो सख्ती के साथ उसको देखा जायेगा.....

एक सदस्य---कानपुर में १५ महीने में एक दफा बुलाई ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मुझे नोटिस लिख कर दें तो मैं देख सकता हूं । मान्यवर, यह कहा गया कि हमारा जो पैसा देने का तरीका है उसमें गलती है । अगर यह कहा गया होता कि सोडा ऐश फैक्टरी की जरूरत नहीं है और पैसा दिया गया । अगर यह कहा गया होता कि कपड़ा मिल के मशीन और पुर्जों के बनाने की जरूरत नहीं है और पैसा दिया गया । यह कहा गया होता कि सहकारी समिति को पैसा देना ठीक नहीं, बाजपुर में जैसा कि किया गया । तो वह बात मैं यह सन्तोष कर मान लेता कि हर सवाल के जवाब दो तरह दिये जा सकते हैं । लेकिन मुझे विश्वास है कि मुनासिब उद्योगों को प्रदेश और देश के हित में पैसा दिया गया ।

मान्यवर, एक चीज कही गई कि हमने हैन्डलूम के काम की दशा को खराब कर दिया । न मालूम किस माननीय सदस्य ने कहां से इस बात को समझ लिया । मैं चाहता था कि माननीय सदस्य यह कहते कि सन् ५०-५१ में हैन्ड लूम का इतने करोड़ का टोटल प्रोडक्शन था और ५८-५९ में इतने करोड़ रुपये का है । हम किताबें बांटते हैं, कागज बांटते हैं, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों को मान्यवर हमारे कागज और किताबों से इतनी भी मुहब्बत नहीं कि उन पर एक नजर डाल लें । शायद रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं । हैन्डलूम के सिलसिले में इतना कहना चाहूंगा कि अगर माननीय सदस्य ने यह किताब पढ़ी होती तो उनको दिखाई पड़ जाता कि हैन्डलूम में कितनी वृद्धि और तरक्की हमने पिछले ६-७ सालों में की है । ५५-५६ में ३.९८ करोड़ का हैन्डलूम का उत्पादन हुआ और ५८-५९ में हमारा टारगेट ७ करोड़ रुपये का करने का है जिसमें से हम ५.९४ करोड़ रुपया दिसम्बर में पहले ही अचीव कर चुके । अगर यह तरक्की नहीं है तो और माननीय विरोधी दल के सदस्य जो बोलें वही तरक्की है तो मैं ऐसी तरक्की लाने में लाचार हूं । मैं वह बोली नहीं बोल सकता जो वस्तुस्थिति से परे हो, मैं वही बोली बोलूंगा जो वाकयात से ताल्लुक रखती है, मैं आम बात कहने का आदी नहीं हूं ।

एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि ३ लाख रुपया आपने सिर्फ हैंडलूम के लिये रखा है । मैंने सर खुजलाया कि कहीं पढ़ने में तो गलती नहीं की, किताबें देखनी शुरू कर दीं तो पता लगा कि वह है ४० लाख रुपया और फिर विरोधी दल के हाथ में पुस्तक पहुंचने पर वह ३ लाख केवल रह जाते हैं । तो मैं लाचार हूं, कुछ कर नहीं सकता ।

मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि लारी साहब ने कहा कि हम कुछ खास किस्म की समितियों को मदद देते हैं, कुछ को नहीं देते । मैं खुश हूंगा अगर वह एक भी खास किस्म की समिति की मिसाल हमारे सामने पेश करें और यदि न करें तो आपके द्वारा यह निवेदन है कि आइंदा इस भवन में ऐसी बात न कहा करें तो मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूंगा । मैं जांचने और देखने के लिये तैयार हूं, लेकिन उनकी ओर से कोरा लांछन न आये इसकी उम्मीद रखता हूं ।

एक बात यह कही गयी कि इस चीनी मिल के बाई-प्रोडक्ट्स की तरफ हमने कोई तवज्जह नहीं दी और कुछ हम सर्वे नहीं करा रहे हैं, रिसर्च नहीं करा रहे हैं । बलवान सिंह जी की बात सुनकर धक्का लगा, शायद वह कानपुर में नहीं रहते हैं आजकल, या वहां की चीजों पर तवज्जह नहीं देते हैं । यह हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट क्या है ? मैं उनको दावत देता हूं कि इंस्टीट्यूट में जायं और देखें कि वहां रिसर्च होती है तेल पर, साबुन पर और प्रदेश की विभिन्न चीजों पर । कहा गया कि चीनी मिल के ऊपर रिसर्च नहीं होती तो इतना बड़ा रिसर्च सेंटर शुगर टेक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट जिस प्रदेश में स्थित हो उसके विधायक, लेजिस्लेटर ऐसी बात कहें तो वह भले ही इस प्रदेश में ऐसी बात कहें, लेकिन यदि उन्होंने अन्य प्रदेशों में ऐसी बात कही तो बड़ी हंसी हम लोगों की होगी, इसलिये न कहा जाय तो बेहतर है ।

लांछन लगाया कि हम जानते नहीं हैं अपने प्रदेश के अन्दर जो शुगर इन्डस्ट्री के बाई-प्रोडक्ट्स हैं, उनको । कहा गया कि पावर अलकोहल उद्योग खतरे में है । जिसको चारों तरफ

खतरा दिखलाई देता है, उससे अपीलें करना, खतरा न देखने की, कोई मानी नहीं रखता। उनसे सबको खतरा हो सकता है लेकिन पावर अल्कोहल को कोई खतरा नहीं है। वह उद्योग काफी तरक्की कर रहा है, उसके आंकड़े हैं। कहा गया कि तुम डीजेल इंजिन ला रहे हो यह खतरनाक है। मैं तो चाहता हूं कि सारे प्रदेश में डीजेल इंजिन का ही जाल बिछ जाय, क्योंकि वह सस्ता ट्रांस्पोर्ट है। रामस्वरूप जी चिन्ता न करें आज से दुगना पावर अल्कोहल भी हम पैदा करेंगे तो भी इस सब की खपत हमारे पास स्वयं है। उससे ही हम अपने यहां एसेंशियल आइल्स और दूसरी चीजों के बनाने की बात सोच रहे हैं। उससे ही बरेली में सिंथेटिक रबर का बड़ा भारी कारखाना बनाने की बात सोच रहे हैं। हमारे पास कारखानों की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं, रास्तों की कमी नहीं। अगर उसके बावजूद भी कोई सज्जन समझें कि वह खतरे में हैं तो खतरे उनको मुबारक हों।

एक बड़ा भारी लांछन लगाया गया कि हम प्रेस मड की बाबत जानते नहीं कि क्या होता है। तो मैं माननीय सदस्य को यह समझा दूं कि अव्वल तो वह खेतों में काम आ रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा खेतों में खाद की शक्ल में जाता है और बड़ा नुक्सान हो अगर हम सारी की सारी प्रेस मड खेतो में से वापिस खींच लें। कहा गया कि उससे मोमबत्ती बन सकती है, बन सकती होगी। उसको हम दिखला रहे हैं। हर चीज का अधिक से अधिक उपयोग हमको मिल सके हमारी नीयत है लेकिन उसका एक दूसरा तरीका है।

कहा गया कि बगास से बहुत कागज बनाया जा सकता है। मेरठ में जसवन्तनगर शुगर फैक्टरी को लाइसेंस दिये हुये डेढ़ वर्ष हो गये और ढाई करोड़ रुपये की मशीनरी का आर्डर उनका जर्मनी में पड़ा हुआ है। मेरठ में बगास से कागज बनाने का कारखाना लगने वाला है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि बगास जलाया जाता है इंजिन्स में तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके जलाये जाने से हम तभी कुछ-कुछ रोक सकते हैं जबकि फैक्टरी की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो कि उससे बनने वाली जो चीनी है वह इतना बगास छोड़े कि चीनी मिलों की खुद की खपत पूरा करके वह बच जाय और बाकी रह जावे। पश्चिमी जिलों की चीनी मिलों में तो बगास बच जाती है लेकिन पूर्वी जिलों की चीनी मिलों में बगास बच नहीं सकती। बगास को जलाने से बचाने का समय अभी हमारे प्रदेश की शुगर मिलों के पास नहीं है उसको जलाना होगा और काफी हद तक जलाना होगा तावक्ते कि इतना कोयला न मिल जाय हमारी मिलों को कि बगास को बिलकुल हटा देना पड़े और उसकी जरूरत उनको न रहे।

यह बात कही गई कि हमारे प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे लोहे के कारखाने नहीं बन रहे हैं। अब अगर उससे मतलब रोलिंग मिल्स से है या स्क्रेप वगैरह को गलाकर लोहा बनता है तब तो बात दूसरी है और उसका उत्तर यह है कि वह हमारे यहां है। लेकिन अगर लोहे के कारखाने से आइरन और स्टील मिल्स से है तो फिर समझना होगा बहुत कुछ। अभी जवाहरलाल जी ने एक सूचना दी है कि चीन में छोटे-छोटे लोहा बनाने के काम को चालू किया गया है। उसी से लोग अब यह कहने लगे हैं। मुझे खुशी है कि उधर बैठे लोग श्री जवाहारलाल जी की बात बहुत पसन्द करते हैं लेकिन जो बात उनको पसन्द होती है उसको बिना समझे हुये कहने में खतरा भी होता है। उनके बहुत समझने की जरूरत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि कोई सदस्य जो विषय सदन में आ गया है उसको तोड़ मरोड़ कर कह सकता है और जो विषय संगत हो उसको असंगत बनाकर कह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--खुद अपनी बात को और उसके विषय को आप समझें। मैं समझता हूं कि जनरल बात कह देने पर मैं क्या नोटिस ले सकता हूं। आप बतलाते कि क्या गलत कह रहे हैं? आप कृपा करके बैठिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तो मैं कह रहा था कि छोटी-छोटी मिल्स के बारे में अभी हमारी केन्द्रीय सरकार का दिमाग भी साफ नहीं है। उन्होंने चीन एक टीम भेजी है। वह टीम स्टडी करके आयेगी। यहां चीन वाले बहुत संख्या में आया करते हैं हम से बात समझने को लेकिन अपनी टीम अब गयी है और वह देखेंगे कि छोटी-छोटी मिलें क्या करती हैं, और कैसे करती हैं। वैसे हवा में मिल लगानी हो तो बहुत सी मिलें लग सकती हैं। उसकी बात मुझे नहीं करनी है। हमारे मुख्य मंत्री जी के विशेष प्रयास और दिलचस्पी के कारण हमारे मिनरल्स की खोज का काम भी जारी है। उसके लिये हमारा एक अलग से डाइरेक्टोरेट है। वह देख रहा है और हमको भरोसा है कि हमारा उद्योग विभाग इस देश और प्रदेश के अन्दर कामों को चालू करने में पूरा-पूरा सफल होगा।

एक बात मान्यवर, यह कही गयी कि एक बनारस की मिल है जिसको हमने किसी को दे दिया। कोई सेठिया थे कलकत्ते के वे हमारे दुश्मन थे और कोई कानपुर के थे वे हमारे दोस्त थे। हमने दुश्मन से फैक्टरी छीन कर अपने दोस्त को दे दी। यह निहायत गलत बात है। हमारे सामने किसी से दोस्ती और दुश्मनी का सवाल नहीं है। बनारस की काटन मिल बन्द थी। एक लिक्वीडेटर ऐप्वाइंट कर दिया गया था कोर्ट से। लिक्वीडेटर ने इन्तजाम किया टेक्सटाइल कमिश्नर बम्बई और कोर्ट की सलाह से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी को मिल नहीं दी। अगर कोई मेम्बर इस बात को सिद्ध कर देंगे मेरा दावा है कि हमने किसी को मिल दी तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि उनका आक्षेप सही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, माननीय बहुगुणा जी इस सदन में बिल्कुल असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप का प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इसी बात के बारे में जब हमने कार्य-स्थगन प्रश्न उठाया था, इसी प्रश्न को लेकर जबकि लिक्वीडेटर ने पूर्ण रूप से एक कलकत्ते के फर्म से रुपया जमा करा लिया फिर टेक्सटाइल कमिश्नर ने किस कारण से जयपुरिया को मिल का एक सेक्शन देने की बात कही ? मैं अब भी कहना चाहता हूं कि इस सदन की कोई कमेटी बिठायी जाय, वह जांच करे कि क्यों जयपुरिया को वह मिल दी गयी और दूसरे को नहीं दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ये शब्द आप वापस लीजिये कि कोई असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---यह बिल्कुल पार्लियामेंटरी है। मैं फिर कहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी ने जो बात सदन में कही वह सत्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---हां, यह बात ठीक है कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुगुणा जी ने जो बात कही वह सत्य नहीं है। आप कृपा करके बैठिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, सत्य किसी को कैसा दीखता रहे, अपनी-अपनी आंख और अपने-अपने चश्मे होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री राजनारायण के खड़े होकर कुछ बोलने पर) मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि वे कृपा करके बैठें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मैं आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को सिवाय इस दिलचस्पी के कि वह मिल चले कोई दूसरी दिलचस्पी किसी आदमी के सम्बन्ध में नहीं रही है। टेक्सटाइल कमिश्नर या गवर्नमेंट आफ इंडिया की इंडस्ट्रीज और कामर्स मिनिस्ट्री के अधीन उनका बम्बई में दफ्तर है।

उनके परामर्श से आफिशल लिक्वीडेटर ने कोर्ट के आदेश से किसी को वह मिल दी। हमारा उसमें कोई हाथ नहीं रहा। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई गलत बात दीखे तो मैं लाचार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री राजनारायण जी के खड़े हो कर कुछ बोलने पर) राजनारायण जी, आप कृपा कर बैठिये। यह बहुत नामुनासिब बात है कि आप इस तरह बीच बीच में टोकते रहते हैं। यह आप कह चुके हैं कि सदन की कमेटी बैठायी जाय। इसके लिये मैं तो मजबूर नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण—सदन तो मजबूर कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—तो सदन करे, मैं कब कहता हूं कि न करे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, कमेटी बिठाने की न कोई जरूरत है और न हम बिठाना चाहते हैं। यह तो वाकयात की बात है, अगर कोई लिख कर देगा तो उसकी इन्क्वायरी करा ली जायगी।

एक बात यह कही गयी कि पहाड़ों में हार्टिकल्चर के सम्बन्ध में हमने कोई काम नहीं किया या कोई बड़ी भारी अवहेलना की है। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि पहाड़ों में जो फलदार वृक्ष हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिये सरकार ने ८,९०,००० पेड़ों पर काम किया, नये फ्रूट प्लान्टेशन की तादाद १३,७०,००० पेड़ है, जो फ्रूट प्लान्ट्स बांटे उनकी तादाद है १८ लाख के करीब, रामगढ़ में हमने जो फ्रूट यूटिलाइजेशन का काम किया वह है ५,३२,००० पौंड और जिन लोगों को हमने फ्रूट प्रिजरवेशन की ट्रेनिंग दी उनकी तादाद है ६,९४९। अगर ये सब काम फ्रूट प्लान्टेशन के नहीं हैं तो क्या काम वे कर सकते हैं अगर माननीय सदस्य निश्चित रूप से हमें बतायेंगे तो हम देखेंगे कि क्या उस सम्बन्ध में हम काम ले सकते हैं।

यह भी कहा गया कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे पता चले सारे प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां चलते थे, वे कब खत्म हुए, कैसे खत्म हुए। तो इसके लिये हमने सारे प्रदेश के सर्वे को आदेश दे दिया है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर्स हैं वे सब जिलों में इस बात की रिपोर्ट बना रहे हैं कि क्या उद्योग वहां होते थे, क्यों वे उद्योग मरे और फिर से कैसे उनको रिवाइव कर सकते हैं। हमारे पास जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर जो आज काम का बोझ है उसको जितना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह निश्चित बात है कि हर आदमी एक हद तक ही काम कर सकता है, उसके ऊपर काम करने की शक्ति उसमें नहीं है। तो वह सारा सर्वे ७-८ जिलों का पूरा हो कर आ गया है और बाकी जिलों से आने वाला है। जब सब जिलों से रिपोर्ट आ जायेगी तो छोटे और मझोले उद्योगों के सम्बन्ध में हम अपने प्रदेश के हर जिले में एक नई प्रगति शुरू कर सकेंगे।

आज भी यह कहना गलत होगा कि हमारी कोई जानकारी नहीं है, हम अंधेरे में जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसकी बड़ी छान-बीन होती है और इस बात को हमारे अधिकारी देखते हैं कि कहां क्या काम हो सकता है ? रॉ मैटिरियल्स की हमारे प्रदेश को जरूर बड़ी दिक्कत है। जितना कोटा लोहे, तांबे और कोयले का केन्द्रीय सरकार से हमारे प्रदेश के लिये निश्चित है हमें उसी के अन्दर काम करना है। इसमें कोई शक नहीं है और मैं केन्द्रीय सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता हूं और न शिकायत ही करना चाहता हूं लेकिन यह बात जरूर है कि प्रदेश की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए जितना रॉ मैटिरियल्स हमें मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है जिसके कारण हमें बड़ी मुसीबत है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे रॉ मैटिरियल्स

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

की पोजीशन ईज होती जायगी हमारे प्रदेश की दिक्कत भी दूर होती जायगी। फिलहाल हम केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इन दिक्कतों को दूर किया जाय।

श्रीमन्, हम प्रदेश में उद्योगों का जाल फैलाना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ किसी तरह के अन्याय का बर्ताव नहीं रखना चाहते हैं। अगर हमें इस काम में मदद नहीं मिलती है तो इसका दोष किसी को देने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि हमें भविष्य बतलायेगा कि प्रदेश की सरकार ने इस ओर कितने अच्छे ढंग से काम किया है।

एक और लांछन लगाया गया। ५ करोड़ की मांग की गयी है इसके सम्बन्ध में एक मित्र ने कहा कि मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। मैंने भी बी० एस-सी० तक अर्थमेटिक पढ़ी है और गोविन्दसिंह जी मेरे साथी थे। कहा गया है कि इसमें से ५० फीसदी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर खर्च होगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं। मैं उसको दुहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जी नहीं करता। बार-बार अपने इंस्ट्रूमेंट को कोसना जिसके जरिये काम कराना चाहते हैं। उनको बार-बार बुरा भला कहना, लांछन लगाना कि ५० फीसदी उनके लिये रखा जा रहा है यह ठीक नहीं है। हमारे विभाग में ज्यादा से ज्यादा २३ सैकड़ा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों पर खर्चा नहीं है। जब कि २३ प्रतिशत का इतना लिबरल खर्चा हो उसके लिये ऐसा लांछन लगाया जाय कि ५० फीसदी खर्चा है तो मैं समझता हूं कि इस अतिश्योक्ति से काम करने वालों के दिलों को ठेस लगेगी। वह कहेंगे कि जब हम बदनाम हैं तो हमें १७ प्रतिशत और मिलना चाहिये। इसलिये ऐसी बात कहना गैर मुनासिब हो जाता है।

मान्यवर, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये कहा गया कि वहां तौल कम होती है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिन सज्जनों को इस फैक्टरी को देखने का मौका मिला है वह जानते हैं कि वहां तोल औटोमेटिक है। हाथ से तोल नहीं होती है। थैला आता है और जब वह भर जाता है तो अपने आप खिसक जाता है। वह हाथ से नहीं खिसकाया जाता है। जहां इस तरह की स्थिति हो कि औटोमेटिक तोल हो और हमारे ३०० से ज्यादा स्टाकिस्टस् हैं और कभी एक भी शिकायत इस बात की नहीं आई तो इस बात को स्वीकार करने में मैं तो असमर्थ हूं। मैं समझता हूं कि यह गलत है।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर के जो मजदूर हैं और जो वहां पर व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है। उससे हमें बहुत संतोष है और हमें खुशी है कि वहां के मजदूर अच्छा काम कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मान्यवर, यह कहा गया है कि वहां पर एक आई० ए० एस० अधिकारी रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने बड़े-बड़े बिजनेस फर्म्स हैं उन सब में जब इन्तजाम करने की बात आती है, व्यवस्था की बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को अलग रखा जाता है और टेक्नीकल विंग के अलग आफिसर्स होते हैं।

(इस समय ४ बजकर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

ठीक इसी तरह से जो हमारे यहां चीफ इंजीनियर हैं वह बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अभी हाल में केन्स की और रोपवेज की रिडयर्स की हैं जिनके लिये हम सोचते थे कि विदेश से आदमी बुलाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसकी मरम्मत का काम किया है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। फिर भी उन पर लांछन लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और नामुनासिब बात होगी।

श्री बलवानसिंह—दो सेर सीमेंट कम आता है।

श्री हेमवन्तीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, एक बात और कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस चुर्क सीमेंट फैक्टरी की वजह से चूने का काम बन्द हो गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा चूने का काम कतई बन्द नहीं हुआ है। हमारी इच्छा है कि वह बढ़े। लेकिन जैसा कि मैंने कहा चूने की भट्ठी चलाने के लिये कोयला चाहिये। अगर पीस कर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फूंक कर चूना बनाना है तो कोयले की जरूरत है। कोयला हमारे प्रदेश में नहीं है। जितना कोयला हमको केन्द्रीय सरकार से मिलता है उसमें अगर बचता है तो हम दे सकते हैं। कोयले की खदानें हमारे प्रदेश में नहीं हैं।

एक अन्तिम बात यह कहूंगा कि प्रदेश के अन्दर उद्योगीकरण की आबहवा पैदा करने की जिम्मेदारी बहुत हद तक हमारी विधान सभा की है। जो रोजाना का सिलसिला होता जा रहा है उद्योग और उद्योगपतियों के ऊपर शबहे की नजर डालने का, वह आबहवा को बिगाड़ सकता है। मुझे भरोसा है कि इस आबहवा को अच्छा बनाने में यह सदन और प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और मुझे आशा है कि हम इस प्रदेश के उद्योगों को ऊंचा ले जा सकेंगे और खेती पर जो आज बोझा पड़ रहा है उसको वह वहन कर सकेगा। जिससे हमारे प्रदेश में सुख और सम्पत्ति का राज्य हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह सदन उस कटौती के प्रस्ताव को गिराता हुआ हमारी इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण--मैं श्री बहुगुणा जी के ऊपर एक विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका नोटिस हो गया।

श्री राजनारायण--चूंकि सदन में हुआ है--आप को यह याद होगा, आप अपनी कार्यवाही में देख लें कि हमने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के ऊपर एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था कि उन्होंने सदन में सत्य को छिपाया। उस समय उसको यह कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में है। इसलिये चर्चा नहीं हो सकी। वाराणसी में एक काटन मिल थी। उस काटन मिल में दोनों सेक्शन खोलने के लिये कलकत्ते के एक व्यापारी ने रुपया जमा कर दिया।

श्री अध्यक्ष--आप किसके बारे में....

श्री राजनारायण--वहीं आ रहा हूं। जब वाराणसी...

श्री अध्यक्ष--आप सिर्फ नोटिस दे सकते हैं।

श्री राजनारायण--वही नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--तो आप कल लिख कर भेज दीजियेगा।

श्री राजनारायण--आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें ताकि जो टेक्सटाइल कमश्निर को प्रान्तीय सरकार ने क्या सलाह दी वह मालूम हो सके। माननीय बहुगुणा जी और माननीय सम्पूर्णानन्द दोनों के भाषणों में फर्क है और आज बहुगुणा जी ने उस सत्य को छिपा कर उस पर लीपा पोती करने की कोशिश की। जो उन्होंने सत्य को छिपाया उसकी हम नोटिस देते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप नोटिस लिखित दें।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री अध्यक्ष]

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

बड़े मशीनों से चालित उद्योग व हाथ से चालित उद्योगों के स्थान पर छोटे शक्ति संचालित मशीनों से ग्रामोद्योगों की विकास की नीति का सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा विभाजन की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में ---४८,

विपक्ष में---१२३)

श्री अध्यक्ष---दूसरा श्री चन्द्रजीत यादव का है । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---श्री व्रजनारायण तिवारी, श्री रामचन्द्र विकल, श्री गोविन्द सिंह विष्ट वगैरह का प्रस्ताव । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

(लघु तथा कुटीर उद्योगों को कम प्रोत्साहन देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---श्री हरिदत्त कांडपाल का प्रस्ताव . . . .

श्री हरिदत्त कांडपाल---मैं वापस ले रहा हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---श्री व्रजनारायण तिवारी का प्रस्ताव---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अस्थायी तौर पर उद्योग की स्थापना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---श्री सूरतचन्द रमोला का कटौती का प्रस्ताव ।

श्री सूरतचन्द रमोला---अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् के द्वारा आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायणजी का कटौती का प्रस्ताव ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

ग्राम उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिये सुझाव ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,५०,६२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९*

श्री अध्यक्ष--अब वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, बहस जारी होगी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ दो चार चीजें कहनी हैं। यह जैसा विधेयक लाया गया है, श्रीमन्, आप देखेंगे प्रवर समिति से पास होने के बाद और अधिक क्लिष्ट हो गया है और सेल्स टैक्स ऐक्ट वैसे ही क्लिष्ट है। तो इस क्लिष्टता के कारण और इसमें जो अड़चनें हैं, बहुत टेक्निकलिटीज़ है उनकी वजह से बहुत से व्यापारी ईमानदार होते हुए भी सेल्स टैक्स से बचना चाहते हैं। इतने फार्म उनको भरने पड़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। एक बात की जरूरत है कि मौजूदा जो सेल्स टैक्स है, जैसा इस वक्त है, उसमें बीसों संशोधन हो चुके हैं यानी ओरिजनल रह ही नहीं गया है, बल्कि पेबन्द ही पेबन्द लिए गये हैं, यह कोई प्रेस्टिज का सवाल नहीं है, चाहे वह बिल आज पास हो जाय। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको देखें और सरल बनाने की कृपा करें जिसकी बहुत जरूरत है। इसमें आप देखेंगे वही एक धारा संशोधन द्वारा निरसित की गई मगर इसके नियम अभी हैं, लेकिन दूसरी जगह वही क्लाज मौजूद है। तो इस तरह से आपस में कांफ्लिक्ट होता है। श्रीमन्, अभी हाल में मैंने पढ़ा था किसी अमेरिकन जूरिस्ट ने ऐसी राय दी है कि सेल्स टैक्स प्राविंश्यल विषय है ही नहीं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है कि इसकी जांच होना जरूरी है। शायद मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा तो उसकी ओर मैं भी ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आखिर में जो प्राविजन है २९,३० दफा का, जिसका जिक्र एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में भी है जब किसी आदमी का रुपया अगर एक्सेस में सरकार के पास आ जाय और सरकार उसको वापस करना चाहती है तो उसके लिये प्राविजन नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहूंगा कि वह ऐसा प्राविजन कर दें कि अगर एसेसिंग अथारिटी को खुद यह मालूम हो जाय इन एक्सेस लिया है तो वह बिना मूव फ्राम कि अदर साइड उसको वापस कर दें। श्रीमन्, नरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि आज उनको जल्दी है। मैं उनकी बात का आदर करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह बिल पारित न हो जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, मैं इसमें यह अमेंडमेंट करना चाहता हूं कि बजाय अनिश्चितकाल के तीन घंटे के लिये निश्चित कर दिया जाय। यदि पहले पारित हो जाय तो अच्छा है। तीन घंटे में यह हो कि १५,२० मिनट में जनरल डिबेट समाप्त हो जाय और उसके बाद क्लाजवाइज लेकर दो ढाई घंटे में कुल समाप्त कर दिया जाय। अनिश्चित काल में यह होगा कि १० बजे या ११ बजे रात तक बैठना पड़ेगा।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २-३-१९५९ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---आपका सुझाव यह है कि एक घंटा जनरल बात हो जाय और फिर खंडों पर दो घंटे राय हो जाय।

श्री सुरथबहादुर शाह---मेरा सुझाव यह है कि १५ या २० मिनट जनरल डिबेट हो जाय और बाकी वक्त में क्लाजवाइज डिसकशन होकर समाप्त हो जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आप इसको इस समय न लें। यह मेरा निवेदन इसलिये है कि जरा इस सदन के जो सदस्य हैं उनकी दिक्कतों और मुसीबतों का भी खयाल रखा जाय। जब-जब सरकारी पक्ष को आवश्यकता महसूस होती है उनके किसी दल विशेष के काम के कारण या किसी नेता विशेष के स्वागत करने के कारण तब-तब वह यहां पर दूसरे सदस्यों की कठिनाइयों का खयाल नहीं करते और सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप श्रीमन्, यह देखें कि एक प्रस्ताव पहले से पास था कि ५ बजे के बाद हम १ घंटा अधिक बैठेंगे और १ घंटा अधिक बैठकर बिक्री-कर विधेयक पर विचार कर लेंगे तो कल क्या आवश्यकता थी कि सरकारी पक्ष की ओर से आपसे इस बात की इजाजत मांगी गई कि ५ से ६ बजे तक सदन की कार्यवाही न हो। उनको कोई काम रहा होगा। वह चाहते हैं कि सरकारी पक्ष की रुचि के मुताबिक इस सदन को जैसा चाहें वैसा मोड़ते रहें। इसलिये यह बहुत ही अनुचित परम्परा होगी यदि आप हम लोगों को बराबर उनकी इच्छा के अनुसार झुकाते रहेंगे। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को हरगिज न लें। जो विषय पहले से तय है कि हम लोग एक घंटा अधिक ५ से ६ तक बैठेंगे वही चले। कल भी अगर यह सदन ५ से ६ तक चले तो इसमें क्या आपत्ति आ जायगी, और कौन-सी मुसीबत बरपा हो जायगी। इसके लिये न कोई सचाई है, न सफाई है और न कोई तर्क है। वह यह समझते हैं कि जो भी वे निवेदन करेंगे वह स्वीकार हो जायगा। वे सोचते हैं कि आप उदार हैं, दयालु हैं तो उनको इसकी इजाजत दे ही देंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी दिक्कत को भी देखा जाय। ५ से ६ बजे तक तो था ही फिर सुरथबहादुर जी कहते हैं कि ७ बजे तक हो जायगा और ८ बजे तक हो जायगा और फिर कहते हैं कि जब तक कार्यवाही समाप्त न हो तब तक के लिये बैठा जाय। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जरा इसको सोचा जाय कि आजकल जो हवा बहा दी गई है, इतना स्तर नीचे गिरा दिया गया है कि जब जो चाहे सो करें। अगर सरकारी पक्ष की हां में हां विरोधी पक्ष न मिलायें तो यह कहा जाता है कि यह हठवादिता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप छुई मुई न बनिये जिससे सरकार की कमियों और खामियों को यहां पर रखने में हमें कठिनाई हो। इस बिक्री-कर के संबंध में मोतीलाल जी के बहुत से संशोधन हैं उन सब पर हमको विचार करना है। उन पर विचार न हो, और प्रदेश की जनता के हित को यहां पर न रख सकें तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष---(वित्त मंत्री से) माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों समय बढ़ा रहे हैं। पहले तो यह पास हुआ था कि एक घंटा रोज बैठा करेंगे, लेकिन अब आज और अधिक समय क्यों बढ़ा रहे हैं और आज ही इस बिल को पास करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसकी जरूरत को आप कृपया बता दें।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---मैं २,३ बातें इसके बारे में अर्ज कर दूं तो साफ हो जाय। जिस वक्त यह बिल शुरू में पेश हुआ था तो उस समय सब यह चाहते थे कि यह ३१ मार्च तक पास हो जायं। उस वक्त यह फैसला किया कि ५ से ६ बजे तक बैठा जाय तो इस बिल पर विचार हो जाय। उसके बाद यह तजवीज आई कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। उस वक्त मुझसे माननीय नेता विरोधीदल और दूसरे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो-जो इसमें खामियां रह गई हैं, अगर यह सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो ठीक हो जायंगी। जो राजनारायण जी की पार्टी है उसकी तरफ से भी प्रतिनिधि कमेटी में आये थे। जो-जो तजवीज उन्होंने की उन पर विचार किया

गया। उसके बाद उन्होंने नोट आफ डिसेंट भी लगाया। उसको माननीय सदस्यों ने देखा होगा। उसमें सरकार के ऊपर लांछन के सिवाय और कुछ बात नहीं थी जिससे मदद मिलती। सेलेक्ट कमेटी में इसी गरज से बिल जाता है कि जो उसमें खराबियां हों वह सलाह मशविरे से हल कर ली जायं। उसमें सभी पार्टियों के नुमाइन्दे होते हैं। अगर हमको जिद होती कि इस पर गौर न किया जाय तो हम सेलेक्ट कमेटी की बात मंजूर न करते और जैसा बिल हम लाये थे उसी को पेश करते और मंजूर करा लेते। सेलेक्ट कमेटी में जब पूरे तौर से विचार हो गया और कोई नोट आफ डिसेंट किसी क्लाज के मुताल्लिक नहीं आया तो यह मुनासिब समझा गया कि जिस शक्ल में यह बिल सेलेक्ट कमेटी से आया है उसे वैसा ही पास कर दिया जाय। उसमें जो तरमीमें जरूरी थीं नागर जी की और विरोधी दलों की, वह मंजूर की गयीं। उसके बाद महज इसलिये कि यह बिल पास न होने पाये यह कोशिश की जा रही है कि इसमें देर की जाय।

श्री राजनारायण—वाइंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी दो बार मोटिव पर हमला कर चुके हैं। एक बार कहा गया कि हमारे दल की तरफ से सरकार पर आक्षेप किया गया और उन्होंने समझ लिया कि हम मोटी बुद्धि के आदमी हैं, समझ नहीं पायेंगे। फिर दूसरी बात यह कही गयी कि उनके दल की तरफ से विधेयक पास न होने पाये इसलिये अड़ंगेबाजी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि यह अल्फाज ठीक नहीं हैं कि यह कहा जाय कि अड़ंगेबाजी के इरादे से दूसरे दल काम कर रहे हैं। सरकार पर लांछन लगाने की बात तो वह कह सकते थे।

श्री राजनारायण—उस समय हमने उनको नादान समझ कर छोड़ दिया था।

श्री सैयद अली जहीर—अगर आप मुझे इसका इत्मीनान दिला दें कि वह हमारा साथ देंगे तो बड़ा अच्छा हो।

आज पास होने की बात यह है कि कौंसिल के सामने यह बिल जाना है और उस के पास कल भर का काम है और उस के बाद उसे मुल्तवी होना है। १६ और १७ तारीख को यह बिल उसके सामने पेश होना चाहिये और इन दो दिनों में वहां इस पर बहस होगी। अगर उनके सामने यह १३ तारीख को नहीं जाता है तो १६ और १७ को उन के लिये कोई काम नहीं रह जायगा और बाद में जब कौंसिल अप्रोप्रियेशन बिल के लिये बुलाई जायगी होली के बाद, तभी इस पर विचार वहां हो सकता है। तो इस वजह से कि अगर १६ को यह बिल जाता है तो १६ को वहां इस पर विचार नहीं किया जा सकता, हाउस बैठा नहीं होगा, लिहाजा इस बिल को कल तक उनके सामने जाना जरूरी है और इसीलिये यह तजवीज आप के सामने पेश की गयी है। इस पर इतना काफी विचार हो चुका है, हर पहलू पर इतनी बहस हो चुकी है कि अब ज्यादा विचार की जरूरत नहीं है। हां, अगर कोई कुछ तजवीज पेश करना चाहें, कोई तरमीम करना चाहें तो पेश कर दें और उस पर सहूलियत से बहस हो जाय और इसको आज खत्म कर दें। विरोधी दल के नेताओं से बात कर ली गयी है और मुझे खुशी है कि उन सब ने इस बात से इत्तफाक किया है कि अगर इस तरह से इस बिल को पास कर दिया जाय तो उनको कोई एतराज नहीं है।

श्री सुरथ बहादुर शाह—श्रीमन्, मैं आप के द्वारा वाराणसी के माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी ओर से यह कोई विशेषता नहीं प्रकट की थी। सरकार की तरफ से जब यह इच्छा प्रकट हुई तो यह हमारा कर्त्तव्य था और हमने नेता विरोधी दल से परामर्श करने के बाद, नेता जनसंघ, नेता स्वतंत्र प्रगतिशील दल तथा नेता साम्यवादी पार्टी से भी इस विषय में राय ली थी दुर्भाग्यवश उस समय नेता समाजवादी पार्टी यहां पर उपस्थित नहीं थे। मुझे बाहर जाना पड़ा और उस के बाद मैं माफी का ख्वास्तगार हूं कि मैं दुबारा उनसे

[श्री सुरथ बहादुर शाह]

परामर्श नहीं कर सका, लेकिन मैंने यह समझा कि वह शायद हमारी सेवाओं को उचित न समझ कर स्वयं प्रस्तुत करना उचित समझेंगे। तो मेरी कोई विशेषता नहीं थी यही स्पष्टीकरण मैं करना चाहता था। अनिश्चित काल के बजाय निश्चित समय मैंने इसलिये प्रस्तावित किया था कि शायद इस से सदन के सभी सदस्यों को आसानी होगी। इसलिये मैंने यह निवेदन किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं आप के सामने इस बिल के संबंध में कुछ थोड़ी सी समस्याएं रखूंगा।

श्री अध्यक्ष---अभी तो समय के बारे में प्रश्न है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप देखें कि इस संबंध में जो एजेंडा भेजा गया था पहले शुरू में तारीख २३ जनवरी को, उसमें बिक्री-कर के बारे में यह था कि यदि वह पहले पारित नहीं होता है तो ३०, ३१ तारीख को पास किया जायगा। पहले से ही इसमें ३०-३१ तारीख मुर्करर है। पहले भी विवाद का समय ५ बजे के बाद रखा गया था और केवल ४ माननीय सदस्य ही बोल पाये थे। उसमें भी माननीय नागर जी ने तीन दिन का समय लिया था। चौथे दिन के बाद जब मैंने प्रार्थना की तो आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और इसको प्रवर समिति में भेज दिया गया। माननीय मंत्री जी तिस पर कहते हैं कि इस बिल पर काफी विवाद हो चुका है। केवल पांचवें गोबिन्द सिंह जी बोले हैं। प्रवर समिति में १९ आदमी थे। उनको मिला कर भी २४ आदमियों की राय इस बिल पर हुई।

श्री अध्यक्ष---प्रवर समिति की जो राय है वह तो सारे सदन की राय ही मानी जायगी क्योंकि वह सदन की कमेटी थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---तो भी आप देखें कि पुनः प्रवर समिति को भेजे जाने के लिये चार सदस्यों के प्रस्ताव हैं, और दूसरे संशोधन के प्रस्ताव भी काफी मात्रा में हैं। १५ मिनट कहे जाते हैं तो बाकी तीन के लिये ५-५ मिनट ही रह गये। हम लोगों की राय ली जाय या न ली जाय, लेकिन यह बिल तो पास हो ही जायगा। इस बिल के अन्दर बहुत सी मौलिक बातें हैं। हमारी पार्टी की तरफ से नोट आफ डिसेंट लगाया गया, लेकिन उसमें भी कांट छांट कर दी गयी। जो रखा गया वह भी ठीक तरह से छपा नहीं। यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका संबंध लाखों व्यापारियों से है, उनके ऊपर बड़ा भारी इसका असर होने वाला है। इसके इसी रूप में लागू होने से बड़ा भारी अन्याय हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसकी मंजूरी न दें।

आज पास करने की बात कही गयी और कहा गया कि कौंसिल के पास काम नहीं है। एक पर काम नहीं है इसलिये दूसरे पर काम बढ़ाया जा रहा है। हमें अपनी शक्ति के अनुसार काम करने देना चाहिये। अभी एक अनुदान पर विचार कर चुके हैं। ६ घंटे हो चुके हैं। अब कहा जाता है कि अनिश्चित काल के लिये बैठो, क्योंकि दूसरे के पास काम नहीं है। यह अजीब कल्पना है। यह आज ही इस हाउस में सुनने को मिली है।

श्री राजनारायण---मैं माननीय मंत्री जी से एक सूचना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि कल तक के लिये कौंसिल के पास काम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में जांच करा लें। (व्यवधान) शायद परसों के लिये काम निकल आये और उनकी सूचना गलत हो। इसलिये आज एक घंटा चले फिर कल देखें। कल तक काम उनके पास हो तो परसों की व्यवस्था निकल ही सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राजनारायण जी जब बोल रहे थे तो उधर से एक आवाज आई कि बैठ जाओ। क्या आपके होते हुये यह अच्छी बात है ? क्या ऐसा कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---इसको वे अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसीलिये तो वे बैठे नहीं।

श्री राजनारायण---एक प्राचीन कवि ने कहा है "देत हिमायत की गधी, ऐराकी के लात"।

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई काम नहीं है वहां, कल ही भर के लिये है। १४ को तो वे बैठेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव को लाने की इजाजत देने के लिये मैं राय लूं या न लूं, इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था कि अगर इसका पास होना आज ही जरूरी हो तो वे उसकी वजह बतलावें। उसकी वजह उन्होंने यह बतलायी कि अगर इसको आज पारित नहीं किया जाता है तो कौंसिल को इसे पास करने के लिये ३०, ३१ मार्च तक ठहरना पड़ेगा और इसका ३१ मार्च तक पास होना जरूरी था। उस वक्त कौंसिल के सामने एप्रोप्रिएशन बिल आ जायगा। ऐसी अवस्था में सदन की मर्जी के ऊपर ही मैं यह बात छोड़ता हूं कि वह आज इसको पास करना चाहता है या नहीं करना चाहता है।

श्री राजनारायण---जब एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा तो उस पर भी कौंसिल में उसी वक्त राय ले ली जायगी।

श्री अध्यक्ष---मैं सदन के ऊपर ही इसको छोड़ता हूं। प्रश्न यह है कि आज सदन तब तक बैठे जब तक यह प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण द्वारा विभाजन की मांग करने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वोटिंग इसी पर तो हो रही है कि इसको पेश करने की इजाजत दी जाय या नहीं।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसको मूव करने की इजाजत तो दे दी है लेकिन सदन की राय मैं इस पर ले रहा हूं कि आज यह सदन बैठना चाहता है या नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने इजाजत देने के प्रश्न को भी सदन की इच्छा पर ही छोड़ दिया था, क्योंकि यदि आप इस प्रकार का मोशन लाते तो मैं वैधानिक प्रश्न अवश्य उपस्थित करता। आप याद कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो मेरे अधिकार में था कि मैं मोशन को लाने की इजाजत दूं या नहीं, लेकिन मैंने उचित समझा कि सदन खुद तय करे कि आज वह बैठना चाहता है या बैठना नहीं चाहता है। यही मैंने उस समय कहा था। आप जरा गलत समझे।

प्रश्न यह है कि आज सदन तब तक बैठे जब तक यह प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---७५,

विपक्ष में---२१।)

श्री अध्यक्ष---यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि यह सदन तब तक बैठेगा जब तक यह विधेयक आज पारित न हो जाय लेकिन उसमें एक बात है। दूसरा सुझाव था, मैंने उसके ऊपर राय नहीं ली और इसलिये नहीं ली कि उसमें सीमित समय हो जाता, कुछ लोग समय ज्यादा ले सकते थे किसी विषय के ऊपर और इतनी सीमा बांध देना कि १५, २० मिनट में ३,४ प्रस्तावों पर एकदम से सब लोग बोल लेंगे यह मैंने समझा कि इसमें सदस्य बहुत बंधन में पड़ जायेंगे। लेकिन उसके बारे में यह साधारण नियम है कि यदि यह दिखाई दे कि जानबूझकर बहुत लम्बी स्पीच दी जा रही है और कई स्पीचेज लम्बी हो रही हैं, एक ही व्यक्ति नहीं दे रहा है, कई लोग दे रहे हैं तो इस तरह से मगर सदन को बहुत थकाने का इरादा दिखाई दे बहुत से लोगों का तो कोई भी माननीय सदस्य ऐसा प्रस्ताव जैसा आपने पेश किया है, ला सकते हैं, अगर दिखाई दे कि तेजी के साथ बहस चल रही है और ३,४,५ मिनट ही सदस्य गण बोलते हैं और जितना कि बोलना चाहिये, उतना ही बोलते हैं तो मैं समझता हूं २,३ घंटे में यह विधेयक समाप्त हो जायगा और उसमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर यह दिखाई दे कि जरूरत से ज्यादा भाषण लम्बे हो रहे हैं तो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं, कि चूंकि बहुत समय लिया जा रहा है लिहाजा जैसा सुरथबहादुर शाह जी ने कहा हर एक भाषण के लिये समय सीमित कर दिया जाय। लेकिन पहले से मैं कोई ऐसा नतीजा नहीं निकाल सकता कि लोग जानबूझ कर लम्बा भाषण देंगे।

श्री राजनारायण---माननीय सुरथबहादुर शाह जी इस बात को जानते रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं तो सशंक रहता ही हूं।

श्री राजनारायण---अब मैं कहता हूं खुलकर बहस होने दीजिये, १२ बजे तक भी बैठा जाय तो भी कोई हर्ज नहीं।

श्री सुरथबहादुर शाह---यदि एक माननीय सदस्य हाउस के इंचार्ज हों तो क्या आप उनको बैठा देंगे?

श्री अध्यक्ष---अगर आप समझें कि डाइलेटरी टैक्टिक्स हो रही हैं तो आप प्रस्ताव पेश कर दें। मैं उसकी इजाजत तभी दूंगा, अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि कोई माननीय सदस्य जानबूझ कर लम्बी स्पीच देंगे। जब मालूम हो गया कि आज ही यह विधेयक पारित होना है और जब सदन की इच्छा है तो सब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं।

अब माननीय मोतीलाल अवस्थी जी बोलेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, हमको भी मौका मिल जाय। माननीय सदन के अन्दर कभी-कभी जो टीका टिप्पणी होती है वह यह भी कहते हैं कि उधर के आदमी हाथ उठाने वाले ही हैं। तो इधर भी देखा जाय कि कभी-कभी इधर के भी हाथ नहीं उठाते हैं तो उनसे भी उधर से कह सकते हैं यह भी इसी तरह आये हैं कि चुप रहें न उठावें न उठे।

मेरा निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष---आप मोतीलाल अवस्थी जी को बोलने दें।

श्री टीकाराम पुजारी---वह तो बोलने के ठेकेदार हैं ही। मुझे भी ५ मिनट मिल जायं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जो सत्ताधारी दल होता है वह जो चाहता है वही होता है। श्रीमन्, यह तो बोलने के लिये ही बैठे हैं। मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ५ मिनट तो मुझे मिल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---जी हां।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं चाहता हूं कि पुजारी जी को आप पहले मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष---पुजारी जी तो आपके लिये कह रहे थे कि नेता लोग ज्यादा बोलते हैं, आप उनको नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर-प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को पुनः सौंप दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे। श्रीमन्, मेरा जो संशोधन है वह करीब-करीब श्री गोविंदसिंह जी के संशोधन से मिलता जुलता है। मैं अवश्य यह चाहता हूं कि यह बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसके कई कारण हैं। श्रीमन्, यह बिक्री कर (संशोधन) विधेयक कई संशोधनों के बाद फिर नये रूप में हमारे सामने आया है। मुझे यह कहने का साहस है कि इसके पहले जो संशोधन आये उन संशोधनों के बाद यह विशेष प्रकार से क्रांतिकारी है। यह बिक्री कर (संशोधन) विधेयक हाउस के सामने रक्खा गया, लेकिन हम लोग उस पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार भी नहीं कर पाये, क्योंकि यह हमेशा उस समय रक्खा गया जब सभी सदस्य दिन भर के काम से बड़े थके हुये रहे, यानी ५ बजे रखा गया। परिणाम यह हुआ कि इस पर पूर्णरूप से विचार नहीं हो पाया। विवाद में केवल चार सदस्यों ने भाग लिया था और इसके बाद ही समिति को भेज दिया गया था। आज भी गोविंदसिंह जी के बाद दूसरे नम्बर पर मैं बोल रहा हूं, और मुझे आशा है कि बहुत से लोग इसके बारे में अपने विचार रखेंगे, क्योंकि यह विधेयक पूर्ण रूप से विचार योग्य है। प्रवर समिति में इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और इस प्रवर समिति की जो बैठकें हुईं जिनका उल्लेख है उनसे पता लगता है कि बहुत कम सदस्य उपस्थित रहे और बहुत कम समय इस पर दे पाये और विचार भी कुछ जल्दबाजी में हुआ। जरूरत इस बात की थी कि इस पर विचार कुछ अच्छे ढंग से और ठंडे दिल से किया जाता। मैं आपकी आज्ञा से कुछ अंशों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जिनका परिवर्तन करना बहुत ही वांछनीय था नहीं तो इनका परिवर्तन न किये जाने पर बहुत बड़ा असर न केवल व्यापारियों पर पड़ेगा, बल्कि अन्याय भी होगा।

इसमें जो प्रतिवेदन है उसमें कितने गलत शब्द हैं जिनसे कुछ सेन्स भी मिसकैरी होता है, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं आपका ध्यान पेज "ग" की ओर दिलाऊंगा जिसमें प्रवर समिति के प्रतिवेदन की भूमिका है। इसमें खंड १० है। उसमें लिखा है कि खंड १० में शब्द तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन मुक्ति-शुल्क (exemption fee) निर्दिष्ट करने की आज्ञा अथवा" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा धारा ३० के अधीन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा"

अब इसी खंड १० को आप विधेयक में देख लें यह शब्द गलत है। यह शब्द खण्ड १० के नहीं हैं, बल्कि खण्ड १० में प्रस्तावित धारा ९ के शब्द हैं। तो आप देखें कि इसमें कितना गलत लिखा हुआ है। होना यह चाहिये था कि खण्ड १० में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (१) में यह किया जाय। तो आप देखें कि इस प्रतिवेदन में जो कुछ भी लिखा गया है सभापति प्रवर समिति की ओर से उसमें कितना भ्रम है, कितनी गलतियां हैं। इसी के अन्दर हम आपको दिखावेंगे कि बहुत-सी जगह अनायास ही बड़ी नजरअन्दाजी कर दी गयी है। मसलन मूलखंड ८ में लिखा हुआ है कि "मूल अधिनियम की धारा ८ में" उसके नीचे दूसरे उपखंड में लिखा है "उपधारा (२) निकाल दी जाय"। फिर तीसरे उपखंड में लिखा है "निम्नलिखित उपधारा (३) से (८) तक के रूप में बढ़ा दिया जाय"। जब २ को निकाल दिया और दूसरी रख ली तो उस २ नाम का उपखंड कोई रहा ही नहीं। यह तो ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो किसी समय भी प्रवर समिति के द्वारा निकाली जानी चाहिये थी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उसके पास समय नहीं था या लोगों का ध्यान कम रहा।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इसके अतिरिक्त मेरा एक और तात्पर्य है इस प्रस्तावना के रखने में, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम १३५ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Select Committee and the matters referred to in the report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill".

यानी इसके सिलसिले में हम जो रिपोर्ट है, उसकी भी चर्चा करें और उसके साथ-साथ हम आल्टरनेटिव सजेशंस भी देना चाहें तो दें।

श्री अध्यक्ष---आल्टरनेटिव सजेशंस जो दें वह सिलेक्ट कमेटी के जो सजेशंस हैं उसके लिये ही दें, ओरिजनल बिल के आल्टरनेटिव सजेशंस नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं वही रख रहा हूं। इसमें प्रथम में यह है कि यह बिल तुरन्त प्रचारित होगा और इसके साथ-साथ कुछ थोड़े हेर-फेर किये गये हैं और आगे चल कर खण्ड ६ में भी ऐसे परिवर्तन हैं जो शाब्दिक भले ही हों, लेकिन उनको बड़े गौर से देखने की जरूरत है। इसके बीच में ही आप देखें कि कुछ आवश्यक परिभाषाएं निकाल दी गयीं, विशेषकर कुछ प्रतिबन्धात्मक खंडों के निकालने के साथ-साथ बिक्री कर की शक्ल बदल दी गयी है और उससे हमें भय है कि यह जैसा रखा गया है इससे होगा यह कि न केवल उन व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा जो बेचने का काम करते हैं, बल्कि जो खरीदते हैं उनपर भी पड़ेगा। बहुत से किसान भी बिक्री नहीं करते केवल खरीद करते हैं, अनाज का उनपर भी इससे बोझ आ सकता है। इस शाब्दिक हेरफेर से न केवल परिवर्तन होगा, बल्कि इन धाराओं में जो टैक्स के बढ़ोत्तरी की बात है उससे स्पष्ट है कि जो परिवर्तन हुये हैं उससे एक पैसे से लेकर लाखों रुपये तक का अन्तर पड़ सकता है। खण्ड २ के बाद खंड ६ तक बहुत सी बातें छोड़ दी गयी हैं। खाद्यान्नों पर जो टैक्स लग रहा है उस पर फिर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिये हाउस में अनेक बार कहा गया है और पहले जो वित्त मंत्री हाफिज साहब थे उन्होंने चलते समय आश्वासन दिया था कि गल्ले के बिक्री-कर पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बारबार मांग करने के बाद भी टैक्स वही है और वही नीति बराबर कायम है। हमारे वित्त मंत्री ने भी जो अपने भाषण में १२ हजार से ऊपर बिक्री-कर वाली बात के लिये आश्वासन दिया था वह भी इस बिल में नहीं दिखाई पड़ रहा है और ३१ मार्च से पहले इस बिल को पास कराने की बात तो है, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहा है कि इसमें वह चीज आ जायगी तो प्रवर समिति में इस परिवर्तन को न करके गलती हुई है। इसीलिये मैं कहता हूं कि इसको फिर प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---श्रीमन्, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष---आप जरा सुनिये और जितना आप समझ सकते हैं उतना ही समझ लीजिये, ज्यादा न समझिये। (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं हंसने वालों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। उनका काम तो हंसना और खाना है और जनता के लिये क्या करना है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष---मैंने उनके लिये ही कहा है कि जितना आपकी समझ में बात आती है उतना ही समझिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---खंड ३ (ख) में "हस्तान्तरित" की जगह पर "हस्तान्तरिती" करके बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया गया है। उससे बड़ा उथल-पुथल व्यापारी मंडल में पड़ गया है। इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके आगे जो परिवर्तन ६ में

है उसके पहले खंड ५ है। नयी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जितने विधेयक सामने आते हैं उनके साथ एक ज्ञापन लगता है। ज्ञापन में इस बात की चर्चा है, लेकिन खण्ड ५ में यह उल्लेख है--

"ऐसे माल के सम्बन्ध में जो विज्ञापित किये जायं, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुये जो निर्धारित किये जायं, ऐसे माल की विक्रियों के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है।"

लेकिन ज्ञापन में कहा गया है कि जिसका राज्य से बाहर निर्यात किया जाय, ज्ञापन में इस बात को कहा गया है, लेकिन मूल अधिनियम में या खंड में उसकी चर्चा नहीं की गयी है तो या तो ज्ञापन बिना जाने बूझे लिखा गया है या मूल से रखा गया है जिसका विचार प्रवर समिति में भी नहीं किया गया।

इसके बाद खंड ६ में ये शब्द बढ़ाये गये हैं कि शब्द "पूर्व" तथा "व्यापारी" के बीच में शब्द "या उसके साथ" रख दिये जायं। माननीय जगदीशशरण जी यहां नहीं हैं। वे शब्दों के इस हेर फेर को करा के अपना एक बड़ा सफल प्रयत्न समझते होंगे, लेकिन मैं इस हेर फेर को कोई महत्व नहीं देता हूं।

उसके बाद जो खंड ८ है उसके उपखंड (२) में लिखा हुआ है कि उपधारा २ निकाल दी जाय और उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उपधारा (३) से (८) तक के रूप में बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह तो आप एक बार कह चुके।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं अब क्रम से उस जगह पर आया हूं। पहले मैंने प्राविधान में गलती बतायी थी, अब मैं उस स्थान को बता रहा हूं जहां पर वह गलती है। उपखंड (२) को निकाल दिये जाने के बाद लिखना चाहिये था कि उसकी जगह पर कौन सी उपधारा होगी। अगर कोई नहीं रखी जायगी तो कैसे हो सकता है। इस स्पष्ट गलती को आप देख लें।

धारा ८ के बाद धारा १० सामने आती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको मैं क्रांतिकारी परिवर्तन कहूंगा क्योंकि ला में रजिस्ट्रेशन करने की बात है और उस रजिस्ट्रेशन करने में १२ हजार रुपये का उल्लेख हमारे सामने है। यह हमको बताता है कि शायद सरकार १२ हजार तक ही अपने को सीमित रखना चाहती है और जो उसने विशेष रिआयत देने की बात कही थी उससे पीछे हटना चाहती है।

धारा ९ में जो विशेष दण्ड देने की बात है, तो पहले दंड व्यवस्था रुपये के रूप में थी, लेकिन खण्ड १२ में वह व्यवस्था बड़े भीषण रूप में अब हमारे सामने रखी गयी है, लेकिन अभी तक...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप कई संशोधन खंडों पर लाये हैं। इस समय तो आप केवल यह आरगूमेन्ट कर रहे हैं कि पुनर्विचार के लिये यह प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं खंड १० की बात कह रहा हूं। इसमें आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में शब्द "व्यापारी, जो और अंक तथा अक्षर '१५-क' के बीच में निम्नांकित रख दिया जाय"। यह प्रस्तावित धारा ९ के सम्बन्ध में है, लेकिन प्रतिवेदन में जो जोड़ दिये गये हैं वह खंड १० में जोड़ने की बात कही गई है बजाय इसके कि यह कहा जाता कि यह परिवर्तन प्रस्तावित धारा ९ के है। यह बहुत बड़ी गलती है और आगे चलकर सारे विधेयक को ही उलट देने वाली है।

श्रीमन्, आपको याद दिला दूं कि रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि अभी हाल में कानून बना है उसमें जल्दबाजी की वजह से ऐसे शब्द रख दिये गये कि उसके नल ऐन्ड वाइड होने का शक है। ठीक वही चीज यहां मालूम होती है। हो सकता है कि यह भी हाईकोर्ट में जाने पर नल ऐंड वाइड हो जाय।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, आप देखें कि खण्ड १० के बाद जो परिवर्तन १२ और १३ में हैं वह गजब के हैं। इसमें एक नई बात है, एक अनहोनी बात है। इस सम्बन्ध में कुछ अधिकार असेसिंग अथारिटी को दिये गये हैं। मैं उनको आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इन दोनों धाराओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। इस विधेयक में अगर कोई वस्तु है तो वह इसी धारा में है। अभी तक व्यापारी को सिर्फ इतनी ही बाध्यता थी कि जिस समय वह तलब किया जाय तो वह खाता तथा लेख आदि लेकर हाजिर करे और उनकी जांच कराये। अब यह अधिकार है कि इन लेखों को वह सीज कर ले। श्रीमन्, यह बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। प्रवर समिति को ध्यान देना चाहिये था। अगर इनको लेने की जरूरत थी तो इन पर जितने भी चेक हो सकते थे वह लगाने चाहिये थे, लेकिन मैं देखता हूं कि यह चेक कहीं नहीं हैं और खाली अधिकार दे दिये गये हैं। व्यापारी की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि वह भी इसमें आजाता है जो किसी चीज को बेंचता है। जो व्यापारी के रूप में खरीद कर बेचते हैं उनको तो हम व्यापारी कहें, लेकिन सिर्फ जो बेचता ही रहते हैं उनको भी व्यापारी की परिभाषा में रख दिया गया है। आप देखें कि यह जो अधिकार दिया गया है, उन लेखों या खातों को सीज करने का यह एक बहुत बड़ा अधिकार है और उसके लिये कोई चेक्स नहीं रखे गये हैं कि किन हालतों में वह सीज कर सकता है। इस प्रकार दफा १२ के सम्बन्ध में भी प्रवर समिति ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जो बहुत आवश्यक था। जब ड्रास्टिक पावर्स किसी अधिकारी को दी जायं तो जरूरी है कि उस पर कुछ चेक्स हों। अगर उन चेक्स को और डाइरेकशंस को वह न माने तो उल्टे उसके ऊपर जवाबतलबी हो। खण्ड १३ में भी प्रवर समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह दफा बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली है, प्रस्तावित धारा १४ को परिवर्तन करने वाली है। उन सभी स्थितियों को बताया गया जिनमें किसी व्यापारी के पालन करने पर उसको आर्थिक दण्ड दिया जाय। मैं मानता हूं कि जो व्यापारी किसी नियम का उल्लंघन करता है उसको आर्थिक दण्ड देना उचित हो सकता है, लेकिन जब किसी उल्लंघनकर्ता को अगर शारीरिक दंड देना चाहें उस समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि शारीरिक दण्ड का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ सकता है। हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि किसी भी आदमी को जो निरपराध हो उसको शारीरिक दण्ड न दिया जा सके। इसके लिये आवश्यक है कि इसमें हर प्रकार के उपाय रखे जायं कि उनके न होने पर ही ऐसा सम्भव हो सके। इसके पहले भी कई संशोधन हुये हैं, लेकिन किसी भी वित्त मंत्री द्वारा शारीरिक दण्ड की बात नहीं सोची गयी इसमें छः महीने का शारीरिक दंड रखा गया है और कोई चेक्स नहीं हैं जिससे निरपराध आदमी बच सके। इस प्रकार अगर कोई अधिकारी किसी व्यापारी को जाल में फंसाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यह अनुचित है। इसके लिये प्रवर समिति ने जो अवहेलना की है, मैं आशा करता था कि प्रवर समिति उस पर ध्यान देगी। इसके बाद जो धारायें हैं। मैं एकएक धारा की बात नहीं कहना चाहता। लेकिन दफा ३० में . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप १२ दफायें विचार में ले चुके हैं। नियम यह है कि जिक्र आप कर सकते हैं निम्न बातों का :—

"and the matters referred to in that (Select Committee) Reportar any alternative suggestions consistent with the principles of the Bill.

तो आप कोई आल्टरनेटिव सजेशन तो देते नहीं हैं। आप सिर्फ यह कहते हैं कि यह धारा ठीक नहीं है, वह धारा ठीक नहीं है। आप हर एक धारा पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने इसकी धाराओं के सम्बन्ध में जब-जब उल्लेख किया है अपनी तरफ सजेशन दिया है कि प्रवर समिति को इस प्रकार से संशोधन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। आल्टरनेटिव सजेशन यह नहीं होता। आल्टरनेटिव सजेशन यह होता है कि अमुक बात होनी चाहिये।

श्री मोती लाल अवस्थी---तो मैं वही दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---फिर तो आप यह कहें कि इन सब धाराओं में नुक्स है इसलिये इसको पुनर्विचार के लिये भेज देना चाहिये। आप एक-एक चीज रिपीट करना चाहते हैं। यह तो उसी कहानी की बात है जिसमें यह कहा गया था कि एक टिड्डी उड़ी फुर्र, दूसरी टिड्डी उड़ी फुर्र, इस तरह की लम्बी कहानी आप कहना चाहते हैं। हर एक खंड के लिये यदि आप कहें कि इसमें नुक्स है, लेकिन उसका आल्टरनेटिव सजेशन न बतायें तो वह कोई बहस नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, अगर आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें तो आप देखेंगे कि मैं इसे प्रवर समिति को भेजने की बात कहने के साथ-साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स भी देना चाहता हूं। जब तक आर्ग्यूमेंट्स नहीं दूंगा तब तक यह मेरा कहना कभी सार्थक नहीं होगा कि क्यों यह भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो वह तो आप दे चुके। १४ खंड तक आप दे चुके।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अब १४ के पीछे मैं किसी हालत में भी नहीं जाऊंगा। मैंने आपके सामने सारी बातें रखने की कोशिश की। मैंने प्रत्येक उस बात का जिस पर प्रवर समिति ने जल्दबाजी में बिना समझे काम किया, जिक्र करने की कोशिश की। उसको मैं कह रहा हूं और बगैर उसको कहे हुये मैं यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि क्यों जरूरी है कि क्यों प्रवर समिति को यह दुबारा भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो आपने कह दिया जो काफी है। जो प्रवर समिति ने प्रतिवेदन में लिखा उसको आपने कोट किया। अब जो प्रवर समिति ने नहीं किया उसके ऊपर बहस करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि वह नियम के अन्दर नहीं आता। वह बहस की परिधि में नहीं आता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन जो कमेटी ने नहीं किया वही तो गलती है जिसकी बजह से इसको पुनः भेजने की जरूरत पड़ रही है। मैं यह सजेशन दे रहा हूं कि यह उसको करना चाहिये था, उसके लिये मैं तैयार हूं, लेकिन पहले तो मैं यह बताऊं कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---उसके बाद आप फिर एक-एक दफा लेकर बतायेंगे कि यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप इस बात पर विश्वास रखें कि मैं पुनः हर एक धारा को लेने नहीं जाऊंगा। जो भी मैंने क्रम अख्तियार किया है वह उसी अधिकार के अन्तर्गत है कि जो भी वक्ता अपने संशोधन पेश करे, प्रक्रिया नियमावली मैंने अपने समाने रखी है, उसी के अन्तर्गत मैंने बोलने की कोशिश की है, आप देखें खंड १३ में यह दिया हुआ है कि मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: उपखंड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) ये सब जोड़ दिये जायं। अब यह जो परिवर्तन किया गया है मालूम होता है कि पहाड़ खोदकर चुहिया निकाली है। मालूम पड़ता है कि कोई बहुत सहानुभूतिक परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है श्रीमन्। इसमें मूल अधिनियम जो था उसमें 'कोई व्यक्ति जो' यह जोड़े जाने की बात है। कारण की बात तो ठीक है कि बिना कारण पूछे नहीं किया जाना चाहिये और यह उसका अधिकार था, फंडामेंटल प्रिंसिपल के मुताबिक हर एक आदमी का यह अधिकार है कि उस पर आरोप किये जाने से पहले उसको मौका दिया जाना चाहिये। तो यह जोड़ा जाना नैतिकता के रूप में ठीक किया गया, लेकिन इतना ही कर देना काफी नहीं था। उनको यह भी देखना चाहिये था कि इस धारा के

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अन्दर (क) (ख) (ग) इत्यादि के अन्दर जो विषय दिया हुआ है उसके संबंध में भी परिवर्तन की जरूरत थी। उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। मेरा अभिप्राय यह भी है कि इसमें यह होना चाहिये था, इसी के बताने के प्रयास में मैं इसे आपके सामने रख रहा था, लेकिन दिक्कत यह है कि जो हाउस में सज्जन बैठे हुये हैं वह थके हुए हैं। कभी-कभी आप भी कह देते हैं कि आप कहानी कह रहे हैं, लेकिन यह कहानी तो दर्द दिल की है, दुखिया की कहानी है। इसको कहानी कहें या आप और कुछ। आखीर क्या हम यहां कोई तोहफा लायें या मिठाई लायें? इसको आप कहानी ही कह लें, मैं आपके सामने जो निवेदन कर रहा हूं वह यह कि इसमें बहुत ही अधिकार दिये हुये हैं।

यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने लेख पत्र अथवा लेखे का निरीक्षण न करने दें उसमें बाधा पैदा करे, घरों में प्रवेश होने में बाधा करे और बिना लाइसेंस के प्राप्त किये करे और आनाकानी करे, मिथ्या प्रमाण पत्र या विवरण पेश करे....

श्री अध्यक्ष--यह सब चीजें श्री गोविन्दसिंह जी विष्ट कह चुके हैं आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। आप कृपा करके बैठ कर सुन लें। नियम यह है कि :

"The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech".

तो मैं सिर्फ इतना ही आप से कह रहा हूं कि जो चीज गोविन्दसिंह विष्ट जी कह चुके हैं उसको आप रिपीट न करें। विष्ट जी करीब आधा घंटा या १५ मिनट बोले हैं और ये सब आरगूमेंट वे दे चुके हैं, सिर्फ इसीलिये कि विधेयक सेलेक्ट कमेटी के पास फिर से भेज दिया जाय। अगर खंडों के विचार के समय आप यह तर्क देते तब तो ठीक हो सकता था। लेकिन जब आपको सिर्फ इतना ही तर्क देना है कि प्रतिवेदन में इतने अधिक दोष हैं तो दो, चार एग्जाम्पुल देकर आप लोगों को कंविन्स कर सकते हैं। लोगों को थकाकर आप उनको सहमत नहीं करा सकते। लोगों को असंगत बातें सुनने की इच्छा न हो और आप कहते जायं, उचित नहीं है। आप यह याद रखिये।

श्री राजनारायण--श्री गोविन्द सिंह जी के आरगूमेंट का रिपीटीशन नहीं है बल्कि उसका इम्प्रूवमेंट है और नये तर्क दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। नये तर्क नहीं है। मैं गौर से सुन रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, लेकिन मैं थोड़ा-सा स्मरण दिला दूं कि जो गोविन्द सिंह जी ने भाषण दिया था मैंने बड़े गौर से सुना था एक-एक शब्द और वह भाषण आप मंगा कर देख लें। उन्होंने दफा १३ के बारे में 'विलफुली' शब्द के बारे में कहा था और लीगल दृष्टिकोण से उसे क्रिटिसाइज किया है। वह एक वकील हैं, मैं एक अध्यापक हूं। मैं वकालत नहीं जानता हूं। उन्होंने लीगल ढंग से बताया कि इस शब्द 'विलफुली' को रख कर प्रवर समिति ने अनियमितता की है। मैंने उसकी चर्चा तक नहीं की और न मैंने कोई कानूनी तरीके से आरगूमेंट देने की कोशिश भी की। मैं जानता ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि मैं श्री गोविन्दसिंह के आरगूमेंट को दुहरा रहा हूं। मैं तो दुहरा ही नहीं सकता। मुझे बड़ा आश्चर्य है।

श्री अध्यक्ष--आप पढ़ रहे थे कि अमुक खंड में यह है यह है, इत्यादि।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैंने उपखंडों के उपनाम दिये। मैंने अभी तक यह सुना था कि बेस्ट जज तो वह होता है जिसमें पेशेंस हो आरगूमेंट सुनने के लिये सब्र हो। यदि आरगूमेंट सुनने में कोई जज उतावला हो जाय तो न्याय करने में दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठ जाइये। आप सिर्फ मुझसे ही बहस करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण---आपको इतना क्रोधातुर नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप मुझ पर आक्षेप नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप इतने क्रोधातुर हो जायेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैंने सिर्फ एटेंशन ड्रा किया। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यह कहना कि जज इसमें पेशेंस रखे, मुझे पेशेंस सिखाने का अगर राइट मैं उनको दे दूं, तो सदन का कार्य नहीं चलेगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उनका कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं था। और मैं समझता हूं कि सदस्य भी कह सकते हैं कि वह थके हुए हैं और सुनना नहीं चाहते। तो श्रीमन्, थोड़ा इनको मौका दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आपके प्रति किसी प्रकार का लांछन लगाने का मेरा क्या विचार हो सकता है जब कि मैं यहां पर आपके आदर के लिये उपस्थित हूं। मैंने आपके जज होने की हैसियत से आपसे यह प्रार्थना की थी कि जरा आप मेरी बात को भी सुनने की कृपा करें।

मैं यह कह रहा था कि इस दफा १३ में जो शब्द बढ़ाये गये हैं 'बिना कारण के' उससे अवश्य कुछ अधिकार प्रतिवादी को मिल गये हैं कि वह अपने बचाव के लिये कुछ सबूत दे सके कि इस कारण से मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं इस चीज का स्वागत करता हूं। कानूनी बारीकियों में जाकर गोविन्द सिंह जी ने यह आरगूमेंट दी थी इस प्रकार का अधिकार किसी को देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो प्रासिक्यूशन है वह साबित करे कि गिल्टी कौन है। मैं कह रहा हूं कि प्रतिवादी को यह अधिकार मिलना चाहिये। प्रासिक्यूशन को यह अधिकार देना उचित नहीं है। दफा १३ में देखने से असामंजस्य में पड़ जाना पड़ता है कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जायगा। इसलिये जो अधिकार प्रासिक्यूशन को दिया गया है उसमें किसी आदमी को बचना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार का घुसने का अधिकार दिया गया है कि उसमें न तो कोई शर्त है और न कोई नोटिस है। तलाशी लेने के लिये नियम भी कोई बनाया गया है अगर कोई नियम आदि नहीं होगा तो अथारिटी उस आदमी के ऊपर कोई भी जुर्म लगा सकती है। जो सेफगार्ड एक आदमी को मिलना चाहिये वह इसमें आप नहीं दे रहे हैं जो कि एक मौलिक अधिकार है। इससे उसको परेशानी होगी। मैं इस बात को मानता हूं कि जो दोषी है, जिसने अपना खाता पेश नहीं किया है, प्रवेश नहीं होने देता है, निरीक्षण नहीं करने देता उसको दण्ड मिले, लेकिन जिनका यह इरादा न हो उसके लिये इफ ऐंड बट तो जरूर लगना चाहिये। असेसिंग अधिकारी को इतनी पावर है कि जिसकी कोई अपील भी नहीं है। हमारी जुडिशियरी यह कहती है कि हम उन पार्ट्स को तब तक नहीं लेंगे जब तक कि बर्डन आफ प्रूफ सामने न आ जायं। इसलिये इस धारा १३ में जो बिना कारण लिखा दिया गया है उससे कोई सेफगार्ड नहीं मिलता और हमारे अधिकारों पर आघात है। इसमें एक पक्षीय अधिकार को रद्द करने की बात है। एक पार्टी फैसले तब होते हैं जब प्रतिवादी को यह पता न हो कि जो दोष उसके विरुद्ध आरोपित हुए उनका नोटिस न हो या वह तामील के वक्त मौके पर न मिला हो अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी हालत में ही एक पक्षीय फैसला हुआ करता है और उन्हींके लिये यह प्रतिक्रिया रखी गयी है कि जब पुनर्विचार के लिये मामला आये तो पूरा खुल कर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मामले को सामने रखा जा सके। इस दफा ३० में इस बात का समावेश नहीं है कि दफा १३ या १४ के साथ जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं उनकी अपील भी वह कर सकेगा। यह बात इसमें बढ़ायी जानी चाहिये थी। ऐसा न करने से प्रासिक्यूशन अथारिटीज मजबूत होंगी और दूसरे व्यक्ति को अपने को डिफ़ेंड करने का पूरा अवसर नहीं मिल सकेगा। वह उन अधिकारियों की कठपुतली हो जायंगे और सिवाय उनको रिश्वत देने के, उनको मां बाप कहने के, त्योहार वार सलाम देने के, उनको खुश करने का और कोई रास्ता नहीं रह जायगा। मैंने बड़े ध्यान से आज सवेरे सुना कि १४ अधिकारियों को हटा दिया गया। मैं तो कहता हूं कि सारा डिपार्टमेंट फ़्राम टाप टु बाटम राटन है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं और वहां रोज यही सब देखता हूं।

श्री अध्यक्ष--यह असंगत बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बिक्री कर के इवेजन के लिये बड़े-बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बताते हैं। सेल्स टैक्स अफसर ही बता देते हैं कि इस तरह का रिटर्न दो, बच जाओगे और वहीं फंसा भी देते हैं। चोर से कहें चोरी कर और शाह से कहें जागत रहो। तो आप हमारे साथ आयें और देखें। जब तक आप अपने अधिकारियों को ईमानदारी नहीं सिख लायेंगे यह सब इसी तरह से चलेगा। बस, इन शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव सदन के सामने है।

श्री राजनारायण--मेरा प्रस्ताव है कि सदन आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया जाय ताकि लोग चाय पी लें। हम लोग थोड़े आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आधे घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक में यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को जैसा कि वह प्रवर समिति के प्रतिवेदन सहित संशोधित है, जनमत संग्रह के लिये १ माह तक घुमाया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यह प्रस्तुत विधेयक अधिक पैसा उगाहने वाला, अधिक निरंकुश और जनता के लिये अधिक दुखदायी है।

(इस समय ६ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बजट भाषण के समय सत्ताधारी दल की ओर से बड़े गर्व से कहा गया था कि खुशी की बात है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं। लेकिन, श्रीमन्, पुराने सिक्कों को नये सिक्कों में परिवर्तित करते समय भी टैक्स में वृद्धि हुई है। उसी बजट भाषण में यह भी कहा था कि २,५०० रुपये तक के व्यापारियों को हम छूट देंगे। आखिर इस सदन के ऊपर पैसा खर्च होता है और फिर जब साल भर के बजट में यह वादा किया गया था तो फिर उसी साल में यह संशोधन विधेयक क्यों आया है? वैसे इसके बारे में खंडों में संशोधन हैं और संभव है कि सरकार उन्हें मान ले। परन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि धीरे-धीरे यह सरकार जनता को अपना दुश्मन करार देती जा रही है। अभी तक जितने संशोधन उपस्थित किये गये थे उनमें विषेष तौर से तीन चीजें हैं। एक तो यह कि नौकरशाही को अधिक से अधिक सत्व प्रदान किया जाय। दूसरे यह कि चाहे वे किसी किस्म की वसूलियां हों, जनता के प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और तीसरे यह कि अधिक से अधिक पैसा उगाहा जाय।

पहल सारे प्रदेश में विरोध हुआ था कि अन्न पर टैक्स न लगाया जाय, परन्तु टैक्स नहीं हटाया गया। भीख मांगने वाले और मजदूर पर भी अन्न का टैक्स पड़ता है। इसलिये अन्न से यह टैक्स हटना चाहिये।

फिर, बिक्री-कर अगर पैसे से हटाकर तौल पर लगाया जाय तो वह ज्यादा स्थायी होगा और उसमें बेईमानी की गुंजाइश कम होगी। अधिकारियों को अधिकार देने के साथ उन पर प्रतिबन्ध भी होने चाहिये।

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---यह जनतांत्रिक देश है और बार-बार सदन में यह कहना उचित नहीं है कि नौकरशाही है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोई और शब्द होना चाहिये। मैं दूसरा शब्द दे रहा हूं कि सेवकशाही कह लीजिये। टैक्स लगाने का अधिकार अधिकारी के विवेक पर है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक नगर में एक कमेटी होनी चाहिये। वे लोग उसी नगर के रहने वाले होंगे, और प्रत्येक की आमदनी, चोरी, बदमाशी से परिचित होंगे। इसलिये मेरा खयाल है कि अधिकारियों पर १२,०० से ऊपर आनेवालों की बचत नहीं छोड़नी चाहिये।

एक अधिकार यह भी दिया गया है किसी के घर में घुसकर अधिकारी कागजपत्र या बहियां ले सकता है। अगर कोई जानबूझ कर कानून की अवहेलना करे या अधिकारी के सामने दिक्कत पैदा करे तो अधिकारी को यह हक अवश्य होना चाहिये, लेकिन, फिर भी समय की सूचना उसे दी जानी चाहिये ताकि वह इज्जत के साथ कागजों को प्रस्तुत कर सके।

श्री उपाध्यक्ष---आप यह जानते हैं कि प्रवर समिति से आने के बाद कितना अधिकार माननीय सदस्यों को कहने का है। आप अपनी बातों को उस अधिकार तक ही सीमित रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मेरा ख्याल है कि सूचना देने के बाद ही किसी के घर में घुसना चाहिये और कागज जो वह कब्जे में लेते हैं, उनकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दें, ताकि वह अपनी सफाई पेश कर सके।

इस विधेयक द्वारा अधिकारियों को इतना समय दिया गया है कि किसी व्यापारी का व्यापार ही ठप हो सकता है। मैं चाहूंगा कि उसे कागज २४ घंटे में वापस कर दिये जावें।

जो नये खंड २९ और ३० बढ़ाये गये हैं उस पर प्रतिवेदन समिति की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें यह है कि एक तरफा फैसले में जब तक उस अधिकारी को यह विश्वास नहीं हो जाय कि उस व्यक्ति से नियत रकम वसूल हो सकती है तब तक उसकी आपत्ति पर सुनवाई न की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे भय है कि कोरम नहीं है। पहले आपने यह व्यवस्था दी है कि यदि ३ बार सदन में कोरम नहीं हुआ तो हाउस स्थगित कर दिया जायगा। मैं आपका ध्यान उस व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी कोई व्यवस्था मैंने नहीं दी। नियमों में मुझे अधिकार है और संविधान में भी, कि जब मैं यह देखूं कि सदन इस मूड में नहीं है कि कार्यवाही आगे चले तो मैं उसे स्थगित कर दूं। यह बात श्री ब्रजनारायण तिवारी के भाषण के बाद भी कही जा सकती थी।

मैं सरकारी दल से अवश्य निवेदन करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि सदन में पर्याप्त कोरम रहे। यह विरोधी दल का कार्य नहीं है बल्कि उनका है क्योंकि उनका विधेयक है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस संबंध में यह बता देना चाहता हूं कि एक पक्षीय फैसले के बारे में आपत्ति करने के लिये जो प्रतिबंध लगाया

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

गया है, वह कड़ा है जो आर्थिक दंड की विधि है, उसमें कारावास के दंड का भी उल्लेख किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी के खिलाफ आप इस प्रकार के दंड का नियम बनायें और उस नियम के साथ-साथ उसको यह अधिकार भी होना चाहिये था कि वह बिना किसी कठिनता के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और सुनवाई हो सकती है। उसको इस प्रकार की आपत्ति का अधिकार देने के बाद जिस प्रकार से सजा आप देना चाहें दे सकते हैं। आपने उसमें कारावास और आर्थिक दंड का अधिकार रखा है। अगर आप उसको केवल पैसे के लिये दंड देना चाहते हैं तो वह आपको पैसे का दंड पाकर भी तंग कर सकता है, इस प्रकार के व्यापारी आपको मिल सकते हैं जो पैसे के लिये आपको परेशान करें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको पूरी सुविधा दें आपत्ति पेश करने की और अगर फिर भी वह टैक्स अदा नहीं करता है तो उसके लिये आप सख्ती की सजा रखें ताकि उसकी हमेशा के लिये आदत छूट जाय, क्योंकि इस चीज का असर प्रदेश की तमाम जनता पर पड़ेगा, उस जनता पर जो कि आधे पेट रहती है। इस मुसीबतजदा और गरीब जनता पर जो यह बिक्री-कर और लगाया जा रहा है, मैं उसके संबंध में जानकारी के लिये चाहता हूं कि वह जनमत संग्रह के लिये एक माह तक घुमाया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोविन्द सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक सेल्स टैक्स का संबंध है, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है कि उस सेल्स टैक्स को लगाया भी जाय या नहीं। बहुत से लोगों का मत रहा है कि सेल्स टैक्स के बजाय उत्पादन टैक्स···

श्री उपाध्यक्ष---यह बिल प्रवर समिति से संशोधित होकर आया है। उससे सम्बन्धित ही आप अपना भाषण करें आप नियमानुसार ही कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव---मेरा अपना विचार यह है कि यह जो पुनः प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया है यह इसलिये भी उचित है, क्योंकि हम यह उम्मीद करते थे कि ऐसे वक्त में अवश्य ही कुछ चीजों पर से यह टैक्स निश्चित रूप से हट जाना चाहिये था, लेकिन इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है। जैसे गल्ले के ऊपर से, कपड़े के ऊपर से, दवाओं के ऊपर से, पढ़ने-लिखने के सामान के ऊपर से यह टैक्स हट जाना चाहिये। ये चार चीजें ऐसी हैं जिनका जीवन से बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस प्रकार का संशोधन इसमें आना चाहिये था।

दूसरी बात जो इस विधेयक के बारे में मुझे कहना है वह यह है कि इस विधेयक को पास करके हम सेल्स-टैक्स अधिकारी को ऐसे पावर्स देने जा रहे हैं जो वस्तुतः पुलिस की पावर्स से भी अधिक हैं। धारा १२ में जो पावर्स सेल्स टैक्स अधिकारी को दी गयी हैं उसमें लिखा है कि किसी के घर में अगर उसको यह संदेह हो जाय कि कोई चीज छिपा दी गयी है, तो वहां से उसको वह हासिल कर सकता है। हमारे यहां जाप्ता फौजदारी की धारा १०२ और १६६ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। पुलिस अधिकारी को पावर्स दी गयी हैं, लेकिन उसमें यह भी व्यवस्था है कि रीजिनेबिल टाइम वह दे, प्रतिष्ठित गवाहों को साथ लेकर मांगने पर भी यदि वह इनकार करे तब ही वह घर में घुसेगा, लेकिन यहां पर गवाही की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वह रात या दिन किसी भी वक्त किसी के घर में घुस सकता है। उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मन में जो आया लिखा और दस्तखत कराये या न कराये। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इस प्रकार का पावर देकर पुलिस अधिकारियों से भी अधिक पावर उनको दे दिया गया है। श्रीमन्, मंशा इस विधेयक का यह था कि यदि कोई एकपक्षीय निर्णय होता है तो उस निर्णय से एग्रीव्ड पार्टी को राहत दिलाने के लिये कोई उपाय ढूंढा जाय। अगर यह मंशा पूरी होती तो वस्तुतः अच्छी चीज थी और इसकी व्यवस्था मूल ऐक्ट में होनी चाहिये थी, लेकिन वह नहीं किया गया। श्रीमन्, इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है

वह यह है कि अगर अधिकारी को इस बात का सन्तोष हो जाय कि वह एकपक्षीय निर्णय है या और भी ग्राउंड्स स्पष्टरूप से हों तो निश्चित रूप से सन्तोष होने पर वह उस निर्णय को रद्द कर सकता है। इसमें शब्द "मे" के रख देने से उस अधिकारी को डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो विधेयक की मंशा है उसकी पूर्णरूप से पूर्ति नहीं हो रही है और सेल्सटैक्स अधिकारियों को मनमाने ढंग से अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने की छूट दे दी गयी है। ये ऐसी बातें हैं जिन पर ठीक से विचार करने के लिये इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति में भेज देना चाहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने जो उसके उद्देश्य और कारण बतलाये, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि उन उद्देश्य और कारणों का समावेश उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तो है लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजों का भी समावेश कर दिया गया है जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ होने के बजाय कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। इससे पहले कि मैं और किसी चीज पर निवेदन करूं, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी ने इस अमेंडमेंट बिल में डीलर्स की परिभाषा क्यों बदली। ऐसी कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी और ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण उन्हें डीलर्स की परिभाषा बदलने की आवश्यकता पड़ी? अच्छा होता अगर अपने व्याख्यान में वे इस परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट रूप से बतला देते। अब जिस तरह से डीलर्स की परिभाषा बदली गयी है। उससे वे लोग जो अढ़तिया, एजेंट या किसी पक्ष से या किसी ओर से कोई कार्य करते थे उनके ऊपर भी अब सेल्स टैक्स का बोझ बढ़ेगा। .मान्यवर, अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया है कि टैक्स का बोझ किसी तरह से बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने बतलाया कि केवल दाशमिक प्रणाली के सिक्के का प्रचलन करने के लिये यह परिवर्तन किया जा रहा है कि ३ पाई के स्थान पर २ नये पैसे रहें। मैं नहीं समझ सका कि यह बात उन्होंने किस कारण से कही। अगर इसको गणित की दृष्टि से देखा जाय, व्यापार की दृष्टि से देखा जाय, किसी उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाय तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि लगभग ७ आने प्रतिशत कंज्यूमर्स पर टैक्स बढ़ने जा रहा है।

माननीय मंत्री जी ने गल्ला व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये अपने बजट भाषण में यह भी बतलाया था कि अब आगे को १२ हजार की जगह व्यापारियों को २५ हजार की बिक्री पर छूट दी जायगी और उसके बाद उनके ऊपर फी रुपया २ नये पैसे के हिसाब से सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगेगा। २५,००० रु० के ऊपर जो छूट मिलेगी मैं समझता हूं उससे गल्ला बाजार के व्यापारियों का या गल्ला का काम करने वाले व्यापारियों को कोई लाभ नहीं हो सकता। २५,००० रु० का अगर तखमीना लगाया जाय तो इस समय अगर एक गल्ले का व्यापारी जब तक ५, ६ बोरे नहीं बेचेगा उसका जीवनयापन नहीं चल सकता और ५, ६ बोरे भी बिकना कठिन है। तो ऐसी हालत में इस २५,००० रु० की छूट से गल्ला व्यापार के व्यापारियों को कोई खास सुविधा मिलने वाली है यह गलत है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह गल्ले के व्यापारियों को किसी तरह की राहत पहुंचाना चाहते हैं तो वह इस लिमिट को और ऊपर बढ़ावें और ऐसी एक रीजिनेबिल लिमिट रखें जिससे व्यापारियों को किसी तरह का लाभ हो सके।

मान्यवर, इसमें एक जगह पर कुछ ऐसे संशोधन लाये गये हैं जो हमारे लिये कोई नये नहीं हैं। दूसरे तरह के टैक्स, बिलों में या दूसरे तरह के जो कानून हैं टैक्स के सिलसिले में उनमें प्रचलन जारी है। खासतौर से इंडियन इन्कम टैक्स इस तरह की धाराएं आज भी प्रचलित हैं और उन धाराओं से व्यापारिओं को बराबर राहत मिलती रही है। उन्हीं की नकल करते हुए, या उन्हीं के आधार पर माननीय मंत्री जी ने भी कुछ संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किये हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने जहां पर इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट की उन धाराओं को इस विधेयक में प्रवेश किया है वहीं पर उनसे

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सम्बद्ध अन्य धाराओं का जिनसे व्यापारियों को कोई लाभ हो सकता था उनको छोड़ दिया है। मान्यवर, इसमें एक जगह पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यापारी अपना कारबार किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर करता है तो उसमें टैक्स की जिम्मेदारी हस्तांतरी के ऊपर भी होगी और हस्तान्तरकर्ता के भी ऊपर होगी। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि व्यापार जिस समय एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो आपस में कई तरह की शर्तें तय होती हैं। इसलिये इस बोझ को हस्तान्तरकर्ता के ऊपर ही रखना चाहिये, क्योंकि किसी ट्रांसफरी को इस बात का पता नहीं लग सकता कि फर्म को कितना रुपया टैक्स का देना है। इसलिये इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरकर्ता के ऊपर होना चाहिये, लेकिन अगर टैक्स की वसूली के लिहाज से दोनों पार्टीज पर किसी तरह की बाइंडिंग या दबाव रखना चाहते हैं तो फिर मेरा सुझाव यह है कि इस तरह का इसमें प्रतिबन्धात्मक खंड रखना चाहिये जिसके आधार पर सबसे पहले हस्तान्तरकर्ता से ही टैक्स वसूल करने की कोशिश की जाय। जब उससे न वसूल हो तब हस्तांतरी से टैक्स वसूल किया जाय। मान्यवर, इस प्रतिवेदन में इस बात की भी सुविधा दी गई कि जो एक पक्षीय फैसला है, जिन व्यापारियों के फैसले किसी कारण से कर-निर्धारक अधिकारी ने एक पक्षीय कर दिये हैं उनकी फिर से सुनवाई हो सकती है.....

श्री उपाध्यक्ष---यह सुविधा विधेयक में पहले थी या प्रवर समिति ने दी ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---पहले थी।

श्री उपाध्यक्ष---तो पहले वाली पर न बोलें। रिपोर्ट से सम्बन्धित होनी चाहिये और रिपोर्ट के आलटरनेटिव सजेशन आप दे सकते हैं। पूरे बिल के सिद्धान्तों पर इस स्टेज पर बहस नहीं हो सकती।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मैं तो आलटरनेटिव सजेशन ही दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप विवाद न करके जो रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी ने दी है उसमें क्या आलटरनेटिव सजेशन दे सकते हैं उसका हवाला देते हुए ही कहें।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उसमें इस बात की आपने सुविधा दी है कि ऐसे मामलों की सुनवाई फिर से हो सकती है, लेकिन इसमें यह कर दिया कि किसी अपील की सुनवाई करते हैं तो इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले उसे टैक्स जमा करना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि यह रक्खा है कि उसको पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा तो इससे लाभ क्या हुआ ? कोई आदमी टैक्स नहीं देता है, लेकिन अगर कोई कर निर्धारक अधिकारी यह फैसला कर दे कि उसे टैक्स देना चाहिये, तो मेरा निवेदन है कि टैक्स पहले जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पक्षीय फैसला हुआ है। उसमें गलतियां हो सकती हैं। गलतियों के समाधान के लिये आवश्यक है कि पहले सुनवाई हो और उसके बाद जो टैक्स निर्धारित किया जाय उसके अनुसार अदा करना चाहिये।

मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया कि जिस किसी व्यापारी का पैसा सरकार से वसूल होना है, वह उसको मिल सकता है, लेकिन उसके लिये दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जब किसी का पैसा खजाने में ज्यादा जमा है तो इस बात की क्या आवश्यकता है। जब ज्यादा जमा है तो दरख्वास्त देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंन्ट का काम है वह, उस व्यापारी का जितना पैसा वापस होना चाहिये, उसकी सुविधा प्रदान करे। आज इंडियन इंकम टैक्स ऐक्ट में इस तरह की सुविधा है। वहां दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं पड़ती। डिपार्टमेंन्ट की तरफ से खुद इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है।

मान्यवर, इसी तरह से इस विधेयक में कर निर्धारित अधिकारी को इस बात की सुविधा है कि वह किसी भी व्यापारी का बहीखाता ९० दिन के लिये अपने कब्जे में कर सकता है। यह नहीं कि पुराना, बल्कि जिस समय का वह चाहे उस समय का वही खाता अपने कब्जे में कर सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर आज किसी व्यापारी का बहीखाता कोई कर

निर्धारक अधिकारी अपने पास रख ले तो वह व्यापारी काम कैसे चलायेगा ? आवश्यकता थी कि यह अवधि एक सप्ताह या पन्द्रह दिन की रक्खी जाती । ९० दिन रखने का मतलब है कि व्यापार को धक्का पहुंचाना और यह व्यापारी के साथ न्याय नहीं है ।

मान्यवर, इसी में इस बात की भी सुविधा प्रदान की गई है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया उस सेक्शन को रेफर करें जहां इसकी सुविधा है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---१२ की बारहवीं लाइन कृपया देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रवर समिति के प्रतिवेदन में इस विषय में कहां वर्णन है ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---श्री रामस्वरूप वर्मा की विमति टिप्पणी को देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---आप रिपोर्ट पर कहें । विमति टिप्पणी पर नहीं । वह तो माननीय सदस्य के विचार हैं ।

श्री राजनारायण---उस पर हमेशा बहस हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बात आप समझ लें । कुछ तो जनरल डिस्कशन हुआ जब विधेयक सदन के सामने था और प्रवर समिति में भेजा जाने वाला था । उस डिस्कशन को आप दोहरायेंगे तो उसकी इजाजत इसलिये नहीं दी जा सकती कि एक मर्तबा वह मौका सदन को और माननीय सदस्यों को दिया जा चुका है । अब प्रवर समिति की रिपोर्ट आपके सामने है । उसके संबंध में कि प्रवर समिति में क्या हो सकता था, क्या नहीं किया है, वहीं तक आप सीमित रक्खें जहां तक कि प्रवर समिति की रिपोर्ट है । अगर आम बहस होती है तो प्रवर समिति में भेजने के पहले और अब में कोई अन्तर नहीं रहेगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---मान्यवर, जहां तक मेरा विश्वास है, मैंने कोई ऐसी बात को दोहराया ही नहीं है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो और भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो विषयांतर हो । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के व्यापारी को यह सुविधा होनी चाहिए कि उसका जो पैसा डिपाजिट है, वह उसको अवश्य मिल जाय और जो देय हैं उनके सिलसिले में अगर कोई अपील दाखिल कर रखी हो तो उनमें उस पैसे को मुजरा नहीं करना चाहिए । इस में यह कह दिया गया कि २४ महीने के अन्दर तक कोई दरख्वास्त आयेगी तो सरकार पैसा देगी और अगर बाद में आयेगी तो पैसा नहीं देगी । यह तो पूंजीपति का काम है जो ऐसा दृष्टिकोण रखता है । तो इसमें टाइम-लिमिट नहीं होनी चाहिए, जबकि सेल्स टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में कोई टाइम-लिमिट नहीं है ।

इसलिए मेरे सुझावों को माननीय मंत्री जी गौर से देखें । जो प्रस्ताव ब्रजनारायण जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि मैंने जो बातें रखी हैं उन पर विचार किया जायगा ।

अन्त में एक जानकारी करना चाहता हूं कि यह जो सेल्स टैक्स में संशोधन विधेयक आया है क्या इसको उन्होंने प्राविन्शियल सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी के सामने प्रस्तुत किया है या नहीं ? व्यापारियों की राय लेने के लिए या उन्होंने जानकारी के रूप में व्यापारी वर्ग के दृष्टिकोण को भी उसके सम्बन्ध में जानने की कोशिश की कि उनको इससे फायदा पहुंचता है या नहीं ? जिस समय वह उत्तर दें, इसकी भी सफाई करने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को ८ बजे तक पारित किया जाय और बोलने की सीमा निर्धारित कर दी जाय और अगर तब तक पारित न हो तो इसे गिलोटिन कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई सुझाव आप दें कि कितना समय दिया जाय बोलने का ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस पर १० मिनट से अधिक समय न रखें ?

श्री उपाध्यक्ष---किसी को एतराज है ?

श्री राजनारायण---हमको तो काफी एतराज है । मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा और इस सदन में जो बुद्धि-सम्पन्न लोग हैं उनसे कि इस तरह से सदन की मर्यादा बढ़ाई जा रही है या घटाई जा रही है । स्वतः सोचें मंत्री जी । अक्सर यहां सरमन तो दे दिया करते है जैसे हम "जस्ट लाइक स्कूल ब्वायज" हैं । हमने ७ वर्ष में पार्लियामेंटरी पद्धति छान ली, चाहे उनको मौका न मिला हो ।

श्री उपाध्यक्ष---बिना किसी पर आक्षेप किये हुए भी आप एतराज कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इससे मर्यादा कैसे बढ़ेगी ? हमने डेढ़ घंटे पहले प्रस्ताव पास किया है जब तक यह विधेयक पारित न हो तब तक हम बैठेंगे और डेढ़ घंटे में हमारी बुद्धि बिलकुल विकृत और परिवर्तित हो जाती है । गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने उपदेश शुरू कर दिया ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर सरमन न शुरू करें तो फिर मर्यादा कैसे बचे ? आप खुद सोचिये । अभी घंटा भर पहले एक प्रस्ताव पास किया गया और फिर परिवर्तित कर दिया जाय यह कहां तक उचित है ।

और फिर ट्रेजरी बेंचेज के किसी माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा होता तो मुझे आश्चर्य न होता लेकिन रखा है माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने तो क्या वे फिर कम्यूनिस्ट पार्टी का टोटेलिटेरियन सिस्टम चालू करना चाहते हैं, रशा का सिस्टम कि किसी को बोलने ही न दें ?

श्री चन्द्रजीत यादव---व्यवस्था का प्रश्न । क्या इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य कह सकता है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अभी तो मैं बैठा नहीं हूं । क्या आपने उन्हें इजाजत दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैंने उनको इजाजत दी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, मैंने एक प्रस्ताव पेश किया जो कुछ उनको कहना हो वह कहें, लेकिन किसी पार्टी के ऊपर इस तरह से भाषण में आक्षेप करना क्या उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---पार्टियों पर तो रोज आक्षेप किया ही जाता है ।

श्री सुरथबहादुर शाह---आपने श्रीमन् कहा कि आपत्ति यदि किसी को हो । तो मैं भी अपनी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं और वह इसलिये कि जैसा मैंने निवेदन किया था कि यह सीमित कर दिया जाय डिबेट तो उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह निश्चय किया था कि निश्चित नहीं होगा । अभी ४५ मिनट पहले सरकारी पक्ष ने भी, माननीय मंत्री ने, माननीय सदस्यगण और माननीय सचेतक ने उसको स्वीकार नहीं किया । तो जब उस समय नहीं निश्चित हो सकता था तो अब ४५ मिनट के अन्दर क्या परिवर्तित हो गया ।

श्री राजनारायण---(वित्त मंत्री के खड़े होने पर और अध्यक्षासन से उनको बोलने लिये आहूत होने पर) श्रीमन्, आई वाज इन दि पजेशन आफ दि हाउस और इस समय अब कोई प्वाइंट आफ आर्डर तो है नहीं और मैं चन्द्रजीत जी यादव के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था । तो मैं सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं

और जो निम्नस्तर पर उतरकर तथ्यों को छिपाना नहीं चाहते उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी १ घंटा पूर्व इसी सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था। हमने आध घंटे का स्थगन मांगा था, लेकिन उसको नहीं माना गया। हम लोग तो थोड़े आदमी हैं। वे लोग तो पारी-पारी से आते हैं। इसलिये ही हमने चाहा था कि स्थगित हो जाय, लेकिन वह भी नहीं माना गया तो अब कैसे गुणात्मक भेद हो गया है? तो माननीय चन्द्रजीत जी यादव से मैं कहना चाहता हूं कि क्या वह कम्यूनिस्ट पार्टी की थीसिस यहां लागू करना चाहते हैं कि कभी किसी को बोलने मत दें? क्या वह यहां सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप टोटेलिटेरियन सिस्टम लागू करना चाहते हैं? मैं माननीय चन्द्रजीत जी यादव से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें। उन्होंने अमृतसर में जो सेन्ट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी पर थीसिस पास की है उस सिद्धान्त के मुताबिक भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी ओर से ही विरोधी दल वालों को गैग खोलने से वंचित न करें और अपने प्रस्ताव को वापस लें ताकि सदन की मर्यादा की रक्षा हो।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक चीज साफ कर देना चाहता हूं। माननीय सुरथबहादुरशाह ने जो बात कही कि पहले क्यों इसको मन्जूर नहीं किया गया और अब क्यों मन्जूर किया जाय, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने उस वक्त यह कहा था कि जब यह डिबेट चले तो वे अगर देखेंगे कि बहुत कायदे से और बहुत थोड़ी थोड़ी तकरीरें जितनी होनी चाहिये इस सब्जेक्ट पर प्रवर समिति से वापस आने पर उस तरह से हो रही हैं तो फिर समय निर्धारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.....

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष और आपके ऊपर एक तरह से आक्षेप कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि जब तक मौजूं स्पीचेज होंगी और रेपीटीशन नहीं होगा तब तक समय निर्धारण नहीं होगा। तो क्या आपके अन्दर वह क्षमता नहीं है कि आप जो सदस्य रेपीटीशन करें उसको रोक सकें?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी, वे तो वाकया बयान कर रहे थे कि पहले यहां क्या हुआ.....

श्री राजनारायण---लेकिन वे तो यह कह रहे हैं कि अब स्पीचेज ठीक नहीं हो रही हैं इसीलिये यह मोशन आया।

श्री सैयद अली जहीर---खुदा जाने इस हाउस की मर्यादा मेरे माननीय सदस्य रख रहे हैं या और लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे उसको बिगाड़ने न पायें, यह आप ही फैसला फरमायेंगे। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय ने कोई आखिरी फैसला उस वक्त नहीं किया था। माननीय सुरथबहादुरशाह का यह खयाल कि इस वक्त रिजेक्ट कर दिया था और अब चाहते हैं कि पास हो जाय, ऐसी बात नहीं है। यह तो अलग से एक तजवीज आयी है जब करीब करीब २ घंटे डिबेट चल चुकी है। वैसे यह तो हाउस के ऊपर है कि चाहे इसको मन्जूर करे या नामन्जूर करे।

श्री सुरथबहादुरशाह---आपका मैं इस विषय पर निर्णय चाहता हूं कि क्या अभी ४५ मिनट पहले.....

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव के बारे में आप बतलायें, निर्णय से कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री सुरथबहादुरशाह---मैं तो आपसे यह निर्णय चाहता हूं कि जब मैंने यह निवेदन किया था कि समय निश्चित कर दिया जाय तो उन्होंने फरमाया कि नहीं होगा और अब चाहते हैं कि समय निर्धारण हो जाय। तो क्या यह उचित होगा?

श्री राजनारायण---मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसको इस समय एन्टरटेन न करें और आपके द्वारा मैं अपने मित्र से चाहूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस लें और अगर कोई रेपीटीशन वगैरह हो तो आपको अधिकार है, आप रोक ही सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी सूरत में आपके प्रस्ताव पर मत लेना मैं मुल्तवी करता हूं। कुछ भाषण और हों तब मैं इजाजत दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मैंने इसलिये प्रस्ताव रखा था कि पहले यह तय हो चुका था कि तीन घंटे तक हम इस पर और विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---यह नहीं तय हुआ था।

श्री चन्द्रजीत यादव---फार्मल रूप से विरोधी दल ने यह तय कर लिया था कि आज तीन घंटे विचार करेंगे। जब माननीय सुरथबहादुरशाह ने प्रस्ताव रखा था उस समय माननीय अध्यक्ष ने यह कह दिया कि अगर बाद में जरूरत पड़ी तो इस किस्म का प्रस्ताव आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये और चूंकि लोग बोल भी चुके इसलिये मैंने ८ बजे तक का प्रस्ताव रखा।

श्री महीलाल---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री सुरथबहादुरशाह का था उसको रद्द नहीं किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है। वह रिपोर्ट में मौजूद होगी, उसको मंगाकर देख लिया जाय। यदि बहस लम्बी हुई और आवश्यकता हुई तो इस पर विचार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---बहरहाल, माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा था उसकी रिपोर्ट मंगा कर देख लूं तब तक भाषण जारी रहे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बिक्री-कर विधेयक पर यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जब प्रवर समिति में गया था तो तीन दिन तक मैंने लगातार इस पर बहस की थी और उसके बाद हालत यह हुई कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। प्रवर समिति में इसकी तमाम खामियों पर जोर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से मेरी कोई बात वहां नहीं मानी गई। बात यह थी कि कुछ जरूरी काम की वजह से मैं रुक गया था इसलिये मैं अपना नोट आफ डिसेंट भी नहीं दे सका।

इस सेल्स टैक्स के संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो धारणा इस संबंध में है वह यह है कि:---

"है सेल्स टैक्स से अवाम परेशान इस कदर।
खुदा के पीछे पड़ गया शैतान जिस कदर।।"

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य हों और उन्होंने अपनी सम्मति लिखित नहीं दी तो क्या वह इस तरह से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---इस सदन में इस पर व्यवस्था कई बार दी जा चुकी है कि हर सदस्य को हर समय पहले से ज्यादा अकलमंद होने का मौका है।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, यदि इजाजत हो तो मैं पूरा शेर पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष---एक मिसरा आपने अर्ज कर लिया है। साधारणतया मैं इस तरह से बार-बार इजाजत नहीं दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उसी से संबंधित विषय पर भाषण करें। फिर जनरल डिस्कशन में आपने अपना समय दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप अपना परिश्रम और समय बरबाद क्यों करें?

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, इसके प्रवर समिति में जाने से पहले मैंने लगातार तीन दिन इस पर बहस की तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं इसके ऊपर कोई बात कहता। मगर प्रवर समिति में डिस्कशन होने के बाद मेरे पास तमकुही के फूड ग्रेन एसोसियेशन का तार आया उसमें लिखा है कि "Request removal of Sales Tex from Food-grains" इसलिये मुझे बोलने की जरूरत पड़ी कि जिन बातों पर पहले जोर दिया था उन पर फिर दूं ताकि शायद सरकार को समझ आ जाय और वह हमारी बात मान ले . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो यह कि प्रवर समिति की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और इसके बाद फिर खंडों पर बहस होगी। इसलिये मैं आम विवाद की इजाजत नहीं दूंगा। जब खंडों पर बहस हो तो उस समय आप कहें। यदि आप प्रवर समिति की रिपोर्ट से बाहर की बात कहेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा और आपको भाषण समाप्त करने के लिये कहना पड़ेगा। यह अप्रिय कार्य मुझे न करना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके ऊपर ही कहना चाहता हूं। खंड ५ की मूल धारा ५ के स्थान पर जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें हम लोगों की तजवीज थी कि इसमें ५ (ए) और बढ़ा दिया जाय और उसका अभिप्राय था कि गल्ले के ऊपर से टैक्स हटा दिया जाय। इस बात की इसमें समाअत नहीं हुई सारे प्रदेश की यह मांग है। साढ़े छः करोड़ जनता की यह मांग है। मेरे पास जो पत्र उत्तर प्रदेश खाद्य-पदार्थ व्यापारी संघ का आया उसमें कुछ जिक्र है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने खंड ५ को स्पर्श नहीं किया है। जिन खंडों को उसने स्पर्श नहीं किया उनको अगर आप वादविवाद में लायेंगे तो वह आम वाद-विवाद हो जायगा। अगर आप तार और खत पढ़ेंगे तो वही डाइलेटरी टक्टिक्स समझी जायंगी। आप को बार-बार टोकना पड़ रहा है इसका मुझे सख्त अफसोस है।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस पर जिस प्रकार के भाषण हुए हैं और जो हमारे सामने प्रवर समिति की रिपोर्ट मौजूद है उसी को मैं अपने सामने रखना चाहता हूं। मुझे केवल खाद्यान्नों के बारे में कहना है और दूसरी बात नहीं कहनी है। सिर्फ इसलिए कहनी है कि जब कपड़े के ऊपर एक सूत्री कर दिया गया, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोक सभा के नेताओं द्वारा कही गयी हैं। कुछ वादे किये गये थे। लोक सभा के अध्यक्ष माननीय आयंगर जी, प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री अजितप्रसाद जैन ने कई बार कहा कि गल्ले पर कर नहीं होना चाहिए। विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों ने भी इस अनर्थकारी कर का विरोध समय-समय पर किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं रूल २८६ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह है---

"Whilst the House is sitting, a member—

(i) shall not read any book, newspaper or letter, nor shall he do anything except in connection with the business of the House ;".

कुछ माननीय सदस्य अपनी फाइलें देख रहे हैं और सेल्स टैक्स के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह आपके लिए साबित करना कठिन होगा कि

"except in connection with the business of the House ;"

अगर आप पहले प्रमाण दे देते तो ठीक था।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ...

श्री उपाध्यक्ष---मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री राजनारायण--आपने यही व्यवस्था दी है कि उससे सम्बन्धित है या नहीं । मैं नहीं चाहता, माननीय मुख्य मंत्री को बराबर यह रियायत देने के लिए मैं तैयार हूं, रियायत दी जा सकती है बशर्ते कि वह कोई नयी किताब पढ़ते हों, अगर वह मौलाना जी की किताब पढ़ते होते और रियायत दी जाती तो मैं न बोलता । मगर वह राटेन फाइल में पड़े हुये हैं । बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर बहस नहीं सुन रहे हैं । वह इस तरह से फाइलों को न पढ़ें क्योंकि सदन की मर्यादा की जिम्मेदारी उनकी भी है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि समय-समय माननीय नेताओं ने भी अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं । एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं । प्रदेश के खाद्यान्न व्यापारियों की एक मात्र संस्था उत्तर प्रदेश खाद्य पदार्थ व्यापारी संघ ने भी प्रस्ताव पास कर कहा है कि गल्ला जैसी जीवन की नितांत आवश्यक वस्तु पर कोई कर व प्रतिबन्ध न रहे । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि गल्ले का जो संकट है वह प्रत्येक वर्ग को परेशान किये हुए हैं । उस पर बिकी-कर हटा देना चाहिए । एक बात और मैं आपको याद दिलाऊं । पहले २ पैसा रुपया बहुपदी कर लगाया गया जिसे अक्तूबर, १९५६ में कर मुक्ति शुल्क का रूप दिया गया । पुनः दिसम्बर, १९५६ में यह कर मुक्ति शुल्क गत अप्रैल, १९५६ से लागू करने का निश्चय किया गया तथा घोषणा की गयी कि अगले वर्ष ५७-५८ में इसमें पुनः सुधार किया जायगा । तत्कालीन वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने विधान सभा में यह घोषणा की कि गल्ले पर कर लगाने से सरकार को प्रसन्नता नहीं । समय आने पर इसे मुक्त कर दिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे माननीय सदस्य को बार-बार टोकना पड़ता है । मैं यह मना कर चुका हूं और आपने काफी इस सम्बन्ध में कह दिया । अब इस विषय पर न बोलें क्योंकि प्रवर समिति ने इस खंड को स्पर्श नहीं किया है । अगर दूसरी बात कहनी है तो कहिए ।

श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने आपसे निवेदन यह कर दिया कि (ग) को पढ़ लें आप । प्रवर समिति में जिस खंड को स्पर्श किया गया है उस सम्बन्ध में आप कहें और उस सम्बन्ध में आल्टर-नेटिव सजेशन भी दें । बाकी जो खंड स्पर्श नहीं किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में एक शब्द भी कहने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक जो भाषण होते आये उनमें तो कोई खंड बाकी नहीं रहा । अगर मुझ पर यह पाबन्दी लगायी जाती है तो जैसा आप हुक्म देंगे उसी पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बोलिये मैं आपको रोक नहीं रहा हूं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर किसी गहरी बहस में नहीं जाना चाहता । मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने घोषणा की थी कि गल्ले पर कर लगाने में सरकार को कोई प्रसन्नता नहीं है । समय आ जाने पर इसे कर मुक्त कर दिया जायगा । मगर नहीं किया गया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति से वापस आने पर भी इस पर विचार किया जाना चाहिये कि गल्ले को कर-मुक्त कर दिया जाय ।

इसके अलावा इसमें एक जगह कहा गया है खंड १२ में धारा १३ के कि ९० दिन तक कागज रखने का उसे अधिकार होगा सेल्स टैक्स अधिकारी को । तो उसे अपने कब्जे में कागज रखने का अधिकार तो ९० दिन तक के लिये रहेगा, लेकिन जहां अपील का अधिकार दिया गया है उसमें खंड १८ में धारा ३० में बाध्य किया गया है कि उसे ३० दिन का ही समय होगा । यदि उसके कागजात सब जब्त कर लिये गये और ९० दिन तक सेल्स टैक्स अधिकारी उन कागजात को अपने कब्जे में रखेगा तो फिर वह अपील कैसे करेगा ? चाहिये यह था कि अगर एक महीने

का अधिकार कागज रखने का अपने कब्जे में सेल्स टैक्स अधिकारी को दिया जाता है तो ६० दिन का अधिकार अपील के लिये दिया जाता। यह बड़ा भारी जुल्म होगा व्यापारियों के साथ। ९० दिन तक वह कागज जब्त रखेगा तो वह अपील कहां से करेगा? इसलिये मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ३० दिन की मियाद अपील की दी गई है तो उसे कागजात रखने की मियाद १५ दिन की दी जाय। अगर ९० दिन की दी जाती है तो फिर अपील की मियाद उससे १ महीने और आगे दी जानी चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बात की तरफ .....

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रतिवेदन के किस खंड से सम्बन्धित है?

श्री शिवप्रसाद नागर---यह जो श्री रामस्वरूप वर्मा की विमति टिप्पणी है....

श्री उपाध्यक्ष---मैंने आपसे कह दिया कि प्रतिवेदन में रामस्वरूप वर्मा की टिप्पणी तो माननीय सदस्यों के सामने मौजूद ही है। उसके दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिवेदन में यह (ग) पर जो लिखा हुआ है खंड १३ तक स्पर्श किया गया है इसी से सम्बन्धित बातें आप कहें।

श्री शिवप्रसाद नागर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन में इसका जिक्र है।

श्री उपाध्यक्ष---कहां पर है? कौन सी धारा में है?

श्री शिवप्रसाद नागर---मुझे यह पता थोड़े ही था कि यहां इम्तहान ही होगा मेरा।

श्री उपाध्यक्ष---इम्तहान नहीं। आप अपनी सब बातें कह चुके हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं कुछ नहीं कह पाया हूं। आप कहें तो बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष---जब खंड आवे उस समय आप लाभ उठा सकते हैं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा और यह देखा कि १२ हजार रुपये से ऊपर जिसकी आमदनी है....

श्री उपाध्यक्ष---पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा.....

श्री टीकाराम---मैं मोतीलाल जी के संशोधन के समर्थन में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---उसके बाद प्रतिवेदन में दिया है "ग" उससे सम्बन्धित जितने विषय हैं उन्हीं पर आप बोलेंगे और आल्टरनेटिव सजेशन देंगे। इसके अलावा मैं एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि प्रतिवेदन से आप सम्बन्ध न जोड़ दें।

श्री टीकाराम---सम्बन्ध जोड़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---जब सम्बन्ध नहीं होगा तो आप सम्बन्ध कैसे जोड़ देंगे?

श्री टीकाराम---खंड दो के शब्द 'उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट सन् ४८' इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---खंड २ में प्रवर समिति ने एमेन्डमेन्ट कहां किया है? इसको आप मुझे बतायें।

श्री टीकाराम---खंड २ में "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट ४८ जिसमें मूल अधिनियम" इसी पर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—यह कौन अंश है प्रतिवेदन का जो, आप पढ़ रहे हैं ? यह जो प्रवर समिति ने एमेन्डमेंट किया, उससे आप सहमत हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं या आल्टरनेटिव सजेशन दे रहे हैं ?

श्री टीकाराम—खिलाफ बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं । जो १२ हजार की आमदनी वाला है उसके ऊपर टैक्स लगेगा । इस कर ने तो आग लगा दी क्योंकि गांव के रहने वाले. .

श्री उपाध्यक्ष—आप खंड २ को देखें, उसमें १२ हजार का जिक्र कहां है ? मूल विधेयक आप देख लीजिये ।

श्री टीकाराम—मूल विधेयक तो हम पढ़कर नहीं आये ।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो विधेयक है, जो प्रवर समिति ने इस पर प्रतिवेदन उपस्थित किया, उसमें यह जिक्र कहां है ?

श्री टीकाराम—व्यापारी शब्द पर बोल रहा हूं, व्यापारी शब्द की परिभाषा पर बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को काफी मौका दिया जा चुका है । आगे खंडों पर बिचार के समय मौका फिर दे दूंगा, उस समय आप लाभ उठाइयेगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर—मेरा वैधानिक प्रश्न है और वह यह है कि इस प्रतिवेदन में खंड ५-ए० के विषय में दिया हुआ है । मैं उसी पर जोर देकर बोल रहा था । जब आपने मुझे टोका तो इतनी जल्दी में मुझे वह खंड दिखाई नहीं पड़ा । तो मुझे उसके विषय में बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपसे निवेदन किया कि वह खंड जब आयेगा तब आपको अवसर मिलेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन यहां पर पेश हुआ है उसके दो भाग हैं । एक तो वह है जिसके विषय में मेरी विमति टिप्पणी भी है । मैं सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इस ओर ध्यान दिया जाय कि जो विमति टिप्पणी लगी हुई है और जो संशोधन हुए हैं, उनमें कहां तक समन्वय हो सकता है । इसलिये इस बात की जरूरत है कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को भेजा जाय जिससे अभीक्षित की पूर्ति वहां पर हो सके और वहां से सर्वांगपूर्ण होकर निकले और प्रदेश की जनता का हित करे । श्रीमन्, आप देखें कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन की धारा ३ से सम्बन्धित जो हमारी विमति टिप्पणी है उसमें यह कहा गया है कि इससे शासन के हाथ में और शक्ति दृढ़तर होगी । जिस तरह से यह प्रतिवेदन आया है उससे सरकार के हाथ में और शक्ति आई है. . .

श्री उपाध्यक्ष—प्रतिवेदन की धारा में आप यह दिखा दें कि प्रवर समिति ने इसको कहां तक स्पर्श किया है । उसके बाद आप विमति टिप्पणी का उद्धरण दें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि खंड ३ पर प्रवर समिति में विचार किया गया है और इसमें संशोधन किया गया है; उसका समावेश इस धारा ३ में है ।

श्री उपाध्यक्ष—खंड ३ पर विवाद हो चुका है । अगर खंड ३ का स्पर्श प्रवर समिति में नहीं किया गया है तो इस पर बाद को बोल सकते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जरा आप सोचें कि प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन है उसके सभी सिद्धान्तों पर बहस होनी चाहिये और उसी के सम्बन्ध में हमारी विमति टिप्पणी है । वह विमति टिप्पणी इस विधेयक का अंग है और इसमें सम्मिलित है ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप जिस विमति टिप्पणी को लिख चुके हैं उसी पर विवाद यहां पर करना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---जो मेरी विमति टिप्पणी आई है वह इस प्रतिवेदन का अंग है और यह प्रतिवेदन इस विधेयक के ऊपर ही लाया गया है। इस पर हमारा मतभेद नहीं है। प्रश्न तो यह है कि प्रवर समिति से जो रिपोर्ट आयी है उसके दो भाग हो गये हैं, दो विचारधारा हो गई हैं। इसलिये सदन को हम इस मत का बनाना चाहते हैं कि इसको फिर प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---इसमें दो बातों से सम्बन्ध है। एक तो विधेयक के सिद्धान्तों से सम्बन्ध था जिसके ऊपर विवाद हुआ। उसके बाद यह प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति में किन्हीं खंडों को स्पर्श किया गया। यह सदन की राय से प्रवर समिति को गया। वहां पर सभी विचारधाराओं को सुनने के बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट यहां पर आपके सामने पेश हुई; आपने इसमें विमति टिप्पणी दी। अगर विमति टिप्पणी में यह दिया हो कि खंड ३ बदला जाना चाहिये या नहीं बदला जाना चाहिये, तो फिर प्रवर समिति ने जिन धाराओं को स्पर्श नहीं किया उन पर विवाद का अवसर नहीं रहता। अगर आपका तर्क मान लें, तो विमति टिप्पणी देने का सबको अधिकार है और उसके बाद आप यह कहें कि जिन धाराओं को हमने विमति टिप्पणी में नहीं लिखा उनको भी प्रवर समिति को स्पर्श करना चाहिये था, तो यह ठीक नहीं है। अगर आप संतुष्ट न हों तो मैं अन्य अध्यक्षों की और कड़ी व्यवस्था भी इस सम्बन्ध में सुना दूं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन की मर्यादा पालन के लिये और इस सदन की मर्यादा की सुरक्षा के लिये मैं आम वाद-विवाद में किसी भी माननीय सदस्य को जाने नहीं दूंगा। आप केवल प्रतिवेदन की बात करें और उससे सम्बन्धित जितने विषय हों उनको लें। आपकी विमति टिप्पणी को सब सदस्यों ने पढ़ लिया है। रोका तो उस समय भी जाता है कि जिस समय आम वाद-विवाद होता है। तो इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक किसी धारा को प्रवर समिति ने स्पर्श न किया हो उस समय तक आप उस सम्बन्ध में निवेदन न करें। जिस धारा को स्पर्श किया गया हो उसके सम्बन्ध में आप अपने सजेशन दें।

दूसरी बात यह भी माननीय सदस्य ध्यान में रखें कि जो कुछ एक बार कहा जा चुका है उसको दोहराया जाना इस सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है और न इसकी इजाजत दी जा सकती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय सदस्यों को बार-बार टोकना पड़ता है, लेकिन आपने जो अधिकार मुझे दे रखें हैं कि सदन की मर्यादा की सुरक्षा की जाय और सदन का समय बर्बाद न किया जाय, जो ये अधिकार आपके द्वारा ही मुझे मिले हैं उनके पालन में, मुझे अपने कर्त्तव्यपालन में, बार-बार आप लोगों को टोकना पड़ता है। आपको इसलिये परेशानी भी है। मैं चाहता हूं कि आप इसका खयाल रखें।

श्री राजनारायण---आपने यह उचित ही कहा कि दूसरे अध्यक्षों ने और कड़ी व्यवस्था दी है, लेकिन

> जो तोंही निदरहिं विप्रबीद, सत्य कहहुं मुनिनाथ।
> तो जगमह अस सुमट को, भयवश नावहिं माथ॥

मैं चाहता हूं कि आप हमको व्यवस्था के रूप में बतलायें कि प्रतिवेदन सेलेक्ट कमेटी बनाती है। मैं आपको सारा विवरण दे दूं। प्रवर समिति में किन्हीं किन्हीं धाराओं पर चर्चा होती है और किन्हीं किन्हीं पर नहीं होती, कोई विवाद नहीं होता। इसके सम्बन्ध में मान लिया कि सेलेक्ट कमेटी में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सेलेक्ट कमेटी हाउस की कमेटी है। जिस तरह से यहां हाउस में होता है उसमें भी बहुमत से आपने एक निश्चय कर लिया है। लेकिन अल्पमत जिन धाराओं पर परिवर्तन कराने के लिये प्रवर समिति में सुझाव रखे और यदि प्रवर समिति उन पर कोई गौर न करे तो उस समय वह अपनी विमति टिप्पणी देता है। हमको पूरा हक है कि सदन के सदस्यों को हम यह दिखावें कि जो माइनारिटी थी, जो अल्पमत में थे सेलेक्ट कमेटी में उनकी बात को बहुमत ने क्यों नहीं स्वीकार किया। यदि हम सेलेक्ट कमेटी के अल्पमत की

[श्री राजनारायण]

बात पर पूरी तरह से विचार नहीं करेंगे तो सदन को हम अपने पक्ष का कैसे बनायेंगे ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिन-जिन धाराओं पर सेलेक्ट कमेटी में चर्चा हुई है उन पर तो चर्चा होने दें और जिन पर चर्चा नहीं हुई है, यह सही है कि उन धाराओं पर हमें कोरे नहीं जाना चाहिये. . .

श्री उपाध्यक्ष--आप जरा इस बात को मद्देनजर रखें कि एक तो प्रवर समिति की रिपोर्ट है और एक विमति टिप्पणी है । पहली बात तो मैंने यह निवेदन की कि विमति टिप्पणी छपी हुई है । उसको बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा और ऐसा करने से माननीय सदस्य पुनरुक्ति दोष के भागी होंगे ।

दूसरी बात यह है कि विमति टिप्पणी प्रवर समिति के प्रतिवेदन का इस माने में अंश नहीं हो सकती कि वह माननीय सदस्य ने एक विमति टिप्पणी दी और यह कहा कि इन इन खंडों पर भी संशोधन होना चाहिये था और इन इन खंडों का भी स्पर्श होना चाहिये था । एक तो यह अवसर लिया माननीय सदस्य ने कि विमति टिप्पणी लिखी और उसके बाद जब प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आम विवाद हो जाय तो उसके बाद संशोधन देने का भी माननीय सदस्य को अधिकार है । जब खंडों पर संशोधन आयेंगे तो विमति टिप्पणी जिन माननीय सदस्य ने लिखी है वह अपने अनुभव को देखते हुये संशोधन दे सकेंगे । मान लें कि आज मैं इस बात की इजाजत दे दूं कि विमति टिप्पणी में जिन खंडों का जिक्र है उनका जिक्र यहां अभी हो सकता है, लेकिन जिन खंडों को प्रवर समिति ने टच नहीं किया है उनका भी आप जिक्र कर दें, अगर मैं इसकी इजाजत दे दूं तो आप सारे विधेयक का जिक्र कर देंगे और उसका कोई अंत ही नहीं होगा । विमति टिप्पणी किन सिद्धान्तों पर लिखी जाय, इसके लिये माननीय सदस्यों को काफी छूट है । ऐसी हालत में विमति टिप्पणी में जो राय जाहिर की जाती है उसी पर माननीय सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने का मौका होता है, संशोधनों के रूप में ।

श्री राजनारायण--केवल एक ही चीज है, श्रीमन्, इसमें जो थोड़ी सी नजाकत है उसको आप समझ लें । आप कहते हैं कि उसके मुताबिक हम खंडों पर संशोधन रख सकते हैं । यह ठीक है । लेकिन खंडों पर संशोधन रखने की आवश्यकता क्यों पड़े यदि हमारी राय सदन मान लें और इसको पुनः प्रवर समिति में वापस कर दे ? जैसे पहले हमने अपनी राय को सेलेक्ट कमेटी में रखा, लेकिन उसने अनसुनी कर दिया तो क्या आप अब हमें यह मौका नहीं देंगे कि माननीय सदन से हम यह निवेदन करें कि सेलेक्ट कमेटी के बहुमत ने हमारी बात नहीं मानी उसको सदन मान ले ? नये रूल में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि विमति टिप्पणी में जो अनावश्यक अंग माननीय अध्यक्ष समझेंगे, उनको निकाल देंगे । तो माननीय रामस्वरूप जी ने जो टिप्पणी लगायी थी उसका काफी मेजर पोर्शन माननीय अध्यक्ष ने निकाल दिया । जब हमने उनसे पूछा और निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आप कमरे में आ जाइये और हमको यह सिद्ध कर दीजिये कि यह आवश्यक है तो मैं फिर से उसको बहस के अन्दर ले आने दूंगा । अब न उनको फुरसत मिलती है कि काफी समय पहले वह आयें और हमें बुलवायें । न हम गये, न उन्होंने बुलवाया । मैं आपकी यह बात मानता हूं कि इसमें नयी शंकाओं का समावेश नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, लेकिन आज अगर मैं यह कह दूं कि विमति टिप्पणी में जिन खंडों का समावेश है उन पर चर्चा विशद रूप से हो सकती है तो उस हालत में कम से कम माननीय राजनारायण जी इस हिंट को लेकर कहां तक जा सकते हैं, यह एक विचारणीय चीज है । ऐसी हालत में अगर पासिंग रिफरेंस हो जाय तो मैं उसकी इजाजत दे सकता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिये कह रहा था कि आप इसको गंभीरतापूर्वक सोचें कि यह जो कानून पास होने जा रहा है वह उद्देश्य और कारणों के अनुरूप नहीं है । उद्देश्य और कारणों में टैक्सेज की वृद्धि की बात कहीं नहीं कही गयी है । अब वृद्धि से परे की यह बात है कि अगर यह कानून इसी रूप में पास हो गया और हाई कोर्ट में

इसका रिट हो गया क्योंकि उद्देश्य और कारणों में कहीं भी कर की वृद्धि का वर्णन नहीं है, लेकिन अगर दुबारा प्रवर समिति में गया और वहां ठंडे दिल से इस पर विचार किया गया तो मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति में मंत्री जी हमारी इस राय को मान लेंगे कि यह बिल उद्देश्य और कारणों से बाहर जा रहा है और जो शक्ति हमें उद्देश्य और कारणों से प्राप्त होती है उसके अनुसार कार्यवाही हो जायगी । लेकिन अगर कोई गैर-कानूनी कार्यवाही हो गयी तो कितनी अड़चनें पैदा होंगी ? दोबारा हमें इसको यहां लाना पड़ेगा और हमारे सामने ये तमाम कठिनाइयां पैदा हो जायंगी । इस वजह से, श्रीमन्, हम चाहते हैं कि इसको दुबारा सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जहां इस पर ठंडे दिल से विचार हो और वहां देखा जाय कि यह उद्देश्य और कारणों के भीतर आता है या नहीं ।

अब, श्रीमन्, यह बात है । इसमें लिखा हुआ है, धारा ८ में जिसमें, श्रीमन्, हमारा यह वैकल्पिक सुझाव था---

"किसी व्यापारी को जो अन्य के द्वारा देय धनराशि है उस देय धनराशि को उस आदमी से वसूल न किया जाय ।" यह सीमा उसी तक रहे और अगर उससे वसूल करने की बात आ जायगी कि किसी भी आदमी से जिसके ऊपर देय हो, तो यह बहस का विषय हो जायगा कि आया उतना बकाया उसके ऊपर है भी या नहीं जितना कि देय है, पहले यह निर्धारित हो । तो उससे सरकारी पक्ष भी परेशान हो सकता है और एसेसिंग अथारिटी किसी को नोटिस दे दे कि आप इतना रुपया जमा कर दें तो फिर उसके लिये भी बड़ी कठिनाई हो जायगी क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्वालिफाइंग सेंटेंस नहीं है जिससे यह सिद्ध हो जाय कि इसकी वजह से कोई गलती नहीं होगी । किसी भी व्यापारी की धनराशि किसी के ऊपर देय हो तो ऐसे व्यक्ति के सामने भी कठिनाई प्रस्तुत हो सकती है कि वह उस धनराशि को सरकार को अदा कर दे ।

श्रीमन्, खंड ९ में १२ हजार तक छूट देने की बात है, जो खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई निश्चित प्रतिबन्धात्मक आ जाय कि इस सीमा तक निश्चित रूप से माफ कर दिया जाय तो बहुत उचित हो । सरकार की सनक पर इसको छोड़ देना ठीक नहीं है कि जब जिसको जितना चाहे बढ़ा दे और जब जिसको चाहे कह दे कि अबकी मर्तबा इसको माफ कर दिया । सरकार की सनक पर इस चीज को छोड़ने के बजाय साफ गाइडेंस होना चाहिये कि इस सीमा तक सरकार को छोड़ना पड़ेगा । यह अधिकार सरकार को क्यों दिया गया है, इसके लिये कोई कानूनी कारण नहीं पेश किया गया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर ठंडे दिल से विचार करने के लिये फिर से प्रवर समिति में इसे भेजा जाय ताकि निश्चित रूप से उसकी बारीकी को समझ कर मंत्री जी उस पर अपनी कोई निश्चित व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

इसके आगे आप देखें कि कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में हमको सोचना पड़ता है कि वे संविधान के परे तो नहीं जा रहे हैं । माननीय सदस्यों को संविधान के अन्दर ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । इस कानून के अन्दर यह अधिकार दिया गया है कि अधिकारी जब चाहें किसी के घर में घुस कर उसके कागज पत्र को कब्जे में कर लें । यह धारा १२ के अन्दर है, श्रीमन् । इसीलिये मैं चाहता हूं कि इसको फिर से प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां पर इस सम्बन्ध में बारीकी से विचार कर सकें कि जो बातें खंड १२ में दी गयी हैं वे संविधान के अनुकूल हैं या उसके परे हैं । अगर आप ध्यान से उसको देखें और पढ़ें तो उसमें है कि कोई अधिकारी जब चाहे किसी के घर में घुस कर उसके कागज पत्रादि को हस्तगत कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या इस धारा पर प्रवर समिति ने ध्यान नहीं दिया था ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---धारा १२ के सम्बन्ध में हमारी राय पर प्रवर समिति ने कोई ध्यान नहीं दिया । इसीलिये तो मैं कहता हूं कि जो गड़बड़ी हुई है उस पर फिर से ठंडे दिल से विचार करना चाहिये । श्रीमन्, ५ दिन के अन्दर ही प्रवर समिति को रिपोर्ट देना था, इसलिये सदन की सलाह भी नहीं प्राप्त हो सकी । तो मैं कहता हूं कि अगर विधेयक में कोई कमजोरी रह गयी तो उसको दूर करने के प्रयत्न करने में कौन सी बुराई है ? किसी को इस तरह की अनियन्त्रित शक्ति प्रदान करना कि वह जिस समय चाहे किसी के कागज पत्र को हस्तगत कर सके और उसमें काटछांट कर सके, इसकी वजह से व्यापारी निर्दोष होते हुये भी परेशान किये जा सकते हैं । हम चाहते हैं कि कोई अधिकारी नाजायज फायदा नहीं उठा सके इसलिये आवश्यक है कि इसमें हम संशोधन करें; और वह संशोधन मंत्री जी जब प्रवर समिति में बैठेंगे तो मान सकते हैं क्योंकि अनफैटर्ड पावर्स उसके हाथ में जाती हैं ।

अब खंड १३ देखें । उसमें यह खराबी आ गई है कि इसमें कुछ दंड विधान जो किया गया है वह शक्ति से बाहर है । कोई पैसा अदा न हो उसके लिये जेल की व्यवस्था कहीं नहीं होती है । इसमें जेल तक की व्यवस्था की गई है । ऐसी व्यवस्था के साथ किस तरह से इसमें काम चलेगा जब हम पैसा न देने के कारण जेल में बन्द किये जायं ? एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू में भी डिटेंशन होता है, लेकिन जेल नहीं भेजा जाता । फिर लैंड रेवेन्यू एक ऐसी चीज है जिससे निश्चित फायदा माना जाता है । लेकिन इसमें अगर फायदा न भी हो तब भी उससे टैक्स वसूल किया जायगा और नहीं देगा तो जेल की व्यवस्था है । तो इस पर हमको मानवता के नाते, देश की व्यवस्था के नाते ठंडे दिल से विचार करना चाहिये । जिस प्रकार सांप केंचुए की तरफ देखता है कि मौका मिले गर्दन दबा लो, ऐसी मनोवृत्ति सरकार की नहीं होनी चाहिये । कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिये जिसमें अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर के तमाम जनता को कष्ट में डाल दे । तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । यह हो सकता है कि एक आध आदमी बच जाय, लेकिन कानून का ऐसा प्रयोग कहीं नहीं होना चाहिये कि जो बिलकुल निर्दोष है, लेकिन किसी तरह से कानून की गिरफ्त में आता है तो उसके ऊपर सख्ती हो जाय । जैसा आपने बताया कि खंडों में संशोधन पेश करके भी यह बात हो सकती है तो उसमें सम्भावना यह भी है कि सदन का समय बरबाद होगा, इतनी देर के लिये सदस्यों को बैठना होगा । तो ऐसी अवस्था में जब माननीय सदस्य व्याकुल हैं, दो दफा कोरम भी नहीं रहा, ऐसी अवस्था में दयालुता का भाव और करुणा का भाव रखते हुए और देश के जनहित के लिये कानून बनाने में धैर्य के साथ समिति में बैठ करके विचार करना आवश्यक हो जाता है । इस वजह से मेरा निवेदन है कि इन तमाम बातों को, मानवता को हृदय में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए, सरकार के फ़रजों को ध्यान में रखते हुए, उसकी मर्यादा की सुरक्षा के लिये आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राजनारायण के खड़े होने पर) आप बोलने के लिये खड़े हुए, हैं, लेकिन उनका प्रस्ताव मैं पहले ले लूं तब आप बोलें । कम से कम सोशलिस्ट पार्टी को शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि माननीय अवस्थी जी, श्री रामस्वरूप वर्मा और श्री टीकाराम जी ने काफी समय ले लिया ।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने के पश्चात् निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--५३,
विपक्ष में--११ ।)

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब में कुछ बहुत ज्यादा वक्त इस सदन का नहीं लेना है । ऐसी बातें ज्यादातर कही गईं जो कि हमारा नियम १३५ है उसके अन्दर किसी तरह से नहीं आती हैं । जनरल डिबेट इस विधेयक के ऊपर चार दिन एक-एक घंटा हो चुकी है और माननीय सदस्यों ने तजवीजें उसमें पेश कर दीं । उसके बाद जब कमेटी में गया तो हर पार्टी का नुमाइंदा उसमें मौजूद था । आपने देखा कि केवल एक नुमाइंदे की तरफ से एक नोट आफ डिसेन्ट आया । उसमें भी ऐसी कोई तजवीज नहीं दी गई जो कंक्रीट होती . . .

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, माननीय मंत्रीजी जानबूझ कर सत्य पर परदा डाल रहे हैं । आप देख लें विमति टिप्पणी . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें । यह जो आप बड़ी आसानी से किसी सदस्य के लिये कह देते हैं कि सत्य पर परदा डाल रहे हैं । मैं समझता हूं कि नियमानुसार---नियम २७९ आप देखें---किसी माननीय सदस्य के खिलाफ आक्षेप नहीं किया जा सकता । आप यह कह सकते हैं कि जो बात कह रहे हैं वह निराधार है । लेकिन जानबूझ कर सत्य पर परदा डाल रहे हैं, यह लांछन है ।

श्री राजनारायण---जानबूझ कर सत्य पर परदा डाल रहे हैं । इसमें टिप्पणी में दो सदस्यों के दस्तखत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया नियम २७९ देखें । उसमें लिखा है---बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम । इसमें २ (ग) है---किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा । और आखिर में है कि राज-द्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा । तो आपका यह कहना कि जानबूझ कर सत्य पर परदा डाल रहे हैं, यह उनकी नीयत पर हमला है । ऐसी सूरत में मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री राजनारायण---मैं साफ करता हूं कि हमारे यहां मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार कार्य होता है । उसमें आप देखेंगे कि बिलकुल सप्रेशन आफ ट्रुथ कंटेम्प्ट आफ दि हाउस माना गया है । अब इसकी हिन्दी क्या होगी---जानबूझकर सत्य पर परदा डालना और सत्य को छिपाना ।

श्री उपाध्यक्ष---उसमें जानबूझकर सत्य पर परदा डाल रहे हैं इसलिए सदन की कंटेम्प्ट हुई, यह बात कहें । आप तो आमतौर पर कह देते हैं । अगर कभी कोई कंटेम्प्ट का प्रश्न लिया जाय उस समय आप कह सकते हैं, लेकिन आम तौर से ऐसा कहने की आदत न डालें ।

श्री राजनारायण---हमारी तरफ से तो निश्चित रहें कि हम सदन के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप नहीं लगायेंगे, यह हमारी ख्वाहिश है । लेकिन विमति टिप्पणी आपके सामने है, पेज "घ" में लिखा है कि "श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा और श्री पब्बर राम, सदस्य विधान सभा" श्री रामस्वरूप वर्मा सोशलिस्ट पार्टी के हैं और पब्बरराम जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं । अब सदन को यह दिखाने के लिए यह है कि केवल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने वहां पर विरोध किया और सब सहमत थे । इससे पूर्व भी माननीय अध्यक्ष ने उनको टोका था, पूछें सेक्रेटरी से और उनसे ये शब्द वापस लिवाये थे कि "ये जान-बूझकर अड़ंगेबाजी की नीति अख्तियार कर रहे हैं" । उसी की खुद पुनरावृत्ति कर रहे हैं । उनको पढ़ना चाहिए, मंत्री हैं, १,२०० रुपया महीना पाते हैं, सब भत्ता मिलाकर साढ़े छः हजार बैठता है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप फिर वही . . .

श्री राजनारायण---जाने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्यों उन्होंने यह कहा कि केवल एक पार्टी के सदस्य ने विमति टिप्पणी दी ।

श्री सैयद अली जहीर---आप पेज २४ में इसके देखिये, उसमें आखिर में जो लिखा हुआ है उससे जाहिर है कि श्री रामस्वरूप वर्मा ने दस्तखत किये । यह कार्यवाही आखिरी मीटिंग में हुई थी, उसके बाद क्या हुआ और कितने आदमियों ने दस्तखत कर दिये, उसका मैं हवाला नहीं दे रहा था ।

श्री राजनारायण---यह क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---आपका मतलब क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---यही कि सेलेक्ट कमेटी में महज श्री रामस्वरूप वर्मा ने दस्तखत किये, यह उस कार्यवाही में दर्ज है और उसके बाद किसी मौके पर पब्बरराम जी ने दस्तखत कर दिये ।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी को शायद मालूम नहीं है . . . .

श्री राजनारायण---मैं प्रिविलेज का मोशन लाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये, मैं मंत्री जी से कह रहा था कि यह नियम नहीं है कि जो आखिरी कमेटी की बैठक हो उसी वक्त असहमति प्रकट की जाय, उसके बाद भी समय दिया जाता है और उस समय भी राय देने का मौका होता है । शायद आपने गलतफहमी में कह दिया . . . .

श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष---तो फिर जानबूझकर कोई ऐसी बात नहीं कही गयी ।

श्री राजनारायण---एक निवेदन का मौका देंगे ? आपने जो बात कही वह बिलकुल ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं है, मगर माननीय मंत्री जी इनसिस्ट कर रहे हैं कि उनके सामने तो रामस्वरूप जी ने ही दस्तखत किये, पब्बर राम जी ने और मौके पर दस्तखत कर दिये । यह क्या पब्बरराम जी का अपमान नहीं और साथ ही क्या यह सदन का अपमान नहीं है कि पब्बरराम जी इतने चरित्र के दुर्बल हैं, यह बता रहे हैं कि वह हमारी पार्टी के बहकावे में आ गये ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिये जानबूझकर ऐसा नहीं कहा ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जानते हैं कि दस्तखत बाद में कर दिये या छपने के पहले कर दिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह अनावश्यक है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई नयी बात तो आई नहीं, इसलिये प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप मेरी बात तो सुन लें । अगर प्वाइंट आफ आर्डर के लायक हो तो सुनियेगा और लायक न हो तो न सुनियेगा ।

रिपोर्ट के आखिरी पेज पर जहां लिखा हुआ है "देवकीनन्दन मित्थल, सचिव" इसमें लिखा है कि "श्री रामस्वरूप वर्मा ने समिति के समक्ष अपनी विमति टिप्पणी पढ़कर सुनाई जिसपर समिति ने यह निश्चय किया ।" तो यह क्या गलत नहीं है ? यह गलत चीज क्यों छापी गयी ? क्या इस पर सदन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---अब इस वक्त यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता कि रिपोर्ट कैसे छापी जाय।

श्री सैयद अली जहीर---बहरहाल, यह जो बिल प्रवर समिति से आया है उसके मुताल्लिक किसी ने कोई खास राय नहीं दी है जिससे यह मालूम हो कि इसको फिर से कमेटी में भेजा जाय। बार-बार जिक्र किया गया कि खाद्यान्नों पर से सेल्स टैक्स उठा लिया जाय। इसके मुताल्लिक यह कहा जा चुका है कि इस पर कोई तरमीम नहीं है कि किस चीज पर सेल्स टैक्स होगा या नहीं होगा। इसमें महज पावर ली गई है कि इसमें पहले १२ हजार तक मुस्तस्ना करने की बात थी, लेकिन अब अगर सरकार यह समझेगी कि किसी चीज के लिये उसके ऊपर मुस्तस्ना करना हो तो वह कर सकती है और जैसा कि बजट स्पीच में कहा गया था, २५ हजार तक हम मुस्तस्ना करना चाहते हैं। जैसे ही विधेयक पास हो जायगा उसको हम करने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि नये पैसे में टैक्स लगाया गया है उससे टैक्स बढ़ा दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ६४ पैसे का रुपया नहीं होता, सौ नये पैसे का रुपया होता है; तो हमने सब जगह उसको कर दिया है। तीन पाई की जगह अगर २ पैसा हुआ है तो ६ पाई की जगह ३ नये पैसे कर दिये हैं। तो इससे कहीं बढ़ जाता है तो कहीं घट भी जाता है। यह तो उसका जो नियरेस्ट ईक्वीलेंट है उसको ले लिया गया है। यही दो तीन बातें हैं जिनको कहा गया था, जिनका उत्तर मैंने दिया। और कोई बातें ऐसी नहीं कही गयीं जिनके उत्तर की जरूरत हो।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है, इस सदन की एक प्रवर समिति को पुनर्निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण की मांग पर हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१३,

विपक्ष में---५७।)

श्री उपाध्यक्ष---दूसरा संशोधन माननीय मोतीलाल अवस्थी का है। उस पर मत नहीं लिया जायगा इसलिये कि पहले संशोधन के अस्वीकृत होने से फिर प्रवर समिति को भेजे जाने का संशोधन रह नहीं जाता। अब मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी के संशोधन पर राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को, जैसा कि वह प्रवर समिति प्रतिवेदन सहित संशोधित है, जनमत संग्रह के लिये १ माह तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री ब्रजनारायण तिवारी की मांग पर हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१४,

विपक्ष में---५९।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री राजनारायण---मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---यह सारी कार्यवाही तो हो चुकी।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में---५८,
विपक्ष में---८ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय निश्चित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या समय निश्चित कर दिया जाय ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---एक घंटे का समय निश्चित कर दिया जाय ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था सुरथबहादुरशाह जी के प्रस्ताव पर दी थी उसमें उन्होंने उनके प्रस्ताव को रद्द नहीं किया था । मैं आशा करता हूं कि आपने व्यवस्था देख ली होगी । इसलिये अब समय निर्धारित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---जो कुछ उन्होंने कहा था वह इस प्रकार है कि---"....कोई भी माननीय सदस्य ऐसा प्रस्ताव जैसा आपने पेश किया है, ला सकते हैं, अगर दिखाई दे कि तेजी के साथ बहस चल रही है और ३, ४, ५ मिनट ही बोलते हैं जितना बोलना चाहिये, उतना ही बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि २/३ घंटे में हो जायगा । इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन अगर यह दिखाई दे कि जरूरत से ज्यादा भाषण लम्बे हो रहे हैं तो कोई भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं कि चूंकि बहुत समय लिया जा रहा है लिहाजा जैसा सुरथ-बहादुरशाह जी ने कहा इसके लिये समय सीमित कर दिया जाय । लेकिन पहले से मैं कोई ऐसा नतीजा नहीं निकाल सकता कि लोग जानबूझ कर ऐसा करेंगे ।"

उन्होंने माननीय सदस्यों के अधिकार की ओर इशारा किया और जहां तक माननीय चन्द्रजीत यादव का प्रस्ताव था वह आठ बजे तक का था इसलिये वह समाप्त हो गया क्योंकि आठ बज चुके हैं । इसलिये उस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता, लेकिन हर माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह प्रस्ताव लाये ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि ९ बजे तक सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय और विधेयक पारित कर दिया जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वहां तो होड़ लगी हुई है कि मुख्य मंत्री जी किसी तरह से खुश हो जायं और हमको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बना दें । श्रीमन्, आप देखें कि हम भी एक पार्टी के छोटे-मोटे नेता हैं । हम बोलने के लिये खड़े हुये और सदन में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर किसी पार्टी का नेता अपनी पार्टी का दृष्टिकोण बताने के लिये खड़ा हुआ तो उसे न बोलने दिया गया हो । लेकिन आपने कहा कि आपकी पार्टी के दो सदस्य बोल चुके हैं इसलिये जाने दीजिये । लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह जो बिक्री-कर आ रहा है इससे जनता के ऊपर टैक्स का भार कैसे पड़ेगा और इसकी सीमा कितनी विस्तृत होगी और जो टिप्पणी आई थी उस पर हम बोलना चाहते थे ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है और वह कह रहे हैं कि ९ बजे तक के लिये इसको सीमित कर दिया जाय, वह ऐसा न करें और प्रस्ताव को वापस ले लें । कुछ उपाध्यक्ष के ऊपर भी विश्वास रखें क्योंकि वह कितनी तत्परता के साथ पुनरावृत्ति को रोक रहे हैं, कितनी तत्परता के साथ चाहते हैं कि यह पास हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे ऊपर विश्वास का प्रश्न नहीं है। सदन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बढ़ कर है। सदन जो चाहे फैसला कर सकता है।

श्री राजनारायण---इस सदन के सारे सदस्य ११ बजे से ५ बजे तक बैठे और फिर आठ बज रहे हैं। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---क्या आपके महसूस करने के दो तरीके हैं, एक बेईमानी से और एक ईमानदारी से ?

श्री राजनारायण---वह कह सकते हैं कि इनकी पार्टी अड़ंगा लगा रही है, इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। मेरा हमेशा एक स्वरूप है, चाहे सदन में या सदन के बाहर। हम दो जीभ से नहीं बोलते हैं। इस सदन में न मालूम कितने सदस्य होंगे जो चाहते हैं कि जल्दी विवाद खत्म हो और वे भागें। वह किसी का भाषण नहीं सुन रहे हैं। आखिर मनुष्य हैं। ११ बजे से लेकर ८ बजे तक बैठे हैं। वह थक गये, तो थकान में जो बात नहीं है वह भी दिखायी पड़ने लगती हैं। कोई लम्बी तकरीर नहीं हो रही है। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। और अगर आप गिलोटिन भी करें तो भी आध घंटे, ४५ मिनट लग जायंगे। तो जिन्होंने अपने संशोधन दिये हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए क्या होगा ? क्या यह डेमोक्रेसी है या तानाशाही है ? डिक्टेटरशिप के तरीके में और डेमोक्रेसी के तरीके में बहुत फर्क है। अगर इस तरह से बराबर गैग किया जायगा तो इससे जनतांत्रिक प्रणाली नहीं चल पायेगी।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री राजनारायण जी ने कहा कि माननीय सदस्य भागना चाहते हैं जल्दी-जल्दी। यह सदस्यों की नीयत पर हमला है। क्या उनको यह कहने का अख्तियार है ?

श्री उपाध्यक्ष---मेरा खयाल है कि किसी माननीय सदस्य विशेष के सम्बन्ध में उन्होंने नहीं कहा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक वस्तुस्थिति प्रकट कर रहा हूं। यह वस्तुस्थिति है कि हम थके हुए हैं। इसीलिये हमने बार-बार कहा कि इस पर आज वादविवाद न हो, कल हो। मगर जब विवाद हो रहा है तो यह देश, समाज और प्रदेश की जनता के हित में है कि हम अपनी बात को रखें और हम जनता को कह सकें कि हम तुम्हारे हक के लिये इतना लड़ते हैं। तुम हमारे सदस्यों को वोट नहीं देते हो। हम को बहुमत में नहीं भेजा। जिनको बहुमत में भेजा है वह तुम्हारे हकों पर किस तरह से कुठाराघात कर रहे हैं। हम जनता को सचेत करेंगे कि सदन का बहुमत इस तरह से हमारे मत की अभिव्यक्ति नहीं होने देता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे जितने संशोधन हैं उन पर अच्छी तरह से मत प्रकाश हो सके, उस पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध न होने दें जिससे कि हम प्रदेश की जनता की अच्छाई और उनके हित की बात को न कर पायें। इतना ही निवेदन है और अगर माननीय वैद्य जी का संशोधन मान लिया जाता है कि ९ बजे तक सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाय तो आपके रास्ते में भी दिक्कत पड़ जायगी। आप तमाम संशोधनों को पढ़ते चले जायेंगे, डिवीजन होता चला जायगा, तो तब भी पास नहीं हो पायेगा। यह मैं बिलकुल निश्चित होकर कहना चाहता हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था आप करें जिससे न तो व्यर्थ के विवाद में समय जाय और न किसी सदस्य को अपने विचार की अभिव्यक्ति करने से रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं या मननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि उनकी क्या राय है।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, शायद इतनी देर से आप भी बैठे हुए हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि किस कदर एसी बातें हुई हैं कि जिनका कोई सरोकार

[श्री सैयद अली जहीर]

इस बिल से नहीं है और उससे गैरमुताल्लिक बातों पर कितना वक्त सर्फ किया गया है। ऐसी बातें कही गई हैं जिनको बार बार आपको टोकना पड़ा है। उससे आपको अन्दाजा हो गया होगा कि जितनी भी अहम् बातें और जरूरी बातें इस बिल के मुताल्लिक थीं वे कही जा चुकी हैं। यह बिल अरसे से माननीय सदस्यों के पास है। उस पर गौर हो चुका है, विचार हो चुका है और हर पहलू पर देखा जा चुका है। सेलेक्ट कमेटी में यह नहीं कि हमने कोई आंखें बन्द करके जो बिल गया था उसी को पास कर दिया हो, उसमें जो तरमीमें की गई हैं....

श्री रामस्वरूप वर्मा--एक वैधानिक प्रश्न है, श्रीमन्। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप खुद यह देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने गैरमुताल्लिक बातें कहीं। तो यह चेयर पर आक्षेप है और चेयर पर आक्षेप करने का हक किसी माननीय मंत्री को नहीं है और यह सदन का अपमान है। माननीय मंत्री जी को आप आदेश दें कि वह उन शब्दों को वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने उनकी बात अधूरी सुनी। उन्होंने यह कहा कि इस किस्म की गैरजरूरी बातें कहने का प्रयास किया गया कि आपको टोकना पड़ा। तो इसमें चेयर पर कोई आक्षेप नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर--तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको किसी तरह मानने को तैयार नहीं हूं कि अकेले माननीय राजनारायण को जनता की भलाई और उनके फायदे और उनके आराम का खयाल है और किसी और को नहीं है। ये सब बातें महज इसलिये की गईं कि यह बिल किसी न किसी तरह से आज पास न होने पाये, इसलिये ये सारी बातें की जा रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं यह अर्ज करूंगा कि जो वैद्य जी ने प्रस्ताव रखा है उस पर वोट ले लिया जाय और उसी के मुताबिक कार्य किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री मोती लाल अवस्थी के खड़े होने पर) आपके नेता की तो बात हो चुकी है।

श्री राजनारायण--यह नेता डिक्टेटर नहीं है, श्रीमन्। यह वह नेता नहीं है जो यह कहे कि हमारे मंत्रिमंडल का कोई सदस्य दूसरी बात कहेगा तो हम इस्तीफा देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इसमें यह संशोधन रख रहा हूं कि बजाय ९ बजे के १२ बजे कर दिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप कोई रास्ता निकालिए। माननीय मुख्य मंत्री से आप कहिए, वह शायद मान जायं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से भी कहा। माननीय वित्त मंत्री ने सरकार की राय बता दी। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कोई इंटरवीन करना चाहें तो उनको हमेशा अधिकार है, वह कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं। मैं कुछ इंटरवीन करने की जरूरत नहीं समझता। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा है वह बिलकुल दुरुस्त कहा है।

श्री राजनारायण--मैं दूसरी बात कह रहा हूं। श्रीमन्, मान लीजिए अगर यह प्रस्ताव पास हो गया कि ९ बजे तक यह पास हो जाय तो आप पढ़ना भी शुरू करें तब भी ९ बजे तक न कर पायें तो आप क्या तरीका अख्तियार करेंगे, यह आप मुझे बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--उस समय जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार मैं निर्णय दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन यह करना था कि , मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह सारी बहस विषय पर हुई है, लेकिन यह भी नहीं है कि बिला वजह बातें हुई हैं । मैं समझता हूं कि विषय पर बात न होकर के प्वाइंट आफ आर्डर यह उचित है और यह अनुचित है, इसमें कितना समय चला गया और जो समय बाकी बचा है उसमें माननीय मंत्री जी सोच लें कि यह कैसे संभव हो सकेगा ? मैं समझता हूं कि कुछ और समय के लिये वह सुझाव दें और उस पर आप राय ले लें । वरना किसी तरह ९ बजे तक यह पास नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक घंटे के अन्दर पारित कर दिया जाय ।

कुछ सदस्य--प्रस्ताव ९ बजे तक के लिये है ।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप यह तरमीम फरमाना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--आप इसको संशोधित करना चाहते हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जिस समय मैंने प्रस्ताव रखा था उस समय ८ बजे थे । अब ८ बजकर २० मिनट हो गये हैं । मैंने एक घंटे का प्रस्ताव रखा था अब भी एक घंटे का वही प्रस्ताव है । अतः २० मिनट और जोड़ दिया जाय और ८ बजकर २० कर दिया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा संशोधन तो पहले आप ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--अगर उनका प्रस्ताव गिर जायगा तो मैं संशोधन ले लूंगा । मेरे सामने दोनों रास्ते हैं । मैं मूलप्रस्ताव भी ले सकता हूं और संशोधन भी ले सकता हूं ।

श्री राजनारायण--संशोधन क्या है, वह सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, एक घंटे के अन्दर पारित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथा उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :-

पक्ष में--६१,
विपक्ष में--१२ ।)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल अवस्थी के संशोधन पर मत लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्यों कि इस सदन ने निर्णय ले लिया है कि एक घंटे के अन्दर पारित होगा । अब यह विधेयक ९ बजकर २४ मिनट पर पारित होगा । अब मेरे सामने भी कठिनाई है, सदन की यह राय हो जाने के बाद अध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है कि वह जैसे चाहें उसको रेगुलेट करे । ऐसी हालत में संशोधनों की संख्या को देखते हुए मैं मजबूर हूं और मुझे इस बात का दुख है कि किसी माननीय सदस्य को संशोधन पेश करने या उस पर भाषण देने का मौका नहीं दे सकता । जैसी कि परम्परा रही है कि जिन सदस्यों का मैं नाम लूंगा और वह अपने स्थान पर खड़े हो जायंगे तो यह मान लिया जायगा कि वह संशोधन उन्होंने मूव कर दिया और उस पर मत ले लिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक मिनट कुछ मान्यवर, कह लेने दीजिए । मेरा प्रारम्भ से ही दुर्भाग्य रहा है । जब यह आया तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और दुबारा संशोधन दिया तो मौका नहीं दिया गया । इस बात पर आप गौर कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--आपने सारी दिक्कतें सदन के सामने रख दी हैं । सदन को वह सब बातें मालूम हो गयी हैं, लेकिन जो सदन का फैसला है मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी——आप मेरी दिक्कत को सुन लें। आपके सुने बिना यह हल नहीं हो सकती है। जो यह बिक्री-कर विधेयक आया है उसकी एक भी कस्टीलेट प्रति हिन्दी में विधान पुस्तकालय में नहीं है। उसका नतीजा यह है कि हम उसके विषय में कोई विचार नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष——आप लिख कर दे दें। उस पर ध्यान दिया जायगा। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोती लाल अवस्थी——मेरा जो निवेदन है उसको भी आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष——मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान कृपया ग्रहण करें।

श्री मोती लाल अवस्थी——मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष——आपके साथ कौन अन्याय कर रहा है? आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री मोती लाल अवस्थी——मेरे साथ अन्याय यह सरकार कर रही है कि इस संबंध की कोई पुस्तक भी लायब्रेरी में प्राप्य नहीं है।

खंड २

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा २ में——

(१) खंड (ख) में, अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:

"और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिक्री-कर के अतिरिक्त कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर या उप-कमिश्नर (डिप्टी कमिश्नर) भी हैं"

(२) खंड (ग) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:——

"स्पष्टीकरण——कोई मध्यवर्णिक (factor), दलाल, कमीशन एजेन्ट या आढ़ती, परिशोधी, अभिकर्त्ता (a delcredere agent) नीलाम करने वाला, या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्त्ता (mercantile agent) वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो, जो कि माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेंचने का प्राधिकार हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये व्यापारी समझा जायगा।"

(३) खंड (घ) में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं:

"वह प्रत्येक सामान, वस्तु और व्यापारिक माल सम्मिलित है जो चल अथवा अचल संपत्ति के निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत के काम में आता है, और इसमें"

(४) खंड (छछ) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

(५) खंड (ज) के स्पष्टीकरण २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:——

"स्पष्टीकरण २——ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके पास धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस न हो, किसी कमीशन एजेन्ट को धारा ३-घ

की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल, मूल्य पर, जिसका भुगतान कर दिया गया हो या आगे किया जाना हो, दिया जाना उस कमीशन एजेन्ट द्वारा माल की खरीद समझा जायगा।"

(६) खंड (झ) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा शब्द "विक्रय धन (टर्न ओवर) से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री से प्राप्त कुल धनराशि से है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"'विक्रय धन' का तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जितने का माल किसी व्यापारी द्वारा या तो स्वयं या दूसरे के द्वारा, अपनी ओर से या दूसरों की ओर से, नकद रुपये या बाद में किये जाने वाले भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये बिक्री के रूप में दिया या वितरित किया जाय या खरीदा या बेचा जाय।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ के उपखंड (२) के स्पष्टीकरण की पंक्ति ४, ५ तथा ६ के शब्द "वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर निम्नलिखित मत नुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१५,
विपक्ष में--६०।)

श्री राजनारायण--हमने कांग्रेस पार्टी में गिना है कि ५१ सदस्य केवल हैं। तो इस फर्क को जरा देख लिया जाय, ताकि बाहर जनता को मालूम हो जाय कि यहां पर कितने बहुमत से यह विधेयक पास हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, यह संख्या ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ के उपखंड (३) व (४) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में ----१४,
विपक्ष में----५९।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ के उपखंड (६) की पंक्ति १ व २ के शब्द "खंड (झ) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा" निकाल दिये जायं तथा अन्तिम पंक्ति के शब्द "या खरीदा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५,१९४८ की धारा ३ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में--

(१) शब्द "तीन पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी धारा १८ में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, कर का देनदार न होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय धन १२,००० रुपाय अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो तदर्थ राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष माल के व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा ऐसे व्यापारियों के किसी विशेष वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में विज्ञापित की जाय, कम हो, सिवाय उस स्थिति के जब :--

(क) उसने उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किये गये किसी माल को, जिसके विक्रय धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, बेचा हो, और ऐसी दशा में, इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुए भी वह ऐसे माल के विक्रय धन पर उक्त धारा की उपधारा (२) के अन्तर्गत निर्दिष्ट दर के अनुसार कर का देनदार होगा; अथवा

(ख) वह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के अधीन रजिस्टर्ड हो तथा उसने उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा-पत्र दे दिया हो, और ऐसी दशा में, इस प्रतिबन्धात्मक खंड में विक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुये भी वह किसी भी ऐसे माल की अपनी बिक्री पर कर का देनदार होगा जिसकी खरीद के सम्बन्ध में उसने पूर्वोक्त घोषणा-पत्र दे दिया हो।"

(३) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "६ पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन नये पैसे प्रति रुपये" रख दिये जायं;

(४) तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "में निर्धारित" के स्थान पर शब्द "के अधीन विज्ञापित" रख दिये जायं; तथा

(५) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण---जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और वह दे दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।"

श्री मोती लाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रत्येक संशोधन में १४ और ५९ लिख लें तो बार-बार उठने बैठने की दिक्कत आपको नहीं होगी और काम भी चल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह मैं कैसे मान सकता हूं। इससे तो अच्छा होगा कि आप डिवीजन न मांग।

श्री राजनारायण--इससे अच्छा तो यही है कि हम आपकी पहली सलाह ही मान कर चलें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "दो नये पैसे" के स्थान पर "एक नया पैसा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३,

विपक्ष में--६०।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ में अंक "१२,०००" के स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--११,

विपक्ष में--६०।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ में अंक "१२,०००" के स्थान पर अंक "४०,०००" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१२,

विपक्ष में--६०।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रस्तावित धारा ३ के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में संख्या "१२,००० रुपये" के स्थान पर संख्या "३६,००० रुपये" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१२,

विपक्ष में--६०।)

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार खड़े न होकर यदि अपने स्थान पर ही प्रतिष्ठित रहें और गणना कराते रहें।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३ के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३,

विपक्ष में--६०।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४—६

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३—ग का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३—ग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३—ग (१) किसी भी विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व—यदि व्यापारी कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो तथा ऐसी फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिये देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर, इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो; तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के समय उक्त फर्म का हिस्सेदार, अथवा उक्त संघ अथवा कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, व्यापार के इस प्रकार बन्द होने पर भी उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर तथा आरोपित अर्थ-दंड का पृथक-पृथक तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण या अर्थदंड का आरोपण व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही व्यापारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संघटित फर्म या संघ तथा पुनःसंघटन के पूर्व यथा विद्यमान उस फर्म या संघ के हिस्सेदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक्, अर्थदण्ड सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनःसंघटन के पहले की किसी अवधि के लिये उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

(२) हस्तान्तरिती पर कर का दायित्व—यदि कर के देनदार किसी व्यापारी, के, व्यापार का स्वामित्व हस्तान्तरित किया जाय तो हस्तान्तरकर्त्ता तथा हस्तान्तरिती (transferee), ऐसे हस्तान्तरण के समय तक उक्त व्यापार के सम्बन्ध में देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर के संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् देनदार होंगे, चाहे कर निर्धारण या अर्थदण्ड का आरोपण ऐसे हस्तांतरण के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो।

(३) यदि पुनःसंघटित फर्म अथवा संघ से उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अथवा हस्तान्तरिती से उपधारा (२) के अधीन, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर वसूल किया जाय तो ऐसी फर्म अथवा संघ या हस्तान्तरिती को अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से वसूल कर ले जो उस कर का मूलतः देनदार था।

स्पष्टीकरण—किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनस्संघटन, अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"५—ऐसे माल के सम्बन्ध में जो विज्ञापित किये जायं, राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुये जो निर्धारित किये जायं, ऐसे माल की बिक्रियों के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल (point) पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है।"

६--मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ७ का संशोधन।

"(१-क) उपधारा (१) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व, या उसके साथ व्यापारी ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाय, ऐसे विवरण-पत्र में दिखाये गये विक्रय-धन पर देय-कर की धनराशि जमा करेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ३-ग के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "तथा हस्तान्तरिती (transferee)" निकाल दिये जायं।

तथा

पंक्ति ४ व ५ के शब्द "के संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक् देनदार होंगे" के स्थान पर शब्द "का देनदार होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ३-ग के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रख दिये जायं --

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे हस्तान्तरण के समय उक्त व्यापार के सम्बन्ध में देय, अर्थ दंड सहित, यदि कोई हो तो पहले उक्त देय हस्तान्तरण कर्ता से ही वसूल किया जायगा और तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् यदि उक्त देय हस्तान्तरण-कर्ता से वसूल न हो पावे, तो हस्तान्तरिती से वसूल किये जायंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७--मूल अधिनियम की धारा ७-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ७-क का संशोधन

"७-क (१) राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकती है और यदि व्यापारी के विक्रय-धन का, जैसा कि वह कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष के उस भाग के लिये अवधारित किया गया हो, धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट या उसके अधीन विज्ञापित धनराशि, यदि कोई हो, से अनुपात उससे कम न हो जो कर-निर्धारण अवधि का १२ मास से हो, कर-निर्धारक अधिकारी, धारा ७ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर-निर्धारण वर्ष के उस भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर-निर्धारण (provisional assessment) कर सकता है।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक अस्थायी, स्थायी रूप से कर-निर्धारण की सूची (प्रतिलिपि) सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों को देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

य० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८ का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ८ में :--

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (८)" रख दिये जायं :

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाय;

(३) निम्नलिखित उपधारा (३) से (८) तक के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(३) किसी विधि या संविदा में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, कर-निर्धारक अधिकारी, किसी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस द्वारा, जिसकी एक प्रति व्यापारी के पास उसके अन्तिम पते पर जो कर-निर्धारक अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जायगी, किसी व्यक्ति से--

(क) जिसके द्वारा व्यापारी को कोई धनराशि देय हो या देय हो जाय, या

(ख) जिसके पास व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से धन हो या बाद में हो जाय,

यह अपेक्षा कर सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को--

(१) धन देय होने पर या उसके पास होने पर तुरन्त, या

(२) नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर, जो धन देय होने या उसके पास होने के पहले न होगा,

उस धनराशि में से ऐसी राशि अदा करे जो व्यापारी द्वारा देय कर के बकाया या इस अधिनियम के अधीन देय अन्य धनराशियों के भुगतान के निमित्त पर्याप्त हो या, जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो तो, वह पूरी धनराशि अदा करे।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के निमित्त व्यापारी को देय धनराशि या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास की धनराशि का हिसाब उन दावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् लगाया जायगा जिनके भुगतान उक्त व्यापारी द्वारा उस व्यक्ति को देय हो गये हों और जो उस समय विधितः अवस्थित हों।

(४) कर-निर्धारक अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर किसी ऐसे नोटिस को संशोधित कर सकता है या वापस ले सकता है या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिये समय बढ़ा सकता है।

(५) उपधारा (३) के अधीन नोटिस के पालन में भुगतान करने वाले व्यक्ति के विषय में यह समझा जायगा कि उसने व्यापारी के प्राधिकार से भुगतान किया तथा कर-निर्धारक अधिकारी की रसीद, उस व्यक्ति को व्यापारी के प्रति दायित्व से रसीद में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक विधि संगत तथा पर्याप्त रूप से उन्मुक्त करेगी।

(६) जो व्यक्ति उपधारा (३) में उल्लिखित नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् व्यापारी के प्रति दायित्व का उन्मोचन करता है वह कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति उन्मुक्त दायित्व की मात्रा तक या उस नोटिस में उल्लिखित धनराशि की मात्रा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(७) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (३) के अधीन नोटिस भेजा जाता है, कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि मांगी गई धनराशि या उसका कोई भाग उसके द्वारा व्यापारी को देय नहीं है, या व्यापारी के निमित्त या उसकी ओर से कोई धनराशि उसके पास नहीं है तो इस धारा में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उसके कारण उस व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह मांगी गई धनराशि या उसके किसी भाग का, जैसी भी दशा हो, कर-निर्धारक अधिकारी को भुगतान करे।

(८) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय कोई कर या अन्य धनराशियां या कोई धनराशि जिसे कर-निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित हो या जिसके लिये वह उपधारा (६) के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ३ के भाग (ख) की पंक्ति १० तथा ११ में शब्द "या जब वह उक्त धनराशि के बराबर हो या उससे कम हो, तो वह पूरी धनराशि अदा करे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--११,

विपक्ष में--६२।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा ३ के भाग (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१०,

विपक्ष में--६२।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित धारा (८) की पंक्ति २ से ४ तक के शब्द "या कोई धनराशि जिसे कर-निर्धारक अधिकारी को देना किसी व्यक्ति से उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित हो या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में--११,

विपक्ष में--६२।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में--६०,

विपक्ष में--११।)

खण्ड ९-११

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा ८-क में--

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर देय है; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर का देनदार है ; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन दी गई अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में तद्धीन कर का देनदार होता, यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका वास्तविक या अनुमानित विक्रय धन १२,००० रुपये से अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जो धारा ३ की उपधारा (१) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, कम न हो ; तथा

(घ) प्रत्येक व्यापारी जो कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारंभ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय धन, अथवा जिसका उपर्युक्त अवधि के किसी मास का वास्तविक विक्रय धन १२,००० रुपये के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन विज्ञापित की जाय, बारहवें भाग से कम न हो,

कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित किये जायं, रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना-पत्र देगा।"

(२) उपधारा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(१-क) (क) कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर सकता है और व्यापारी को रजिस्टर करा सकता है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, रजिस्ट्री कर-निर्धारण वर्ष में अथवा उस कर निर्धारण वर्ष के जिसके लिये वह स्वीकृत हुई हो, अव्यतीत भाग में प्रवृत्त रहेगी।

(ख) जो व्यापारी इस धारा के अधीन रजिस्टर हो जाय वह प्रति वर्ष अपने रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र का नवीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि वह रद्द न कर दिया जाय;

(ग) रजिस्ट्री तथा उसके प्रत्येक नवीकरण के लिये व्यापारी को १० रुपया शुल्क देना होगा।

(घ) जो व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्री अथवा नवीकरण के लिये, जैसी भी दशा हो, प्रार्थना-पत्र न दे उसे, धारा १४ के उपबन्धों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर प्रार्थना-पत्र दे देने की दशा में, अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त ५ रुपया अर्थ दंड तथा अन्य दशाओं में १० रुपये का अर्थ दंड देना होगा।"

(३) उपधारा (१-ख) में शब्द "कर के दायित्व" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्री के दायित्व" रख दिये जायं ।

(४) उपधारा (३-क) में शब्द "आठ आना" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आये हों शब्द "पचास नये पैसे" रख दिये जायं ।

(५) उपधारा (४) में शब्द तथा अक्षर "के वाक्यखंड (च) " के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"की उपधारा (२) के खंड (छ)" ।

(६) उपधारा (६) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "किन्तु प्रतिभूति" तथा " के उपरान्त" के बीच में आये हुए शब्द "की राशि जमा कर देने" के स्थान पर शब्द "दे देने" रख दिये जायं ।

१०--मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में शब्द "कोई व्यापारी, जो" और अंक तथा अक्षर " १५-क" के बीच में निम्नांकित रख दिया जाय: उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ९ का संशोधन

"धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के लिये दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा धारा ३० के अधीन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करने की आज्ञा अथवा "

११--मूल अधिनियम की धारा ११-ख निकाल दी जाय । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ११-ख का निकाल दिया जाना

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा ८-क की उपधारा (१) के भाग (ग) की पंक्ति ४ में संख्या "१२,०००" के स्थान पर संख्या "३६,०००" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में--११,

विपक्ष में--६० ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा ८-क के उपखंड (१) के भाग (ग) व (घ) की पंक्ति ४ में अंक "१२,०००" के स्थान पर अंक "२५,०००" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा ८-क के उपखंड (२) के भाग (ग) में अंक "१०" के स्थान पर अंक "५" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा ८-क की उपधारा (२) के भाग (घ) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९, १० और ११ इस विधेयक के अंग माना जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १३ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (३) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(३) यदि उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Assistant Sales Tax Officer) या उससे निम्नश्रेणी का अधिकारी न हो, ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हो कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देय धनराशियों के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे लेखे, खाते या लेख--पत्र पर जो आवश्यक हो, अपना अधिकार कर सकता है। उक्त लेखे, खाते या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझे जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति उस लेखे, खाते या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। अधिकारी लेखा, खाता या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसी दशा में व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर प्रत्येक लेखे, खाते या लेख-पत्र में किये अथवा लगाये गये हों।

(४) उपधारा (२) या उपधारा (३) के प्रयोजनों के निमित्त उसके अधीन कार्य करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान, गाड़ी या व्यापार के किसी अन्य स्थान या किसी भवन अथवा स्थान में जहां उक्त अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यापारी अपने व्यापार से संबद्ध लेखा, खाता लेख-पत्र या माल रखता है या सम्प्रति रख रहा है, प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

(५) उपधारा (१) के अधीन अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को--

(क) जो किसी व्यापारी को या उसकी ओर से देने के निमित्त किसी माल का परिवहन करता है या उसे अभिरक्षा में रखता है, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त माल के संबंध में ऐसी सूचना, जिसके उसके पास होने की संभावना हो, दे अथवा उसका निरीक्षण करने दे, जैसी भी दशा हो;

(ख) जो किसी व्यापारी के व्यापार के सम्बन्ध में कोई लेखा, बही या लेख-पत्र रखता हो या उसे अपने अधिकार में रखे हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उक्त लेखे, बही या लेख-पत्र को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करे।"

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति ८ व ९ में शब्द "अपना अधिकार कर" के स्थान पर शब्द "मंगा कर रोक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति ९ व १० में शब्द "अधिकार करने" के स्थान पर शब्द "रोक रखने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति १२ में शब्द "अधिकार करने" के स्थान पर शब्द "रोक रखने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:

पक्ष में---११,
विपक्ष में---६० ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है....

श्री भगवतीसिंह विशारद---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि १५ दिन और ९० दिन के बीच में कोई टाइम मंत्री जी मान लेंगे। अगर वह मान लें तो मैं अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं करूंगा।

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ के उपखंड (३) की पंक्ति १२ में शब्द "नब्बे" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१०,
विपक्ष में---६१ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (३) की पंक्ति १२ में शब्द "नब्बे" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (४) की पंक्ति ६ में शब्द "रहा" और शब्द "प्रवेश" के बीच में शब्द "उचित कारणों के साथ उचित समय पर" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१२,
विपक्ष में---६३ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (४) की पंक्ति ७ में शब्द "उसकी" और शब्द "तलाशी" के बीच में शब्द "वैधानिक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१२,
विपक्ष में---६२ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित लेख-पत्र २४ घंटे में वापस कर दिया जाना आवश्यक होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा १३ के अन्त में उपधारा (६) इस प्रकार बढ़ा दी जाये :---

"(६) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी अधिकारी के लिये यह अनिवार्य होगा कि बिना उन कारणों को लिपिबद्ध किये जिन्हें वह उचित समझता हो उपधारा (३), (४) तथा (५) का समुचित उपयोग नहीं करेगा और प्रत्येक अवस्था में अपने कारणों की एक प्रतिलिपि उक्त व्यक्ति अथवा व्यापारी को देगा जिसके सम्बन्ध में वह उपरोक्त उपधाराओं के अन्तर्गत कार्य करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१२,

विपक्ष में---६० ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---६०,

विपक्ष में---१२ ।)

खंड १३-१७

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन ।

१३---मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"१४---(१) कोई व्यक्ति जो---

(क) उपयुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के अधीन उस पर निर्धारित कर को नियत समय के भीतर न दे; अथवा

(ख) उपयुक्त कारण के बिना धारा ३--ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त न करे, जब कि वह धारा ३--घ के अधीन कर का देनदार हो ; अथवा

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार होते हुये---

(१) उपयुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा तद्धीन बने नियमों के अधीन अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे; अथवा

(२) धारा ८--क के अधीन तथा उसके अनुसार रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे; अथवा

(घ) किसी बही, लेख-पत्र अथवा लेखे का निरीक्षण या परीक्षण करने देने से इन्कार करे या उन्हें निरीक्षण या परीक्षण

के लिये प्रस्तुत करने से इन्कार करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे अथवा धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार उसकी प्रतिलिपियां तैयार करने देने से इन्कार करे; अथवा

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन करे,

किसी अन्य विधि के अधीन जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रुपये तक हो सकता है ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर—

(क) इस अधिनियम के अधीन विक्रय धन का मिथ्या विवरण-पत्र प्रस्तुत करे; अथवा

(ख) मिथ्या लेखे, खाते या लेख-पत्र रखे या प्रस्तुत करे; अथवा

(ग) मिथ्या प्रमाण-पत्र या घोषणा-पत्र दे या प्रस्तुत करे जिसके कारण इस अधिनियम अथवा तद्धीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके ; अथवा

(घ) रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मिथ्या सत्यापन या घोषणा करे ; अथवा

(ङ) कर का जिसका वह इस अधिनियम के अधीन देनदार हो ; भुगतान करने से बचे ; अथवा

(च) धारा १३ के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी को उस धारा की उपधारा (२), (३), (४) और उपधारा (५) के खंड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों को करने से रोके या उसमें बाधा डाले ; अथवा

(छ) किसी माल की बिक्री पर ऐसा कर मांगे या वसूल करे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय न हो; अथवा

(ज) कोई ऐसी सूचना देने से इन्कार करे या देने में उपेक्षा करे जो उसकी जानकारी या अधिकार में हो और जिसे देने का आदेश उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिया गया हो, या ऐसी सूचना जिसका कोई महत्वपूर्ण विवरण मिथ्या हो ; अथवा

(झ) धारा ८-क की उपधारा (६) के अधीन मांगी गई प्रतिभूति दिये बिना व्यापारी के रूप में व्यापार करे,

किसी अन्य विधि के अधीन जो तत्समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय कर तथा अन्य देय धनराशियों की वसूली के अतिरिक्त, सिद्ध दोष ठहराये जाने पर साधारण कारावास के दंड का, जो छ (६) मास तक हो सकता है, या अर्थ-दंड का या दोनों का भागी होगा और जब अपराध बराबर होता रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, १०० रुपये तक हो सकता है ।

(३) बिक्री-कर कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा तथा प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे की श्रेणी का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १५-क का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १५-क में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में" निकाल दिये जायं;

(२) उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जायं ;

(३) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ७" के पश्चात् कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् अंक तथा शब्द "७-क अथवा १८" बढ़ा दिये जायं ; और

(४) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(४) धारा १४ के अधीन कोई अभियोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर नहीं चलाया जायगा जिनके लिये इस धारा के अधीन कोई अर्थ-दण्ड लगाया जा चुका हो और देय कर के अतिरिक्त उस अर्थ दण्ड की धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका हो।"

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा १८ में—

(१) उपधारा (१) तथा (२) में—

(क) शब्द "खण्ड के अधीन" तथा "की जाय" के बीच में आने वाले शब्द "निर्धारित" के स्थान पर शब्द "विज्ञापित" रख दिया जाय, तथा

(ख) क्रमशः शब्द तथा अंक "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया गया कोई ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन उस पर कर लगाया जा सकता हो", और शब्द तथा अंक, "या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ ऐसा माल बेचा हो जिसके विक्रय धन के सम्बन्ध में उस पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो," के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या ऐसी अवधि के जिसके विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो" ;

(२) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "या व्यापारी ने उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट आयात किया हुआ कोई माल बेचा है" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"या व्यापारी के विक्रय-धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता है"; और

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(४) यदि एतदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी उपधारा (१) या (२) के अधीन विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से

(to the best of his judgment) व्यापारी का विक्रय धन अवधारित करेगा और देय कर, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, किसी ऐसे मामले में जो उपधारा (१) या (२) के अधीन आता हो, औसत मासिक विक्रय धन तत्रोल्लिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़कर जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो, अदा किये गये कर की शेष राशि वापस कर दी जायगी ।

अपवाद---उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक खंड ऐसे व्यापारी पर लागू नहीं होगा जिसके विक्रय धन पर धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (क) या (ख) के अधीन कर लगाया जा सकता हो ।"

१६---मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं । उ० प्र० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २२ का संशोधन

१७---मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (५) में शब्द "कम से कम सात दिन तक" के स्थान पर शब्द "चौदह दिन" रख दिये जायं । उ० प्र ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २४ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ के भाग (१) की पंक्ति १ में शब्द "कोई व्यक्ति जो" के पश्चात् निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं "बिना उचित कारणों के" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में---१२,
विपक्ष में---६२ ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य---उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत थोड़ा रह गया है इसलिये सब संशोधनों पर एक साथ मत ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---एक साथ मत कैसे लिये जा सकते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इतना विनम्र निवेदन करूंगा कि बार-बार सरकारी पक्ष की ओर से यह आक्षेप किया जाता है कि हम लोग सदन की मर्यादा का खयाल नहीं करते हैं । कृपया आप देखें कि जरा से समय में कई प्रस्ताव आये और उस समय जब हम कह रहे थे कि एक घंटे का समय न रखा जाय, क्योंकि हो सकता है कि एक घंटे में यह पास न हो तो संख्यासुर के बल पर उन्होंने उसको पास किया, और फिर वही परिस्थिति आ गई । फिर एक प्रस्ताव आ गया । मैं माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट से यह निवेदन करूंगा कि वह सदन को तमाशा में न परिणत करें । मैं चाहूंगा कि आप इस प्रस्ताव को न लें ।

श्री उपाध्यक्ष---सदन ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि यह विधेयक पारित हो जायगा । किसी भी सदस्य को अधिकार है कि कोई प्रस्ताव वह रखें । उसका आप विरोध कर सकत हैं । उस पर मत लिया जायगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी देर की कार्यवाही चलने के बाद विष्ट जी ने बड़ी समझदारी से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय और सदन तब तक चलता रहे जब तक यह पूर्ण रूप से पारित न हो जाय।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप खुद जानते हैं हम लोगों का यही मंशा था कि जहां तक हो सके जरूरी वाद विवाद हो जाय। उसके बाद आज फैसला हो जाय। हमने यह समझा था कि एक घंटे में परित हो जायगा, लेकिन जिस तरीके पर हर बात पर यह जानते हुये कि हम कामयाब नहीं होंगे डिवीजन कराया जा रहा है और वक्त जाया कराया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---"वक्त जाया कराया जा रहा है" ये शब्द उचित नहीं हैं।

श्री सैयद अली जहीर---तो मैं वापस लेता हूं।

श्री राजनारायण---अब आप ही फैसला करें।

श्री उपाध्यक्ष---बहरहाल, हर एक सदस्य को अधिकार है।

श्री सैयद अली जहीर---खैर, बहुत मुफीद तरीके से वक्त सर्फ हो रहा है।

श्री राजनारायण---मैं वैधानिक आपत्ति कर रहा हूं। यह कोई मजाक का विषय नहीं है। यह कहते हैं कि वक्त जाया किया जा रहा है। सदन में चाहे मंत्री हों या सदस्य सब बराबर हैं। इसको वह वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने वापस ले लिया है। आपने सुना नहीं।

श्री सैयद अली जहीर---मैं यह अर्ज कर रहा था कि बावजूद उसका नतीजा जानने के बार-बार डिवीजन कराया जा रहा है। बहरहाल दस मिनट वक्त बढ़ा लिया जाय ताकि यह खत्म हो जाय।

श्री मोती लाल अवस्थी---मेरा संशोधन है कि इसका समय १२ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह कहा कि वह कामयाब नहीं होंगे और जानते हुये भी अड़चन डाल रहे हैं। एक तो यह बड़ा अभद्र है। इस तरह से कह देना कि कामयाब नहीं होंगे क्या इसका यह मंशा है कि हम लोग इस सदन में आया ही न करें ?

श्री उपाध्यक्ष---आप अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। वह कैसे रोक सकते हैं।

श्री सुरथ बहादुर शाह---अल्मोड़ा के माननीय सदस्य ने सचेतक की हैसियत से जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन आश्चर्य यह है कि जैसे रात चलती जाती है वैसे उधर चेतनता बढ़ती जा रही है।

श्री राजनारायण---मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। ८ बजकर २० या १५ मिनट पर सदन चला था और एक घंटे का समय बढ़ा था।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जायं। मैं समझ गया। आपका खयाल है कि वह समय खत्म हो गया। मैंने यह कहा था कि ९ बजकर २४ मिनट तक यह सदन चलेगा।

प्रश्न यह है कि इस सदन का समय तब तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---श्रीमन्, इसको वापस ले रहे हैं। इसकी जगह २० मिनट का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस सदन का समय विधेयक पारित करने के लिये २० मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५९,

विपक्ष में--१३ ।)

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसमें यह कहीं नहीं है कि उसके अन्दर यह पास हो जाना चाहिये । और यह २० मिनट कब तक होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--९ बजकर ४४ मिनट पर ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जो यह तनातनी की इस तरह की स्थिति है कि बार-बार समय बढ़ाया जा रहा है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अन्तिम दो संशोधन इस तरह के हैं कि जिनको....

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें । उसमें संशोधन करना माननीय मंत्री जी के वश की बात नहीं है । मैं स्वयं कार्यवाही संचालित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ की उपधारा (१) के भाग (ङ) की अन्तिम पंक्ति में अंक "५० रु०" के स्थान पर "१० रु०" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३,

विपक्ष में--६० ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ के भाग (१) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जावे :--

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अधिकृत अधिकारी के किसी आज्ञा के विरुद्ध धारा ९ व १० के अन्तर्गत अपील अथवा निगरानी कराने का अधिकारी होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३,

विपक्ष में--६० ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ के भाग (२) के अंश (झ) की पंक्ति ६ में अंक और अक्षर "छ (६)" के स्थान पर शब्द "तीन (३)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण--मैं वैधानिक आपत्ति उपस्थित कर रहा हूं । इसमें जो दंड प्रस्तावित किया गया है यह संविधान के विरुद्ध है ।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठ जाइये, मैं समझ गया । आप नियम की धारा ३०० देख लें ।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ की उपधारा (२) के भाग (झ) की अन्तिम पंक्ति में अंक "१०० रु०" के स्थान पर अंक "१० रु०" रख दिया जाय ।

श्री राजनारायण—मेरी वैधानिक आपत्ति का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—नियम ३०० के उपभाग ६ का (C) देख लीजिये—

"When a question on any motion is being put to the House no point of order can be raised."

इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण—इसमें तो कुछ नहीं है । आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने देख लिया है और व्यवस्था दे दी है ।

श्री राजनारायण—आप देख लें और व्यवस्था गलत हो तो फिर ठीक कर लें । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान की मर्यादा में ही रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने व्यवस्था दे दी है । इस समय प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १४ की उपधारा (२) के भाग (झ) की अन्तिम पंक्ति में अंक "१०० रु०" के स्थान पर "१० रु०" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में— १४,

विपक्ष में—५७ ।)

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री राजनारायण—आप हमारी व्यवस्था का प्रश्न तो सुनिये ।

श्री उपाध्यक्ष—जिस समय गिलोटिन अप्लाई हो रहा हो उस समय दूसरा प्रश्न नहीं लिया जा सकता । वह नियम मैंने आपको बता दिया है और उसके विषय में एक मर्तबा अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ से १७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोती लाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम १४३ को पढ़कर सुना देना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि:

"Provided that if a member requests that any clause be put separately, the Speaker shall do so."

इनको सेपरेट लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं इन खंडों पर मत ले चुका हूं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमने पहले यह स्पष्ट कर लिया था कि उस समय सदन की कार्यवाही केवल २० मिनट के लिये बढ़ाई जा रही है उसमें यह नहीं था कि जब तक यह विधेयक समाप्त न हो । उस समय हमने आप से कह दिया था ताकि बेगनेस न हो । इसलिये इस २० मिनट के अन्दर विधेयक का पास होना अनिवार्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—इसके पहले एक प्रस्ताव पास हो चुका है कि सदन का समय १ घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पास न हो जाय । तो उसी के कन्टीन्यूएशन में यह दूसरा प्रस्ताव २० मिनट का आया है ।

श्री राजनारायण—अगर यह विधेयक २० मिनट के अन्दर पास न हो तो क्या कार्यवाही बन्द हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—उसके लिये बाद को देख लिया जायगा। कार्यवाही बन्द नहीं होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप जरा मेरी व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह चाहता हूं कि वह अलग-अलग पुट अप किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—वे क्लाज में ले चुका हूं। अब आगे के लिये कहिये। इनके लिये तो निर्णय हो चुका है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह बिलकुल बाइंडिंग है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कहता हूं कि आप जानबूझ कर बाधा डाल रहे हैं।

अब अलग-अलग दुबारा लेने की जरूरत नहीं है। अब तो मत समाप्त हो चुका।

श्री मोती लाल अवस्थी—मैंने उसी समय उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिए।

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २९ तथा ३० के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नई धारायें २९ तथा ३० का बढ़ाया जाना

"२९—रुपये की वापसी—कर निर्धारक अधिकारी, किसी व्यापारी के तदर्थ प्रार्थना-पत्र देने पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान किये गये कर, शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे निर्धारित रीति से वापस कर देगा, सिवाय उतनी धनराशि के जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के, अधीन भुगतान किये गये किसी कर या अन्य धनराशि की वापसी का कोई दावा स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि वह कर निर्धारण का आदेश दिये जाने के दिनांक से चौबीस महीने के भीतर या कर निर्धारण के आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान के लिये भेजे गये मामले (reference) पर अन्तिम आदेश दिये जाने के बारह महीने के भीतर, जो भी अवधि बाद में हो, प्रस्तुत न किया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारक अधिकारी वापस करने योग्य पाई गई धनराशि को प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर, अर्थ-दंड या शुल्क के भुगतान में लगायेगा तथा शेष धनराशि को, यदि कोई हो, वापस कर देगा।

३०—एक पक्षीय आदेश को रद्द करने का अधिकार—किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण के संबंध में एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, व्यापारी उक्त आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे आदेश को रद्द करने तथा उस मामले पर पुनः विचार करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है ; और यदि उक्त अधिकारी को संतोष हो जाय कि

प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला या वह पर्याप्त कारणों से नियत दिनांक को उपस्थित न हो सका तो वह आदेश को रद्द कर सकता है और मामले की सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के रद्द किये जाने के लिये कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे व्यापारी ने देय स्वीकार किया हो, भुगतान का संतोषजनक प्रमाण न हो।"

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा २९ का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किये जाने पर विभाजन की मांग की गयी और उस बीच में घंटी बजते समय श्री धर्म दत्त वैद्य ने सदन का समय ३० मिनट और बढ़ाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। जिस पर श्री उपाध्यक्ष ने उनको बैठने का आदेश दिया।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---११,
विपक्ष में---५८।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा २९ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के पश्चात् एक नया निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह भी है कि कर-निर्धारक अधिकारी वापस करने योग्य पाई गई धनराशि को ऐसे देय अवशिष्ट कर, अर्थ दन्ड या शुल्क के भुगतान में नहीं लगायेगा जिनके संबंध में कोई अपील दाखिल कर दी गयी हो"

(प्रश्न उपस्थित किये जाने पर विभाजन की मांग की गयी और इस बीच में श्री सैयद अली जहीर ने प्रस्ताव किया कि जब तक बाकी तीन संशोधन पुट अप किये जाकर समाप्त न हो जायं उस समय तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय। श्री उपाध्यक्ष ने उन्हें बैठने का आदेश दिया।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१३,
विपक्ष में ५७।)

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जितनी देर में आप यह पुट करें और उसके बाद थर्ड रीडिंग में जो वक्त लगे बगैर किसी बहस के, उतने वक्त के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण---मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा वह सदन की मर्यादा और जनतांत्रिक परम्पराओं का अवलोकन करें। उसके बाद वह इसी मत पर आवेंगे कि बार-बार इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं रखने चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने पहले ही कह दिया था। अगर तनिक भी हमारी उंगली दबे तो उसके कष्ट को सहना चाहिये न कि मर्यादा को भंग करना चाहिये। लेकिन उस कष्ट से बचने के लिये किसी मर्यादा, परम्परा, नियम और प्रणाली को तोड़ दिया जाय, यह सबसे बड़ा अभिशाप हो रहा है। हम लोग एक जनतांत्रिक प्रणाली में हैं और उसे विकसित करना चाहते हैं। सरकार की ओर से बहुमत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं देख रहा हूं कि बहुमत का दुरुपयोग यहां धड़ल्ले

के साथ किया जा रहा है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हठवादिता का वह परिचय न दें । अगर वह हमारी बात को हृदयगंम करेंगे तो देश का, प्रदेश का और गरीब जनता का भला होगा । जनतांत्रिक प्रणाली फूलेगी और फलेगी और उसकी शीतल छाया में हम सभी आनन्दित होंगे । हमारे पड़ोस में यही सब कारण हो रहे हैं और फौजी क्रान्ति हो रही है । इसलिये सरकार हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे और समय बढ़ाने के लिये जिद न करें । ४४ मिनट हो चुका है और अब सदन को उठना चाहिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, ऐसा प्रस्ताव एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और फिर इसी प्रकार चौथा, इस तरह से आ रहे हैं । यह कहां तक नियमित है ?

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित होने तक इस प्रकार की मत लेने की प्रक्रिया तथा तृतीय वाचन के लिये जितना आवश्यक हो उतना समय सदन का बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में---५७,

विपक्ष में---१४ ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, आप जरा गौर करें । शहर के रहने वाले को नंबर दे दिया जाता है और हम गांव के रहने वाले हैं सो रह जाते हैं।

(श्रीमन्, आपके द्वारा बताऊं । यहां तो बनारस वालों ने कब्जा कर लिया है । मुख्य मंत्री तो बनारस के औरन कूं देखौ तौ बनारस के । बनारस वाले चैन नहीं लेने देते हैं ।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य कृपा कर अपना स्थान गृहण करें ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने दो बार श्री ब्रज नारायण तिवारी का नाम पुकारा लेकिन वे खड़े नहीं हुए ।)

श्री भगवतीसिंह विशारद---उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं रखी गयी है इसलिये आप आज्ञा दें तो मैं अपने संशोधन पर कुछ प्रकाश डाल दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने कदाचित् उनके प्रस्ताव को ध्यान से नहीं सुना उसमें है---जब तक यह विधेयक पास हो, इस प्रकार मत लिये जाने की प्रक्रिया . . . . .

प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३० का प्रतिबंधात्मक अंश निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, मेरा नाम नहीं पुकारा गया ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने दो बार आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए । प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंश मान लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १९५९

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट १९४८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में धारा ४ द्वारा किये गये संशोधन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पहिले के किसी भी वर्ष के निमित्त कर निर्धारण के संबंध में भी लागू होंगे चाहे ऐसे कर निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हों अथवा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण---मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा नियम १४८ को देखें उसमें लिखा हुआ है---

"*Scope of Debate*—The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill".

श्री राजनारायण---जी हां, वह तो हमारे ही पक्ष में है । वह है---

वाद विवाद की व्याप्ति---इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा विधेयक के समर्थन या उसकी अस्वीकृति के प्रतर्कों तक सीमित होगी ।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमन्, इस प्रकार की बहस के लिये आपको अधिकार है कि उसका समय निर्धारित कर दें, ताकि लम्बी तकरीरें न हों ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक पारित होने के लिये यहां प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं । विरोध करने की मेरी मंशा क्या है उसको मैं थोड़े में ही निवेदन कर रहा हूं । देखा जाय कि ये जितने नियम हमारे सामने हैं विधेयक पारित होने के लिये, वे नियम आज एक असाम्य अवस्था में, एक विषम परिस्थिति में चल रहे हैं । हमारे जितने संशोधन यहां पर आये, किसी संशोधन के बारे में हम अपना मत सरकार के बहुमत के बल पर व्यक्त करने की स्थित में नहीं रहे । बहुमत के बल पर हमारे यहां व्यापारी संघ की तरफ से जो सुझाव आये, जो हमारी तरफ से और जनता की तरफ से यहां सुझाव आये, उन्हीं सुझावों को लेकर जो संशोधन प्रस्तुत किये गये उनके संबंध में हम कुछ भी नहीं बोल पाये । अब ऐसी स्थिति में जब कि प्रदेश की जनता पर बिक्री-कर का बोझ बढ़ रहा है, जबकि प्रदेश की जनता की कमर टैक्स के भार से झुकती जा रही है तो आप स्वतः बतलाइये कि जो ऐसे विधेयक के पारित होने में समर्थन दें, उससे बड़ा पापी कौन होगा ? यह विधेयक प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है । इससे जनता का अहित हो रहा है, समाज का अहित हो रहा है ।

श्री सुरथबहादुर शाह---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, यहां पर कई माननीय सदस्य सो रहे हैं तो आप इजाजत दें कि इस पर अब कल बहस हो।

एक सदस्य---सो नहीं रहे हैं बल्कि सोच रहे हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब मैं क्या कहूं, असल में हमें दुख: होता है कि जब यहां कोई सोता है तो उसे भी कुछ माननीय सदस्य सोचना कहते हैं। ठीक है वे सोचते हैं तो उनको मुख्य मंत्री बना दीजिये, बड़ा अच्छा होगा। श्रीमन्, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक जो इतनी जल्दबाजी में पास किया जा रहा है इससे प्रदेश की जनता की कमर टूट जायगी और यह विधेयक असामयिक, अराष्ट्रीय असामाजिक और जनहित के विरुद्ध है, इसलिये इस विधेयक के पारित होने का समर्थन हमारा नहीं हो सकता है। न तो हमारा सहयोग हो सकता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अपनी इस वाणी द्वारा हम ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करते हैं कि वे भावावेश में न आवें, वे अपने कर्त्तव्य को समझें। इस संबंध में कनफ्यूसियस ने कहा है कि समाज अच्छा तभी होगा जब मनुष्य अपने शब्दों द्वारा जाना जाय। जिस समाज में मनुष्य अपने शब्दों द्वारा नहीं जाना जाता वह समाज अधोगति की तरफ जाता है। आज हम अपनी प्रदेश की जनता पर टैक्स का भार बढ़ाने जा रहे हैं, जिसको मैं समझता हूं कि संविधान की हत्या हो रही है। उस अवसर पर मौका मुझे नहीं मिला वरना मैं सदन के माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन करता कि इस विधेयक के द्वारा संविधान की हत्या हो रही है। वह इस तरह से कि एक-एक आदमी को एक-एक अपराध के लिये कई-कई बार इसमें दंडित करने की व्यवस्था है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे और आप अपने मत को व्यक्त करें तो देखेंगे कि सरकार जो जनतंत्र और जम्हूरियत का नाम लेती है वह क्या कर रही है। माननीय सम्पूर्णानन्द यहां विराजमान नहीं हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके जनतंत्र का स्वरूप क्या है ? उनके मुखारबिन्द से जनतंत्र शब्द का निकलना इस समय अशोभनीय है जब कि हम देखते हैं कि नित्यप्रति पुराने कानून में संशोधन करके सरकार के हाथ में विशेष रूप से ताकत लेते जा रहे हैं। जनतंत्र के कुछ माने हुए सिद्धान्त हैं। जनतंत्र में शक्ति केन्द्रित नहीं होती, बल्कि विकेन्द्रित होती है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आपने जब यह व्यवस्था कर दी थी कि गिलोटिन किया जायगा समय कम होने की वजह से तो इस पर जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण कुछ अवश्य होना चाहिये नहीं तो यह अनिश्चित काल तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से समझता हूं। उनको आप भाषण देने दें। मैं कोई गड़बड़ी होगी तो देख लूंगा।

श्री राजनारायण---मैं निवेदन करूंगा कि उनका कमरा हमारे कमरे के पास ही है हम उनको पार्लियामेंट्री पद्धति पढ़ाने को तैयार हैं।

किसी भी माने में किसी भी दृष्टिकोण से यह विधेयक आज जनता के लिये, व्यापारियों के लिये, गरीब छोटे-छोटे दूकानदारों के लिये, गरीब जनता के लिये, मध्यमवर्ग के लिये, उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक नहीं है। यह विधेयक हर माने में, हर ऐंगिल आफ विजन से देखा जाय तो जनहित विरोधी विधेयक है। इसलिये हमारी वाणी में जितनी शक्ति है उसके साथ मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को पास न होने दें और इसको पारित न करके प्रदेश की जनता की सेवा करें। यही निवेदन है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का इसलिये विरोध कर रहा हूं कि जिस ढंग से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और जिस जल्दबाजी में पास किया जा रहा है और विरोधियों की तरफ से जो संशोधन दिये गये उनको जिस प्रकार से बहुमत

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

के बल पर दबाया गया है, मैं खुश हूं इसलिये कि यह बिकी-कर विधेयक कांग्रेस शासन के लिये नाश का कारण होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि जिस प्रकार सेवक शाही के हाथ में सत्ता दी गई है, जिस प्रकार उसको घर में घुसकर कागज पत्रों को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, जिस प्रकार ९० दिनों तक रोकने का अधिकार दिया गया है, जिस प्रकार कानून की अवहेलना करने पर शारीरिक दंड और आर्थिक दंड के अलावा दिन प्रति दिन १०० रु० रोज के जुर्माने की सजा रखी गयी है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पक्षी निर्णय देने के बाद उसको जो अपील करने की ताकत नहीं दी गई है, मुझे विश्वास है, इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं, यह सब को विदित है कि यह कांग्रेस सरकार का नाश का कारण बनेगा। सब जानते हैं कि टैक्स कितना ही अधिक लगायें उससे टैक्स देने वाले के ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ता जब तक कि आप आमदनी के ऊपर कोई सीलिंग मुकर्रर न करें। जो पैदा करता है, खरीदता है, उपभोक्ता से टैक्स वसूल किया जाता है, आप चाहे १२,००० पर या २५,००० या ३६,००० रु० पर टैक्स लें, लेकिन वह लेगा जन-साधारण ही से मुनाफे के नाम पर और उसमें से ही सरकार को टैक्स देगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों को अगाह करना चाहता हूं कि उन्हीं की मदद से कांग्रेस शासन आज यहां पहुंचा है। नहीं तो जिस प्रकार गरीबों का विश्वास कांग्रेस खोती जा रही है, जिस प्रकार से टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है यह भी उसमें एक योगदान करेगा इस कांग्रेस शासन के विनाश में। इतना कहकर मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को पारित न करे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--सदन के समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सदन ने मेरे स्थान ग्रहण करने के पहले एक प्रस्ताव पास कर दिया था, इसलिये मुझे अधिकार नहीं है कि उक्त प्रस्ताव में किसी को कोई संशोधन करने से रोकूं।

श्री राजनारायण--आपको है, हमारा खयाल।

श्री उपाध्यक्ष--क्लोजर के बारे में मुझको अधिकार है कि जब तक उचित बातें हो रही हैं उस समय तक मैं विवाद चलने दूं और जब अनावश्यक ढंग से चले तब मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को अभी नहीं लूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे सारे संशोधनों पर चूंकि हाउस ने मतदान दे दिया है मुझे उन संशोधन पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन अन्ततोगत्वा उन संशोधनों के परिणाम को देखते हुये मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं इस सारे विधेयक का सर्वांग रूप से विरोध करूं। जिस रूप में यह पास होने जा रहा है यह और भी हमारे लिये कटु हो गया है। यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन होते और इसमें सुधार होता तो शायद मैं इसका समर्थन करता, लेकिन इस रूप में इस विधेयक का हर प्रकार से हमें विरोध करना चाहिये। यह हमारे प्रान्त के लिये एक काला कारनामा होगा। यह सभी के हित के विरुद्ध जा रहा है। इस विधेयक में संशोधनों के द्वारा हम किन्हीं व्यापारियों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने जो विरोध किया उसका लक्ष्य यह था कि जो छोटे-छोटे बेचनेवाले चाहे काश्तकार हों या किसान हों उनके विरुद्ध यह विधेयक जा रहा है। इसलिये हमारा कर्त्तव्य था कि हम विरोध करते।

आज तक कभी भी कोई कानून हमारे सामने नहीं आया जिसमें ऐसे अधिकार दिये गये हों। इसमें अधिकारियों को ऐसे-ऐसे अधिकार दिये गये हैं कि यदि उनका किसी के प्रति वैमनस्य हो तो उसे परेशान कर सकते हैं। उसके रजिस्टरों को सीज कर सकते हैं, ९० दिन तक रोक सकते हैं। यदि वह अपील करना चाहें तो उसके लिये गुंजायश नहीं है। सिर्फ रिवीजन के लिये हाईकोर्ट में अधिकार दिया गया है, लेकिन सुप्रीमकोर्ट का अधिकार ले लिया गया है। इससे ऐसे व्यक्ति के प्रति न्याय होने की गुंजायश नहीं है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। वित्त

मंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया है कि किसी समय १२ हजार से भी बढ़ा दिया जायगा । मैं नहीं समझता कि वह इसे पूरा भी करेंगे । इसमें कुछ अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिये गये हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के बाधक हैं । हम नहीं चाहते कि इन कर्मचारियों को, असेसिंग अथारिटी को जो पक्षपात के लिये बदनाम हैं, उनको हम छिपे रूप से अधिकार दें कि किसी घर में प्रवेश करें या किसी के खाते जब्त कर लें । यह कानून सर्वांग दोषपूर्ण है । इसे हम बता देना चाहते हैं कि इस प्रान्त में अनेक छोटे-छोटे बिक्री करने वाले हैं जिनके प्रति यह बड़ा अन्याय होगा और यह सरकार के लिये भी अहितकर होगा । वह सोचते हैं कि इससे टैक्स इवेजन से बच जायेंगे तो वह नहीं होगा । मैं उन लोगों के पक्ष की बात कर रहा हूं जो व्यापारी वर्ग के नहीं हैं । बल्कि वह जो उत्पादक हैं, उनके लिये भी यह घातक हो रहा है । छोटे-छोटे बिक्री करने वालों के लिये भी अहितकर हो रहा है । यह कारनामा इस सरकार के कफन का आखिरी कीली होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी में इस विधेयक को पास करना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत अहितकर हो जायेगा जनता के लिये । जब जनमत को व्यक्त करने के लिये हम लोग यहां बैठे हैं और जनमत को स्वीकार नहीं किया जाता तो यह सही है कि यह विधेयक जनहित में नहीं है । विधेयक में संविधान की मर्यादा का भी उल्लंघन किया गया है । यह जल्दी में पास किया जा रहा है ।

इसकी एक बड़ी दुर्बलता यह है कि इसका लचीलापन खत्म हो गया है । कानून निर्बल के लिये नहीं है और सबल और निर्बल में कोई भेद नहीं किया है । जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं छोटे-छोटे लोग हैं उन पर टैक्स का भार बढ़ेगा और उसके कारण प्रदेश में हाहाकार मच जायगा । जिस विधेयक में ऊंच और नीच के तब के में फर्क न हो उससे देश और प्रदेश का हित नहीं होगा । प्रदेश की पीड़ित और दुःखित जनता की तरफ से ,छोटे व्यापारियों की तरफ से, विधान के दृष्टिकोण से और सदन की मर्यादा की सुरक्षा के लिये श्रीमन्, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को कतई पारित न करें ।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि जितने एतराज किये गये हैं वह सब जनरल डिस्कशन में कहे जा चुके हैं । जनता की दुहाई जो बार-बार दी जाती है, उससे मालूम होता है कि जैसे कन्ट्रैक्ट कर लिया गया है और सिवाय उनको दूसरों का जनता के हित का खयाल ही नहीं है । यह बिलकुल बेजा दावा है जो किसी तरह से भी सही नहीं है । हमको हर तरह से जनता का खयाल है । हम नहीं चाहते कि हमारे किसी कानून की वजह से जनता को कष्ट हो । जो हमारे यहां व्यापारी हैं उनमें अभी यह मानना पड़ेगा कि इस दर्जे की ईमानदारी नहीं है और सही तरीके से व्यवसाय करने का तरीका नहीं आया है जिसके ऊपर हम एतबार कर सकें । इसलिये ऐसे व्यापारियों के लिये जो बेईमानी से काम करते हैं जो हर तरीके से टैक्स को छिपाने और बनाने की कोशिश करते हैं नाजायज तरीके से सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इसमें कार्यवाही रखी गयी है और होगी । जो हिसाब रखने वाले ईमानदार व्यापारी है और टैक्स वक्त पर अदा कर देते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी । जो टैक्स जनता से वह वसूल करते हैं वह उनके पास ट्रस्ट के बतौर है वह उसको गवर्नमेंट को अदा कर दें । इसमें किसी किस्म की ज्यादती उनके ऊपर होने का सवाल नहीं है । जो आरोप लगाये गये हैं वे एक भी सही नहीं है इसलिये मैं सदन से कहता हूं कि इसको पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--५५,

विपक्ष में--१२ ।)

श्री उपाध्यक्ष--अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि के १० बजकर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१२ मार्च, १९५९ ।

विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदत्त

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

अनुसूची

जिले का नाम		फैक्टरी का नाम	गन्ना न मिलने से बन्द रहने की अवधि	
		१४-१-५९ से १८-१-५९ तक		
१—देवरिया	..	रामकोला (खेतान)	१३-१- और १५-१-५९ के बीच	५४ घंटे
२— ,,	..	रामकोला (पंजाबी)	१४—१—५९	१७ घंटे
३— ,,	..	लक्ष्मीगंज	१४—१—५९	२२ घंटे
४—बिजनौर	..	धामपुर	१५-१ से १६-१ ५९ व १८-१-५९ (आंशिक रूप से)	दो दिन और एक दिन आंशिक रूप से ।
५—गोरखपुर	..	घुघली	१७—१—५९	१२ घंटे
		५—२—५९ से १०—२—५९ तक		
१—देवरिया	..	खड्डा	५-२ से ६-२-५९	दो दिन
२— ,,	..	स्योराही	६-२-५९	एक दिन
३— ,,	..	कठकुइंया	७—२—५९	१ घंटे
४— ,,	..	बैतालपुर	६—२—५९	९ घंटे
५—गोरखपुर	..	घुघली	५-२ से ६-२ ५९	दो दिन
६—गोंडा ..	..	बभनान	५—२—५९	एक दिन
७—बुलन्दशहर	..	पन्नी जी	६—२ से ९—२—५९	चार दिन
८—बस्ती	..	बस्ती	५—२—५९	२० घंटे
९— ,,	..	वाल्टरगंज	५—२—५९	१७ घंटे

संसद्‌ पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

नियोजन (ग) विभाग में किये जाने वाले कार्यों की सूची

१—न्यायालय सम्बन्धी नोटिसें तथा न्यायालय सम्बन्धी मुकदमे ।

२—तकावी बांटने, राज सहायता (subsidy) के भुगतान तथा तकावी के बकायों की वसूली के बारे में शिकायतें ।

३—कृषि सम्बन्धी अभ्यंश (quota) नियंत्रित वस्तुओं (controlled commodities) के नियमित आबंटन, प्राप्ति, वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार ।

४—उर्वरक (fertilizer) ।

५—कुमायूं डिवीजन में कुमायूं विकास बोर्ड तथा वन पंचायतें ।

६—सिंचाई की छोटी योजनायें :—

(१) अधिष्ठान, राजपत्रित (gazetted) तथा अराजपत्रित, एवं बजट ।
(२) लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
(३) सामान की क्षति तथा उसमें न्यूनता ।
(४) योजनाओं की मासिक प्रगति के प्रतिवेदन ।
(५) योजना के अधीन दी गई तकावी का परिहार (remission) तथा उसकी वसूली ।

७—प्रान्तीय रक्षक दल और उसका बजट ।

८—शारीरिक सम्बर्द्धन सम्बन्धी अनुदान ।

९—भारत सरकार द्वारा समर्थित (sponsored) विशेष, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण योजना ।

१०—खेल-कूद परिषद् का गठन ।

११—स्थात्रक (stadia) अतिथिगृहों का निर्माण ।

१२—विभिन्न विकास विभागों के फील्ड कर्मचारीवर्ग का प्रशिक्षण ।

१३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निमित्त राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास कर्मचारिवर्ग एवं ग्राम्य नेताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम ।

१४—पर्यटकों के गमनागमन की व्यवस्था ।

१५—युवक कल्याण योजना ।

१६—गमनागमन (movement) अनुभाग से सम्बन्धित कार्य ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१–८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

तालिका

मिल या व्यापारिक संस्था के नाम	हिस्से की संख्या	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	बन्द या चालू	लाभांश प्राप्त हुआ या नहीं
१	२	३	४	५
		रु०		
१––सर्वश्री रामपुर इंजीनियरिंग कं० लि० रामपुर ..	१०,०००	१०	चालू	नहीं
२––सर्वश्री रामपुर इंन्डस्ट्रीज लि०, रामपुर	१,०००	१००	चालू	नहीं
	५ प्रतिशत टैक्स रहित द्वितीय (cumulative preference)			
	३,५९५ साधारण	१०		
३––सर्वश्री रामपुर डिस्टीलरी एण्ड केमिकल कं०, लि० ..	१०,२०० साधारण	१०	चालू	हां
४––सर्वश्री राजा टेक्सटाइल लि०, रामपुर	२५० प्रिफरेन्स 'A'	१००	चालू	हां
	४,५३८ प्रिफरेन्स 'B'	१०		
५––सर्वश्री मेज प्रोडक्टस लि०, रामपुर	१२,०००साधारण	१०	बन्द	नहीं
६––सर्वश्री माडर्न मैटल इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, रामपुर ..	२,०००	१००	,,	,,
७––सर्वश्री रामपुर डेयरी फार्म्स लि०, रामपुर ..	२,५००	१०	,,	,,
८––सर्वश्री डान मैच कंपनी लि०, रामपुर	२,५००	१०	,,	,,
९––सर्वश्री रामपुर टैनरी एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं०, लि०, रामपुर	३०,०००	१०	,,	,,
१०––सर्वश्री ग्रेट ईस्टर्न इलेक्ट्रोप्लेटर्स लि०, इलाहाबाद ..	७००	१००	चालू	,,
	२०० डेफर्ड	१०		
११––सर्वश्री पायनियर लि०, लखनऊ	साधारण ५०	१००	,,	,,
१२––सर्वश्री उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर ..	५५,४२०	१००	,,	हां

मिल या व्यापारिक संस्था के नाम	हिस्से की संख्या	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	बन्द या चालू	लाभांश प्राप्त हुआ या नहीं
१	२	३	४	५
		रु०		
१३--सर्वश्री इन्डियन टरपेन्टाइन एन्ड रोजिन कं० लि०, बरेली ..	६०,००० अ	१०	चालू	हां
	२३,१०० ब	१०		
१४--सर्वश्री इन्डियन बाविन कं० लि०, बरेली ..	१५,००० साधारण	१०		
	२,३२५ अ	१०		
	२,७१० अ	३	बन्द	नहीं
	१०,००० ब	३		
१५--सर्वश्री संसार प्रेस, वाराणसी	१५०	१००	चालू	,,
१६--सर्वश्री सहारनपुर कोल्ड स्टोरेज लि०, सहारनपुर ..	५००	१०	,,	,,
१७--सर्वश्री कानपुर टैनरी लि०, कानपुर	१,००० साधारण	१०	,,	,
	१०० प्रिफरेन्स	१००		
	५०० डेफर्ड	१०		
१८--सर्वश्री उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ ..	५,०००	१००	,,	हां
	५,००० मार्च १९५८ में खरीदे गये	१००		नहीं

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

सूची

रीजन के नाम		समिति के सदस्य के नाम
मेरठ रीजन	..	१—आयुक्त, मेरठ डिवीजन, मेरठ (चेयरमैन) २—सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर पी० डब्लू० डी० (बी० एन्ड आर०) मेरठ । ३—जिलाधीश, मेरठ ४—श्री मोहम्मद उस्मान, अध्यक्ष, नगरपालिका देवबन्द, जिला सहारनपुर । ५—श्री सालिक चन्द, अध्यक्ष, नगरपालिका, शामली, जिला मुजफ्फरनगर । ६—श्री दीनदयाल शर्मा, एम० एल० ए०, बुलन्दशहर । ७—श्री हरीसिंह, एम० एल० ए०, मेरठ । ८—श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन, एम०एल०ए०, टेहरी गढ़वाल । ९—उप-परिवहन आयुक्त (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि । १०—जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज मेरठ, (सदस्य सचिव) ।
आगरा रीजन	..	१—आयुक्त, आगरा डिवीजन, आगरा (चेयरमैन) । २—सुपरिन्टेंडिन्ग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० (बी० एन्ड आर०, आगरा) । ३—जिलाधीश, आगरा । ४—श्री केसर सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, कासगंज, जिला एटा । ५—श्री शिवदयाल, अध्यक्ष, नगरपालिका, मैनपुरी । ६—श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०, अलीगढ़ । ७—श्री छत्रपति अम्बेश, एम० एल० ए०, आगरा । ८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम० एल० ए०, आगरा । ९—उप-परिवहन आयुक्त (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि । १०—जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेंट (रोडवेज) आगरा (सदस्य सचिव) ।
कानपुर रीजन	..	१—आयुक्त, इलाहाबाद डिवीजन, (चेयरमैन) । २—सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी० (बी० एन्ड० आर०) ४ सर्किल, लखनऊ । ३—जिलाधीश, कानपुर । ४—स्थान रिक्त है । ५—श्री चतुर्भुज सिंगल, अध्यक्ष, नगरपालिका, जालौन । ६—श्री शब्बीर हसन, एम० एल० ए०, फतेहपुर । ७—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, एम० एल० ए०, हमीरपुर । ८—श्रीमती सियादुलारी, एम० एल० ए०, बांदा ।

रीजन के नाम	समिति के सदस्य के नाम
	९---उप-परिवहन आयुक्त, (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि। १०---जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज (सदस्य सचिव)।
लखनऊ रीजन ..	१---आयुक्त, लखनऊ डिवीजन, (चेयरमैन)। २---सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, (बी० एन्ड आर०) लखनऊ। ३---जिलाधीश, लखनऊ। ४---श्री श्रीनारायण कपूर, अध्यक्ष, नगरपालिका, बिलग्राम, जिला हरदोई। ५---श्री बंशीधर मिश्र, अध्यक्ष, नगरपालिका, लखीमपुर खीरी। ६---श्री राम नारायण पान्डे, एम० एल० सी०, लखनऊ। ७---चौधरी गनेशीलाल, एम० एल० ए०, सीतापुर। ८---श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एल० ए०, लखनऊ। ९---उप-परिवहन आयुक्त, (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि। १०---जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज, लखनऊ (सदस्य सचिव)।
रूहेलखण्ड रीजन ..	१---आयुक्त, रूहेलखण्ड डिवीजन, बरेली (चेयरमैन)। २---सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, (बी० एन्ड आर०), बरेली। ३---जिलाधीश, बरेली। ४---श्री मनोहर लाल साह, अध्यक्ष, नगरपालिका, नैनीताल। ५---श्री हबीबुर्रहमान खां, अध्यक्ष, नगरपालिका, सहसवान, जिला बदायूं। ६---श्री जगदीश शरण अग्रवाल, एम० एल० ए०, बरेली। ७---श्री पी० सी० आजाद, एम० एल० सी०, बरेली। ८---श्री सुक्खन लाल, एम० एल० ए०, मुरादाबाद। ९---उप-परिवहन आयुक्त (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि। १०---जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, बरेली (सदस्य सचिव)।
गोरखपुर रीजन ..	१---आयुक्त, गोरखपुर डिवीजन (चेयरमैन) २---सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, (बी० एन्ड० आर०) ६ सर्किल, लखनऊ। ३---जिलाधीश, गोरखपुर। ४---श्री हफीजुर रहमान, अध्यक्ष, नगरपालिका, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़। ५---श्री बल्देव प्रसाद सेलानी, अध्यक्ष, नगरपालिका, बलरामपुर, जिला गोंडा। ६---श्री केशव पाण्डेय, एम० एल० ए०, गोरखपुर। ७---श्री सोहनलाल धुसिया, एम० एल० ए०, बस्ती। ८---श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी, एम० एल० ए०, देवरिया।

रीजन के नाम	समिति के सदस्य के नाम
	९---उप-परिवहन आयुक्त, (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि ।
	१०---जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज, गोरखपुर (सदस्य सचिव) ।
इलाहाबाद रीजन ..	१---आयुक्त, इलाहाबाद डिवीजन (चेयरमैन) ।
	२---सुपरिन्टेंन्डिग इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, (बी० एन्ड आर०) इलाहाबाद ।
	३---जिलाधीश, इलाहाबाद ।
	४---श्री जयन्ती प्रसाद उपाध्याय, अध्यक्ष, नगरपालिका, बेला प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ ।
	५---श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, ,अध्यक्ष, नगरपालिका, जौनपुर ।
	६---श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, एम० एल० ए०, इलाहाबाद ।
	७---श्री शंकर लाल, एम० एल० ए०, सुल्तानपुर ।
	८---श्री पब्बर राम, एम० एल० ए०, गाजीपुर ।
	९---उप-परिवहन आयुक्त, (रोडवेज) या उनके प्रतिनिधि ।
	१०---जनरल मैनेजर, यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, इलाहाबाद (सदस्य सचिव) ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---१० एल० ए०---१९५९---८४५ ।

उत्तर प्रदेश गजट